

तेरहवां वित्त आयोग

2010-2015

दिसम्बर - 2009

खण्ड II : परिशिष्ट

खंड I

विषय सूची

अध्याय 1 : सिफारिशों का सारांश	01
केन्द्र और राज्य के वित्त साधन	01
वस्तु और सेवा कर	01
केन्द्र सरकार के वित्त साधन	01
राज्य के वित्त साधन	01
केन्द्र के कर राजस्वों की भागीदारी	03
राजकोषीय समेकन हेतु संशोधित रूपरेखा	03
स्थानीय निकाय	05
आपदा राहत	06
सहायता अनुदान	06
एनपीआरडी और निष्पादन प्रोत्साहन	06
प्राथमिक शिक्षा	06
पर्यावरण	06
परिणामों में सुधार	07
सड़कों और पुलों का रख-रखाव	07
राज्य विशिष्ट आवश्यकताएं	08
मॉनिटरिंग	08
अध्याय 2 : प्रस्तावना	11
विचारार्थ विषय	11
प्रशासनिक प्रबंध	12
प्रमुख गतिविधियां	12
परामर्श	13
कार्यशालाएं तथा संगोष्ठियां	13
आयोग के दौर	14
प्रारंभ किए गए अध्ययन और अन्य जानकारी	14
कार्यकारी दल तथा कार्यबल	15
अन्य बैठकें	16
आभार	16
अध्याय 3 : मुद्दे एवं दृष्टिकोण	17
प्रस्तावना	17
राजकोषीय समेकन के प्रति दृष्टिकोण	19
राजकोषीय अंतरणों की रूपरेखा की सिफारिश पर विचार	20
उर्ध्व अंतरण : मुद्दे एवं दृष्टिकोण	25
क्षैतिज अंतरण : मुद्दे एवं दृष्टिकोण	26

अनुदानों की रूपरेखा को प्रभावित करने वाले सिद्धांत	27
राज्य विशेष अनुदान : दृष्टिकोण	29
स्थानीय निकायों को संसाधनों का अंतरण : मुद्दे	29
स्थानीय निकायों को संसाधनों का अंतरण : मुद्दे	30
अध्याय 4 : केन्द्र और राज्य वित्त व्यवस्थाओं की समीक्षा	31
प्रस्तावना	31
केन्द्रीय वित्त व्यवस्थाओं की समीक्षा	31
केन्द्र के सकल कर राजस्व	33
कर-भिन्न राजस्वों में प्रवृत्तियां	35
केन्द्रीय व्यय में प्रवृत्तियां	35
सारांश	37
राज्य वित्त व्यवस्थाओं की समीक्षा	37
समग्र राजकोषीय संकेतकों में प्रवृत्तियां	37
राज्यों के समग्र राजस्व में प्रवृत्तियां	38
राज्यों के समग्र व्यय में प्रवृत्तियां	40
विद्युत और सिंचाई सब्सिडियां	40
राज्य स्तर के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	40
सारांश	40
राज्य वित्त व्यवस्थाएं : तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य	40
निजी कर राजस्व	42
राज्यों का व्यय	43
सारांश	43
अंतर सरकारी अंतरण में प्रवृत्तियां	45
विषमस्तरीय असंतुलन	46
नीतिगत परिणाम	47
अध्याय 5 : वस्तु एवं सेवा कर	49
प्रस्तावना	49
राज्य सरकारों के विचार	49
केन्द्र सरकार के विचार	50
विदेश व्यापार पर जीएसटी का प्रभाव	51
तेरहवें वित्त आयोग के कृतिक बल की रिपोर्ट	51
मॉडल जीएसटी	52
मॉडल जीएसटी की रूपरेखा	52
प्रचालनात्मक तौर-तरीके	53
मॉडल जीएसटी के समर्थन से लाभ	54
राज्य सरकारों की चिंताएं	55
कतिपय उत्पादों से राजस्व	55
राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता कम होना	55
क्षतिपूर्ति तंत्र	55
जांच चौकी (चेकपोस्ट)	56
ग्रैंड बारगेन	56
केन्द्र और राज्यों के बीच बाध्यकारी करार	56
अनुपालन न होने पर दंडात्मक कार्रवाई	56

प्रतिपूर्ति/प्रोत्साहन अनुदान	57
मॉडल जीएसटी की कार्यान्वयन अनुसूची	57
प्रतिपूर्ति का संवितरण करने के तौर-तरीके	58
आगे का रास्ता	58
वित्त आयोग द्वारा लगाए गए अनुमानों पर जीएसटी का प्रभाव	58
सिफारिशों का सार	59
अध्याय 6 : केन्द्रीय वित्त : राजस्व और व्यय का आकलन	61
प्रस्तावना	61
अध्याय का विषय क्षेत्र	61
परामर्श की प्रक्रिया	61
कर निर्धारण के पीछे नीतिगत तर्क	62
आधार वर्ष 2009-10 का पुनर्निर्धारण	63
पंचाट अवधि के लिए पूर्वानुमान	64
कर राजस्व	64
कर-भिन्न राजस्व	64
आयोजना-भिन्न व्यय	65
आयोजना व्यय	67
पूंजी प्राप्तियां और व्यय	67
सिफारिशों का सार	68
अध्याय 7 : राज्य वित्त : राजस्व और व्यय का मूल्यांकन तथा संरचनात्मक सुधार	69
क. राजस्व और व्यय का मूल्यांकन	69
बुनियादी दृष्टिकोण	69
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	69
आधार वर्ष	70
पूर्वानुमान	70
अपना कर राजस्व	71
आधार वर्ष के अनुमान	71
पूर्वानुमान	71
अपना कर-भिन्न राजस्व	73
ब्याज प्राप्तियां	73
लाभांश और लाभ	73
चुनाव	73
लाटरियां और विविध सामान्य सेवाएं	74
रायल्टियां	74
विद्युत	74
वानिकी और वन्य जीवन	74
सिंचाई	74
अन्य कर-भिन्न राजस्व	74
आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय	75
वेतन	75
पेंशन	76
बकाया राशियां	76
ब्याज भुगतान	77

चुनाव	77
स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति और आवंटन	77
वचनबद्ध देयताएं	77
सिंचाई	78
सड़क और पुल	79
खाद्य सब्सिडी और अन्य आयोजना-भिन्न व्यय	79
आकलन का सार	79
ख. राज्य स्तर पर संरचनात्मक सुधार	80
राज्यों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन	80
लेखा विवरणों को अंतिम रूप देना	80
राज्यों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वित्तीय व्यवहार्यता को बढ़ाने के उपाय	81
राज्य विद्युत निकायों की अनुमानित वित्तीय व्यवस्था	81
विद्युत निकायों में राज्यों की वित्तीय सहभागिता	82
विद्युत क्षेत्र की कुल वित्त पोषण आवश्यकताओं का अनुमान	82
सिफारिशें	83
नई पेंशन योजना	84
नकदी प्रबन्ध	84
लेखांकन सुधार	85
लेखा विवरणों में कोडिंग सिस्टम का एक समान अंगीकरण	85
विभिन्न शीर्षों के अधीन व्यय का एक समान लेखा जोखा	85
प्रति प्रविष्टियां	85
बजट ढांचे के बाहर निधियां	85
वित्त लेखों के परिशिष्ट	86
सब्सिडियों का विवरण	86
वेतन का विवरण	86
अनुरक्षण व्यय का विवरण	86
सिफारिशों का सार	86
अध्याय 8 : केन्द्रीय कर राजस्व का बटवारा	89
उर्ध्वस्थ अंतरण	89
केन्द्र तथा राज्यों के विचार	89
उर्ध्वस्थ वितरण संबंधी अनुशंसाएं	90
समस्तरीय हिस्सेदारी	92
राज्य सरकारों की राय	92
समस्तरीय साझेदारी के लिए मानदंड	92
अंत टिप्पणी	96
अध्याय 9 : राजकोषीय समेकन हेतु संशोधित रूपरेखा	99
समग्र बृहत्-राजकोषीय स्थिति - मूल्यांकन एवं लक्ष्य	99
मौजूदा एफआरबीएम नेटवर्क के संबंध में पणधारकों का दृष्टिकोण	100
केन्द्र सरकार : कार्य योजना और सिफारिशें	101
राजकोषीय लक्ष्य	101
एफआरबीएम विधान में सुधार	104
एफआरबीएम प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यापक बनाना	105
प्रघातों और प्रतिचक्र्रीय परिवर्तनों के प्रति संवेदनशीलता	106
अनुवीक्षण और अनुपालन	108

राज्य वित्त साधन : रुपरेखा और सिफारिशें	108
सामान्य श्रेणी के राज्य	108
विशेष श्रेणी के राज्य	109
अनुवीक्षण और अनुपालन	110
समेकित राजकोषीय रुपरेखा	111
राज्यों के लिए ऋण राहत	111
बारहवें वित्त आयोग की ऋण समेकन तथा राहत सुविधा	112
राष्ट्रीय लघु बचत निधि से ऋण	113
वर्ष 2005-10 में समेकित न किए गए ऋण	115
क्रियान्वयन एवं अनुपालन	115
सिफारिशों का सार	116

अध्याय 10 : स्थानीय निकाय **119**

प्रस्तावना	119
पूर्ववर्ती वित्त आयोगों के स्थानीय निकायों का अंतर्वाह	119
सिफारिशों के लिए रुपरेखा	119
अंतर्वाहों की प्रमात्रा	119
समस्तरीय वितरण के लिए आधार	120
पूर्ववर्ती वित्त आयोगों द्वारा अंतरित निधियों का उपयोग	120
अधिरोपित शर्तें	120
अनुसूची V और VI क्षेत्रों का संव्यवहार	121
राज्यों की समेकित निधि के वर्धन हेतु उपायों से संबंधित अन्य सिफारिशें	121
परामर्शों के दौरान अभिव्यक्त विचार	122
पंचायती राज मंत्रालय	122
शहरी विकास मंत्रालय	123
पेयजलापूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय	123
राज्य सरकारों के विचार	124
राज्य राजधानियों में स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों के साथ परामर्श	124
योजना आयोग	125
ग्यारहवीं योजना दस्तावेज	125
प्रशासनिक सुधार आयोग	125
संविधान की पुनरीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग	127
एफसी-XIII द्वारा प्रायोजित अध्ययन/संगोष्ठी	127
"पंचायती राज को सशक्त बनाने संबंधी सम्मेलन	127
सर्वोत्तम नगर पद्धतियों का अध्ययन	128
भारत में शहरी सम्पत्ति कर संभाव्यता : शहर तथा नगर	128
सम्पत्ति कर आकलन में नगर पालिकाओं की सहायता हेतु संस्थाएं	128
नगर पालिका सम्पत्ति आकलन निगम	129
पश्चिम बंगाल मूल्यनिर्धारण बोर्ड	130
आयोग द्वारा संग्रहित डाटा	130

आयोग द्वारा ध्यान दिए जाने वाले मुद्दे	131
अंतरण - संबंधित मुद्दे	131
स्थानीय निकायों का लेखा	132
स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा और जवाबदेहिता	134
राज्य वित्त आयोग	134
अन्य विकास प्राधिकरणों की भूमिका	135
नगर पंचायतें	136
क्षेत्र जहां भाग IX तथा IXक प्रयोज्य नहीं हैं	136
सिफारिशें	137
स्थानीय निकायों को अनुदान	141
सामान्य निष्पादन अनुदान के लिए प्रोत्साहन संरचना	141
विशेष क्षेत्र अनुदान के लिए प्रोत्साहन संरचना	142
निधियां जारी करने की प्रक्रियाएं	143
अन्य विकास प्राधिकरणों की भूमिका	144
ऐसे क्षेत्र जहां भाग IX और IXक लागू नहीं होते	144
अग्निशमन और आपाती सेवाओं में सुधार	144
स्थानीय निकाय संरचना का सुदृढीकरण	144
वित्त लेखों में परिवर्तन	145
स्थानीय निकायों के सुदृढीकरणों के अन्य उपाय	145
सेवा प्रभारों का भुगतान	145
खनन रायल्टियों को बांटना	145
भाग IX में शामिल न किए गए क्षेत्रों में एसएफसी जैसे निकायों का गठन	146
सिफारिशों का सार	146

अध्याय 11 : आपदा राहत

147

विचारार्थ विषय	147
पिछले वित्त आयोगों का दृष्टिकोण	147
शुरू किए गए अध्ययन	147
मौजूदा व्यवस्था	148
आपदा राहत कोष	148
राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष	149
अतिरिक्त केंद्रीय सहायता	150
केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के साथ समाभिरुपता	150
समग्र आपदा राहत	150
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005	150
आपदाएं	150
प्रशासनिक तंत्र	150
राहत कार्यों की भूमिका और दायित्व	150
वित्तीय व्यवस्थाएं	151
केंद्र सरकार के विचार	151
कृषि और सहकारिता विभाग	151
गृह मंत्रालय	151
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विचार	151
वित्त मंत्रालय	151
योजना आयोग	152

राज्य सरकारों के विचार	152
आपदा राहत कोष को आवंटन	152
आपदा राहत कोष के अतिरिक्त व्यय	152
बंटवारे की पद्धति	152
व्यय हेतु मानदंड	152
आपदा सूची	152
राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष	152
आपदा प्रबंधन अधिनियम	152
अंतरराष्ट्रीय अनुभव	153
आस्ट्रेलिया	153
संयुक्त राज्य अमरीका	153
कनाडा	153
दक्षिण अफ्रीका	153
जापान	154
ब्राजील	154
भारतीय परिप्रेक्ष्य	154
विद्यमान योजनाओं की पुनरीक्षा	154
आपदा राहत कोष और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष	154
प्राकृतिक आपदाओं की सूची	154
मौजूदा योजनाएं और आपदा प्रबंधन अधिनियम	154
प्रशासनिक क्षेत्र	154
जोखिम अंतरण और बीमा	154
सिफारिशें	155
वित्तपोषण प्रबंध	155
आपदा उपशमन	155
राज्य आपदा राहत कोषों के लिए आवंटन	156
आपदाओं की सूची	158
क्षमता निर्माण	158
पूल में की गई अधिप्राप्ति के लिए कोष	158
जोखिम पूलिंग और बीमा	158
प्रशासनिक तंत्र	158
सिफारिशों का सारांश	158

अध्याय 12 : सहायता अनुदान

161

प्रस्तावना	161
हस्तांतरण के पश्चात आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा अनुदान	162
निष्पादन प्रोत्साहन	163
प्रारंभिक शिक्षा के लिए अनुदान	164
पर्यावरण संबंधी अनुदान	165
वन संबंधी अनुदान	169
ग्रिड से जुड़ी अक्षय ऊर्जा के लिए प्रोत्साहन	169
जल क्षेत्र प्रबंधनों के लिए अनुदान	171

परिणाम में सुधार के लिए अनुदान	171
प्रोत्साहन अनुदान	172
न्याय व्यवस्था में सुधार	174
पुलिस प्रशिक्षण	176
नवाचार को बढ़ावा देना	176
सरकारी खातों में पारदर्शिता बढ़ाना	177
सड़कों तथा पुलों के रख-रखाव के लिए अनुदान	179
राज्य विशिष्ट अनुदान	179
आंध्र प्रदेश	180
अरुणाचल प्रदेश	181
असम	181
बिहार	182
छत्तीसगढ़	182
गोवा	183
गुजरात	184
हरियाणा	184
हिमाचल प्रदेश	184
जम्मू एवं कश्मीर	184
झारखण्ड	186
कर्नाटक	186
केरल	186
मध्य प्रदेश	187
महाराष्ट्र	188
मणिपुर	188
मेघालय	189
मिजोरम	189
नागालैंड	190
उड़ीसा	190
पंजाब	191
राजस्थान	192
सिक्किम	192
तमिलनाडू	193
त्रिपुरा	193
उत्तर प्रदेश	194
उत्तराखंड	195
पश्चिम बंगाल	196
सामान्य शर्तें	196
मानीटरिंग	196

सारणियां और बॉक्स

अध्याय 1 :	सिफारिशों का सारांश	01
1.1	राज्यों की पारस्परिक भागीदारी	03
1.2	राज्यों को सहायता अनुदान	08
अध्याय 2 :	प्रस्तावना	11
	बॉक्स 2.1 : अनुसंधान अध्ययन	15
अध्याय 3 :	मुद्दे और दृष्टिकोण	17
3.1 :	विभिन्न वित्त आयोगों द्वारा यथा संस्तुत कुल अन्तरणों में राज्यवार हिस्सा (कर सुपुर्दगी + अनुदान) और सामान्य भागीदारी से इसका विचलन	22
अध्याय 4 :	केन्द्र और राज्य वित्त व्यवस्थाओं की समीक्षा	31
4.1 :	केन्द्र : राजकोषीय संकेतक विवरण	32
4.2 :	केन्द्र में राजकोषीय सुधार : 2003-04 से 2007-08	33
4.3 :	केन्द्र सरकार की बकाया देयताएं	34
4.4 :	केन्द्र में मुख्य कर : 2003-04 से निष्पादन कार्य	34
4.5 :	केन्द्र सरकार के व्यय में प्रवृत्तियां	35
4.6 :	केन्द्र की राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित सुनिश्चित सब्सिडियां	36
4.7 :	समग्र राज्य वित्त व्यवस्था : राजकोषीय संकेतक	38
4.8 :	राज्य वित्त व्यवस्था : राजकोषीय सुधार के स्रोत	38
4.9 :	समग्र राज्य राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियां	39
4.10 :	समग्र राज्य वित्त व्यवस्थाएं : व्यय संकेतक	39
4.11 :	राज्यों का तुलनात्मक निष्पादन : राजस्व और राजकोषीय घाटे	41
4.12 :	जीएसडीपी से सम्बन्धित बकाया ऋण : राज्यवार स्थिति	43
4.13 :	निजी कर राजस्व : राज्यों का तुलनात्मक निष्पादन	44
4.14 :	राज्य : व्यय में तुलनात्मक प्रवृत्तियां	45
4.15 :	संयुक्त राजस्व प्राप्तियों में केन्द्र का अन्तरणों से पूर्व और बाद में हिस्सा	46
4.16 :	राजस्व और कुल व्यय में केन्द्र तथा राज्यों का सापेक्षिक हिस्सा	47
अध्याय 5 :	वस्तु एवं सेवा कर	49
5.1 :	भिन्न-भिन्न पद्धतियों द्वारा जीएसटी के कराधार का अनुमान	52
5.2 :	जीएसटी अनुदान को अनुसूची निर्धारित करना	57
अध्याय 6 :	केन्द्रीय वित्त : राजस्व और व्यय का आकलन	61
6.1 :	कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात	64
अध्याय 7 :	राज्य वित्त : राजस्व और व्यय का मूल्यांकन तथा संरचनात्मक सुधार	69
7.1 :	पिछला कार्यनिष्पादन और राज्यों की प्राप्तियों और व्यय का पूर्वानुमान	69
7.2 :	आकलन का सार	79
7.3 :	राज्य टीएंडडी जनोपयोगी निकायों की निवल हानियां	81

7.4 :	2008 के प्रशुल्कों पर राज्य जनोपयोगी निकायों की निवल हानियां	82
7.5 :	राज्यों के टैरिफ संशोधन की प्रास्थिति	82
7.6 :	विद्युत निकायों में राज्यों की वित्तीय सहभागिता	82
7.7 :	उत्पादन, पारेषण और वितरण की भावी इक्विटी निवेश की आवश्यकताएं	82
7.8 :	विद्युत क्षेत्र से अनुमानित आय	83
7.9 :	विद्युत क्षेत्र की कुल वित्तपोषण आवश्यकताएं	83
अध्याय 8 :	केन्द्रीय कर राजस्व का हिस्सा	89
8.1 :	कर अंतरण के लिए मानदंड और भारांश	94
8.2 :	राज्यों का परस्पर हिस्सा	95
8.3 :	जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सेवा कर में राज्यों का हिस्सा	95
8.4 :	जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में औसत अंतरण	96
अध्याय 9 :	राजकोषीय समेकन के लिए संशोधित रूपरेखा	99
9.1 :	केन्द्र और राज्यों की सम्पूर्ण स्थिति	99
9.2 :	केन्द्रीय सरकार का समायोजित ऋण स्टॉक	103
9.3 :	केन्द्र के लिए राजकोषीय समेकन मार्ग	104
9.4 :	2007-08 में आरडी सहित सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए आरडी मार्ग	108
9.5 :	2007-08 में आरडी सहित सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए एफडी मार्ग	109
9.6 :	उच्च आधार एफडी सहित विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए एफडी मार्ग	110
9.7 :	केन्द्र और राज्यों के लिए समेकित राजकोषीय सुधार मार्ग	112
9.8 :	डीसीआरएफ के अधीन निष्पादन का सारांश	113
9.9 :	एनएसएसएफ से ऋणों पर प्रयोज्य ब्याज दरें	114
बॉक्स 9.1 :	राष्ट्रीय लघु बचत निधि	113
अध्याय 10 :	स्थानीय निकाय	119
10.1 :	पिछले वित्त आयोग द्वारा आवंटित राशि और आहरित राशि	120
10.2 :	सम्पत्ति कर संग्रहण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय अनुभव	129
10.3 :	क्षेत्र जहां भाग IX और IXक के प्रावधान लागू नहीं होते	136
10.4 :	स्थानीय निकायों के लिए अनुशंसित अनुदान	138
10.5 :	स्थानीय निकायों को अनुदान के लिए आवंटित भारांश	141
अध्याय 11 :	आपदा राहत	147
11.1 :	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से जारी की गई धनराशि	149
बॉक्स 11.1 :	मार्जिन धन योजना	147
बॉक्स 11.2 :	आपदा राहत कोष के अंतर्गत लेखाकन प्रणाली	149
अध्याय 12 :	सहायता अनुदान	161
12.1 :	राज्यों को सहायता अनुदान	162
12.2 :	हस्तांतरण से पहले आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा/अधिशेष	162
12.3 :	हस्तांतरण पश्चात आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा/अधिशेष	163
12.4 :	आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा अनुदान	163
12.5 :	आईएमआर प्रोत्साहन अनुदान की समय सूची	174
12.6 :	राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए सहायता अनुदान	197
12.7 :	राज्यों को वित्त आयोग के कुल अंतरण	198

चित्र और ग्राफ

अध्याय 4: केन्द्र और राज्य वित्त व्यवस्थाओं की समीक्षा	31
चित्र 4.1 : केन्द्रीय कर सघउ अनुपात: प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और जोड़ (1970-71 से 2009-10 (ब.अ.))	35
चित्र 4.2 : सामान्य श्रेणी के राज्यों के राजस्व घाटे में कमी (+) : 2004-05 की तुलना में 2007-08 में	42
चित्र 4.3 : विशेष श्रेणी के राज्यों में राजस्व घाटे में कमी (+) : 2004-05 की तुलना में 2007-08 में	42
चित्र 4.4 : संयुक्त राजस्व और कुल व्यय में राज्यों का सापेक्षिक हिस्सा	47
अध्याय 7: राजस्व वित्त : राजस्व और व्यय का मूल्यांकन तथा संरचनात्मक सुधार	69
चित्र 7.1 : जीएसडीपी पूर्वानुमान	70
चित्र 7.2 : कर-जीएसडीपी अनुपात	72
अध्याय 9: राजकोषीय समेकन का संशोधित रोड मैप	99
चित्र 9.1 : केन्द्र तथा राज्यों को एनएसएसएफ ऋणों की प्रभावी ब्याज दर	114
अध्याय 11: आपदा राहत	147
चित्र 11.1 : वित्त आयोगों द्वारा किए गए अनुमान	147

खण्ड II

अनुबंध

अध्याय 2 : प्रस्तावना

अनुबंध 2.1	वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग): आयोग के गठन के संबंध में अधिसूचना	203
अनुबंध 2.2	डा. अबुसालेह शरीफ के स्थान पर डा. संजीव मिश्रा को वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना	205
अनुबंध 2.3	विचारार्थ विषयों में वर्धन संबंधी अधिसूचना	206
अनुबंध 2.4	वित्त आयोग के कार्यकाल के विस्तार के संबंध में अधिसूचना	207
अनुबंध 2.5	स्वीकृत पदों की सूची	208
अनुबंध 2.6	अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची	209
अनुबंध 2.7	केन्द्रीय सरकार के विभाग की शक्तियां तेरहवें वित्त आयोग को प्रत्यायोजित करने के संबंध में वित्त मंत्रालय का दि. 28 नवम्बर, 2008 का पत्र	210
अनुबंध 2.8	सार्वजनिक सूचना	211
अनुबंध 2.9	नियम - प्रक्रिया	213
अनुबंध 2.10	आयोग की बैठकें	215
अनुबंध 2.11	चेन्नई, कोलकाता, नई दिल्ली, पुणे, शिलांग में अर्थशास्त्रियों और आर्थिक प्रशासकों के साथ बैठक	217
अनुबंध 2.12	इण्डिया इन्टरनेशनल सेन्टर, नई दिल्ली में पिछले वित्त आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ हुई बैठक	222
अनुबंध 2.13	राज्यों के महालेखाकारों के साथ हुई बैठकें	223
अनुबंध 2.14	जेएन टाटा हाल इन्फोसिस टेक्नोलॉजी, बंगलुरु में स्थानीय स्वशासन के वित्त से सम्बन्धित विषयों पर 26 फरवरी, 2008 को आयोजित कार्यशाला	225
अनुबंध 2.15	‘तेरहवें वित्त आयोग के समक्ष प्राथमिकताएं’ विषय पर वाई.बी. चव्हान सेंटर, मुम्बई में 27 मार्च, 2008 को हुई बैठक	226
अनुबंध 2.16	‘सीमावर्ती क्षेत्रों की विशेष समस्याएं और विकास संभावनाएं’ विषय पर ग्रामीण और औद्योगिक विकास अनुसंधान केन्द्र, चंडीगढ़ द्वारा 5 अप्रैल, 2008 को आयोजित सम्मेलन	228
अनुबंध 2.17	‘तेरहवें वित्त आयोग के समक्ष चुनौतियां’ विषय पर लोक अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान (एफपीईपीआर) द्वारा इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में 17 मई, 2008 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार	229
अनुबंध 2.18	‘तेरहवें वित्त आयोग के समक्ष विषयों’ पर राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) द्वारा 23-24 मई, 2008 को आयोजित सेमिनार	231
अनुबंध 2.19	‘भारत की राजकोषीय प्रणाली’ से सम्बन्धित विषयों पर राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान द्वारा 15 नवम्बर, 2008 को आयोजित सेमिनार	233
अनुबंध 2.20	‘भारत में अंतर्राष्ट्रिय और अंतः राज्यिक आर्थिक विषमताएं : तेरहवें वित्त आयोग के लिए विविक्षाएं’ विषय पर एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान (एडीआरआई), पटना द्वारा 13 दिसम्बर, 2008 को आयोजित कार्यशाला	234

अनुबंध 2.21	‘पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करना’ विषय पर ग्रामीण प्रबन्ध संस्थान (आईआरएमए) आणन्द, गुजरात द्वारा 22-23 दिसम्बर, 2008 को आयोजित कार्यशाला	235
अनुबंध 2.22	‘भारत में राज्यों में सुशासन निर्देशिका का विकास’ विषय पर राष्ट्रीय लोक प्रशासक अनुसंधान (एआईएआर) मसूरी द्वारा इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर, नई दिल्ली में 14 नवम्बर, 2008 को आयोजित कार्यशाला	236
अनुबंध 2.23	‘भारत के मध्यावधि वृहत आर्थिक और राजकोषीय दृष्टिकोण’ विषय पर इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर, नई दिल्ली में 2 जून, 2009 को आयोजित सम्मेलन	237
अनुबंध 2.24	विज्ञान भवन एनेक्सी, नई दिल्ली में वित्त राज्य मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के साथ 16 सितम्बर, 2008 को हुई बैठक	238
अनुबंध 2.25	वित्त आयोग और योजना आयोग के बीच 23 अक्टूबर 2009 को हुई बैठक	239
अनुबंध 2.26	केन्द्र सरकार के विभागों/मंत्रालयों के साथ हुई बैठकें	240
अनुबंध 2.27	वित्त आयोग का राज्य दौरा कार्यक्रम	241
अनुबंध 2.28	राज्यों दौरों के दौरान तेरहवें वित्त आयोग की बैठकों में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची	242
अनुबंध 2.29	आयोग का संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का दौरा कार्यक्रम - 15-24 अक्टूबर, 2008	276
अनुबंध 2.30	दिए गए अध्ययनों की सूची	278
अनुबंध 2.31	अध्यक्ष से मुलाकात करने वाले व्यक्तियों की सूची	280
अध्याय 4: केन्द्र और राज्य वित्त व्यवस्थाओं की समीक्षा		282
अनुबंध 4.1	केन्द्र से राज्यों को राजस्व अन्तरणों का प्रतिशत संघटक	282
अनुबंध 4.2	केन्द्र से राज्यों को केन्द्र के सकल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व अन्तरण	283
अध्याय 6: केन्द्रीय वित्त : राजस्व और व्यय का आकलन		284
अनुबंध 6.1	राजस्व प्राप्तियां : भारत सरकार (करोड़ रुपए)	284
अनुबंध 6.2	राजस्व प्राप्तियां : भारत सरकार (सघउ का %)	285
अनुबंध 6.3	योजना-भिन्न व्यय: भारत सरकार (करोड़ रुपए)	286
अनुबंध 6.4	योजना-भिन्न व्यय: भारत सरकार (सघउ का %)	287
अध्याय 7: राजस्व वित्त : राजस्व और व्यय का मूल्यांकन तथा संरचनात्मक सुधार		288
अनुबंध 7.1	2010-15 के लिए राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत अनुमान	288
अनुबंध 7.2	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर	289
अनुबंध 7.3	कर - जीएसजीएसपी अनुपात	289
अनुबंध 7.4	ऋण स्टॉक	290
अनुबंध 7.5	पूर्ण आयोजना स्कीमों की प्रतिबद्ध देयताओं के लिए प्रावधान	291
अनुबंध 7.6	सिंचाई के लिए अनुमानित अनुसूचना व्यय (मुख्य शीर्ष - 2700, 2701 और 2702)	293
अनुबंध 7.7	स्वयं का अनुमानित राजस्व प्राप्तियां और योजना - भिन्न राजस्व व्यय	294
	आन्ध्र प्रदेश	
	अरुणाचल प्रदेश	
	असम	
	बिहार	
	छत्तीसगढ़	

गोवा
गुजरात
हरियाणा
हिमाचल प्रदेश
जम्मू और कश्मीर
झारखंड
कर्नाटक
केरल
मध्य प्रदेश
महाराष्ट्र
मणिपुर
मेघालय
मिजोरम
नागालैंड
उड़ीसा
पंजाब
राजस्थान
सिक्किम
तमिलनाडु
त्रिपुरा
उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड
पश्चिम बंगाल

अध्याय 8: केन्द्रीय कर राजस्व की साझेदारी	308
अनुबंध 8.1 राज्यों द्वारा तेरहवें वित्त आयोग को प्रस्तुत अपने ज्ञापन में सुझाए गए मानदंड और भार	308
अनुबंध 8.2 राज्यों की जनसंख्या	311
अनुबंध 8.3 राज्यों का क्षेत्रफल	312
अनुबंध 8.4 प्रति व्यक्ति तुलनीय सकल राज्य घरेलू उत्पाद	313
अनुबंध 8.5 कर-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात (2004-05, 2005-06 और 2006-07 का औसत)	314
अनुबंध 8.6 राजकोषीय अनुशासन का सूचकांक	315
अध्याय 9: राजकोषीय समेकन के लिए संशोधित रूपरेखा	316
अनुबंध 9.1 बकाया ऋण (आधार वर्ष और भावी अनुमान)	316
अनुबंध 9.2 राजकोषीय घाटा (पिछली प्रवृत्तियां और भावी लक्ष्य)	317
अनुबंध 9.3 राजस्व घाटा (पिछली प्रवृत्तियां और भावी लक्ष्य)	318
अनुबंध 9.4 एनएसएसएफ ऋणों पर ब्याज राहत	319
अनुबंध 9.5 वित्त मंत्रालय को छोड़कर मंत्रालयों द्वारा प्रशासित केंद्रीय ऋण	320

अध्याय 10: स्थानीय निकाय	321	
अनुबंध 10.1	आयोग द्वारा एकत्रित डाटा	321
अनुबंध 10.2	एसएफसी-I रिपोर्ट : गठन और रिपोर्ट प्रस्तुत करना एसएफसी-II रिपोर्ट : गठन और रिपोर्ट प्रस्तुत करना एसएफसी-III रिपोर्ट : गठन और रिपोर्ट प्रस्तुत करना	322
अनुबंध 10.3	विभिन्न स्तरों पर स्थानीय निकायों की संख्या	333
अनुबंध 10.4	स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा की राज्यवार स्थिति	336
अनुबंध 10.5	राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट का नमूना	339
अनुबंध 10.6	कुल विशेष क्षेत्र अनुदान	343
अनुबंध 10.7	हस्तांतरण निर्देशक (वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के लिए कुल योजना-भिन्न राजस्व अनुदान)	344
अनुबंध 10.8	राज्यों का तुलनीय सकल राज्य घरेलू उत्पाद	345
अनुबंध 10.9क	क्षेत्रफल	346
अनुबंध 10.9ख	अनु.जाति/जनजाति जनसंख्या	347
अनुबंध 10.9ग	ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या	348
अनुबंध 10.10क	आय अंतर : प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्राइमरी सेक्टर)	349
अनुबंध 10.10ख	आय अंतर : प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्राइमरी सेक्टर को छोड़कर)	350
अनुबंध 10.11क	वित्त आयोग स्थानीय निकाय अनुदान उपयोग सूचकांक (पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान)	351
अनुबंध 10.11ख	वित्त आयोग स्थानीय निकाय अनुदान उपयोग सूचकांक (शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान)	352
अनुबंध 10.12	पंचायती राज संस्थाओं को राज्य वार आवंटन	353
अनुबंध 10.13	शहरी निकायों को राज्य वार आवंटन	354
अनुबंध 10.14	राज्य वार संयुक्त प्रतिशतता हिस्सा	355
अनुबंध 10.15क	राज्य वार संयुक्त हिस्सा-सामान्य मूल अनुदान	356
अनुबंध 10.15ख	राज्य वार संयुक्त हिस्सा-सामान्य निष्पादन अनुदान	357
अनुबंध 10.15ग	राज्य वार संयुक्त हिस्सा-विशेष क्षेत्र मूल अनुदान	358
अनुबंध 10.15घ	राज्य वार संयुक्त हिस्सा-विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुपात और कुल अनुदान	359
अध्याय 11: आपदा राहत	360	
अनुबंध 11.1	राज्य आपदा राहत निधि (2010-15)	360
अनुबंध 11.2	राज्य आपदा राहत निधि : केन्द्र और राज्यों का हिस्सा (2010-15)	361
अनुबंध 11.3	क्षमता निर्माण के लिए अनुदान	362
अध्याय 12: अनुदान सहायता	363	
अनुबंध 12.1	प्राथमिक शिक्षा के लिए सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष 2202-उप मुख्य शीर्ष-01)	363
अनुबंध 12.2	वनों के लिए सहायता अनुदान	364
अनुबंध 12.3	वानिकी और वन्य जीव शीर्ष के अधीन योजना-भिन्न राजस्व व्यय के लिए अनुदान (मुख्य शीर्ष 2406)	365

अनुबंध 12.4	पंचाट अवधि के दौरान अनुमानित उपलब्धि के लिए नमूना गणना	366
अनुबंध 12.5	जल सेक्टर के लिए सहायता अनुदान	367
अनुबंध 12.6	कुल अनुमानित योजना-भिन्न राजस्व व्यय, सामान्य योजना-भिन्न व्यय (मुख्य शीर्ष 2700, 2701 एवं 2702), सिंचाई के लिए उगाही पर और जल सेक्टर के लिए सहायता अनुदान	368
अनुबंध 12.7	2009-10 के सिंचाई के लिए वसूली दर (ब.अ.)	371
अनुबंध 12.8	जल सेक्टर के लिए सहायता अनुदान जारी करने हेतु शर्तें	372
अनुबंध 12.9	यूआईडी के लिए प्रोत्साहन अनुदान	373
अनुबंध 12.10	आईएमआर को घटाने के लिए प्रोत्साहन अनुदानों से संबंधित फार्मूला	374
अनुबंध 12.11	शिशु मृत्यु दर में परिवर्तन के लिए अनुरूपी गणनाएं	377
अनुबंध 12.12	न्याय जल्दी देने के लिए अनुदान आबंटन	378
अनुबंध 12.13	नवाचार लोक प्रणाली केन्द्र (सीआईपीएस) की स्थापना हेतु अवधारणा टिप्पणी और दिशा-निर्देश	379
अनुबंध 12.14	जिला नवाचार निधि के लिए और जिला व राज्य सांख्यिकी प्रणाली सुधारने के लिए राज्य वार अनुदान	383
अनुबंध 12.15	कर्मचारी डाटाबेस प्रपत्र के लिए नमूना	384
अनुबंध 12.16	सड़कों और पुलों के रख-रखाव/मरम्मत के लिए सहायता	385
अनुबंध 12.17	सड़कों और पुलों (मुख्य शीर्ष 3054) के अधीन योजना-भिन्न राजस्व व्यय का अनुदान	386

शब्दावली

ए.ए.वाई	अन्त्योदय अन्न योजना	सी.आई.आई.	भारतीय उद्योग परिसंघ
ए.सी.ए.	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	सी.आई.पी.एस.	अभिनव लोक प्रणाली केन्द्र
ए.डी.बी.	एशियाई विकास बैंक	सी.पी.सी.	केन्द्रीय वेतन आयोग
ए.डी.सी.	स्वायत्त जिला परिषद	सी.पी.आर.	नीति अनुसंधान केन्द्र
ए.डी.आर.	वैकल्पिक विवाद समाधान (तंत्र)	सी.आर.ए.	केन्द्रीय अभिलेखकरण एवं लेखाकरण एजेंसी
ए.डी.आर.आई.	एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान	सी.आर.एफ.	आपदा राहत निधि
ए.ई.	अग्रिम अनुमान	सी.आर.आई.एस.आई.एल.	भारतीय साख श्रेणी निर्धारण सूचना सेवा लिमिटेड
ए.जी.एम.	वार्षिक आम बैठक	सी.आर.आर.आई.डी.	ग्रामीण एवं औद्योगिक विकास अनुसंधान केन्द्र
ए.पी.	आंध्र प्रदेश	सी.एस.ओ.	केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन
ए.पी.डी.आर.पी.	त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम	सी.एस.एस.	केन्द्र प्रायोजित योजना
ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.	त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम	सी.एस.टी.	केन्द्रीय बिक्री कर
ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.	त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम	सी.टी.जे.डब्ल्यू.	आंतकवाद और जंगल संघर्ष निषेध केन्द्र
ए.एस.सी.आई.	प्रशासनिक स्टाफ कालेज, भारत (हैदराबाद)	सी.वी.बी.	केन्द्रीय मूल्य-निर्धारण बोर्ड
ए.टी.एण्ड सी.	समग्र पारेषण और वाणिज्यिक (हानियां)	सी.वी.डी.	प्रतिकारी शुल्क
ए.टी.एफ.	एविएशन टर्बाइन फ्यूल	डी.ए.	महंगाई भत्ता
ए.टी.आर.	की गई कार्रवाई रिपोर्ट	डी.सी.आर.एफ.	ऋण समेकन और राहत सुविधा
ए.डब्ल्यू.पी.एंड बी.	वार्षिक कार्य परियोजनाएं और बजट	डी.डी.आर.एफ.	जिला आपदा अनुक्रिया निधि
बी.ई.	बजट अनुमान	डी.एफ.ए.ए.	आपदा वित्तीय सहायता प्रबन्ध
बी.पी.एल.	गरीबी रेखा सीमा से नीचे रहने वाले	डी.एफ.आई.डी.	अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (यू.के.)
बी.आर.जी.एफ.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	डी.एफ.पी.आर.	वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियम
बी.टी.-	ब्लैक टॉप (सड़क निर्माण)	डी.आई.एफ.	जिला अभिनव निधि
सी.एण्ड ए.जी.	भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक	डी.एम.ए.	आपदा प्रबंध अधिनियम
सी.ए.एम.पी.ए.	प्रतिपूरक वानिकी निधि प्रबंधन एवं आयोजना प्राधिकरण	डी.एम.एफ.	आपदा न्यूनीकरण निधि
सी.ए.एस.आई.	भारतीय प्रगतिशील अध्ययन केन्द्र	डी.पी.सी.	कर्त्तव्य, शक्ति एवं सेवा-शर्त (अधिनियम)
सी.बी.आई.	महत्वपूर्ण बैंकिंग निवेश	डी.पी.आर.	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
सी.बी.ओ.	नागरिक निकाय संगठन	डी.आर.एफ.	आपदा अनुक्रिया निधि
सी.बी.आर.एन.	रासायनिक, जैवकीय, विकिरण चिकित्सीय और नाभिकीय	ई.ए.सी.	आर्थिक सलाहकार परिषद
सेनवैट	केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर	ई.सी.	राज्य वित्त मंत्री सशक्त समिति
सी.ई.ओ.	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	ई.एम.ए.	आपातकालीन प्रबन्ध आस्ट्रेलिया
सी.ई.पी.ए.	लोक प्रशासन विशेषज्ञ समिति	ई.आर.	कच्चे रास्ते
सी.ई.आर.सी.	केन्द्रीय ऊर्जा विनियामक आयोग	ई.आर.एफ.	पर्यावरण राहत निधि
सी.ई.एस.पी.	आर्थिक अध्ययन और आयोजना केन्द्र	ई.एस.को.	बिजली सेवा कम्पनी
सी.एफ.आई.	भारत की संचित निधि	ई.यू.	यूरोपियन संघ
सी.जी.ए.	महालेखा नियंत्रक	एफ.सी.	वित्त आयोग
सी.जी.ई.	संगणनीय साधारण संतुलन	एफ.ई.एम.ए.	संघीय आपातकालीन प्रबन्ध एजेंसी
सी.आई.डी.डी.आर.	सेन्ट्रल आईडी डाटा रिपोजिट्री	एफ.एफ.एफ.	निधि, कृत्य एवं कार्यकर्ता

एफ.आई.सी.सी.आई. (फिक्की)	भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल संघ	आई.एम.आर. आई.एन.टी.ए.सी.एच.	शिशु मृत्यु दर भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत न्यास
एफ.पी.ई.पी.आर.	लोक अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान	आई.पी.यू. आई.आर.डी.ए. आई.आर.एम.ए. आई.एस.पी. आई.टी. आई.टी.सी. आई.टी.आई.	प्रयुक्त सिंचाई क्षमता बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ग्रामीण प्रबंध संस्थान, आणन्द भारत सांख्यिकी परियोजना सूचना प्रौद्योगिकी निवेश (इनपुट) कर क्रेडिट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
एफ.आर.बी.एम.ए. एफ.आर.एल. एफ.एस.आई. एफ.डब्ल्यू.पी. जी.ए.एस.ए.वी.	राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान भारतीय वन सर्वेक्षण कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम सरकारी लेखाकरण मानक सलाहकारी बोर्ड	जे. एण्ड के. जे.आई.सी.ए. जे.एन.एन.यू.आर.एम.	जम्मू-कश्मीर जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन
जी.बी.एम. जी.बी.एस. जी.सी.एस. जी.डी.पी. जी.एफ.आर. जी.आई.सी. जी.आई.एस. जी.ओ.आई. जी.पी.एफ. जी.एस.डी.पी. जी-सेक. जी.एस.टी. एच.डी.आई. एच.एम.जी.पी. एच.एस.डी. एच.वी.डी.एस. आई.ए.वाई. आई.सी.डी.एस. आई.सी.आर.आई.ई.आर.	साधारण निकाय की बैठक सकल बजटीय सहायता साधारण श्रेणी वाले राज्य सकल घरेलू उत्पाद सामान्य वित्तीय नियम साधारण बीमा निगम भौगोलिक सूचना विज्ञान प्रणाली भारत सरकार सामान्य भविष्य निधि सकल राज्य घरेलू उत्पाद केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां वस्तु एवं सेवा कर मानव विकास संकेतक आपदा-न्यूनीकरण अनुदान कार्यक्रम हाई स्पीड डीजल हाई वालटेज वितरण प्रणाली इंदिरा आवास योजना एकीकृत बाल विकास योजना भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद्	जी.वी. एल.आई.सी. एल.पी.जी. एल.एस.जी. एम.बी.बी.सी. एम.डी. एम.डी.जी. एम.एफ.आई. एम.एच.ए. एम.एच.आर.डी. एम.आई.एस. एम.एन.आई.ई. वी.ए.टी. एम.ओ.ई.एफ. एम.ओ.एफ. एम.ओ.यू. एम.ओ.डब्ल्यू.आर. एम.पी.एल.सी. एम.पी.टी.सी. एम.आर.पी. एम.एस. एम.एस.पी. एम.एस.एस. एम.टी.एफ.पी. एम. डब्ल्यू.	संयुक्त उद्यम जीवन बीमा निगम द्रव्यीकृत पेट्रोलियम गैस स्थानीय स्व-शासन महाराजा बीर बिक्रम सिंह कालेज (अगरतला) प्रबंध निदेशक शताब्दी विकास ध्येय (लक्ष्य) अतिलघु (माइक्रो) वित्त संस्थाएं गृह मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय प्रबन्ध सूचना प्रणाली नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय संशोधित मूल्य-वर्धित कर पर्यावरण और वन मंत्रालय वित्त मंत्रालय समझौता ज्ञापन, सहमति-पत्र जल संसाधन मंत्रालय नगर पालिका सम्पत्ति मूल्य निर्धारण निगम मणिपुर पुलिस प्रशिक्षण कालेज अधिकतम खुदरा मूल्य मोटर स्प्रिट न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार स्थिरीकरण योजना मध्यावधिक राजकोषीय योजना मेगावाट
आई.डी.एफ. आई.डी.एफ.सी. आई.डी.आर.सी. आई.डी.एस. आई.ई.जी. आई.ई.ओ. आई.आई.एफ.एम. आई.आई.एम. आई.आई.पी.ए. आई.आई.टी. आई.एम.सी.	भारत सरकार प्रतिष्ठान औद्योगिक विकास और वित्त निगम अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र विकास अध्ययन संस्थान आर्थिक संवृद्धि संस्थान स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय भारतीय वानिकी प्रबन्ध संस्थान भारतीय प्रबंध संस्थान भारतीय लोक प्रशासन संस्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अंतर्राष्ट्रीय प्रबन्ध केन्द्र		

एम.वाई.टी.	बहुवर्षीय प्रशुल्क (टैरिफ)	पी.ई.ए.आई.एस.	पंचायती सशक्तीकरण जवाबदेहिता और प्रोत्साहन योजना
एन.ए.बी.ए.आर.डी. (नाबार्ड)	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	पी.ई.एस.ए.	पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार) अधिनियम
एन.ए.एल.एस.ए.	राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण	पी.एफ.आर.डी.ए.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
एन.सी.ए.	सामान्य केन्द्रीय सहायता	पी.एच.सी.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
एन.सी.ए.ई.आर.	राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद	पी.आई.बी.	लोक निवेश बोर्ड
एन.सी.सी.एफ.	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि	पी.एल.आई.	लोक दायित्व बीमा (अधिनियम)
एन.सी.एस.	राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग	पी.एम.जी.एस.वाई.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
एन.डी.सी.	राष्ट्रीय विकास परिषद	पी.पी.पी.	सरकारी निजी भागीदारी
एन.डी.एम.ए.	राष्ट्रीय आपदा-न्यूनीकरण प्रबन्ध प्राधिकरण	पी.आर.आई.	पंचायती राज संस्थान
एन.डी.आर.एफ.- ए.ई.सी.	राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि	पी.एस.	लोक सुरक्षा
एन.डी.आर.आर.ए.	राष्ट्रीय आपदा राहत और समुत्थान प्रबन्ध	जी.एस.सी.	लोक सेवा आयोग
ए.ई.सी.	राष्ट्रीय कार्यपालक समिति	पी.एस.ई.	पब्लिक सेक्टर उद्यम
एन.ई.एल.पी.	नई अन्वेषण लाइसेंस नीति	पी.एस.यू.	पब्लिक सेक्टर उपक्रम
एन.एफ.सी.आर.	राष्ट्रीय आपदा राहत निधि	पी.टी.जी.	आदिम जन-जातीय समूह
एन.जी.ओ.	गैर-सरकारी संगठन	आर.एम.डी.आर.पी.	पुनर्निर्मित त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम
एन.आई.ए.आर.	राष्ट्रीय प्रशासनिक अनुसंधान संस्थान	आर.बी.आई.	भारतीय रिजर्व बैंक
एन.आई.सी.	राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र	आर.सी.सी.ई.	पूँजीगत व्यय के राजस्व परिणाम
एन.आई.एफ.	राष्ट्रीय अभिनव प्रतिष्ठान	आर.ई.	संशोधित अनुमान
एन.आई.पी.एफ.पी.	राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान	आर.जी.जी.वी.वाई.	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना
एन.एम.ए.एम.	राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा नियम-पुस्तिका	आर.जी.आई.	भारत के महा पंजीयक (रजिस्ट्रार)
एन.पी.एन.एफ.सी.	आयोजना-भिन्न गैर-वित्त आयोग (अनुदान)	आर.आई.डी.एफ.	ग्रामीण आधारभूत-संरचना विकास निधि
एन.पी.आर.डी.	आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा	आर.एन.आर	राजस्व निष्प्रभाव दर
एन.पी.आर.ई.	आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय	आर.एस.वी.आई.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना
एन.पी.एस.	नई पेंशन योजना	आर.टी.आई.	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम
एन.पी.वी.	निवल वर्तमान मूल्य	आर.टी.आई.	सूचना का अधिकार (अधिनियम)
एन.आर.ई.जी.एस.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	एस.ए.एल.एस.ए.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
एन.आर.एच.एम.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	एस.ए.आर.सी.	दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग
एन.एस.डी.एल.	राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड	एस.सी.	अनुसूचित जाति
एन.एस.एस.एफ.	राष्ट्रीय लघु बचत निधि	एस.सी.एस.	विशेष श्रेणी वाले राज्य
एन.एस.एस.पी.	राष्ट्रीय नीतिगत सांख्यिकी योजना	एस.डी.एम.ए.	राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण
एन.टी.एफ.पी.	गैर-इमारती वन उत्पाद	एस.डी.एस.	विकास अध्ययन सोसाइटी
ओ.एण्ड एम.	संचालन (प्रचालन) और अनुसंधान	एस.ई.बी.	राज्य बिजली बोर्ड
ओ.पी.डी.	बहिरंग रोगी विभाग	एस.ई.सी.	राज्य कार्यपालक परिषद
ओ.टी.आर.	स्वयं कर राजस्व	एस.ई.आर.सी.	राज्य बिजली विनियामक आयोग
ओ.टी.एस.	एक-बारगी निपटान (योजना)	एस.ई.डब्ल्यू.ए.	स्व-नियोजित महिला एशोसिएशन
पी.ए.	लोक सहायता		
पी.डी.एस.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली		
पी.ई.	अनंतिम अनुमान		

एस.एफ.सी.	राज्य वित्त आयोग	टी.आई.ए.एक्स.	कर सूचना आदान-प्रदान प्रणाली
एस.एफ.आर.	वन-स्थिति रिपोर्ट	एस.वाई.एस.	
एस.एच.जी.	स्व-सहायता समूह	टी.ओ.आर.	विचारार्थ (विचारणीय) विषय
एस.एल.सी.	राज्य स्तरीय समिति	टी.एस.आर.	त्रिपुरा राज्य राइफल्स
एस.एल.डी.सी.	राज्य भार प्रेषण केन्द्र	टी.टी.ए.डी.सी.	त्रिपुरा जनजातीय स्वायत्त जिला परिषद
एस.ओ.ई.	व्यय-विकास	यू.सी.	उपयोग प्रमाण-पत्र
एस.पी.सी.बी.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	यू.डी.ए.	नगर (शहर) विकास प्राधिकरण
एस.पी.एस.ई.	राज्य पब्लिक सेक्टर उद्यम	यू.आई.डी.	सर्व शिनाख्त
एस.पी.एस.यू.	राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम	यू.आई.डी.ए.आई.	भारतीय सर्व शिनाख्त प्राधिकरण
एस.पी.टी.	अर्ध-स्थायी इमारती काष्ठ (पुल)	यू.एल.बी.	शहरी स्थानीय निकाय
एस.पी.यू.	राज्य विद्युत उपयोगिता	यू.एन.	संयुक्त राष्ट्र
एस.आर.एस.	नमूना पंजीकरण प्रणाली	यू.पी.	उत्तर प्रदेश
एस.एस.ए.	सर्वशिक्षा अभियान	यू.आर.पी.	समान अनुस्मरण अवधि
एस.टी.	अनुसूचित जन जाति	यू.टी.	संघ राज्य क्षेत्र
टी. एण्ड डी.	पारेषण और वितरण	वी.ए.टी.	मूल्य-वर्धित कर
टी.डी.एस.	स्रोत पर कर-कटौती	डब्ल्यू.वी.एम.-	जल वाहक मकादम (मार्ग)
टी.ई.आर.आई.	ऊर्जा अनुसंधान संस्थान	डब्ल्यू.एम.ए./ओ.डी.	अर्थोपाय अग्रिम/ ऑवर ड्राफ्ट
टी.जी.आर.	प्रवृत्ति संवृद्धि दर	डब्ल्यू.टी.ओ.	विश्व व्यापार संगठन
टी.आई.एन.	कर सूचना नेटवर्क	वाई.ए.एस.एच.ए.डी.ए.	यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन अकादमी

भारत का राजपत्र: असाधारण

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2007

का.आ. 1937 (ई) — राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

राष्ट्रपति, वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951 (1951 का 33) में अंतर्विष्ट उपबंधों के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड (1) के अनुसरण में एक वित्त आयोग का गठन करती हैं जिसमें डा. विजय एल. केलकर, संघ के भूतपूर्व वित्त सचिव और तत्कालीन वित्त मंत्री के सलाहकार, अध्यक्ष के रूप में तथा निम्नलिखित चार अन्य सदस्य शामिल होंगे, अर्थात् :—

- | | |
|---|------------------|
| 1. श्री बी. के. चतुर्वेदी, सदस्य, योजना आयोग | सदस्य (अंशकालिक) |
| 2. डा. इन्दिरा राजारमन,
अवकाशप्राप्त प्रोफेसर, राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली | सदस्य |
| 3. डा. अबुसालेह शरीफ,
मुख्य अर्थशास्त्री, राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली | सदस्य |
| 4. प्रो. अतुल शर्मा, भूतपूर्व उपकुलपति,
राजीव गांधी विश्वविद्यालय,
(पूर्ववर्ती अरुणाचल विश्वविद्यालय) | सदस्य |
2. श्री सुमित बोस आयोग के सचिव होंगे ।
3. आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य उस तारीख से, जिसको वे अपना-अपना पदग्रहण करते हैं, 31 अक्टूबर, 2009 तक पद धारण करेंगे।
4. आयोग निम्नलिखित विषयों के बारे में सिफारिशें करेगा, अर्थात् :—
- संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का, जो संविधान के भाग 12 के अध्याय 1 के अधीन उनमें विभाजित किए जाने हैं या किए जाएं, वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग का आबंटन ;
 - भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत और उन राज्यों को, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 275 के अधीन उनके राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में उस अनुच्छेद के खंड (1) के परंतुक में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए सहायता की आवश्यकता है, संदत्त की जाने वाली धनराशियां ;
 - राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक अधुपाय ।
5. आयोग, विशेष रूप से, केन्द्रीय सरकार द्वारा बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर आरंभ की गई राज्य ऋण समेकन और राहत सुविधा 2005-2010 के प्रवर्तन को ध्यान में रखते हुए, संघ और राज्यों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा और समान वृद्धि से संगत स्थिर और पोषणीय राजवित्तीय वातावरण को बनाए रखने के लिए उपायों का सुझाव देगा ।

6. आयोग, अपनी सिफारिशें करते समय, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित को ध्यान में रखेगा :—
- (i) वर्ष 2008-09 के अंत में पूरा किए जाने वाले कराधान और गैर-कर राजस्वों के संभावित स्तरों के आधार पर 1 अप्रैल, 2010 को आरंभ होने वाले पांच वर्षों के लिए केन्द्रीय सरकार के संसाधन ;
 - (ii) केन्द्रीय सरकार के संसाधनों, विशेष रूप से केन्द्रीय और राज्य आयोजना के लिए अनुमानित सकल बजटीय सहायता, सिविल प्रशासन, रक्षा, आन्तरिक और सीमा सुरक्षा, ऋण सेवा और अन्य प्रतिबद्ध व्यय तथा दायित्वों संबंधी मांग ;
 - (iii) वर्ष 2008-09 के अंत में पूरा किए जाने वाले कराधान और गैर-कर राजस्वों के संभावित स्तरों के आधार पर 1 अप्रैल, 2010 को आरंभ होने वाले पांच वर्षों के लिए राज्य सरकारों के संसाधन ;
 - (iv) सभी राज्यों और संघ के राजस्व खाते पर प्राप्तियों और व्यय को न केवल संतुलित करने, किंतु पूंजी निवेश के लिए अधिशेष उद्भूत करने का भी उद्देश्य ;
 - (v) केन्द्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार के कराधान संबंधी प्रयास और संघ की दशा में कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात और राज्यों की दशा में कर-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में सुधार करने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने की क्षमता;
 - (vi) 1 अप्रैल, 2010 से माल और सेवा कर के प्रस्तावित कार्यान्वयन का प्रभाव, जिसके अंतर्गत देश के विदेश-व्यापार पर उसका प्रभाव भी है ;
 - (vii) बेहतर उत्पाद और परिणाम प्राप्त करने के लिए लोक व्यय की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता ;
 - (viii) सतत विकास के अनुरूप परिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के प्रबंधन की आवश्यकता ;
 - (ix) पूंजीगत आस्तियों के रख-रखाव और अनुरक्षण के गैर-वेतन घटक संबंधी व्यय और 31 मार्च, 2010 तक पूरी की जाने वाली आयोजना स्कीमों पर गैर-मजदूरी संबंधी रख-रखाव व्यय तथा ऐसे मानदण्ड, जिनके आधार पर पूंजीगत आस्तियों के रख-रखाव के लिए विनिर्दिष्ट धनराशियों की सिफारिश की जाती है तथा ऐसे व्यय को मानिटर करने की रीति ;
 - (x) विभिन्न तरीकों के उपायों के माध्यम से, जिसके अंतर्गत प्रयोक्ता प्रभारों का उदग्रहण और दक्षता संवर्धन के उपायों को अपनाना भी है, सिंचाई परियोजनाओं, विद्युत परियोजनाओं, विभागीय उपक्रमों और पब्लिक सैक्टर उद्यमों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने की आवश्यकता ।
7. आयोग, विभिन्न विषयों पर अपनी सिफारिशें करते समय, उन सभी मामलों में, जहां करों और शुल्कों तथा सहायता अनुदानों के अंतरण को अवधारित करने के लिए जनसंख्या एक कारक है, वर्ष 1971 की जनसंख्या के आंकड़ों को आधार के रूप में लेगा ।
8. आयोग, आपदा प्रबंधन के वित्त पोषण के संबंध में राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि और आपदा राहत निधि और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) में परिकल्पित निधियों के प्रतिनिर्देश से विद्यमान व्यवस्थाओं का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उनके संबंध में उपयुक्त सिफारिशें कर सकेगा ।
9. आयोग उन आधारों को बताएगा, जिनके आधार पर वह अपने निष्कर्षों पर पहुंचा है और संघ तथा प्रत्येक राज्य की प्राप्तियों और व्यय के अनुमान उपलब्ध कराएगा ।
10. आयोग, 1 अप्रैल, 2010 से प्रारंभ होने वाली पांच वर्ष की अवधि को सम्मिलित करते हुए, 31 अक्टूबर, 2009 तक अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा ।

ह./

(श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल)

भारत की राष्ट्रपति

नई दिल्ली

दिनांक 14 नवम्बर, 2007

[सं. 10(2)-बी(एस)/2007]

एल. एम. वास, संयुक्त सचिव (बजट)

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 27 मार्च, 2008

का.आ. 780 (अ)- राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है -

आदेश

राष्ट्रपति के आदेश द्वारा तेरहवें वित्त आयोग का गठन कर दिया गया है और जिसे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 1937 (अ) तारीख 14 नवम्बर, 2007 द्वारा प्रकाशित किया गया है और डा. अबुसालेह शरीफ को उक्त आयोग में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था।

और, डा. अबुसालेह शरीफ ने सदस्य के रूप में त्यागपत्र दे दिया है और राष्ट्रपति ने उक्त त्यागपत्र 14 जनवरी, 2008 से स्वीकार कर लिया है ;

इसलिए, अब, राष्ट्रपति, वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951 (1951 का 33) की धारा 3, 4 और 6 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 280 के खण्ड (1), के अनुसरण में, डा. अबुसालेह शरीफ के स्थान पर, डा. संजीव मिश्रा को वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त करती हैं और उस प्रयोजन के लिए पूर्वोक्त आदेश में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् : -

उक्त आदेश में, पैरा 1 में, क्रम संख्या 3 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् -

“ 3. डा. संजीव मिश्रा
सचिव (व्यय),
वित्त मंत्रालय,
(व्यय विभाग),
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

- सदस्य ”

ह./-
(श्रीमती प्रतिभादेवीसिंह पाटिल)
राष्ट्रपति

नई दिल्ली;
तारीख, 28 मार्च, 2008

(एफ संख्या 10(2) - बी (एस) / 2007)
एल. एम. वास, अपर सचिव

टिप्पण - वित्त आयोग के गठन के लिए मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण सं. का.आ.1937 (अ) तारीख 14 नवम्बर, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

भारत का राजपत्र, भाग-II खण्ड-3, उप खंड (ii)

[सं.1216]

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 25 अगस्त, 2008

का. आ. 2107 - राष्ट्रपति द्वारा किए गए निम्नलिखित आदेश को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:-

आदेश

राष्ट्रपति वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951 (1951 का 33) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 280 के खण्ड (1) के अनुसरण में, भारत के राजपत्र (असाधारण) तारीख 14 नवम्बर, 2007 में प्रकाशित आदेश संख्या का.आ 1937 (अ) तारीख 13 नवम्बर, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :-

उक्त आदेश में, पैराग्राफ 8 के पश्चात्, निम्नलिखित पैराग्राफ अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“ 8.क. तेल, खाद्य तथा उर्वरक बांडों के कारण केन्द्र सरकार की देयताओं को राजकोषीय हिसाब में लेने की आवश्यकता और घाटा लक्ष्यों के संबंध में केन्द्र सरकार के विभिन्न अन्य दायित्वों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, आयोग राजकोषीय समायोजन की रूपरेखा की समीक्षा कर सकता है और वर्ष 2010 से 2015 में राजकोषीय समेकन के लाभों को बनाए रखने की दृष्टि से एक उपयुक्त पुनरीक्षित रूपरेखा का सुझाव दे सकता है”।

ह./-

श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल
राष्ट्रपति

नई दिल्ली
तारीख 25 अगस्त, 2008

[फाइल सं. 10(2)-बी(एस)/2007]
एल. एम. वास, अपर सचिव (बजट)

टिप्पण: आदेश संख्या का. आ. 1937 (अ) तारीख 13 नवम्बर, 2007 भारत के राजपत्र भाग-2, खण्ड 3, उप खंड (i) में का.आ. 1937 (अ) तारीख 14 नवम्बर, 2007 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

अनुबन्ध 2.4
(पैरा 2.4)

भारत का राजपत्र - असाधारण
भाग 2-खंड 3-उपखंड (ii)

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 18 अक्टूबर, 2009

का.आ. 2629 (अ).- राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

राष्ट्रपति, वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951 (1951 का 33) की धारा 6 और धारा 8 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 280 के उपबंधों के अनुसरण में यह निदेश देती हैं कि-

- (i) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ.1937(अ) तारीख 14 नवंबर, 2007 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में तारीख 14 नवंबर, 2007 को प्रकाशित आदेश में,—
 - (क) पैरा 3 में, “31 अक्टूबर, 2009” अंक और शब्द के स्थान पर “31 जनवरी, 2010” अंक और शब्द रखे जाएंगे ;
 - (ख) पैरा 10 में “31 अक्टूबर, 2009” अंक और शब्द के स्थान पर “31 दिसंबर, 2009” अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

ह./
(श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल)
राष्ट्रपति

[फा.सं.10(3)-(बीएस)/2009]
शक्तिकांत दास, संयुक्त सचिव, (बजट)

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्यांक का.आ.1937(अ) तारीख 14 नवंबर, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

स्वीकृत पदों की सूची

क्रम. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान (रुपए) (पूर्व-संशोधित)	1.1.2006 से संशोधित वेतन बैंड और ग्रेड-पे
1.	सचिव (अपर सचिव/अथवा सचिव, भारत सरकार के स्तर पर, क्रियान्वित होगा)	1	26,000 (नियत)/ 22,400-24,500/-	रु.80,000 (नियत)/ उच्च प्र.ग्रे.67000 वा.वेतन वृद्धि 3% की दर पर) 79000
2.	संयुक्त सचिव	3	18,400-22,400/-	वेतन बैंड-4 ग्रे.पे.-10000
3.	आर्थिक सलाहकार	1	18,400-22,400/-	वेतन बैंड- 4 ग्रे.पे.-10000
4.	निदेशक	4	14300-18300	वेतन बैंड- 4 ग्रे.पे.-8700
5.	संयुक्त निदेशक	3	12000-16500	वेतन बैंड- 3 ग्रे.पे.-7600
6.	अध्यक्ष के निजी सचिव	1	12000-16500	वेतन बैंड-3 ग्रे.पे.-7600
7.	उप निदेशक	6	10000-15200	वेतन बैंड-3 ग्रे.पे.-6600
8.	प्र.नि. सचिव/अपर निजी सचिव	5	10000-15200	वेतन बैंड-3 ग्रे.पे.-6600
9.	लाइब्रेरियन एवं सूचना अधिकारी	1	10000-15200	वेतन बैंड-3 ग्रे.पे.-6600
10.	सहा. निदेशक	8	8000-13500	वेतन बैंड-3 ग्रे.पे.-5400
11.	प्रशा. एवं लेखाधिकारी	1	8000-13500	वेतन बैंड-3 ग्रे.पे.-5400
12.	अधीक्षक/अ.ले.से. लेखाकार	1	6500-10500	वेतन बैंड-2 ग्रे.पे.-4600
13.	स्टेनो ग्रेड 'बी'	6	6500-10500	वेतन बैंड-2 ग्रे.पे.-4800
14.	आर्थिक अन्वेषक ग्रेड-। (आर्थिक अधिकारी के रूप में पुनःपदनामित)	10	6500-10500	वेतन बैंड-2 ग्रे.पे.-4600
15.	सहायक	4	6500-10500	वेतन बैंड-2 ग्रे.पे.-4200
16.	रोकड़िया	1	5500-9000	वेतन बैंड-2 ग्रे.पे.-4200
17.	स्टेनो ग्रेड 'सी'	8	6500-10500	वेतन बैंड-2 ग्रे.पे.-4200
18.	हि. स्टेनो ग्रेड 'सी'	1	6500-10500	वेतन बैंड-2 ग्रे.पे.-4200
19.	स्टेनो ग्रेड 'डी'	4	4000-6000	वेतन बैंड-1 ग्रे.पे.-2400
20.	उच्च श्रेणी लिपिक	2	4000-6000	वेतन बैंड-1 ग्रे.पे.-2400
21.	टेलीफोन आपरेटर	1	3050-4590	वेतन बैंड-1 ग्रे.पे.-1900
22.	हिन्दी टाइपिस्ट	1	3050-4590	वेतन बैंड-1 ग्रे.पे.-1900
23.	निम्न श्रेणी लिपिक	3	3050-4590	वेतन बैंड-1 ग्रे.पे.-1900
24.	स्टाफ कार ड्राइवर	5	3050-4590	वेतन बैंड-1 ग्रे.पे.-1900
25.	जमादार (वरिष्ठ चपरासी)	5	2610-4000	वेतन बैंड-1 ग्रे.पे.-1800
	जोड़	86		

अनुबन्ध 2.6
(पैरा 2.6)

अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

अध्यक्ष	डा. विजय केलकर
सदस्य	श्री बी.के. चतुर्वेदी, डा. इंदिरा राजारमन, प्रो. अतुल शर्मा, डा. संजीव मिश्रा
सचिव	श्री सुमित बोस, भा. प्र. से.
संयुक्त सचिव	श्री वी भास्कर, भा. प्र. से., श्री बी.एस. भुल्लर, भा. प्र. से.
आर्थिक सलाहकार	डा. रथिन रॉय (30 सितम्बर, 2009 तक)
सलाहकार	डा. जी.आर. रेड्डी (29 सितम्बर, 2009 से 31 दिसम्बर, 2009 तक)
निदेशक	श्री राजीव कुमार सेन, भा.आ.से. श्री पी.के. वर्मा, आईए एण्ड एएस, श्री एस.के. बंसल (31 अगस्त, 2009 तक; 04 अगस्त, 2008 तक उप सचिव के रूप में), श्री संजीव जोशी, भा.आ.से. (6 दिसम्बर, 2009 तक), 31 अगस्त, 2009 तक संयुक्त निदेशक के रूप में)
उप सचिव	श्री ऋत्तिक रंजानम पांडेय, भा.प्र. सेवा.
संयुक्त निदेशक	डा. आर. एन शर्मा, श्री सुभ्रा रे (26 अगस्त, 2009 तक), श्रीमती नीरू शाद शर्मा (21 सितम्बर, 2009 तक उप निदेशक के रूप में)
अध्यक्ष के निजी सचिव	श्री एस रवि
उप निदेशक	श्री हरिश पोखरियाल, डा. मनीष गुप्ता, श्री जे.के. राठी, भा.आ.से., श्री आनन्द सिंह परमार (15 जून, 2008 तक सहा. निदे. के रूप में), श्री डी. ब्रह्मा रेड्डी, 7 दिसम्बर, 2009 तक), श्री उपेन्द्र शर्मा
लाइब्रेरियन एवं सूचना अधिकारी.	श्री डी.के. शर्मा
प्र.नि.स.	श्रीमती प्रोमिला राजवंशी
सहायक निदेशक	श्री ज्ञानतोष रॉय, श्री मुकेश शर्मा, श्री ए.के. सिन्हा, श्री बैधर स्वैन, श्री बी.एल.मीणा, श्री एस.के. अग्रवाल, श्री ऋतेश कुमार सिंह (7 मई, 2008 तक)
प्रशा. एवं लेखा अधिकारी	श्री मुकेश कुमार
अनु. अधिकारी	श्री दलीप सिंह (03 नवंबर, 2009 तक सहायक के रूप में)
स्टेनो ग्रेड बी	श्रीमती गीता गोविन्द, श्री जगतार सिंह. श्री धीरज कुमार, श्री जे.के. आहूजा, श्री डी.एस. कक्कड (5 अक्टूबर, 2009 तक स्टेनो ग्रेड सी के रूप में), श्री ललित कुमार (1 मार्च 2009 तक)
अनुसंधान अधिकारी	सुश्री सुष्मिता साहू
अधीक्षक/एसएस लेखाकार	श्री विनीष अरोड़ा
आर्थिक अधिकारी	श्री रितेश कुमार, श्री मनीष देव, श्री संदीप कुमार, श्री अजय कुमार माथुर, श्री के.एम.कृष्णन, श्री अनिल कुमार, सुश्री मंजु वत्स, सुश्री दर्शा सिन्हा, श्री अविक शंकर मैत्रा
सहायक	श्री ए रविन्द्रन, श्री एन रामकृष्णन (5 जुलाई, 2009 तक), श्री अरुण कुमार एस. (31 अगस्त, 2008 तक)
स्टेनोग्राफर ग्रेड सी	श्री वी. रवि, श्री प्रमोद पंत, श्री रंजन गिरि, श्री दीपक कुमार, श्री संतोष कुमार गुप्ता (13 सितम्बर, 2009 तक)
हिन्दी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी	श्री रामदेव नायक
अनुसंधान सहायक	श्री शिव देव सिंह (11 अगस्त, 2008 से), श्री आनन्द प्रकाश एक्का (03 मार्च, 2008 से 8 अगस्त, 2008 तक), श्री अनिल कुमार (28 मई, 2009 से 31 जुलाई, 2009 तक), सुश्री करमजीत कौर (25 मई, 2009 से 4 अगस्त 2009 तक) श्री दिनेश कुमार (10 अगस्त, 2009 से), सुश्री श्वेता (06 जून, 2008 से 31 अगस्त, 2008 तक)
रोकड़िया	श्री मनोज कुमार जैन
उच्च श्रेणी लिपिक	श्री श्याम लाल, श्री संजय कुमार
निम्न श्रेणी लिपिक	श्री रमेश कुमार, श्री कृष्ण गोपाल श्री सतबीर सिंह (12 अगस्त, 2009 तक)
स्टाफ कार ड्राइवर	श्री हरपाल सिंह, श्री एच.सी. महतो, श्री विजय रे, श्री पी.एस. रोतेला, श्री दरवान प्रसाद
वरिष्ठ चपरासी	श्री शत्रुघन प्रसाद साह, श्री हर्षपाल सिंह, श्री नरेन्द्र कुमार, श्री रमेश कुमार
परामर्शदाता	श्री एस.आर. डॉंग्रे (1 नवम्बर, 2007 से 11 जनवरी, 2008 तक)

सं.का. एफ.10(6)-बी (एस)/2007
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
(बजट प्रभाग)

नई दिल्ली, तारीख 11 फरवरी, 2008

सेवा में,
वेतन एवं लेखा अधिकारी,
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग,
नई दिल्ली

विषय : केन्द्रीय सरकार के विभाग की शक्तियां तेरहवें वित्त आयोग को प्रत्यायोजित करने के संबंध में

महोदय,

मुझे यह करने का निर्देश हुआ है कि व्यय विभाग के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियम, 1978 के अधीन केन्द्रीय विभाग की शक्तियां, निम्नलिखित शक्तियों के सिवाए, तेरहवें वित्त आयोग को प्रत्यायोजित कर दी जाएं:

- (i) पद सृजित करना;
- (ii) हानियों को बट्टे-खाते में डालना; और
- (iii) या तो प्राथमिक विनियोग यूनिटों अथवा उप शीर्ष के लिए मूल बजट प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक निधियों का पुनर्विनियोग अर्थात् प्राथमिक यूनिट अथवा उप शीर्ष जिनसे निधियों का पुनर्विनियोग किया जा रहा है अथवा प्राइमरी यूनिट अथवा उपशीर्ष जिनमें निधियां पुनर्विनियोजित की जाएगी, जो भी कम हो।

2. उपर्युक्त वर्धित शक्तियां, वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियमों के प्रावधान तथा व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों का पालन करने पर होंगी। तेरहवें वित्त आयोग द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग वित्त सलाहकार (वित्त) के परामर्श से किया जाएगा।

3. यह आईएफए पत्र संख्या.15/यूएस (आईएफ-1).07 तारीख 3 जनवरी, 2008 के तहत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जाता है।

ह/...
(नरेश कुमार)
उप निदेशक (बजट)

सार्वजनिक सूचना

1. तेरहवां वित्त आयोग अपने विचारणीय विषयों से संबंधित मामलों पर सर्वसाधारण, संस्थाओं और संगठनों से सुझाव आमंत्रित करता है।
2. राष्ट्रपति द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के उपबंधों के अनुसरण में, तारीख 13 नवंबर, 2007 की अधिसूचना के द्वारा डा. विजय एल. केलकर की अध्यक्षता में तेरहवां वित्त आयोग गठित किया गया है। यह आयोग निम्नलिखित विषयों पर सिफारिशें करेगा जो पहली अप्रैल, 2010 से आरंभ होकर पांच वर्षों की अवधि के लिए होंगी:
 - (i) संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों, जो संविधान के भाग 12 के अध्याय 1 के अधीन उनमें विभाजित किए जाने हैं या किए जाएं, का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग का आबंटन;
 - (ii) भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत और उन राज्यों को, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 275 के अधीन उनके राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में उस अनुच्छेद के खंड (1) के परंतुक में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए सहायता की आवश्यकता है, संदत्त की जाने वाली धनराशियां; और
 - (iii) राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक अध्याय।
3. आयोग, विशेष रूप से, केन्द्रीय सरकार द्वारा बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर आरंभ की गई राज्य ऋण समेकन और राहत सुविधा 2005-2010 के प्रवर्तन को ध्यान में रखते हुए, संघ और राज्यों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा और समान वृद्धि से संगत स्थिर और पोषणीय राजवित्तीय वातावरण को बनाए रखने के लिए उपायों का सुझाव देगा।
4. आयोग, अपनी सिफारिशें करते समय, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित को ध्यान में रखेगा:-
 - (i) वर्ष 2008-09 के अंत में पूरा किए जाने वाले कराधान और गैर-कर राजस्वों के संभावित स्तरों के आधार पर 1 अप्रैल, 2010 को आरंभ होने वाले पांच वर्षों के लिए केन्द्रीय सरकार के संसाधन;
 - (ii) केन्द्रीय सरकार के संसाधनों, विशेष रूप से केन्द्रीय और राज्य आयोजना के लिए अनुमानित सकल बजटीय सहायता, सिविल प्रशासन, रक्षा, आन्तरिक और सीमा सुरक्षा, ऋण सेवा और अन्य प्रतिबद्ध व्यय तथा दायित्वों संबंधी मांग;
 - (iii) वर्ष 2008-09 के अंत में पूरा किए जाने वाले कराधान और गैर-कर राजस्वों के संभावित स्तरों के आधार पर 1 अप्रैल, 2010 को आरंभ होने वाले पांच वर्षों के लिए राज्य सरकारों के संसाधन;
 - (iv) सभी राज्यों और संघ के राजस्व खाते पर प्राप्तियों और व्यय को न केवल संतुलित करने, किन्तु पूंजी निवेश के लिए अधिशेष उद्भूत करने का भी उद्देश्य;
 - (v) केन्द्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार के कराधान संबंधी प्रयास और संघ की दशा में कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात और राज्यों की दशा में कर-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में सुधार करने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने की क्षमता;
 - (vi) 1 अप्रैल, 2010 से माल और सेवा कर के प्रस्तावित कार्यान्वयन का प्रभाव, जिसके अंतर्गत देश के विदेश-व्यापार पर उसका प्रभाव भी है;
 - (vii) बेहतर उत्पाद और परिणाम प्राप्त करने के लिए लोक व्यय की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता;
 - (viii) सतत विकास के अनुरूप परिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के प्रबंधन की आवश्यकता;
 - (ix) पूंजीगत आस्तियों के रख-रखाव और अनुरक्षण के गैर-वेतन घटक संबंधी व्यय और 31 मार्च, 2010 तक पूरी की जाने वाली आयोजना स्कीमों पर गैर-मजदूरी संबंधी रख-रखाव तथा ऐसे मानदण्ड, जिनके आधार पर पूंजीगत आस्तियों के रख-रखाव के लिए विनिर्दिष्ट धनराशियों की सिफारिश की जाती है तथा ऐसे व्यय को मानिटर करने की रीति;

(x) विभिन्न तरीकों के उपायों के माध्यम से, अंतर्गत प्रयोक्ता प्रभारों का उदग्रहण और दक्षता संवर्धन के उपायों को अपनाना भी है, सिंचाई परियोजनाओं, विद्युत परियोजनाओं, विभागीय उपक्रमों और पब्लिक सैक्टर उद्यमों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने की आवश्यकता।

5. आयोग, विभिन्न विषयों पर अपनी सिफारिशें करते समय, उन सभी मामलों में, जहां करों और शुल्कों तथा सहायता अनुदानों के अंतरण को अवधारित करने के लिए जनसंख्या एक कारक है, वर्ष 1971 की जनसंख्या के आंकड़ों को आधार के रूप में लेगा।

6. आयोग, आपदा, प्रबंधन के वित्त पोषण के संबंध में राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि और आपदा राहत निधि और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) में परिकल्पित निधियों के प्रतिनिर्देश से विद्यमान व्यवस्थाओं का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उनके संबंध में उपर्युक्त सिफारिशें कर सकेगा।

7. आयोग उन आधारों को बताएगा, जिनके आधार पर वह अपने निष्कर्षों पर पहुंचा है और संघ तथा प्रत्येक राज्य की प्राप्तियों और व्यय के अनुमान उपलब्ध कराएगा।

8. यह सूचना और पिछले वित्त आयोगों के संबंध में संगत सामग्री इस वित्त आयोग की वेबसाइट <http://fincomindia.nic.in> पर उपलब्ध है।

9. यह वित्त आयोग सभी इच्छुक संगठनों एवं व्यक्तियों से ऐसे सुझावों/विचारों का स्वागत करेगा जो निम्नलिखित माध्यमों में से किसी के भी द्वारा 31 मार्च, 2008 तक भेज दिए जाते हैं:

(i) डाक द्वारा, जो सचिव, तेरहवां वित्त आयोग, जीवन भारती बिल्डिंग, टावर-1, भूतल, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110 001. को संबोधित हो,

(ii) ई मेल: secy-ftp@nic.in के माध्यम से; और

(iii) वेबसाइट <http://fincomindia.nic.in> में हाइपरलिंक 'सुझावों के लिए कॉल' पर क्लिक करके।

नियम - प्रक्रिया

तेरहवां वित्त आयोग, भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के खण्ड (4) और वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951 (1951 का xxxiii) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपनी प्रक्रिया अवधारित करने के लिए निम्नलिखित नियम निर्धारित करता है अर्थात्-

1. केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों और अन्य लोक निकायों के प्रतिनिधियों तथा व्यक्तियों का साक्ष्य लेने और अथवा उनसे मिलने के लिए, आवश्यकतानुसार, आयोग की औपचारिक बैठकें की जाएंगी। अध्यक्ष एवं सदस्यों की सुविधा सुनिश्चित करने के पश्चात् सचिव द्वारा ऐसी बैठकों का समय व स्थान निश्चित किया जाएगा।
2. आयोग की आंतरिक बैठकें अनौपचारिक होंगी।
3. आयोग की सभी बैठकें प्राइवेट सत्र में की जाएंगी।
4. बैठकों की व्यवस्था सामान्यता इस प्रकार की जाएगी कि सभी सदस्य उपस्थित हों। यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणोंवश कोई सदस्य बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है, तो अध्यक्ष सहित कम से कम तीन सदस्य के उपस्थित होने पर बैठक की जा सकेगी। यदि किसी कारणवश अध्यक्ष उपस्थित होने में असमर्थ हैं, तो वह किसी सदस्य को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए मनोनीत कर सकता है।
5. आयोग की बैठकों में ऐसे अधिकारी उपस्थित होंगे जैसाकि अध्यक्ष के परामर्श से सचिव द्वारा निर्देश दिया गया है।
6. अनौपचारिक बैठकों की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त सचिव द्वारा कार्यवृत्त-पुस्तिका के रूप में रखा जाएगा तथा कार्यवृत्त सदस्यों को परिचालित किया जाएगा। कार्यवृत्त आयोग की अगली बैठक में पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
7. आयोग की औपचारिक बैठकों की कार्यवाहियों का कोई भी वरबेटिम रिकार्ड, सामान्यतया, नहीं रखा जाएगा। वरबेटिम रिकार्ड न रखे जाने पर, आयोग की कार्यवाहियों का सार यथाशीघ्र सचिव द्वारा अथवा उसके निर्देश पर तैयार किया जाएगा तथा इसे आयोग के सदस्यों को परिचालित किया जाएगा। वरबेटिम रिकार्ड रखे जाने पर, प्रत्येक गवाह से संबंधित भाग, इससे पूर्व कि उसे अंतिम रूप से रिकार्ड किया जाए, उसे भेजा जाएगा।
8. आयोग की बैठकों अथवा आयोग के कार्य संबंधी कोई भी सूचना किसी भी स्टाफ-सदस्य, अध्यक्ष अथवा सचिव के निदेशानुसार सदस्य के सिवाए, द्वारा प्रेस को नहीं की जाएगी।
9. अध्यक्ष के सामान्य निदेश के अधीन, आयोग का सचिव आयोग के कार्यालय का समग्र प्रभारी होगा तथा वह आयोग के उचित कामकाज के लिए आयोग के प्रति जिम्मेवार होगा।
10. आयोग से प्राप्त सभी पत्राचार, औपचारिक रिपोर्ट को छोड़कर, अध्यक्ष अथवा सचिव द्वारा अथवा सचिव द्वारा अपनी ओर से हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत अधिकारी, जो उप सचिव के स्तर से कम न हो द्वारा, जैसा उपयुक्त हो, हस्ताक्षरित किए जाएंगे, परन्तु आयोग के विचार अभिव्यक्त करने के अभिप्राय से कोई भी उसके अनुमोदन के बिना, जारी नहीं किया जाएगा।
11. सचिव आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों की सेवा-शर्तों से संबंधित सभी पत्र या प्रस्ताव अथवा ऐसे मामले, जो व्यक्तिगत रूप से उनसे संबंधित हों, आयोग को प्रस्तुत करेगा। ऐसे मामलों पर कार्रवाई केवल अध्यक्ष/सदस्य (सदस्यों)/आयोग, जैसाकि कि उपयुक्त हो, के परामर्श से की जाएगी।
12. सचिव आयोग के कामकाज से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मामलों से आयोग को, समय-समय पर अवगत कराएगा।
13. अन्य सरकारों या सरकारी विभागों से स्थानांतरण द्वारा की गयी नियुक्तियों सहित आयोग के राजपत्रित पदों पर सभी नियुक्तियां, केवल उन नियुक्तियों को छोड़कर जिनके लिए नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति का अनुमोदन अपेक्षित होता है, सचिव द्वारा की जाएगी। नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति के अनुमोदन वाली सभी नियुक्तियां तथा परामर्शदाताओं की नियुक्तियां अध्यक्ष के अनुमोदन से की जाएगी।
14. नियम 13 में उल्लिखित नियुक्तियों को छोड़कर, अन्य सरकारों या सरकारी विभागों से स्थानान्तरण पर प्राप्त स्टाफ सहित स्टाफ की नियुक्तियां सचिव द्वारा अथवा उसके दिए प्राधिकृत अधिकारी, जो उप सचिव के स्तर से कम न हो, द्वारा की जाएगी।
15. नियम 13 और नियम 14 के उपबंध इस शर्त पर होंगे कि आयोग के सदस्यों के निजी स्टाफ की नियुक्तियों के संबंध में, संबंधित सदस्य से परामर्श किया जाएगा।

16. सचिव किसी राजपत्रित अधिकारी, चाहे वह नियमित हो अथवा अनियमित, को छुट्टी प्रदान कर सकता है। अराजपत्रित स्टाफ की छुट्टी, इस प्रयोजनार्थ सचिव द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जो उप सचिव स्तर से कम न हो, द्वारा स्वीकृत की जा सकती है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के निजी स्टाफ की स्थिति में, उनकी छुट्टी स्वीकृत करने से पूर्व, उनसे (अध्यक्ष या सदस्य, यथास्थिति) विधिवत रूप से परामर्श किया जाएगा।
17. आयोग का बजट और बजट अनुमानों को सचिव द्वारा वित्त मंत्रालय में भेजे जाने से पूर्व, उनको अनुमोदनार्थ आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
18. राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने संबंधी मामलों के बारे में आयोग द्वारा प्राप्त सभी पत्रादि, आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई सभी प्रकार की सामग्री तथा आयोग की बैठक में सभी वार्तालाप गोपनीय समझा जाएगा।

आयोग की बैठकें

बैठक	तारीख	बैठक	तारीख
पहली बैठक	3 जनवरी, 2008	इकतालीसवीं बैठक	30 अक्तूबर, 2008
दूसरी बैठक	17 जनवरी, 2008	बयालीसवीं बैठक	4 नवंबर, 2008
तेरहवीं बैठक	24 जनवरी, 2008	तैंतालीसवीं बैठक	6 नवंबर, 2008
चौथी बैठक	7 फरवरी, 2008	चौवालीसवीं बैठक	14 नवंबर, 2008
पांचवीं बैठक	14 फरवरी, 2008	पैंतालीसवीं बैठक	21 नवंबर, 2008
छठवीं बैठक	21 फरवरी, 2008	छियालीसवीं बैठक	25 नवंबर, 2008
सातवीं बैठक	7 मार्च, 2008	सैंतालीसवीं बैठक	27 नवंबर, 2008
आठवीं बैठक	13 मार्च, 2008	अड़तालीसवीं बैठक	28 नवंबर, 2008
नवीं बैठक	20 मार्च, 2008	उनचासवीं बैठक	2 दिसंबर, 2008
दसवीं बैठक	3 अप्रैल, 2008	पचासवीं बैठक	3 दिसंबर, 2008
ग्यारहवीं बैठक	17 अप्रैल, 2008	इक्यानवीं बैठक	8 दिसंबर, 2008
बारहवीं बैठक	24 अप्रैल, 2008	बावनवीं बैठक	24 दिसंबर, 2008
तेरहवीं बैठक	1 मई, 2008	तिरपनवीं बैठक	1 जनवरी, 2009
चौदहवीं बैठक	8 मई, 2008	चौवनवीं बैठक	6 जनवरी, 2009
पंद्रहवीं बैठक	22 मई, 2008	पचपनवीं बैठक	13 जनवरी, 2009
सोलहवीं बैठक	29 मई, 2008	छप्पनवीं बैठक	15 जनवरी, 2009
सत्रहवीं बैठक	5 जून, 2008	सत्तावनवीं बैठक	16 जनवरी, 2009
अठारहवीं बैठक	12 जून, 2008	अठावनवीं बैठक	2 फरवरी, 2009
उन्नीसवीं बैठक	18 जून, 2008	उनसठवीं बैठक	3 फरवरी, 2009
बीसवीं बैठक	25 जून, 2008	साठवीं बैठक	4 फरवरी, 2009
इक्कीसवीं बैठक	10-11 जुलाई, 2008	इकसठवीं बैठक	12 फरवरी, 2009
बाईसवीं बैठक	16 जुलाई, 2008	बासठवीं बैठक	17 फरवरी, 2009
तेईसवीं बैठक	22 जुलाई, 2008	तेरसठवीं बैठक	18 फरवरी, 2009
चौबीसवीं बैठक	25 जुलाई, 2008	चौंसठवीं बैठक	3 मार्च, 2009
पच्चीसवीं बैठक	29 जुलाई, 2008	पैंसठवीं बैठक	4 मार्च, 2009
छब्बीसवीं बैठक	1 अगस्त, 2008	छियासठवीं बैठक	12 मार्च, 2009
सत्ताईसवीं बैठक	5 अगस्त, 2008	सरसठवीं बैठक	19 मार्च, 2009
अठाईसवीं बैठक	12 अगस्त, 2008	सत्तरहवीं बैठक	25 मार्च, 2009
उनतीसवीं बैठक	14 अगस्त, 2008	उनहत्तरवीं बैठक	26 मार्च, 2009
तीसवीं बैठक	19 अगस्त, 2008	सत्तरवीं बैठक	27 मार्च, 2009
इकत्तीसवीं बैठक	26 अगस्त, 2008	इकत्तरवीं बैठक	31 मार्च, 2009
बत्तीसवीं बैठक	3 सितंबर, 2008	बहत्तरवीं बैठक	2 अप्रैल, 2009
तैंतीसवीं बैठक	4 सितंबर, 2008	तिहत्तरवीं बैठक	9 अप्रैल, 2009
चौत्तीसवीं बैठक	11 सितंबर, 2008	चौहत्तरवीं बैठक	15 अप्रैल, 2009
पैंतीसवीं बैठक	18 सितंबर, 2008	पचत्तरवीं बैठक	16 अप्रैल, 2009
छत्तीसवीं बैठक	19 सितंबर, 2008	छिहत्तरवीं बैठक	21 अप्रैल, 2009
सैंतीसवीं बैठक	22 सितंबर, 2008	सतहत्तरवीं बैठक	5 मई, 2009
अड़तीसवीं बैठक	23 सितंबर, 2008	अठत्तरवीं बैठक	12 मई, 2009
उनतालीसवीं बैठक	1 अक्तूबर, 2008	उन्चासवीं बैठक	14 मई, 2009
चालीसवीं बैठक	7 अक्तूबर, 2008	अस्सीवीं बैठक	19 मई, 2009

बैठक	तारीख	बैठक	तारीख
इक्यासीवीं बैठक	1 जून, 2009	एक सौ तीनवीं बैठक	6 अक्तूबर, 2009
बयासीवीं बैठक	12 जून, 2009	एक सौ चारवीं बैठक	8 अक्तूबर, 2009
तिरासीवीं बैठक	16 जून, 2009	एक सौ पांचवीं बैठक	22 अक्तूबर, 2009
चौरासीवीं बैठक	18 जून, 2009	एक सौ छवीं बैठक	27 अक्तूबर, 2009
पच्चासीवीं बैठक	25 जून, 2009	एक सौ सातवीं बैठक	29 अक्तूबर, 2009
छियासीवीं बैठक	7 जुलाई, 2009	एक सौ आठवीं बैठक	3 नवंबर, 2009
सत्तासीवीं बैठक	9 जुलाई, 2009	एक सौ नौवीं बैठक	5 नवंबर, 2009
अट्ठासीवीं बैठक	17 जुलाई, 2009	एक सौ दसवीं बैठक	10 नवंबर, 2009
नवासीवीं बैठक	31 जुलाई, 2009	एक सौ ग्यारहवीं बैठक	13 नवंबर, 2009
नब्बेवीं बैठक	4 अगस्त, 2009	एक सौ बारहवीं बैठक	14 नवंबर, 2009
इक्यानबेवीं बैठक	6 अगस्त, 2009	एक सौ तेरहवीं बैठक	17 नवंबर, 2009
बयानबेवीं बैठक	11 अगस्त, 2009	एक सौ चौदहवीं बैठक	19 नवंबर, 2009
तिरानबेवीं बैठक	25 अगस्त, 2009	एक सौ पंद्रहवीं बैठक	24 नवंबर, 2009
चौरानबेवीं बैठक	27 अगस्त, 2009	एक सौ सोलहवीं बैठक	26 नवंबर, 2009
पंचानबेवीं बैठक	29 अगस्त, 2009	एक सौ सत्तरहवीं बैठक	30 नवंबर, 2009
छियानबेवीं बैठक	1 सितंबर, 2009	एक सौ अठारहवीं बैठक	1 दिसंबर, 2009
सत्तानबेवीं बैठक	3 सितंबर, 2009	एक सौ उन्नीसवीं बैठक	5 दिसंबर, 2009
अट्ठानबेवीं बैठक	8 सितंबर, 2009	एक सौ बीसवीं बैठक	8 दिसंबर, 2009
निन्यानबेवीं बैठक	15 सितंबर, 2009	एक सौ इक्कीसवीं बैठक	15 दिसंबर, 2009
सौवीं बैठक	18 सितंबर, 2009	एक सौ बाईसवीं बैठक	16 दिसंबर, 2009
एक सौ एकवीं बैठक	22 सितंबर, 2009	एक सौ तेईसवीं बैठक	18 दिसंबर, 2009
एक सौ दोवीं बैठक	29 सितंबर, 2009		

इंडिया हैबिटेड सेंटर, नई दिल्ली में आयोग की अर्थशास्त्रियों और आर्थिक
प्रशासकों के साथ 23 जनवरी, 2008 को हुई बैठक

उपस्थित अधिकारियों की सूची

1. डा. अमरेश बागची, सदस्य केंद्र राज्य संबंध आयोग, नई दिल्ली
2. डा. एम गोविन्द राव, निदेशक राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, नई दिल्ली
3. प्रोफेसर ओ.पी. माथुर, राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, नई दिल्ली
4. डा. तपस कुमार सेन, वरिष्ठ फैलो राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, नई दिल्ली
5. डा. प्रताप भानु मेहता, अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक, नीति अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली
6. प्रोफेसर महेश सी. पुरोहित, अध्यक्ष एवं निदेशक, लोक अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान, नई दिल्ली
7. डा. लिगिया नरोन्हा, निदेशक, रिसोर्सज एवं ग्लोबल सिक्योरिटी डिवीजन, ऊर्जा और संसाधन संस्थान, नई दिल्ली
8. डा. के. श्रानाथ रेड्डी, अध्यक्ष, भारतीय लोक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, नई दिल्ली
9. श्री अमिताभ पाण्डेय, सचिव, अंतर-राज्यिक सचिवालय परिषद, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली
10. श्री जे.एल. बजाज, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त)
11. श्री एस.सी. त्रिपाठी, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त)
12. श्री अनुपम दासगुप्ता, सदस्य, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली
13. डा. रेणुका विश्वनाथन, सचिव (समन्वय एवं लोक शिकायत), मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली
14. बी.एस. बासवान, निदेशक, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
15. श्री एच.एस. ब्रह्मा, विशेष सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण, नई दिल्ली
16. डा. अमृता रंगास्वामी, निदेशक, राहत प्रशासन अध्ययन केंद्र, नई दिल्ली
17. प्रोफेसर ए.के. सिंह, निदेशक, गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ
18. डा. लखविन्दर सिंह, रीडर, अर्थशास्त्र विभाग, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला
19. डा. हशीब ए ट्रबू, अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक, जम्मू-कश्मीर बैंक लिमिटेड, श्रीनगर, कश्मीर
20. श्री मनोज भट्ट, व्याख्याता, अर्थशास्त्र विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू
21. प्रोफेसर (डा.) हिमल चन्द, ग्रामीण और औद्योगिक विकास अनुसंधान केंद्र, चण्डीगढ़
22. प्रोफेसर विद्या सागर विकास, अध्ययन संस्थान, जयपुर, राजस्थान

तेरहवां वित्त आयोग

23. डा. विजय केलकर, अध्यक्ष
24. श्री बी.के. चतुर्वेदी, सदस्य
25. डा. इंदिरा राजारमन, सदस्य
26. प्रोफेसर अतुल शर्मा, सदस्य
27. श्री सुमित बोस, सचिव
28. श्री एस.के. बंसल, उपसचिव

वालाजाह हाल ताज कानेमारा, चेन्नै में अर्थशास्त्रियों और आर्थिक प्रशासकों के साथ 25 फरवरी, 2008 को हुई बैठक

उपस्थित अधिकारियों की सूची

1. श्री नारायण वालूरी, आईएएस (सेवानिवृत्त) (पूर्व सदस्य, वित्त आयोग), हैदराबाद
2. श्री एस. नारायण, आईएएस (सेवानिवृत्त), (डब्ल्यूटीओ में पूर्व स्थायी प्रतिनिधि), हैदराबाद
3. प्रोफेसर जे.वी.एम. शर्मा, आर्थिक विभाग, हैदराबाद विश्वविद्यालय
4. डा. जी.आर. रेड्डी, समन्वयक, आर्थिक और सामाजिक अध्ययन केंद्र, हैदराबाद
5. श्री वेंकटरमणि भास्कर, मुख्य चुनाव अधिकारी, आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद
6. डा. परमित दासगुप्ता, डीन ऑफ ट्रेनिंग एंड कांफ्रेंस, भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद
7. श्री बी.के. भट्टाचार्य, सेवानिवृत्त मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार, बंगलोर
8. श्री एस.एल. राव, अध्यक्ष, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बंगलोर,
9. प्रोफेसर प्रभात पटनायक, उपाध्यक्ष, राज्य आयोजना बोर्ड, तिरुअनंतपुरम
10. डा. पिंकी चक्रवर्ती, एसोसिएट फेलो, विकास अध्ययन केंद्र, तिरुअनंतपुरम
11. प्रो. एम.ए. उम्मेन, समाज विज्ञान संस्थान, तिरुअनंतपुरम
12. डा. पॉल ए. अप्पासामी, वाइस चांसलर, कारुण्य विश्वविद्यालय, कोयंबटूर
13. डा. डी.के. श्रीवास्तव, निदेशक, मद्रास अर्थशास्त्र स्कूल, चेन्नै
14. प्रोफेसर यू. शंकर, मद्रास अर्थशास्त्र स्कूल, चेन्नै
15. डा. आर. श्रीनिवासन, पूर्णकालिक सदस्य, राज्य योजना आयोग, चेन्नै
16. डा. सी. भुजंग राव, मद्रास अर्थशास्त्र स्कूल, चेन्नै
17. श्री के. वेंकटेशन, पूर्व सचिव (व्यय), चेन्नै
18. डा. एस. नारायण, पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव, चेन्नै
19. श्री जी. रामचंद्रन, अध्यक्ष, छठा वित्त आयोग, चेन्नै
20. डा. के. वेंकटरमन, अध्यक्ष, पब्लिक एक्सपेंडिचर राउंट टेबल ट्रस्ट, चेन्नै

तेरहवां वित्त आयोग

21. डा. विजय केलकर, अध्यक्ष
22. श्री सुमित बोस, सचिव

सम्मेलन कक्ष (11वां तल), भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता में अर्थशास्त्रियों और
आर्थिक प्रशासकों के साथ 10 मार्च, 2008 को हुई बैठक

उपस्थित अधिकारियों की सूची

1. श्री तरुन के. दत्ता, पूर्व मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता
2. डा. पद्मजा मिश्रा, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर, उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर
3. प्रोफेसर अमिता मजूमदार, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता
4. श्री देवभारत बंदोपाध्याय, पूर्व सचिव, भारत सरकार, कोलकाता
5. प्रोफेसर अभिरूप सरकार, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता
6. श्री एस.के. मिश्रा, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग, रायपुर
7. डा. शैबाल गुप्ता, सदस्य सचिव, एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान, पटना
8. प्रोफेसर नृपेंद्र नाथ बंदोपाध्याय, सदस्य, तीसरा राज्य वित्त आयोग, कोलकाता
9. प्रोफेसर अजिताभ रायचौधरी, अर्थशास्त्र विभाग, जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता
10. डा. अनुमन्त यादव, अर्थशास्त्र के कार्यकारी प्रोफेसर, हिदायतउल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, रायपुर
11. प्रोफेसर एच.के. प्रधान, जैवियर श्रम संबंध संस्थान (एक्सएलआरआई), जमशेदपुर, झारखंड
12. डा. रमाकांत अग्रवाल, सामाजिक सेवाएं जैवियर इंस्टीट्यूट, रांची, झारखंड
13. डा. आर.के. पांडा, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर, उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर
14. प्रोफेसर अचिन चक्रवर्ती, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर, विकास अध्ययन संस्थान, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता
15. श्री जी. भट्टाचार्य, प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा (केंद्रीय), पश्चिम बंगाल कोलकाता
16. श्री वेंकटरमनी भास्कर, मुख्य चुनाव अधिकारी, आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद

तेरहवां वित्त आयोग

17. डा. विजय केलकर, अध्यक्ष
18. श्री बी.के. चतुर्वेदी, सदस्य
19. डा. इंदिरा राजरामन, सदस्य
20. श्री सुमित बोस, सचिव
21. श्री बी.एस. भुल्लर, संयुक्त सचिव

यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन अकादमी, पुणे में अर्थशास्त्रियों और
आर्थिक प्रशासकों के साथ 26 मार्च, 2008 को हुई बैठक

उपस्थित अधिकारियों की सूची

1. श्री प्रदीप आपटे, अर्थशास्त्र विभाग, फर्ग्युसन कालेज, पुणे
2. डा. विजय परांजपे, पर्यावरणीय अर्थशास्त्री, पुणे
3. प्रोफेसर देसारदा, औरंगाबाद
4. डा. विनायक बी. बिशे, औरंगाबाद
5. प्रोफेसर निरेश शाह, निदेशक, सरदार पटेल, अर्थशास्त्र और सामाजिक अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद
6. श्री ए.के. अग्रवाल, आईएएस (सेवानिवृत्त), अध्यक्ष, वेतन आयोग, मध्य प्रदेश
7. श्री सी. राजशेखर, अर्थशास्त्र के एसोसिएट प्रोफेसर, रा-ट्रीय विधि संस्थान, भोपाल
8. प्रोफेसर पी.एफ.एक्स. डीलिया, पणजी, गोवा
9. श्री वी.के. शृंग्लू, भारत के पूर्व नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
10. डा. वी.वी. रमा सुब्बा राव, आईएएस (सेवानिवृत्त)
11. प्रोफेसर धान्मान्जिन साठे, अर्थशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष, पुणे विश्वविद्यालय
12. श्री वी. रमाणी, महानिदेशक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन अकादमी, पुणे

तेरहवां वित्त आयोग

13. डा. विजय केलकर, अध्यक्ष
14. डा. इंदिरा राजरमन, सदस्य
15. प्रोफेसर अतुल शर्मा, सदस्य
16. श्री सुमित बोस, सचिव
17. श्री बी.एस. भुल्लर, संयुक्त सचिव

होटल पाइनवुड, शिलांग, मेघालय में अर्थशास्त्रियों और आर्थिक
प्रशासकों के साथ 10 अप्रैल, 2008 को हुई बैठक

उपस्थित अधिकारियों की सूची

1. प्रोफेसर लियांजेला, अर्थशास्त्र विभाग, मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजॉल
2. प्रोफेसर एल. टोम्बी सिंह, अर्थशास्त्र विभाग, मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल
3. डा. प्रियरंजन सिंह, अर्थशास्त्र विभाग, मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल
4. प्रोफेसर ई. बिजय कुमार सिंह, अर्थशास्त्र विभाग, मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल
5. प्रोफेसर अमर युमनम, अर्थशास्त्र विभाग, मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल
6. प्रोफेसर अमिताभ मित्रा, डीन, सामाजिक विज्ञान विभाग, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश
7. प्रोफेसर टामो मिबांग, निदेशक, एआईटीएस, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश
8. डा. सुशान्त कुमार नायक, अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश
9. डा. एस. बोरबोरा, सामाजिक विज्ञान और मानवशास्त्र विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी
10. प्रोफेसर जे.के. गोगोई, अर्थशास्त्र विभाग, डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, असम
11. प्रोफेसर केया सेनगुप्ता, अर्थशास्त्र विभाग, असम विश्वविद्यालय, सिलचर
12. प्रोफेसर एम.पी. बेजबरुआ, अर्थशास्त्र विभाग, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी
13. प्रोफेसर होमेश्वर गोस्वामी, डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़
14. प्रोफेसर के.सी. बोरा, डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़
15. डा. परमित शाह, अर्थशास्त्र विभाग, त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला
16. डा. अमिताभ सिन्हा, अर्थशास्त्र विभाग, त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला
17. डा. जयंत राय, प्रधान सलाहकार, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), नई दिल्ली
18. प्रोफेसर बी. मिश्रा, उत्तरी-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग
19. डा. एल.एस. गास्साह, उत्तरी-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग
20. डा. (श्रीमती) आई.के. बारठाकुर, सदस्य, एनईसी, नोनजेरिम हिल्स, शिलांग
21. डा. के.जेड. ओवुंग, वरिष्ठ व्याख्याता, अर्थशास्त्र विभाग, एमटीसी, नागालैंड
22. प्रोफेसर ए.के. अग्रवाल, अर्थशास्त्र विभाग, मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजॉल
23. श्री फाल्गुनी राज कुमार, सचिव, एनईसी, शिलांग
24. प्रोफेसर डेविड सेइमलिएह, इतिहास विभाग, नार्थ इस्टर्न हिल युनिवर्सिटी (एनईएचयू), शिलांग

तेरहवां वित्त आयोग

25. डा. विजय केलकर, अध्यक्ष
26. डा. इंदिरा राजरमन, सदस्य
27. प्रोफेसर अतुल शर्मा, सदस्य
28. डा. संजीव मिश्रा, सदस्य
29. श्री सुमित बोस, सचिव
30. श्री बी.एस. भुल्लर, संयुक्त सचिव

इंडिया इन्टरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में पिछले वित्त आयोगों के
अध्यक्षों और सदस्यों के साथ 2 मई, 2008 को हुई बैठक

भाग लेने वालों की सूची

1. श्री एन.के.पी. साल्वे, अध्यक्ष, नौवा वित्त आयोग
2. श्री के.सी. पंत, अध्यक्ष, दसवां वित्त आयोग
3. श्री जी रामचन्द्रन, सदस्य सचिव, छठवां वित्त आयोग
4. श्री सी.एच. हनुमंथराव, सदस्य, सातवां वित्त आयोग
5. श्री वी.बी. ईश्वरन, सदस्य-सचिव, सातवां वित्त आयोग
6. श्री लाल थनहॉला, सदस्य नौवां वित्त आयोग
7. श्री महेश प्रसाद, सदस्य सचिव, नौवां वित्त आयोग
8. श्री देबी प्रसाद पाल, सदस्य, दसवां वित्त आयोग
9. श्री बी.पी.आर. विथाल, सदस्य सचिव, दसवां वित्त आयोग
10. श्री अरुण सिन्हा, सदस्य सचिव, दसवां वित्त आयोग
11. श्री जे.सी. जेटली, सदस्य, ग्यारहवां वित्त आयोग
12. श्री टी.एन. श्रीवास्तव, सदस्य सचिव, ग्यारहवां वित्त आयोग
13. श्री सोम पाल, सदस्य (अंकालिक), बारहवां वित्त आयोग

तेरहवां वित्त आयोग

14. डा. विजय केलकर, अध्यक्ष
15. श्री बी. के. चतुर्वेदी, सदस्य
16. डा. इंदिरा राजारमन, सदस्य
17. प्रो. अतुल शर्मा, सदस्य
18. डा. संजीव मिश्रा, सदस्य
19. श्री सुमित बोस, सचिव
20. श्री वी भास्कर, संयुक्त सचिव
21. श्री बी.एस. भुल्लर, संयुक्त सचिव
22. श्री पी.के. वर्मा, निदेशक
23. श्री एस.के. बंसल, उप सचिव

राज्यों के महालेखाकारों के साथ संपन्न बैठकें

क्र.सं.	नाम और पद नाम	राज्य	बैठक की तारीख
1.	श्रीमती सुमन सक्सेना, प्रधान महालेखाकार	हिमाचल प्रदेश	30 मई, 2008
2.	श्री वाई.एन. ठाकरे, महालेखाकार	गोवा	19 जून, 2008
3.	श्री जगबंस सिंह, महालेखाकार	हरियाणा	10 जुलाई, 2008
4.	श्री मुकेश पी. सिंह, प्रधान महालेखाकार	बिहार	04 सितंबर, 2008
5.	श्री मुकेश पी. सिंह, प्रधान महालेखाकार	झारखंड	04 सितंबर, 2008
6.	श्री राजीव शर्मा, प्रधान महालेखाकार	महाराष्ट्र	30 अक्टूबर, 2008
7.	श्री दिनेश बगाटा महालेखाकार	सिक्किम	06 नवंबर, 2008
8.	श्री अरिजीत गांगुली, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)	पश्चिम बंगाल	06 नवंबर, 2008
9.	श्री के.के. श्रीवास्तव महालेखाकार	गुजरात	21 नवंबर, 2008
10.	श्री आर.पी. सिंह प्रधान महालेखाकार	पंजाब	25 नवंबर, 2008
11.	श्री स्वोर्ड वाशुम, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)	असम	03 दिसंबर, 2008
12.	श्री सी. अंगरुप बोध, महालेखाकार	अरुणाचल प्रदेश	08 दिसंबर, 2008
13.	श्रीमती ऊषा शंकर, प्रधान महालेखाकार (सिविल एवं वाणिज्यिक)	कर्नाटक	24 दिसंबर, 2008
14.	श्री स्टीफन हॉग्राय, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)	मणिपुर	13 जनवरी, 2009
15.	श्री सी. अंगरुप बोध, महालेखाकार	नागालैंड	13 जनवरी, 2009
16.	श्री परवीन पांडेय महालेखाकार (ए एंड ई)	उत्तराखंड	15 जनवरी, 2009
17.	श्री नागलसामी एस., प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)	केरल	03 फरवरी, 2009
18.	श्री पात्तोन ई.एम., महालेखाकार (लेखा परीक्षा)	त्रिपुरा	04 फरवरी, 2009
19.	श्री बी.आर. खैरनार, प्रधान महालेखाकार (सीए)	उड़ीसा	12 फरवरी, 2009

क्र.सं.	नाम और पद नाम	राज्य	बैठक की तारीख
20.	श्री सुबीर मलिक महालेखाकार	छत्तीसगढ़	17 फरवरी, 2009
21.	श्री एस.के. मिश्रा, प्रधान महालेखाकार	मध्य प्रदेश	03 मार्च, 2009
22.	श्री शंकर नारायण, प्रधान महालेखाकार	तमिलनाडु	19 मार्च, 2009
23.	श्रीमती सुमन सक्सेना, प्रधान महालेखाकार	राजस्थान	26 मार्च, 2009
24.	श्री तोछावंग आई., महालेखाकार	मिजोरम	31 मार्च, 2009
25.	श्री ए.के. पटनायक, प्रधान महालेखाकार	उत्तर प्रदेश	02 अप्रैल, 2009
26.	श्री जी.एन. सुंदरेजा, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)	आंध्र प्रदेश	09 अप्रैल, 2009
27.	श्री ऑंकार नाथ, महालेखाकार (लेखा परीक्षा)	मेघालय	15 अप्रैल, 2009
28.	श्री डी.जे. भादरा, महालेखाकार (लेखा परीक्षा)	जम्मू-कश्मीर	21 अप्रैल, 2009

जे.एन. टाटा हाल इन्फोसिस टेक्नोलॉजी, बेंगलुरु में 'स्थानीय स्व शासन के वित्त' से संबंधित विषयों पर 26 फरवरी, 2008 को आयोजित कार्यशाला

भाग लेने वालों की सूची

1. डा. प्रकाश हेबालकर, प्रौद्योगिकीविद्/अर्थशास्त्री और प्रोफी-टेक प्रमुख, मुम्बई
2. श्री नासेर मुंजी, सदस्य, सीआईआई, पश्चिमी क्षेत्र, मुम्बई
3. प्रो. ओ.पी. माथुर, राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, नई दिल्ली
4. श्री रमेश रामनाथन, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन
5. श्री श्रीकांत नादमुनि, ई.शासन प्रतिष्ठान
6. श्री टी.आर. रघुनंदन, पंचायती राज मंत्रालय
7. श्री टी. सोमनाथन, तमिलनाडु सरकार
8. श्री एम.डी.पाई. इन्फोसिस
9. श्री निलय मिताश
10. श्री श्रीराम राघवन, कॉम्पेट टेक्नोलॉजी (प्रा.) लिमिटेड
11. श्री एन.आर. रायलु, भारत के उपनियंत्रक एवं महालेखापरिक्षक
12. सुश्री गीता मेनन, निदेशक (स्थानीय निकाय)
13. डा. पी.के. मोहन्ती, संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक (जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन) आवास और गरीबी उपशमन मंत्रालय
14. श्री वेंकटरमाणी भास्कर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, आ.प्र. सचिवालय, हैदराबाद
15. एम.एन. रॉय, प्रधान सचिव, पंचायती राज और ग्रामीण विकास पश्चिम बंगाल सरकार.
16. डा. रेणुका विश्वनाथन, सचिव (समन्वय और लोक शिकायत), मंत्रिमंडल सचिवालय
17. श्री नंदन एम नाइलकनी, इन्फोसिस

तेरहवां वित्त आयोग

18. डा. विजय केलकर, अध्यक्ष
19. श्री सुमित बोस, सचिव

‘तेरहवें वित्त आयोग के समक्ष प्राथमिकताएं’ विषय पर वाई.बी. चव्हान सेंटर,
मुम्बई में 27 मार्च, 2008 को हुई बैठक

उपस्थित अधिकारियों की सूची

महाराष्ट्र आर्थिक विकास परिषद, मुम्बई (पदाधिकारी)

1. श्री वी.एस. पालेकर, पूर्व अध्यक्ष, महा.आ.वि.परि.
2. श्री सुभाष दांडेकर, पूर्व अध्यक्ष, महा.आ.वि.परि.

महाराष्ट्र आर्थिक विकास परिषद, डाइजेस्ट सम्पादकीय सलाहकार समिति

3. डा. प्रकाश हेबालकर, अध्यक्ष प्रोफिटेक
4. श्री चन्द्रशेखर प्रभु, परामर्श सम्पादक, महा. आ. वि. परि.
5. श्री जगदीश जोशी, भा.प्र.से. परामर्श सम्पादक, महा. आ. वि. परि.
6. डा. सी. एस. देशपांडे, कार्यपालक निदेशक. महा. आ. वि. परि.
7. श्री वी.टी.पाई, वित्त सलाहकार, महा. आ. वि. परि.
8. श्री सुनील रेगे, महा. आ. वि. परि.

आमंत्रित

9. डा. जे.एम. पाठक, नगरपालिका आयुक्त, ग्रेटर मुम्बई नगरपालिका निगम
10. श्री के. राजन, सलाहकार, महा. आ. वि. परि.
11. श्री टी.बी. सिन्हा, अध्यक्ष, महा. आ. वि. परि.
12. श्री डी.एम. सुक्थांकर, भा.प्र.से.
13. डा. (प्रो) स्नेहा पालनितकर, निदेशक अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान
14. श्री विद्याधर के पाठक, नगर आयोजना और प्रबंध परामर्शदाता
15. श्री दिलीप करमाकर, अर्बन सेक. एक्सपर्ट, प्रबन्ध परामर्श सेवा
16. सुश्री सुलक्षणा महाजन, अर्बन प्लानिंग, अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान
17. श्री मकरंद के. हरवाडकर, सनदी लेखाकार
18. श्री अशोक दातर, निदेशक फाकरस होल्डिंग्स लिमिटेड
19. श्री शैलेश हरिभक्ति, मैनेजिंग पार्टनर एंडसीईओ, हरि भक्ति ग्रुप
20. श्री सतीश बागल, वित्त सलाहकार, मुम्बई महानगर क्षेत्र विकास प्रधिकरण
21. श्री सतीश साहनी सीईओ, नेहरु केन्द्र, मुम्बई

अर्थशास्त्री

22. डा. माला लालवाणी, प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, मुम्बई विश्वविद्यालय
23. डा. सूसन थामस, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान
24. सुश्री अमला निवालकर, अक्षरमाया
25. डा. निर्मल मोहंती, प्रधान नीतिग्रुप, औद्योगिक विकास और वित्त निगम लिमि.
26. श्री सौगता भट्टाचार्य, वाइस प्रेसीडेंट, बिजनैस एण्ड इकोनॉमी इक्सिस बैंक
27. श्री किरण नंदा, निदेशक, आर्थिक अनुसंधान अंतर्राष्ट्रीय प्रबन्ध केन्द्र
28. श्री सुनील एस भंडारे, परामर्श अर्थशास्त्री, स्ट्रेटिजिक इकोनोमिक एडवाइजरी सर्विसेज
29. डा. अभय पेथे, अर्थशास्त्र विभाग, मुम्बई विश्वविद्यालय
30. डा. एम.के. दातर, महाप्रबन्धक, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
31. श्री ए.सी. पाटनकर, सह.अध्यक्ष, सीआईआई गल्फ काउन्सिल

सरकारी अधिकारी

32. श्री वी.के. अग्रवाल, भा. प्र. से. प्रधान सचिव, विकास एवं वाणिज्यिक योजना विभाग, महाराष्ट्र सरकार
33. श्री सुनील सोनी, प्रधान सचिव (सुधार), महाराष्ट्र सरकार

एशोसियेशनों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

34. श्री विनोद गुप्ता, मल्टिनेट वर्ल्डवाइड
35. श्री एम.एन. चैनी, अध्यक्ष (इले.) आईएमसी.

यशवंतराव चव्वाण प्रतिष्ठान समिति

36. श्री शरद काले, महासचिव यशवंतराव चव्वाण प्रतिष्ठान समिति

तेरहवां वित्त आयोग

37. डा. विजय केलकर, अध्यक्ष
38. डा. इंदिरा राजारमन, सदस्य
39. श्री सुमित बोस, सचिव
40. श्री बी.एस. भुल्लर, संयुक्त सचिव

‘सीमावर्ती क्षेत्रों की विशेष समस्याएं और विकास संभावनाएं’ विषय पर ग्रामीण और औद्योगिक विकास अनुसंधान केन्द्र, चन्डीगढ़ द्वारा 5 अप्रैल, 2008 को आयोजित सम्मेलन

भाग लेने वालों की सूची

1. श्री पी.एन. पटेल, अपर सचिव, गृह विभाग, गुजरात सरकार
2. श्री रमेश इन्दर सिंह, मुख्य सचिव, पंजाब सरकार
3. श्री अरविंद मेहता, वित्त सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार
4. श्री सतीश चन्द्र, सचिव, पंजाब योजना बोर्ड
5. श्री तेजवीर सिंह (भा.प्र.से.) एनआरआई आयुक्त, पंजाब सरकार
6. श्री बी.एस. सिंधु (भा.प्र.से.), निदेशक, कृषि निदेशालय, पंजाब सरकार
7. श्री सुरेश कुमार (भा.प्र.से.), सचिव विद्युत, पंजाब सरकार
8. सुश्री उषा शर्मा (भा.प्र.से.), विशेष सचिव वित्त, पंजाब सरकार
9. श्री आर.एस. संधु, (भा.प्र.से.), पंजाब सरकार
10. श्री एम.पी.सिंह, अपर उपायुक्त, गुरदासपुर, पंजाब सरकार
11. कर्नल सुभाष बक्शी, विजिटिंग प्रोफेसर, सीआरआरआईडी, चंडीगढ़
12. डा. रशपाल मल्होत्रा, कार्यपालक उपाध्यक्ष, सीआरआरआईडी, चंडीगढ़
13. डा. एस के मंगल, वरिष्ठ सलाहकार, सीआरआरआईडी, चंडीगढ़
14. श्री जे.पी. गुप्ता, वरिष्ठ सलाहकार, सीआरआरआईडी, चंडीगढ़
15. प्रो. गोपाल कृष्णन, वरिष्ठ सलाहकार, सीआरआरआईडी, चंडीगढ़
16. डा. हिमल चंद, प्रो. सह निदेशक, सीआरआरआईडी, चंडीगढ़
17. डा. पी.पी. बालन, प्रोफेसर सह निदेशक, सीआरआरआईडी, चंडीगढ़
18. डा. कुलदीप कौर, प्रोफेसर सह निदेशक, सीआरआरआईडी, चंडीगढ़
19. डा. ए.के. नंदा, प्रोफेसर सह निदेशक, सीआरआरआईडी, चंडीगढ़
20. डा. कृष्ण चन्द, एसोसिएट अनुसंधान समन्वय, सीआरआरआईडी, चंडीगढ़
21. श्री उन्मेष एस. रंगनेकर, एसोसिएट अनुसंधान समन्वय, सीआरआरआईडी, चंडीगढ़
22. डा. केसर सिंह, एसोसिएट अनुसंधान समन्वय, सीआरआरआईडी, चंडीगढ़
23. श्री राजेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट अनुसंधान समन्वय, सीआरआरआईडी, चंडीगढ़
24. श्री सुनील बंसल, एसोसिएट अनुसंधान समन्वय, सीआरआरआईडी, चंडीगढ़
25. डा. बिन्दु दुग्गल, एसोसिएट अनुसंधान समन्वय, सीआरआरआईडी, चंडीगढ़
26. श्री सुखविन्दर सिंह, एसोसिएट अनुसंधान समन्वय, सीआरआरआईडी, चंडीगढ़

तेरहवां वित्त आयोग

27. डा. विजय केलकर, अध्यक्ष
28. श्री बी.के. चतुर्वेदी, सदस्य
29. डा. इंदिरा राजारमन, सदस्य
30. प्रो. अतुल शर्मा, सदस्य
31. श्री सुमित बोस, सचिव
32. श्री बी.एस. भुल्लर, संयुक्त सचिव

अनुबन्ध 2.17

(पैरा 2.20(iv))

‘तेरहवें वित्त आयोग के समक्ष चुनौतियां’ विषय पर लोक अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान (एफपीईपीआर)
द्वारा इंडिया हेबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में 17 मई, 2008 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार

भाग लेने वालों की सूची

1. डा. अरविन्द विरमानी, मुख्य आर्थिक सलाहकार (वित्त मंत्रालय)
2. डा. पुलिन नायक, निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय
3. डा. सत्य पोद्दार, पार्टनर, अर्नस्ट एण्ड यंग प्रा. लि. गुडगांव
4. डा. एन.जे. कुरियन, निदेशक काउन्सिल फॉर सोशल डिवेलपमेन्ट, नई दिल्ली
5. डा. जे.वी.एम. शर्मा, प्रोफेसर ऑफ इकोनोमिक्स, हैदराबाद, विश्वविद्यालय
6. डा. के.बी.एल. माथुर अवैतनिक प्रोफेसर, एफपीईपीआर एण्ड पूर्व आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय
7. डा. अरुण कुमार, प्रोफेसर, सेन्टर फॉर इकोनोमिक्स स्टीडीज एण्ड प्लानिंग (सीईएसपी), जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
8. डा. अनवर शाह, अग्रणी अर्थशास्त्री, विश्व बैंक, वाशिंगटन डीसी, यू.एस.ए.
9. डा. डी.एन.राव, प्रोफेसर, सेन्टर फॉर इकोनोमिक स्टीडीज एण्ड प्लानिंग (सीईएसपी), जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
10. डा. पी.के. चौबे, प्रोफेसर ऑफ इकोनोमिक्स, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
11. डा. गौतम नरेश, वरिष्ठ अर्थशास्त्री, राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, नई दिल्ली
12. डा. वी. एन. आलोक, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ पब्लिक फाइनांस, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान
13. डा. एम. एन. मुर्ति, प्रोफेसर, आर्थिक विकास संस्थान, नई दिल्ली
14. डा. डी. के. श्रीवास्तव, निदेशक, मद्रास स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स, चेन्नई
15. डा. देवेन्द्र बी. गुप्ता, अध्यक्ष, सोसाइटी फॉर डिवेलपमेंट स्टीडीज (एसडीएस), नई दिल्ली
16. डा. एम.पी. माथुर, प्रोफेसर, राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, नई दिल्ली
17. डा. ओ.पी. वोहरा, एसोसिएट प्रोफेसर, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद
18. डा. बी.सी. बाराह, प्रमुख वैज्ञानिक नेशनल काउन्सिल फॉर एग्रीकल्चर एकोनोमिक एण्ड पालिसी, नई दिल्ली
19. डा. एन मिश्रा, दिल्ली विश्वविद्यालय
20. डा. गुलजीत अरोड़ा, बी.आर. अम्बेडकर महाविद्यालय, दिल्ली
21. श्री. शेखर बोरकर, हिन्दुस्तान इंडस्ट्रीज लि.
22. श्री प्रणब बनर्जी, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
23. श्री रमेश चन्द्र, राज्य वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति, नई दिल्ली
24. डा. एम. सी. गुप्ता, सहायक रेजिडेंट आयुक्त, हरियाणा
25. श्री अजय हेलन, राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, नई दिल्ली
26. सुश्री कुमुदिनी हाजरा, भारतीय रिजर्व बैंक
27. डा. सुधीर जैन, भारतीय तकनीकी संस्थान, नई दिल्ली
28. डा.एस.एम. झारवाल, कृषि मंत्रालय
29. श्री टी.आर. रस्तागी, आयुक्त (पूर्व), सेन्ट्रल बोर्ड एक्साज एण्ड कस्टम, नई दिल्ली
30. डा. एस. के. सिंह, पूर्व प्रोफेसर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
31. डा. आर. श्रीधरण, संयुक्त सचिव, योजना आयोग
32. श्री वी.के. थाकुर, पूर्व अनुसंधान अधिकारी, एनसीआर योजना बोर्ड, नई दिल्ली
33. डा. चरण डी. वाधवा, नीति अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली
34. डा. रूपा बसु, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

35. श्री बी.सी. महापात्रा, संयुक्त सचिव, वित्त प्रभाग, उड़ीसा सरकार
36. सुश्री मारजोरी फर्नांडीज, दिल्ली विश्वविद्यालय
37. श्री सौमन चट्टोपाध्याय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
38. श्री विवेक जोहरी, निदेशक, टीआरयू, वित्त मंत्रालय
39. श्री गोतम भट्टाचार्य, टीआरयू, वित्त मंत्रालय
40. श्री दीपक सेनगुप्ता, संयुक्त निदेशक (योजना) दिल्ली सरकार
41. प्रो. अमरेश दुबे, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
42. श्री बी. के. शर्मा
43. डा. बी. एल. पाठक
44. श्री डी.एन. एस. चहल
45. श्री. एस. एन. शुक्ला
46. सुश्री प्राची
47. श्री गजेन्द्र

एफपीईपीआर स्टाफ

48. डा. महेश सी. पुरोहित
49. डा. (श्रीमती) विष्णु कान्त पुरोहित
50. श्री राज कुमार
51. डा. अमरात लाल मीणा
52. सुश्री मधुलिका
53. श्री सुराजित राउत
54. श्री राकेश कुमार

तेरहवां वित्त आयोग

55. डा. विजय केलकर, अध्यक्ष
56. श्री बी.के. चतुर्वेदी, सदस्य
57. डा. इंदिरा राजारमण, सदस्य
58. डा. संजीव मिश्रा, सदस्य
59. श्री सुमित बोस, सचिव
60. श्री वी. भास्कर, संयुक्त सचिव
61. श्री बी.एस. भुल्लर, संयुक्त सचिव
62. डा. मनीष गुप्ता, उप निदेशक
63. श्री ए.एस. परमार, उप निदेशक
64. श्री जे.के. राठी, उप निदेशक
65. श्री बी. स्वैन, सहायक निदेशक
66. श्री ए.के. सिन्हा, सहायक निदेशक
67. श्री बी. एल. मीणा, सहायक निदेशक

**‘तेरहवें वित्त आयोग के समक्ष विषयों’ पर राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी)
द्वारा 23-24 मई, 2008 को आयोजित सेमिनार**

भाग लेने वालों की सूची

1. डा. एम गोविन्द राव, निदेशक, एनआईपीएफपी
2. डा. रेणुका विश्ववाथन, सचिव (समन्वय और लोक शिकायत) मंत्रिमण्डल सचिवालय, नई दिल्ली
3. डा. डी.के. श्रीवास्तव, निदेशक मद्रास स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स, चेन्नै
4. श्री शेखर शाह, क्षेत्रीय आर्थिक सलाहकार, दक्षिण एशिया, विश्व बैंक, नई दिल्ली
5. डा. मारिया लिगिया नोरोन्हा, निदेशक (रिसोर्सिज व ग्लोबल डिवीजन) ऊर्जा संसाधन संस्थान (टीईआरआई), नई दिल्ली
6. श्री बी एम मिश्रा, सलाहकार, आर्थिक विश्लेषण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई
7. डा. जी.आर. रेड्डी, एसोसिएट फैलो, आर्थिक एवं सामाजिक अध्ययन केन्द्र, हैदराबाद
8. डा. अभय पेटे, प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, मुंबई
9. श्री निर्मल मोहन्ती, अग्रणी विशेषज्ञ, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कम्पनी लि. मुंबई
10. डा. तपस के. सेन (सह-लेखक), वरिष्ठ फैलो, एनआईपीएफपी, नई दिल्ली
11. डा. प्रताप रंजन जेना (सह-लेखक), फैलो, एनआईपीएफपी, नई दिल्ली
12. डा. (श्रीमती) आर कविता राव, वरिष्ठ फैलो, एनआईपीएफपी, नई दिल्ली
14. डा. अनित एन. मुखर्जी, फैलो, एनआईपीएफपी, नई दिल्ली
15. डा. सत्य पोद्दार, अर्नस्ट एण्ड यंग प्रा. लि. गुडगांव
16. प्रो. ओ.पी. माथुर, प्रधान परामर्शदाता, एनआईपीएफपी, नई दिल्ली
17. डा. अजय शाह, वरिष्ठ फैलो, एनआईपीएफपी, नई दिल्ली
18. डा. सूसन थामस, सहा. प्रोफेसर, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, मुंबई
19. डा. मधु वर्मा, प्रोफेसर, पर्यावरण और विकास अर्थशास्त्र, भारतीय वन प्रबन्ध संस्थान, भोपाल
20. डा. शंकर आचार्य, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (आईसीआरआईआईआर), नई दिल्ली
21. डा. पार्थो मुखोपाध्याय, नीति अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली
22. प्रो. के. एल. कृष्णा, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय
23. श्री टी.आर. रघुनंदन, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली
24. प्रो. जेसिका वालैक, निदेशक, सेंटर फार डेवलपमेंट फाइनेंस, वित्तीय प्रबन्ध और अनुसंधान संस्थान, चेन्नै
25. डा. दीपक दासगुप्ता, अग्रणी अर्थशास्त्री, विश्व बैंक, नई दिल्ली
26. श्री जोशुआ फैलमेन, वरिष्ठ रेजीडेंट प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, नई दिल्ली
27. श्री सतीश चन्द्र, सदस्य सचिव, राज्य वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली
28. डा. चिराश्री दासगुप्ता, एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान, पटना
29. श्री जे.के. खुन्द्रकपम, निदेशक, आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई
30. श्री बी.एन. युगांधर, सदस्य, योजना आयोग, नई दिल्ली
31. श्री एस लक्ष्मणन, निदेशक (एफआर) योजना आयोग, नई दिल्ली
32. श्री अरुण कुमार, निदेशक (एफआर) योजना आयोग, नई दिल्ली
33. श्री संजीव जोशी, उप सलाहकार (एफआर) योजना आयोग, नई दिल्ली
34. श्री आर.एन. दुबे, सहा. आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली
35. श्री वी. एस. सेंथिल, संयुक्त सचिव (पीएफआई), वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली
36. श्री एस.आर. डॉंग्रे, परामर्शदाता (वित्त), अरुणाचल प्रदेश सरकार, इटानगर
37. डा. ओ.पी. बोहरा, एसोसिएट प्रोफेसर, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद
38. श्री प्रिमा मदान, अनुसंधान एसोसिएट, टीईआरआई, नई दिल्ली
39. सुश्री अमृता गोलदर, अनुसंधान एसोसिएट, टीईआरआई, नई दिल्ली

40. श्री नीलांजन पत्रा, रिसर्च स्कॉलर, आर्थिक अध्ययन और योजना केन्द्र, जेएनयू, नई दिल्ली

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

41. श्री येशी सेरिंग, आयुक्त और सचिव, वित्त, अरुणाचल प्रदेश
42. श्री नवीन कुमार, प्रधान सचिव, वित्त, बिहार
43. श्री डी.एस. मिश्रा, प्रधान सचिव, वित्त, छत्तीसगढ़
44. श्री डी राजगोपालन, अपर मुख्य सचिव, वित्त गुजरात
45. श्री जे.डी. दवे, उप निदेशक, वित्त, गुजरात
46. श्री तपन रॉय, प्रधान सचिव, आर्थिक कार्य, गुजरात
47. श्री हरदीप कुमार, विशेष सचिव, वित्त, हरियाणा
48. श्री एल.सी. गोयल, प्रधान सचिव, वित्त, केरल
49. श्री अशोक दास, प्रधान सचिव, वित्त, मध्य प्रदेश
50. श्री ए.एन. भोसले, उप सचिव, वित्त, महाराष्ट्र
51. श्री विजय कुमार अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव, योजना, महाराष्ट्र
52. श्री एच दिलीप सिंह, अपर सचिव, वित्त मणिपुर
53. श्री ए. मेत्रा, वित्त सलाहकार, मिजोरम
54. श्री आर रामकृष्णन, सचिव, वित्त, नागालैण्ड
55. श्री आर एन. सेनापति, प्रधान सचिव, वित्त, उड़ीसा
56. श्री डी.एस. काल्हा, प्रधान सचिव, वित्त, पंजाब
57. श्री एस.सी. गर्ग, प्रधान सचिव, वित्त, राजस्थान
58. श्री के ज्ञानदसिकन, सचिव, वित्त, तमिलनाडु
59. श्री बी.एम. जोशी, सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश
60. श्री एल.एम. पंत, अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड
61. श्री दीपांकर मुखोपाध्याय, प्रधान सचिव, वित्त, पश्चिम बंगाल

तेरहवां वित्त आयोग

62. डा. विजय केलकर, अध्यक्ष
63. डा. इंदिरा राजारमन, सदस्य
64. श्री बी.के. चतुर्वेदी, सदस्य
65. प्रो. अतुल शर्मा, सदस्य
66. डा. संजीव मिश्रा, सदस्य
67. श्री सुमित बोस, सचिव
68. श्री वी भास्कर, संयुक्त सचिव
69. बी. एस. भुल्लर, संयुक्त सचिव
70. डा. रथिन रॉय, आर्थिक सलाहकार
71. श्री पी.के. वर्मा, निदेशक
72. श्री एस रवि, अध्यक्ष के निजी सचिव
73. डा. मनीष गुप्ता, उप निदेशक
74. श्री जे.के. राठी, उप निदेशक
75. श्री डी. ब्रह्मा रेड्डी, उप निदेशक
76. श्री ए.के. सिन्हा, सहा. निदेशक
77. श्री बी. स्वैन, सहा. निदेशक
78. श्री ए.एस. परमार, सहा. निदेशक
79. श्री मुकेश शर्मा, सहा. निदेशक
80. श्री ए.पी. इक्का, अनुसंधान सहायक

भारत की राजकोषीय प्रणाली' से संबंधित विषयों पर राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान द्वारा
15 नवंबर, 2008 को आयोजित सेमिनार

उपस्थित अधिकारियों की सूची

1. डा. एम गोविन्द राव, निदेशक, एनआईपीएफपी
2. डा. रेणुका विश्वनाथन, सचिव (सी एंड पीजी), कैबिनेट सचिवालय
3. श्री आर. श्रीधरन, संयुक्त सचिव, योजना आयोग
4. श्री टी.आर. रघुनंदन, पंचायती राज मंत्रालय
5. प्रोफेसर के.सी. शिवरामकृष्णन, नीति अनुसंधान केंद्र, नई दिल्ली
6. श्री संजय पंत, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
7. डा. उरजित पटेल, रिलाइंस इंडस्ट्री लिमिटेड, मुंबई
8. डा. कविता राव, प्रोफेसर, एनआईपीएफपी
9. डा. पिंकी चक्रवर्ती, प्रोफेसर, एनआईपीएफपी
10. डा. इला पटनायक, प्रोफेसर, एनआईपीएफपी
11. डा. अजय शाह प्रोफेसर, एनआईपीएफपी
12. डा. पी.आर. जेना, प्रोफेसर, एनआईपीएफपी
13. डा. राधिका पांडेय, अर्थास्त्री, एनआईपीएफपी
14. श्री संजय पांडेय, परामर्शदाता, एनआईपीएफपी
15. सुश्री श्रुति जयराम, परामर्शदाता, एनआईपीएफपी

तेरहवां वित्त आयोग

16. डा. विजय केलकर, अध्यक्ष
17. श्री बी.के. चतुर्वेदी, सदस्य
18. डा. इंदिरा राजरामन, सदस्य
19. प्रोफेसर अतुल शर्मा, सदस्य
20. डा. संजीव मिश्रा, सदस्य
21. श्री सुमित बोस, सचिव
22. श्री वी. भास्कर, संयुक्त सचिव
23. श्री बी.एस. भुल्लर, संयुक्त सचिव
24. डा. राथिन रॉय, आर्थिक सलाहकार
25. श्री पी.के. वर्मा, निदेशक
26. श्री राजीव कुमार सेन, निदेशक
27. डा. आर.एन. शर्मा, संयुक्त निदेशक
28. श्री संजीव जोशी, संयुक्त निदेशक
29. डा. मनीष गुप्ता, उप निदेशक
30. श्री डी. ब्रह्मा रेड्डी, उप निदेशक
31. श्री ए.एस. परमार, उप निदेशक
32. श्री जे.के. राठी, उप निदेशक

"भारत में अंतर्राज्यिक और अंतःराज्यिक आर्थिक विषमताएं: तेरहवें वित्त आयोग के लिए विविक्षाएं" विषय पर एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान (एडीआरआई), पटना द्वारा 13 दिसंबर, 2008 को आयोजित कार्यशाला

- उपस्थित अधिकारियों की सूची
1. श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री, बिहार
 2. श्री नवीन कुमार, आईएएस, प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार
 3. श्री विजय प्रकाश, आईएएस, प्रधान सचिव, सहकारी विभाग, बिहार सरकार
 4. श्री मदन मोहन देव, संयुक्त सचिव, बिहार राज्य वित्त आयोग
 5. श्री बी.के. सिन्हा, उप सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार
 6. प्रोफेसर अजय कुमार झा, रजिस्ट्रार, ए.एन. सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान (एएनएसआईएसएस), पटना
 7. सुश्री रिजुला उनियाल, रेनबो पब्लिक स्कूल, श्रीनगर, उत्तराखंड
 8. सुश्री अंकिता गुप्ता, जवाहरलाल नेहरू विविद्यालय, नई दिल्ली
 9. सुश्री मलान्चा चक्रवर्ती द्वारा अजित, पेरियार होस्टल, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
 10. श्री अजित, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
 11. श्री राहुल कुमार राकेश, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
 12. श्रीमती मिताली सरकार, अंतरिक्ष विभाग (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन), अहमदाबाद, गुजरात
 13. प्रोफेसर पुलिन बी. नायक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनामिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय
 14. डा. अंजन मुखर्जी, आर्थिक अध्ययन एवं आयोजना केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
 15. डा. के. नारायणन नैयर, विकास अध्ययन केंद्र, त्रिवेंद्रम, केरल
 16. डा. एस. भिडे, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीआईआर), नई दिल्ली
 17. डा. तपस कुमार सेन, वरिष्ठ फेलो, राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली
 18. डा. एन.जे. कुरियन, निदेशक, सामाजिक विकास परिषद, नई दिल्ली
 19. डा. अरुनिश चावला, आईएएस, विशेष वित्त आयुक्त, वित्त विभाग, बिहार सरकार
 20. डा. विनोद व्यासुलु, परामर्श अर्थास्त्री, बासवांगुदी, बंगलोर
 21. डा. दीपक दासगुप्ता, भारत के अग्रणी अर्थास्त्री, विश्व बैंक, नई दिल्ली
 22. डा. अचिन चक्रवर्ती, विकास अध्ययन संस्थान, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता
 23. डा. अमरेश दूबे, क्षेत्रीय विकास अध्ययन केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
 24. डा. एम.एच. सूर्यनारयण, इंदिरागांधी विकास अनुसंधान संस्थान (आईजीआईडीआर), मुम्बई
 25. डा. अजिताव रायचौधरी, अर्थास्त्र विभाग, जादवपुर विविद्यालय, कोलकाता
 26. श्री गोविन्द भट्टाचारजी, लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक (केंद्रीय), कोलकाता
- एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान (एडीआरआई)**
27. डा. शैबाल गुप्ता
 28. प्रोफेसर प्रभात पी. घोष
 29. डा. सुनिता लाल
 30. डा. चिराश्री दासगुप्ता
 31. श्री आर.के. शाही
 32. श्री सुदीप के. पांडेय
 33. श्री बी.एन. पटनायक
 34. श्री रहबर अली
 35. श्री अमित के. बक्शी
- तेरहवां वित्त आयोग
36. डा. विजय केलकर, अध्यक्ष
 37. प्रोफेसर अतुल शर्मा, सदस्य
 38. श्री सुमित बोस, सचिव
 39. श्री वी. भास्कर, संयुक्त सचिव
 40. श्री राजीव कुमार सेन, निदेशक
 41. श्री पी.के. वर्मा, निदेशक
 42. श्री एस. रवि, अध्यक्ष के निजी सचिव
 43. डा. मनीश गुप्ता, उप निदेशक
 44. श्री बैधर स्वैन, सहायक निदेशक
 45. श्री संदीप कुमार, आर्थिक अधिकारी
 46. श्री जगतार सिंह, सचिव के निजी सचिव

“पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करना” विषय पर ग्रामीण प्रबन्ध संस्थान (आईआरएमए) आणन्द, गुजरात द्वारा 22-23 दिसंबर, 2008 को आयोजित कार्यशाला

उपस्थित अधिकारियों की सूची

1. श्री डी.आर. मेहता, अध्यक्ष, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, बिहार
2. श्री सुखबिलाश बर्मा, पूर्व-अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, पश्चिम बंगाल
3. श्री एच.एन. दास, पूर्व-अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, असम
4. डा. जी.सी. श्रीवास्तव, पूर्व-अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, उत्तराखंड
5. श्री टी.एन. श्रीवास्तव, सदस्य सचिव, ग्यारहवां वित्त आयोग, रायपुर, छत्तीसगढ़
6. श्री धर्मेन्द्र शुक्ला, पूर्व-सदस्य सचिव, राज्य वित्त आयोग, मध्य प्रदेश
7. श्री एस.एम. विजयानंद, सचिव, स्थानीय स्वासन, केरल सरकार
8. श्री एम.एन. राय, सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार
9. डा. वी.एन. आलोक, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
10. प्रोफेसर एम.ए. उम्मेन, सामाजिक विज्ञान संस्थान, त्रिवेंद्रम, केरल
11. प्रोफेसर एन. रामाकांतन, निदेशक, स्थानीय प्रासन संस्थान केरल, त्रिसूर, केरल
12. श्री राहुल सिंह, विधि के सहायक प्रोफेसर, भारतीय राष्ट्रीय लॉ स्कूल, बेंगलुरु
13. प्रोफेसर ओ.पी. माथुर, राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी), नई दिल्ली
14. डा. अभय पेथे, मुम्बई विविद्यालय, मुम्बई
15. डा. टी.एम. जोसफ, प्रधानाचार्य, न्यूमैन कॉलेज, केरल
16. श्री जे.डी. देव, अवर सचिव, वित्त विभाग, गुजरात सरकार
17. श्री वाई.ए. कुलश्रेष्ठ, सांख्यिकी सहायक, वित्त विभाग, गुजरात सरकार
18. श्री यू.के. शुक्ला, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, जयपुर, राजस्थान
19. श्री वी.के.शुक्ला, राजस्थान सरकार
20. श्री एस. राय, भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के सी एंड जी का कार्यालय, नई दिल्ली
21. श्री टी.एस. शिवप्पा, निदेशक, स्थानीय निकाय, भारत का सी एंड एजी का कार्यालय, नई दिल्ली
22. डा. एम. देवेंद्र बाबू, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान (आईएसईसी) बेंगलुरु

23. डा. पी.के. दास, सामाजिक विज्ञान अध्ययन संस्थान, कोलकाता
24. श्री सुमेध गुर्जर, यशदा, पुणे
25. श्री चेतन वैद्य, निदेशक राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान (एनआईयूए), नई दिल्ली
26. श्री पी.के. भटनागर, अवर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार

ग्रामीण प्रबंध संस्थान, आणन्द (आईआरएमए)

27. श्री वाई.के. अलघ, अध्यक्ष
28. डा. विवेक भंडारी, निदेशक
29. प्रोफेसर बी.एन. हिरेमाथ, प्रोफेसर
30. प्रोफेसर देवीप्रसाद मिश्रा, प्रोफेसर
31. डा. एच.एस. शैलेन्द्र, प्रोफेसर
32. श्री श्रीप्रकाश सिंह राजपूत, रिसर्च एसोसिएट
33. श्री डी.यशवंत, एफपीआरएम भागीदार
34. श्री जी.जी. कोप्पा, एफपीआरएम भागीदार
35. श्री साई कृष्णा नादूरी, एफपीआरएम भागीदार
36. सुश्री स्मृति दास, एफपीआरएम भागीदार
37. श्री राजेश कुमार, एफपीआरएम भागीदार
38. श्री प्रदीप कुमार मिश्रा, एफपीआरएम भागीदार

तेरहवां वित्त आयोग

39. डा. विजय केलकर, अध्यक्ष
40. डा. इंदिरा राजारमन, सदस्य
41. प्रोफेसर अतुल शर्मा, सदस्य
42. श्री सुमित बोस, सचिव
43. श्री वी. भास्कर, संयुक्त सचिव
44. श्री बी.एस. भुल्लर, संयुक्त सचिव
45. श्री पी.के. वर्मा, निदेशक
46. डा. मनीष गुप्ता, उप निदेशक

"भारत में राज्यों के सुशासन निर्देशिका का विकास" विषय पर राष्ट्रीय लोक प्रशासक अनुसंधान (एआईएआर),
मसूरी द्वारा इंडिया इन्टरनेशनल, सेन्टर, नई दिल्ली में 14 नवम्बर, 2008 को आयोजित कार्यशाला

प्रतिभागियों की सूची

उत्तराखण्ड

1. श्री इन्द्र कुमार पांडे, आईएएस, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड सरकार
 2. श्री राजीव गुप्ता, मुख्य रेजिडेंट आयुक्त, उत्तराखण्ड सरकार
- #### कर्नाटक
3. डा. एल. शान्ताकुमारी सुन्दर, आईएएस, मुख्य सचिव और विकास आयुक्त, कर्नाटक सरकार
 4. सुश्री रंजिनी श्री कुमार, प्रधान सचिव, कार्मिक व प्रशासनिक सुधार विभाग (प्रशासनिक सुधार, प्रशिक्षण व राजनीतिक पेंशन), कर्नाटक सरकार

मध्य प्रदेश

5. श्री आर सी साहनी, आईएएस, मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार
6. श्री अनुराग जैन, सचिव, आईटी एण्ड सीएम, मध्य प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश

7. श्री टी नेगी, आईएएस, प्रधान सचिव, एआर, हिमाचल प्रदेश
8. डा. राकेश हुजा, आईएएस, अपर मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार व निदेशक, एचसीएक राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (एचसीएमआरआईपीए)
9. श्री चेतन प्रकाश मंडावारिया, संयुक्त निदेशक, योजना व वित्त, राजस्थान सरकार

दिल्ली

10. डा. के बी राय, सलाहकार (एआर), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
11. श्री सुयश प्रकाश, निदेशक (प्रशिक्षण) प्रशिक्षण निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

उत्तर प्रदेश

12. श्री विद्यानन्द गर्ग, मुख्य सचिव (बुनियादी शिक्षा) उत्तर प्रदेश सरकार
13. श्री पंकज अग्रवाल, सीईओ, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश सरकार

महाराष्ट्र

14. सुश्री एना दानी, आईएएस, मुख्य सचिव (एएण्डएस) गृह विभाग, महाराष्ट्र सरकार
15. श्री संजय सेठी, आयुक्त, नगरपालिका प्रशासन, मुम्बई
16. श्री बलदेव सिंह, आईएएस, सचिव, रूरल डिवेलपमेन्ट एण्ड पीआरआई, मुम्बई

मणिपुर

17. श्री के मानगी सिंह, निदेशक, योजना, मणिपुर सरकार

नागालैण्ड

18. सुश्री येतोली वर्मा, असिस्टेंट रेसिडेंट कमिश्नर, नागालैण्ड सरकार

तमिलनाडु

19. श्री प्रवीण कुमार, आईएएस, विशेष सचिव वित्त, तमिलनाडु सरकार
20. श्री गुरु प्रसाद मिश्रा, मुख्य सचिव के विशेषाधिकारी, उड़ीसा सरकार

हरियाणा

21. सुश्री फिरोजा मेहरोत्रा, आईएएस, वित्तीय आयुक्त व मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
22. श्री आर. के. विश्णोई, आर्थिक सांख्यिकी सलाहकार, हरियाणा सरकार
23. श्री वे. के. कुन्दु, आईएएस, सचिव, सूचना तकनीकी, हरियाणा सरकार

असम

24. श्री दिवाकर नाथ मिश्रा, आईएएस, संयुक्त सचिव, राजस्व, राजस्व असम बोर्ड व संयुक्त सचिव, असम सरकार

केरल

25. श्री डी. के. सिंह, एडिशनल रेसिडेंट कमिश्नर, केरल सरकार

अरुणाचल प्रदेश

26. श्री मारतो बागरा, असिस्टेंट रेजिडेंट कमिश्नर, अरुणाचल प्रदेश सरकार

स्रोत व्यक्तियों की सूची

27. श्री पदमवीर सिंह, आईएएस, उपाध्यक्ष, एनआईएआर और संयुक्त निदेशक, एलबीएसएनए
28. श्री आलोक कुमार, आईएएस, कार्यपालक निदेशक, एनआईएआर एलबीएसएनए
29. डा. मोना, भगवती, सहायक प्रोफेसर, एनआईएआर, एलबीएसएनए
30. प्रो. वी. के. नटराज, पूर्व निदेशक, मद्रास विकास अध्ययन संस्थान, चैन्नै
31. डा. राजीव शर्मा, आईएएस, महानिदेशक, सुशासन केन्द्र, हैदराबाद
32. श्री ए श्रीनिवास कुमार, उप कार्यपालक निदेशक, सुशासन केन्द्र, हैदराबाद
33. श्री आर. श्रीधरन, आईएएस, संयुक्त सचिव, योजना आयोग,
34. श्री एन. सी. सक्सेना, आईएएस (सेवानिवृत्त) पूर्व सचिव, योजना आयोग, नई दिल्ली
35. सुश्री मीनाक्षी शर्मा, निदेशक, प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार
36. श्री दुर्गा प्रसाद दुअरी, परामर्शी, एएसआई
37. श्री सुधीर कुमार सुथार, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

तेरहवां वित्त आयोग

38. श्री सुमित बोस, सचिव
39. श्री बी. भास्कर, संयुक्त सचिव

**"भारत के मध्यावधि वृहत आर्थिक और राजकोषीय दृष्टिकोण" विषय पर इंडिया
इन्टरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में 2 जून, 2009 को आयोजित सम्मेलन**

प्रतिभागियों की सूची

1. डा. शंकर एन. आचार्य, इन्टरनेशनल कांसिल फार रिसर्च ऑन इन्टरनेशनल इकोनोमिक रिलेशंस (आईसीआरआईईआर), नई दिल्ली
 2. डा. राजीव कुमार, निदेशक, (आईसीआरआईईआर), नई दिल्ली
 3. डा. सुरेश तेन्दुलकर, अध्यक्ष, प्रधान मंत्री के आर्थिक परामर्शी परिषद
 4. डा. सुबीर वी गोकर्ण, क्रेडिट रेटिंग इन्फारमेशन सर्विस आफ इंडिया लिमिटेड (सीआरआईएसआईएल), नई दिल्ली
 5. डा. धर्मकीर्ति जोशी, (सीआरआईएसआईएल), नई दिल्ली
 6. डा. अरविन्द विरमानी, निदेशक, राष्ट्रीय लोक वित्त व नीति संस्थान (एनआईपीएफपी), नई दिल्ली
 7. डा. एम. गोविन्द राव, निदेशक, राष्ट्रीय लोक वित्त व नीति संस्थान (एनआईपीएफपी), नई दिल्ली
 8. प्रो. कीर्ति एस पारीख, सदस्य, योजना आयोग
 9. प्रो. प्रणव सेन, भारत के प्रमुख सांख्यिकी वित्त व सचिव, सांख्यिकी विभाग
 10. डा. सुमन बेरी, नेशनल कान्सिल फार अप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च (एनसीआईआर), नई दिल्ली
 11. डा. सुरजीत भल्ला, ओएक्सयूएस
 12. डा. शंशाक भिडे, नेशनल कान्सिल फार अप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च (एनसीआईआर), नई दिल्ली
 13. डा. सुदीप्तो मंडल, राष्ट्रीय लोक वित्त व नीति संस्थान (एनआईपीएफपी), नई दिल्ली
 14. डा. सौमिता चौधरी, सदस्य, प्रधानमंत्री के आर्थिक परामर्शी परिषद
 15. डा. अजित रानाडे, प्रमुख अर्थशास्त्री, आदित्य बिडला समूह
 16. प्रो. पुलिन नायक, निदेशक, दिल्ली स्कूल आफ इकोनोमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
 17. डा. उरजित पटेल, प्रेसिडेंट बिजनेस डेवेलपमेन्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 18. डा. ईशर सूद आहलुवालिया, अध्यक्ष आईसीआरआईईआर
 19. डा. ईला पटनायक, वरिष्ठ फेलो, एनआईपीएफपी, नई दिल्ली
 20. डा. जहांगीर अजीज, जे पी मोरगन, मुंबई
 21. श्री बी एम मिश्रा, सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई
- तेरहवां वित्त आयोग**
22. डा. विजय केलकर, अध्यक्ष
 23. श्री बी के चतुर्वेदी, सदस्य
 24. डा. इंदिरा राजारमण, सदस्य
 25. प्रो. अतुल शर्मा, सदस्य
 26. डा. संजीव मिश्रा, सदस्य
 27. श्री सुमित बोस, सचिव
 28. श्री वी भास्कर, संयुक्त सचिव
 29. श्री बी एस भुल्लार, संयुक्त सचिव
 30. डा. रथिन राय, आर्थिक सलाहकार
 31. श्री पी के वर्मा, निदेशक
 32. श्री एस के बंसल, निदेशक
 33. श्री राजीव कुमार सेन, निदेशक
 34. श्री संजीव जोशी, संयुक्त निदेशक
 35. श्री शुभ्रा राय, संयुक्त निदेशक

विज्ञान भवन एनेक्सी, नई दिल्ली में वित्त राज्य मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के साथ 16 सितंबर, 2008 को हुई बैठक

उपस्थित अधिकारियों की सूची

आंध्र प्रदेश

1. श्री के. रोसय्या, वित्त मंत्री

असम

2. श्री एच.एस. दास, प्रधान सचिव, वित्त

अरुणाचल प्रदेश

3. श्री कालीखो पुल, वित्त मंत्री

4. श्री एच.के. पालीवाल, प्रधान सचिव, ऊर्जा एवं समन्वय

5. श्री अमित सिंगला, संयुक्त सचिव, वित्त

बिहार

6. श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री

7. श्री नवीन कुमार, प्रधान सचिव, वित्त

8. श्री एस.के. मजुमदार, प्रधान सचिव, वाणिज्यिक कर

छत्तीसगढ़

9. श्री डी.के. मिश्रा, प्रधान सचिव, वित्त

गुजरात

10. श्री सौरभभाई पटेल, वित्त राज्य मंत्री

11. श्री तपन राय, प्रधान सचिव, आर्थिक कार्य, वित्त

हिमाचल प्रदेश

12. श्री अरविन्द मेहता, प्रधान सचिव (वित्त)

जम्मू-कश्मीर

13. श्री सी. फुन्सोग सलाहकार प्रभारी वित्त एवं आयुक्त सचिव

14. श्री बी.बी. व्यास, बिक्री कर आयुक्त

15. श्री बशीर अहमद ख्वाजा, आयुक्त, वाणिज्यिक कर

झारखंड

16. प्रोफेसर स्टीफन मरांडी, वित्त मंत्री

17. सुश्री राजबाला वर्मा, सचिव, वित्त

कर्नाटक

18. डा. वी.एस. आचार्य, गृह मंत्री

केरल

19. डा. टी.एम. थमस इसाक, वित्त मंत्री

20. श्री पी. मारा पांडियन, सचिव, कर

मध्य प्रदेश

21. श्री राघवजी, वित्त मंत्री

22. श्री अशोक दास, प्रधान सचिव, वित्त

मेघालय

23. श्री बी.के. देव वर्मा, प्रधान सचिव, वित्त

मणिपुर

24. श्री अजय एन. झा, प्रधान सचिव, वित्त

महाराष्ट्र

25. श्री जयंतराव पाटील, वित्त एवं आयोजना मंत्रालय

26. श्री सुनील सोनी, प्रधान सचिव, सुधार

मिजोरम

27. श्री जोरामथांगा, मुख्यमंत्री

28. श्री लालहुआप्जुआ, मुख्यमंत्री के सलाहकार

29. श्री लालथंसांगा, वित्त सचिव

नागालैंड

30. श्री नेड्फ्यू रिओ, मुख्यमंत्री

31. श्री लालथारा, अपर मुख्य सचिव

32. श्री आर.सी. अचारजी, सलाहकार, वित्त

उड़ीसा

33. श्री प्रफुल्ल चंद्र घदाई, वित्त मंत्री

34. श्री आर.एन. सेनापति, प्रधान सचिव, वित्त विभाग

पंजाब

35. श्री मनप्रीत सिंह बादल, वित्त मंत्री

36. श्री डी.एस. काल्हा, प्रधान सचिव, वित्त

37. श्री एस.एस. बरार, वित्त आयुक्त, टैक्सोन एवं सचिव

सिक्किम

38. श्री एच.बी. राय, अपर आयुक्त, वित्त विभाग

तमिलनाडु

39. श्री के. गनादेस्किन, प्रधान सचिव, वित्त विभाग

40. श्री राजीव रंजन, ओएसडी एवं सचिव, वाणिज्यिक कर एवं रजिस्ट्रार विभाग

त्रिपुरा

41. श्री बादल चौधरी, वित्त मंत्री

42. श्री आर.के. डे चौधरी, विशेष सचिव, वित्त

उत्तर प्रदेश

43. श्री लालजी वर्मा, संसदीय कार्य, वित्त, स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री

उत्तराखंड

44. डा. रमेश पोखरियाल निशंक, स्वास्थ्य मंत्री

45. श्री एल.एम. पंत, सचिव, वित्त विभाग

पश्चिम बंगाल

46. डा. असिम के. दासगुप्ता, वित्त मंत्री

47. श्री दिपांकरमुखोपाध्याय, प्रधान सचिव, वित्त विभाग

48. श्रीमती उज्जैनी दत्ता, ओएसडी

राजस्थान

49. श्री एस.एन. गुप्ता, अध्यक्ष, लोक शिकायत निवारण समिति

50. श्री विनोद पांडया, निदेशक, वित्त आयोग

51. श्री राजीव महर्षि, प्रधान आवासी आयुक्त

राज्य वित्त मंत्रियों की सचिवालय की अधिकारिता समिति

52. श्री सतीष चंद्र, सदस्य सचिव

53. श्री रमेश चंद्र, सलाहकार

तेरहवां वित्त आयोग

54. डा. विजय केलकर, अध्यक्ष

55. श्री बी.के. चतुर्वेदी

56. डा. इंदिरा राजारमन, सदस्य

57. प्रोफेसर अतुल शर्मा, सदस्य

58. डा. संजीव मिश्रा, सदस्य

59. श्री सुमित बोस, सचिव

60. श्री वी. भास्कर, संयुक्त सचिव

61. श्री बी.एस. भुल्लर, संयुक्त सचिव

62. डा. राथिन रॉय, आर्थिक सलाहकार

63. श्री एस.के. बंसल, निदेशक

64. श्री राजीव कुमार सेन, निदेशक

65. श्री संजीव जोशी, निदेशक

वित्त आयोग और योजना आयोग के बीच 23 अक्टूबर, 2009 को योजना भवन, नई दिल्ली में हुई बैठक

उपस्थित अधिकारियों की सूची
योजना आयोग

1. श्री एम.एस. अहलूवालिया,	उपाध्यक्ष
2. श्री वी. नारायणस्वामी,	राज्य मंत्री
3. श्री बी.के. चतुर्वेदी,	सदस्य
4. डा. (श्रीमती) सईदा सैईदन हमीद	
5. डा. सुमित्रा चौधरी,	सदस्य
6. डा. मिहिर शाह,	सदस्य
7. डा. कस्तूरीरंगन,	सदस्य
8. श्रीमती एस. भवानी,	वरिष्ठ सलाहकार (पीईओ/ पीसी)
9. श्रीमती सुनीता सांघी,	सलाहकार (पीसी)
10. डा. सी. चंद्रमोहन,	सलाहकार (शिक्षा)
11. श्री आर. श्रीधरन,	सलाहकार (एफआर)
12. श्री टी.के. पांडेय,	संयुक्त सचिव (प्रशासन)

तेरहवां वित्त आयोग

13. डा. विजय केलकर,	अध्यक्ष
14. श्री बी.के. चतुर्वेदी	
15. डा. इंदिरा राजारमन,	सदस्य
16. प्रोफेसर अतुल शर्मा,	सदस्य
17. डा. संजीव मिश्रा,	सदस्य
18. श्री सुमित बोस,	सचिव
19. श्री वी. भास्कर,	संयुक्त सचिव
20. श्री बी.एस. भुल्लर,	संयुक्त सचिव
21. डा. जी.आर. रेड्डी,	सलाहकार
22. श्री राजीव कुमार सेन,	निदेशक
23. श्री ऋतविक पांडेय,	उप सचिव

केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों के साथ हुई बैठकें

1. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	09-07-2008	16. रसायन और उर्वरक मंत्रालय	
2. जन जातीय कार्य मंत्रालय	25.7.2008	उर्वरक विभाग	25.11.2008
3. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		17. रेल मंत्रालय	27.11.2008
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	29.7.2008	18. शहरी विकास मंत्रालय	28.11.2008
4. पंचायती राज मंत्रालय	12.8.2008	19. खान मंत्रालय	16.01.2008
5. कृषि मंत्रालय		20. कोयला मंत्रालय	16.1.2009
कृषि और सहकारिता विभाग	19.8.2008	21. गृह मंत्रालय	12.3.2009
6. आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	26.8.2008	22. विद्युत मंत्रालय	26.3.2009
7. उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	3.9.2008	23. रक्षा मंत्रालय	27.3.2009
8. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	4.9.2008	24. मानव संसाधन विकास मंत्रालय	
9. जल संसाधन मंत्रालय	11.9.2008	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	15.4.2009
10. ग्रामीण विकास मंत्रालय		25. महिला और बाल विकास मंत्रालय	12.5.2009
पेयजल आपूर्ति विभाग	18.9.2008	26. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	
11. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	14.5.2009
दूर संचार विभाग	18.9.2008	27. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	19.5.2009
12. पर्यावरण और वन मंत्रालय	23.9.2008	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग	
13. ग्रामीण विकास मंत्रालय		28. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक	16.6.2009
ग्रामीण विकास विभाग	3.10.2008	29. कारपोरेट कार्य मंत्रालय	26.8.2009
भूमि संसाधन विभाग		30. वित्त मंत्रालय	18.9.2009
14. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	30.10.2008	31. योजना आयोग	23.10.2009
15. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय			
वाणिज्य विभाग	4.11.2008		

अनुबंध 2.27
(पैरा 2.25)

राज्यों का दौरा कार्यक्रम

क्र.स. राज्य का नाम	तारीख	मुख्यमंत्री के साथ बैठक	
	से	तक	
1. हिमाचल प्रदेश	6 जून 08	8 जून 08	6 जून 08
2. गोवा	27 जून 08	28 जून 08	27 जून 08
3. हरियाणा	17 जुलाई 08		17 जुलाई 08
4. झारखंड	29 सितम्बर 08	30 सितम्बर 08	29 सितम्बर 08
5. सिक्किम	10 नवम्बर 08	11 नवम्बर 08	10 नवम्बर 08
6. पश्चिम बंगाल	17 नवम्बर 08	18 नवम्बर 08	17 नवम्बर 08
7. पंजाब	4 दिसम्बर 08	5 दिसम्बर 08	4 दिसम्बर 08
8. बिहार	11 दिसम्बर 08	12 दिसम्बर 08	11 दिसम्बर 08
9. अरुणाचल प्रदेश	17 दिसम्बर 08	18 दिसम्बर 08	17 दिसम्बर 08
10. असम	18 दिसम्बर 08	19 दिसम्बर 08	18 दिसम्बर 08
11. कर्नाटक	9 जनवरी 08	11 जनवरी 08	9 जनवरी 08
12. नागालैण्ड	19 जनवरी 09	21 जनवरी 09	19 जनवरी 09
13. मणिपुर	21 जनवरी 09	23 जनवरी 09	22 जनवरी 09
14. उत्तराखण्ड	27 जनवरी 09	29 जनवरी 09	28 जनवरी 09
15. केरल	8 फरवरी 09	10 फरवरी 09	9 फरवरी 09
16. त्रिपुरा	13 फरवरी 09	14 फरवरी 09	14 फरवरी 09
17. महाराष्ट्र	20 फरवरी 09	21 फरवरी 09	20 फरवरी 09
18. उड़ीसा	25 फरवरी 09	27 फरवरी 09	26 फरवरी 09
19. मिजोरम	22 अप्रैल 09	24 अप्रैल 09	24 अप्रैल 09
20. मेघालय	25 अप्रैल 09	29 अप्रैल 09	27 अप्रैल 09
			(राज्य में राष्ट्रपति शासन होने के कारण, बैठक राज्यपाल के साथ हुई)
21. छत्तीसगढ़	21 मई 09	22 मई 09	21 मई 09
22. तमिलनाडु	4 जून 09	5 जून 09	4 जून 09
23. मध्य प्रदेश	8 जून 09	11 जून 09	8 जून 09
24. गुजरात	19 जून 09	20 जून 09	19 जून 09
25. राजस्थान	21 जून 09	23 जून 09	22 जून 09
26. जम्मू-कश्मीर	30 जून 09	4 जुलाई 09	30 जून 09
27. उत्तर प्रदेश	15 जुलाई 09	16 जुलाई 09	15 जुलाई 09
28. आंध्र प्रदेश	19 जुलाई 09	21 जुलाई 09	20 जुलाई 09

राज्यों के दौरों के समय तेरहवें वित्त आयोग की बैठकों में प्रतिभागी

1. आंध्र प्रदेश (19-21 जुलाई 2009)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1. डा. वाई एस राजशेखर रेड्डी,	मुख्यमंत्री	17. श्रीमती जानकी आर कोंडापी,	भा.प्र.से., विशेष मुख्य सचिव, ईएफएसएंडटी
2. श्री के रोसय्या,	मंत्री, वित्त, योजना लघु वचत, लाटरी और विधायी कार्य	18. श्री जी सुधीर,	भा. प्र.से. प्रधान सचिव, वित्त
3. श्री धर्मना प्रसाद राव,	मंत्री, राजस्व, राहत पुनर्वास, यूएलसी	19. श्रीमती राचेल चटर्जी,	भा. प्र.से. प्रधान सचिव, कृषि
4. श्री डी माणिक्य वारा प्रसाद राव,	मंत्री, सेकेन्ड्री शिक्षा, सरकारी परीक्षा आ. प्र. आवासीय शैक्षिक संस्था सोसाइटी, हैदराबाद	20. श्री टी चटर्जी,	भा. प्र.से. प्रधान सचिव, टी आर एण्ड बी
5. श्री गोडे वेंकटा रेड्डी,	मंत्री, विन्यास, स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन	21. श्री एस भाले राव,	भा. प्र.से. प्रधान सचिव, पब्लिक उद्यम
6. श्रीमती जे गीता रेड्डी,	मंत्री, आईएण्डपीआर, चलचित्रिकी, एफडीसी एण्ड पर्यटन, पुरातत्व व संग्रहालय	22. श्री के राजू,	भा. प्र.से. प्रधान सचिव, आर डी
7. श्रीमती डी के अरूणा,	मंत्री, लघु उद्योग, चीनी, खादी और ग्रामोद्योग, मुद्रण और लेखन सामग्री	23. श्री एस के जोशी,	भा. प्र.से. प्रधान सचिव, सिंचाई और कमान क्षेत्र विकास
8. श्री बी श्रीनिवास रेड्डी,	मंत्री, खान एवं भूविज्ञान, हथकरघा और वस्त्र, कताई मिल	24. श्री एस सी टक्कर,	भा. प्र.से. प्रधान सचिव, सिंचाई और कमान क्षेत्र विकास
9. श्री अनम राम नारायण रेड्डी,	मंत्री, नगरपालिका प्रशासन और शहरी विकास	25. श्री एम वी पी सी शास्त्री,	भा. प्र.से. प्रधान सचिव, पीआरएण्डआरडी
10. मो. अहमदुल्लाह सईद,	मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ, ऊर्दु अकादमी, प्राइमरी शिक्षा, सर्वशिक्षा अभियान, प्रौढ़ शिक्षा, आ. प्र. मुक्त स्कूल सोसाइटी, जवाहर लाल भवन, आ. प्र. महिला समता सोसाइटी, एसआईटी, पब्लिक पुस्तकालय, एससीआरईटी एवं आ. प्र. पाठ्यपुस्तक मुद्रणालय	26. श्री एल बी सुब्रमणियम,	भा. प्र.से. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा और परिवार कल्याण
11. श्री पोन्नला लक्ष्मय्या,	मंत्री, वृहत, और मध्यम सिंचाई, आं.प्र. जल संसाधन विकास निगम	27. श्री नागि रेड्डी,	भा. प्र.से. प्रधान सचिव, समाज कल्याण
12. श्री के परधा सारथि,	मंत्री, पशुपालन, डेयरी विकास, मत्स्यपालन और पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय	28. डा. ए विद्यासागर,	भा. प्र.से. प्रधान सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण
13. श्री डी ए सोम्यजुलू,	सलाहकार, आर्थिक कार्य और नीति क्रियान्वयन	29. श्री एम सैम्युल,	भा. प्र.से. प्रधान सचिव, आवास
14. श्री पी रमाकांत रेड्डी,	भा.प्र.से., मुख्य सचिव, विशेष मुख्य सचिव,	30. श्री ए मिश्रा,	भा. प्र.से. प्रधान सचिव, राजस्व
15. श्री ए के गोयल,	भा.प्र.से., विशेष मुख्य सचिव, ऊर्जा	31. श्रीमती के रतन प्रभा,	भा. प्र.से. प्रधान सचिव, परिवहन सड़क और भवन
16. श्री ए के गोयल,	भा. प्र. से., विशेष मुख्य सचिव, योजना	32. श्री ए के टिगडी,	भा. प्र.से. प्रधान सचिव, जन जातीय कल्याण
		33. श्री दिनेश कुमार,	भा. प्र.से. आयुक्त प्रबन्ध एवं स्था. अधि. प्रधान सचिव राजस्व (डीएम)
		34. डा. मनमोहन सिंह,	भा. प्र.से. सचिव, अवसरंचना व निवेश
		35. श्री पुष्पा सुब्रमणियम,	भा. प्र.से. सचिव, एमएएण्ड शहरी विकास
		36. श्री वसुधा, मिश्रा,	भा. प्र.से. सचिव, (आई एफ), वित्त
		37. श्री टी सत्यनारायण राव,	भा. प्र.से. सचिव, (आरएण्डई), वित्त
		38. श्री एस एस रावत.	भा. प्र.से. सचिव, (एफपी), वित्त
		39. श्री एसई शेखर बाबू,	भा. प्र.से. सचिव, (डब्ल्यू एंड पी), वित्त
		40. श्री जयेश रंजन,	भा. प्र.से. सचिव, पर्यटन
		41. श्री के सी शर्मा,	भा. प्र.से. सचिव, प्राइमरी शिक्षा और सर्व शिक्षा अभियान

42. श्री के डी आर जय कुमार,	आईएफएस, विशेष सचिव, ईएफएसएंडटी	72. श्री मुरलीकृष्ण राव,	निदेशक, भूमिगत जल
43. श्रीमती आर शोभा,	आईएफएस, विशेष सचिव, आं.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	73. श्रीमती बी. संध्या	निदेशक, आयोजना
44. श्री के. चन्द्रमोली,	भा. प्र.से.आयुक्त, पी आर एण्ड आर डी	74. श्री डी रुशेन्द्र नाथ,	अपर निदेशक, कृषि
45. श्री संजय जाजू,	भा. प्र.से.आयुक्त, सिविल आपूर्ति और स्था. अधि. सचिव, खाद्य, सीएएण्डसीएस	75. श्री के.एस.आर.सी. मूर्ति	संयुक्त निदेशक, पीपीपी सेल, वित्त (पीएमयू)
46. श्री ए के राव,	भा. प्र.से.आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण	76. श्रीमती के. विजयलक्ष्मी	सीएओ, कृषि
47. श्री एन शिवाशंकर,	भा. प्र.से.आयुक्त, सर्वेक्षण, वंदोबस्त और भूमि अभिलेख	77. श्री के. राजशेखर राव,	मुख्य लेखाधिकारी आयुक्त कार्यालय, पीआर एंड आरई
48. श्री एन के प्रसाद	भा. प्र.से.आयुक्त, मत्स्य पालन	78. श्री सी.वी. राव,	उपायुक्त, सीपीआर एंड आरई कार्यालय
49. श्री सुनील शर्मा,	भा. प्र.से.आयुक्त, कृषि	79. श्री वी.ए. प्रभाकर ,	सलाहकार, लोक उपक्रम
50. श्री सी शिव शंकर रेड्डी,	आईएफएस, प्रधान मुख्य वन संरक्षक	80. श्री डी. सलेम राजू,	पीपीपी एक्सपर्ट, एशियाई विकास बैंक
51. डा. जी रामस्वरूप,	प्रभारी आयुक्त, आं. प्र.विद्या विधान परिषद	81. श्री वी. अनिल कुमार	प्रोजेक्ट निदेशक, भू-भारती
52. श्री एम वी लक्ष्मण राव,	विशेष आयुक्त एसडीएमए राजस्व (डी एम)	82. श्री जी.सी.एस. रेड्डी	एसपीडी एपीआईएलआईपी
53. श्री संजय गुप्ता,	विशेष आयुक्त, सिंचाई एवं कमान क्षेत्र विकास	83. श्री पौल एसए (राज्य),	एपीएसआरटीसी
54. श्री जी रवि बाबू,	अपर आयुक्त (डी एम), राजस्व	84. श्री ए. राधा कृष्ण,	उप ईई, आयुक्त कार्यालय, आई एंड सीएडी
55. श्री बी रमेश बाबू,	अपर आयुक्त(वित्त), जीएचएमसी	85. श्री डी. रामकृष्ण,	परामर्शदाता, एपीएआरडी
56. श्री एम प्रताप,	आईपीएस-मुख्यमंत्री के अपर सचिव	86. श्री के. सुरेश कुमार,	मुख्य अभियंता, पीएचईडी
57. श्री वी बी रमन्ना मूर्ति,	सदस्य सचिव, आं. प्र. जैव बोर्ड	87. श्री बी. चन्द्रशेखर,	मुख्य अभियंता, पीएचईडी
58. श्री के मधुसूदन राव,	आईएएस, सदस्य सचिव, आ. प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	88. श्री के. वेंकट रामी रेड्डी,	अपर निदेशक
59. श्री के विजयानन्द,	आईएएस, प्रबंध निदेशक, आ. प्र.जी ईएनसीओ	89. श्री एम. प्रसाद राव	शहरी निकाय विशेषज्ञ, एपीडब्ल्यूएफआईडीसी एमए एंड यूडी अपर निदेशक
60. डा. श्रीनिवास राव,	आयुक्त, परिवार कल्याण का कार्यालय	90. श्री के.शिव प्रसाद,	
61. श्री आर सुब्रामणियम,	आईएएस. प्रबन्ध निदेशक, आं. प्र. राज्य आवास निगम		
62. श्री के श्रीनिवास राव,	मुख्य इंजीनियर, (वाणिज्यिक), एपीजीईएनसीओ	स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि	
63. श्री पी सुब्रामणयम शास्त्री,	मुख्य इंजीनियर, (पीआर)	1. श्री के. साम श्री रेड्डी,	सरपंच, अनंतपुर ग्रामीण, अनंतपुर
64. श्री बी शाम बाबू,	इंजीनियर प्रभारी, जी आर	2. श्री जी. श्रीनिवास राव,	सरपंच, वाकालपुडी, काकीनाडा मंडल, पूर्वी गोदावरी
65. श्री दिनेश रेड्डी,	आईपीएस, उपाध्यक्ष एवं प्रब. निदे. आं. प्र. राज्य सड़क परि. निगम	3. श्रीमती के.शोभारानी	अध्यक्ष, तूनी
66. डा. ज्योति बुद्ध प्रकाश	आईएएस, उपाध्यक्ष एवं प्र.नि.आ.प्र. बीज विकास निगम	4. श्रीमती के. सरोजा,	मेयर, केकेडी
67. श्री के वी रेड्डी, आरएएस,	उपाध्यक्ष एवं प्रब. निदे. आईएनसी सभी और निदेशक (पत्तन)	5. श्री आर. कृष्ण राव,	अध्यक्ष, मान्चेरियल
68. प्रोफेसर पी. चेन्ना रेड्डी	निदेशक, आर्कियोलॉजी एवं म्यूजियम	6. श्री डी. वीरभद्रैया,	अध्यक्ष, रायचोटी, कडप्पा
69. श्री पी. प्रकाशन,	निदेशक, अर्थास्त्र एवं सांख्यिकी	7. श्री पी. जनार्दन राव,	मेयर, विशाखापट्टनम, जीवीएमसी
70. श्री एन.सी.नागार्जुन रेड्डी,	निदेशक, ट्रेजरी एवं लेखा	8. श्री रायपति मोहन साई कृष्णा,	मेयर, गुंतूर
71. डा. वी. दसरथ रामी रेड्डी,	निदेशक, स्वास्थ्य	9. श्रीमती एन. भानुश्री,	मेयर, नेल्लोर
		10. श्री टी. भीमांकर राव,	अध्यक्ष, थडेपल्लीगुडम
		11. श्रीमती समीना एप्रोज,	अध्यक्ष, खम्माम, नगर निगम
		12. श्री ए. रघु रामी रेड्डी,	मेयर, कर्नूल
		13. मोहम्मद ओबेदुल्ला कोथवाल,	अध्यक्ष, महबूब नगर
		14. श्री जी. उपेन्द्र रेड्डी,	अध्यक्ष, रायदुर्ग
		15. श्री पी. वेंकट नारयण गौड़,	अध्यक्ष, नालगोंडा
		व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधि	
		1. श्री डी. मुरलीधर रेड्डी ,	कार्यकारी निदेशक, एपीआईआईसी
		2. श्री एम. श्रीराम मूर्ति,	सदस्य एमसी एवं अध्यक्ष-उद्योग विकास समिति, एफएपीसीसीआई सचिव, एफपीएसआईए
		3. डा. वी.एच. राव,	

4. श्री एम वी राजशेखर राव.	महासचिव, एफएपीसीसीआई	3. श्री सेतोंग सेरा,	अध्यक्ष
5. श्री वाई हरीश चन्द्र प्रसाद,	अध्यक्ष, सीआईआई-एपीएन	4. श्री नाबूम तुकी	पीडब्ल्यूडी, मंत्री
6. श्रीमती के रमादेवी	अध्यक्ष, एएलईएपी	5. श्री तांगा ब्यालिंग	एडब्ल्यू, मंत्री
7. श्री एस सुब्बा राव,	प्रबंध समिति सदस्य, एफएपीसीसीआई	6. श्री चोवना मेन आर डी	मंत्री
8. श्री के हरी चंद्र प्रसाद,	अध्यक्ष, एफएपीसीसीआई	7. श्री तातार किपा,	शिक्षा, मंत्री
9. श्री थुरुमाली,	पूर्व अध्यक्ष, एफएपीसीसीआई	8. श्री लोम्बो तेइंग	पीएचईडी, मंत्री
10. सुश्री एम श्री साई लीला,	खजांची, पीएफसीसीटी	9. श्री टी धोंधुप,	संसदीय सचिव, आयोजना
11. श्री एम रवीन्द्र विक्रम	सीसीआई, कन्चेनर	10. श्री के वई	संसदीय सचिव, पर्यटन
12. सुश्री ज्योति	उपाध्यक्ष, एएलईएपी	11. श्री नरेश ग्लो	अध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश उर्जा
13. श्री वी वी सन्यासी राव	प्रबंध समिति सदस्य, एफएपीसीसीआई	12. श्री पदी रिको	विकास बोर्ड
14. श्री राजेन्द्र कुमार बिली	फिक्की के हेड एंड समन्वयक	13. श्री टी बाम	अध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश भवन एवं
15. श्री बी श्रीधर	कार्यकारी अधिकारी, सीआईआई	14. श्री एच के पालीवाल	अन्य निर्माण कल्याण बोर्ड
16. श्री एम आर विक्रम,	कन्चेनर, सीआईआई-एपी वित्त और	15. श्री ओटेम दई	मुख्य सचिव
	कराधान	16. श्री ताजोम तालोह	प्रधान सचिव, ऊर्जा
17. श्री पी वी रमेश	आयुक्त, उद्योग एवं निर्यात संवर्धन	17. श्री अंशु प्रकाश	पीडब्ल्यूडी, आयुक्त
18. श्री ए वय कुमार	अध्यक्ष, एफएपीएमआईए	18. श्री के डी सिंह	गृह आयुक्त
राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि		19. श्री अनुग प्रेम	स्वास्थ्य, पीआर एवं फसल आयुक्त
1. श्री आर पद्म राजू,	एमएलसी, महासचिव, आईएनसी	20. श्री वाई त्सेरिंग	मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव
2. श्री जी मुद्दू कृष्णमा नायडू,	टीडीपी, एमएलए, टीडीएलपी के		सीई (पी), ईईजेड
	डिप्टी लीडर		सीएंडएसवित्त, जीएंडएम एवं
3. श्री वाई राम कृष्णुडु	टीडीपी, पूर्व वित्त मंत्री		आयोजना
4. श्री जी किशन रेड्डी	बीजेपी, एमएलए, बीजेपी के सशक्त नेता	21. श्री हेज कोजेम	सचिव, एफएंडसीएस/एसएंडटी
5. श्री बंडारू दत्तात्रेय,	बीजेपी, राज्य अध्यक्ष	22. सुश्री बंधना देवोरी	सचिव, आवास व शहरी विकास
6. डा. के लक्ष्मन	बीजेपी, राज्य महासचिव	23. श्री ए बी शुक्ला	सचिव, कार्मिक एवं कानून
7. श्री कार्तिक चन्द्र	लोकसत्ता पार्टी के प्रवक्ता	24. श्री डी एस पंडित	सचिव, कृषि एस एंड टी, आईटी
8. श्री वाई वी राव	सीपीआई(एम), राज्य सचिवालय	25. श्री एम पेरतिन	आयुक्त, टी एंड सी
	के सदस्य	26. श्री हेज खोड़ा,	शिक्षा, आयुक्त
9. श्री वी चन्द्र रेड्डी,	सीपीआई(एम), राज्य समिति	27. श्री डी वी नेगी	पीसीसीएफ एवं प्रधान सचिव, ईएंड एफ
	के सदस्य	28. श्री वाई डी थोंगची	आयुक्त, टीपीटी, सीयूआई कार्य
10. श्री चन्द वेंकट रेड्डी	सीपीआई, राज्य सचिवालय	29. श्री दीपक मिश्रा	आईजीपी
	के सदस्य	30. श्री प्रशांत लोखांडे	आईएएस, सचिव योजना
11. श्री जी मालेश	सीपीआई, एमएलए, सीपीआई के	31. श्री बी पेरतिन	सचिव, आईपीआर एवं खेल
	सशक्त नेता, एपी सभा	32. श्री अमित सिंगला	संयुक्त सचिव, वित्त
12. श्री के रामाकृष्णय्या	सीपीआई, राज्य सचिवालय के सदस्य	33. श्रीमती पद्मिनी सिंगला	डी सी, कैपटिल कांफ्लेक्स
13. श्री सी रामचन्द्रैय्या,	पीआरपी, सदस्य (पीएसी)	34. श्री बी सिराम	निदेशक, सिविल आपूर्ति
14. श्री ए राजकुमार	पीआरपी, उपाध्यक्ष मीडिया संबंध	35. श्री एस सिंह	निदेशक, टाउन प्लानिंगट
15. श्री बी कमलाकर राव	पूर्व एमएलसी, सरकारी प्रवक्ता,	36. श्री मिल्लो बीदा	निदेशक, पीएलजी
	एपीसीसी	37. श्री ताबा तेदिर	संयुक्त निदेशक, यूडीएंड एच
16. मोहम्मद विरासत रसूल खान	एआईएमआईएम, एमएलए,	38. श्री टोमी एते	सीई (डीएंडपी) पीडब्ल्यू
	नामपल्ली	39. श्री तेग मोडा	निदेशक, मात्सियकी
17. श्री मोहम्मद मोअज्जम खान,	एआईएमआईएम, एमएलए,	40. श्री लोमदक तागो	निदेशक, बागवानी
	बहादुरपुरा	41. श्री दुयु पुसंग	निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी
18. श्री सईद अहमद पासा कादरी	एआईएमआईएम, एमएलए,	42. डा. एस बी बिस्वास	आरओ
	चारमीनार, महासचिव,	43. श्री एन पर्यंग	डीआईजी, मुख्यालय
	एआईएमआईएम,	44. श्री सी एम मोंग म्वा	निदेशक, लेखा एवं ट्रेजरी
		45. श्री एम बागरा	निदेशक, कला एवं संस्कृति
		46. श्री खोड़ा रूजा	निदेशक, वस्त्र, हैंडलूम एवं
			हैंडीक्राफ्ट

2. अरुणाचल प्रदेश (15-17 दिसंबर 2008)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1. श्री दोरजी खान्दू	मुख्यमंत्री
2. श्री कालीखो पुल	वित्त मंत्री

47. श्री बी गदी,	डीपीए	3. श्री सुखविन्दर सिंह	निदेशक, टाउन प्लानिंग
48. श्री राकेश कुमार,	ईईआर्थिक, सीईडीएचपीडी का कार्यालय	4. श्री बी. गदी	निदेशक
49. श्री राजेन्द्र सिंह	उपनिदेशक, एपीईडीए	5. श्री सेपी पासंग	जेडपी (पूर्वी कामेंग)
50. श्री जे रत्न	संयुक्त निदेशक, बागवानी	6. श्री चिलिको मेटो	अध्यक्ष, जिला परिषद, निचली दिबाग घाटी
51. श्री ए के पुरकायस्थ	उप निदेशक, कृषि	7. श्री बुग्लेकम तेगा,	जेडपीसी, अंजाव
52. श्री डी टामू	संयुक्त निदेशक, एएचवी	8. श्रीमती जुनपो जुगली,	जेडपीसी, चिंग
53. श्री जे पादु,	संयुक्त निदेशक, कृषि	9. श्रीमती त्सेरिंग लामू,	खजांची, तवांग
54. श्री तसेर टालर	निदेशक (जी)	10. श्री दुन्गोली लिबांग,	जेपीसी, चिंग किऑंग
55. श्री पाणिनी गोमोद	(एफएंडएडी (आरडी)	11. श्री लिचा बीरबल ,	एसीपी, याजाली जिला
56. श्री ई नांगकर	निदेशक, भूमि प्रबन्ध	12. श्रीमती लार्ड रिनिया,	एसीपी, निचली सुबंसिंग
57. श्री सी एल तुंगखंग	निदेशक, राज्य योजना	13. श्रीमती तबा रेमत	जीडीपीसी, जीरो
58. श्री टोकोंग पेरतिन	निदेशक, टीसी	14. श्री कुरु तागो	एसीपी, जीरो-आई ब्लालाक
59. श्री वी पी पठानिया	सहायक निदेशक, टीएंडएच	15. श्रीमती यायी दिओन,	सीपी, सिआंग
60. श्री जैकोब लेगो	(एफएंडएओ) सचिवालय सभा	16. श्रीमती लिहबा तोंग्रेम,	सीपी, निचली सुबंसिरी
61. श्री सुबु ताबिन	संयुक्त निदेशक	17. श्रीमती त्सेरिंग लामा,	अध्यक्ष, जिला परिषद, तवांग
62. डा. ताजुम बसर	डीएचएस	18. श्री फुरपा त्सेरिंग,	अध्यक्ष, जिला परिषद, बोमडिला
63. श्री ए के सिंह	निदेशक, पर्यटन	19. श्री सेपी बगांग	अध्यक्ष, जिला परिषद, सेप्पा
64. श्री एम तायेंग	संयुक्त सचिव, गृह	20. श्री नबाम आका,	अध्यक्ष, जिला परिषद, पापुम्पारे
65. श्री टी टी गामदिक	डीएसटी/सीए	21. श्री नबाम तारक,	एससी, पापुम्पारे
66. श्री टी वेल्ली	सीई, आरडब्ल्यूडाड	22. श्री नबाम तानिया,	जीपीसी, पापुम्पारे
67. श्री के.सी. धिमोले,	सीईओ, एआरआरडी एवं आरडब्ल्यूडी	23. श्री नबाम सुकिया,	जेडपीएम, पापुम्पारे
68. श्री लिपे एते	सीई, जल विद्युत	24. श्री तजन पारियो,	अध्यक्ष, जिला परिषद, कुरंग कुमे
69. श्री बी.पी. सिंह,	सीई, विद्युत	25. श्री नाकप नालो,	अध्यक्ष, जिला परिषद, डापोरिजो
70. श्री जे. तातो,	एसएसडब्ल्यू (पी)	26. श्री लिखा तोंगुम,	अध्यक्ष, जिला परिषद, जीरो
71. श्रीमती ममता रिबा,	सचिव, एपीएस सीडब्ल्यू	27. श्री जारसा गामिलिन,	अध्यक्ष, जिला परिषद, आलो
72. प्रोफेसर एस.के. नायक	अर्थशास्त्र विभाग, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, इटानगर	28. श्रीमती ययी देवी,	अध्यक्ष, जिला परिषद, पासीघाट
73. श्री जे.के. भट्टाचार्य,	एफएओ, लेखा निदेशक	29. श्री दुंगोली लिबांग,	अध्यक्ष, जिला परिषद, चिंगकिऑंग
74. श्री एस. भौमिक,	एफएओ, जीएमएसटीएस	30. श्री रोंगनाई मनहाम,	अध्यक्ष, जिला परिषद, खोंसा
75. श्री बी. भट्टाचार्य,	एफएओ	31. श्री चिलिको मेटो,	अध्यक्ष, जिला परिषद, रोइंग
76. श्री पी. ऐच	यूएस (बीटी)	32. श्री बेग्लेलुम तेगा,	अध्यक्ष, जिला परिषद, अंजाव
77. श्री सुरेश कुमार	टी.पीएओ	राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि	
78. श्री आसिम गुप्ता चौधरी	रिपोर्टर, एलए	1. श्री तारक नाचुंग	महासचिव, एसीसीआई
79. श्री ग्याती ताजिया	आरओ	2. श्री डोमिन लोया,	महासचिव, एसीसीआई
80. श्री के.आर. रमेश कुमार,	एसओ	3. श्री बी.के. घोष,	दस्तीदार एसीसीआई
81. श्री आरिफ रसूल	एसपीए	4. श्री विजय दास,	एसीसीआई
82. श्री एन. खम्बो	एसआरए	5. श्री टोनी कोयू	एमडी, एपीआईडीएफसी
83. श्री अमोदरा दास,	एसपीए	6. श्री मकबूल पेरतिन,	आयुक्त, उद्योग
84. श्री एच खोड़ा	बीओ, वित्त	7. श्री सुबु ताबिन	संयुक्त निदेशक, उद्योग
85. श्री तागे तादो	यूएस, एफसी	8. श्री राजेश रिनवा,	संयुक्त सचिव, एसीसीआई
86. श्री गोस्सो योन्गाम,	यूएस, वित्त	9. श्री अजय अग्रवाल,	सदस्य, एसीसीआई
		10. श्री विनोद राठी,	सदस्य, एसीसीआई
स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि		11. श्री सत्यनारायण राठी,	एसीसीआई
1. श्रीमती पद्मिनी सिंगला,	आईएएस,अध्यक्ष, डीयूडीए, इटानगर	12. श्री लाला टिची,	एसीसीआई
2. श्री तालो पोतोम	एम/सचिव, डीयूडीए, जीरो		

व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधि

1. श्री तारक नाचुंग तेरिआंग, महासचिव, अरुणाचल चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री
2. श्री लाल तेची, अध्यक्ष, अरुणाचल चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री
3. श्री बी.से. घोष दस्तीदार अरुणाचल चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री
4. श्री विजय व्यास, अरुणाचल चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री
5. श्री अजय अग्रवाल, सदस्य, एसीसीआई
6. श्री विनोद राठी, सदस्य, एसीसीआई
7. श्री टोनी कायू, एमडी, एपीआईडीएफसी
8. श्री मकबूल पेरतिन, आयुक्त, उद्योग
9. श्री साबू ताबिन, संयुक्त निदेशक, उद्योग
10. श्री राजेश रिनवर, संयुक्त सचिव, एजीसीआई

3. असम (18-19 दिसंबर 2008)**राज्य सरकार के प्रतिनिधि**

1. श्री तरुन गोगोई, मुख्यमंत्री
2. डा. भूमिधर बर्मन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री
3. श्री प्रणब गोगोई, हैंडलूम, वस्त्र एवं रेशम मंत्री
4. श्री भारत चन्द्र नराह, सहयोग, संस्कृति कार्य मंत्री
5. श्री प्रद्युत बोरडोली, उद्योग एवं वाणिज्य, ऊर्जा मंत्री
6. श्री अकोन बोरा, सामाजिक कल्याण, जेल मंत्री
7. श्री पृथिवी माझी, जल संसाधन, श्रम एवं रोजगार मंत्री
8. श्री गौतम राय, उत्पाद शुल्क एवं सीमा क्षेत्र मंत्री
9. श्रीमती अजन्ता नेओग, लोक कार्य मंत्री
10. श्रीमती परमिला रानी ब्रह्मा, कृषि, पीटी एंड बीसी कल्याण मंत्री
11. श्री नूरजमल सरकार, सिंचाई, मृदा समर्थन एवं मात्स्यिकी मंत्री
12. श्री अजीत सिंह, संसदीय सचिव
13. श्री पी.सी. शर्मा, आईएएस मुख्य सचिव, असम
14. श्री सी.के. दास, आईएएस अध्यक्ष, एएसईबी
15. श्रीमती पारुल देवी दास, आईएएस, अपर मुख्य सचिव, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई
16. श्री पी.पी. वर्मा, आईएएस, अपर मुख्य सचिव, पी एंड डी
17. श्री एच.एस. दास, आईएएस, प्रधान सचिव, वित्त एवं पर्यटन
18. श्री एच.एम. कैरे, आईएएस प्रधान सचिव, लोक उपक्रम
19. श्रीमती इमली दास चौधरी, आईएएस, प्रधान सचिव, मृदा समर्थन
20. श्री वी.के. पिपेरसेनिया, आईएएस प्रधान सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन एवं सहयोग
21. श्री बी. मुशहरी, आईएएस प्रधान सचिव, उत्पाद शुल्क, एच एंड टी

22. श्री एस.सी. दास, आईएएस प्रधान सचिव, गृह एवं राजनीतिक
23. श्री एच. सोनोवाल, आईएएस, प्रधान सचिव, सामाजिक कल्याण
24. श्रीमती टी.वाई. दास, आईएएस, प्रधान सचिव, सीएम सचिवालय
25. श्री अरुन कुमार, आईएएस, प्रधान सचिव, पी एंड आर
26. श्री जे.पी. मीना, आईएएस, प्रधान सचिव, कृषि एवं डब्ल्यूपीटी एंड बीसी
27. श्री प्रेम सरन, आईएएस, पर्वतीय क्षेत्र विकास आयुक्त
28. श्री एस.एल. मेवाड़, आईएएस आयुक्त एवं सचिव, एएच एवं वेट.
29. श्री देविन्दर कुमार, आईएएस आयुक्त एवं सचिव, पी एंड आरडी
30. श्री राजीव बोरा, आईएएस आयुक्त एवं सचिव, गृह एवं राजनीतिक
31. श्री वी.एस. भास्कार, आईएएस आयुक्त एवं सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
32. श्री रवि कपूर, आईएएस आयुक्त एवं सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य
33. श्री बीरभद्र हाजिर, आईएएस आयुक्त एवं सचिव, पर्यावरण एवं वन
34. श्री एल.एन तमूली, आईएएस, आयुक्त एवं सचिव, एचटी एंड एस
35. श्री पी.के. बारठाकुर, आईएएस आयुक्त एवं सचिव, एसएडी
36. श्री के.के. मित्तल, आईएएस आयुक्त एवं सचिव, श्रम एवं रोजगार
38. श्री शांतनु गोटमारे, आईएएस, मुख्य सचिव के एसओ
39. श्री एम.सी. बोरो, आईएएस आयुक्त एवं सचिव, लोक निर्माण विभाग
40. श्री बीरेन दत्त, आईएएस आयुक्त एवं सचिव, शिक्षा (प्राथमिक), यूडीडी
41. श्री ए.के. मित्रा, सदस्य, असम प्रशासनिक ट्राइब्युनल
42. श्री एम. अग्रवाल, आईपीएस उप पुलिस महानिरीक्षक (मेट्रो)
43. श्री संजय लोहिया, आईएएस कर आयुक्त
44. श्री आर.के. दास, आईएएस सचिव, सांस्कृतिक कार्य
45. श्री जय चन्द्र गोस्वामी, आईएएस सचिव, स्वास्थ्य
46. डा. ए.के. भूटानी, आईएएस सचिव, वित्त, गुवाहाटी विकास
47. श्री आर.सी. जोशी, आईएएस, सचिव, वित्त
48. श्री आर.आर. हजारिका, सचिव, वित्त (आर्थिक कार्य)
49. श्री जे. चौधरी, संयुक्त निदेशक, वित्त (आर्थिक कार्य)
50. श्री एस. बर्मा, अपर सचिव, सांस्कृतिक कार्य

11. श्री हेमंत सैकिया संगठन सचिव, अखिल भारतीय लघु चाय उत्पादक संगठन
12. श्री धीरज काकती सचिव, असम शाखा भारतीय चाय संगठन

26. श्री राजेश भूषण
27. श्री सुनील बरतवाल
28. श्री प्रत्यय अमृत
29. श्री अरुनीष चावला

निदेशक, बिहार शिक्षा प्रोजेक्ट अपर वित्त आयुक्त (संसाधन), वित्त सचिव, आपदा प्रबंधन अपर वित्त आयुक्त (व्यय), वित्त

राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि

1. श्री सी.एम पतूरी एजीपी
2. श्री पी.बी. चौधरी एजीपी
3. श्री बी. भरल एजीपी
4. श्री डी. बशाताही एजीपी
5. श्री उद्धव बर्मन सचिव, (सीपीआई (एम)
6. श्री अजित दास सचिव, सदस्य, सीपीआई (एम)
7. श्री भोगेवर दत्त, अपर सचिव, सीपीआई
8. श्री दम्बारू बर्मन, राज्य कार्यकारी सदस्य, सीपीआई
9. श्री चरन डेका बीजेपी
10. श्री बारकी प्रसाद बीजेपी
11. कैप्टन बोरदोलोई आईएनसी

स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1. श्रीमती किरन देवी अध्यक्ष, जेडपी, मुजफ्फरपुर
2. श्रीमती वीना देवी उपाध्यक्ष, जेडपी, मुजफ्फरपुर
3. श्रीमती प्रेरणा नाथ प्रमुख, मुशायरी ब्लाक, पीएस, मुजफ्फरपुर
4. श्रीमती इंदू देवी प्रमुख, मसूरी ब्लाक, पीएस, मुजफ्फरपुर
5. श्री शैलेन्द्र कुंमार, मुख्य, कुरकुरी ग्राम पंचायत, फुलवारी शरीफ ब्लाक, पटना
6. श्री अमर सिंह मुख्य मधोरी ग्राम पंचायत, पटना
7. श्री त्रिलोकी प्रसाद मुख्य मधोरी ग्राम पंचायत, मानेर ब्लाक, पटना
8. श्री दिनेश प्रसाद मेयर, बिहार शरीफ नगर निगम, बिहार शरीफ
9. श्रीमती रश्मि वर्मा अध्यक्ष, नरकटिया नगर परिषद, बेतिया
10. श्री अमर सिंह देव अध्यक्ष, भभुआ नगर परिषद
11. श्रीमती रमा निषाद अध्यक्ष, मुरलीगंज नगर परिषद, मधेपुरा
12. श्री सुनील कुमार सुरेका अध्यक्ष, डालसिंह सराय नगर परिषद, समस्तीपुर
13. श्री पवन कुमार अग्रवाल अध्यक्ष, बहादुर गंज नगर परिषद, किशनगंज
14. श्री धमेन्द्र मुख्य, पटना सदर

4. बिहार (11-12 दिसंबर 2008)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1. श्री नितीष कुमार, मुख्य मंत्री
2. श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्य मंत्री
3. श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, जल संसाधन मंत्री
4. श्री आर.जे.एम. पिल्लई मुख्य सचिव
5. श्री एस. विजयराघव विकास आयुक्त
6. श्री अनूप मुखर्जी प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास
7. श्री आर.के. सिंह प्रधान सचिव, सड़क निर्माण
8. श्री नवीन कुमार प्रधान सचिव, वित्त
9. श्री के.सी. साहा प्रधान सचिव, पंचायती राज
10. श्री ए.के.सिन्हा प्रधान सचिव, उद्योग
11. श्री अजय कुमार प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य
12. श्री एस. मजुमदार प्रधान सचिव, वाणिज्यिक कर
13. श्री अफजल अमानुल्ला प्रधान सचिव, गृह
14. श्री बी.पी.शर्मा, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, शहरी विकास एवं गृह निर्माण
15. श्री अंजनि कुमार सिंह प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास
16. श्री विजय प्रकाश, समाज कल्याण
17. श्रीमती रश्मि वर्मा, प्रधान सचिव, पर्यटन
18. श्री व्यासजी प्रधान सचिव, श्रम संसाधन
19. श्री राजेश गुप्ता, प्रधान सचिव, ऊर्जा
20. श्री सी.के. मिश्रा प्रधान सचिव, सूचना तकनीकी
21. श्री रामेवर सिंह, प्रधान सचिव, आयोजना एवं विकास
22. श्री अजय, वी. नायक सचिव, जल संसाधन
23. श्री शशि शेखर शर्मा सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी
24. श्री अरुण कुमार सिंह सचिव, भवन निर्माण
25. श्री आमिर सुभानी सचिव, पंजीयन एवं उत्पाद शुल्क

9. श्रीमती रश्मि वर्मा

10. श्री अमर सिंह देव
11. श्रीमती रमा निषाद

12. श्री सुनील कुमार सुरेका

13. श्री पवन कुमार अग्रवाल

14. श्री धमेन्द्र

व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधि

1. श्री के.पी. झुनझुनवाला अध्यक्ष, बिहार उद्योग संगठन
2. श्री एस.के. पटवारी बिहार उद्योग संगठन
3. श्री के.पी. शाह अध्यक्ष, चैम्बर आफ कामर्स
4. श्री संजीव कुमार चौधरी चैम्बर आफ कामर्स
5. श्री सत्यजीत कुमार अध्यक्ष, भारतीय उद्योग परिसंघ
6. श्री राग करन दफतरी सचिव, चाय रोपण सोसायटी
7. श्री सुनील कुमार सिंह सासाराम इंडस्ट्रीज
8. श्री के.पी. ठाकुर भागलपुर इंडस्ट्रीज
9. श्री अश्विनी झुनझुनवाला, मुख्य महाप्रबंधक, मेसर्स हरी नगर सूगर मिल्स लिमिटेड
10. श्री एस.एन. पोद्दार अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती, पटना
11. डा. मनमोहन सिंह अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती, पटना
12. श्री सुनील सिंह उपाध्यक्ष, बिहार उद्योग संगठन
13. श्री राम लाल खेतान महासचिव, बिहार उद्योग संगठन
14. श्री वाई.एन सिंह लघु उद्योग बोर्ड
15. प्रोफेसर एस.एन. आसिफ, उपाध्यक्ष, बिहार उद्योग संगठन

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1. श्री अशोक कुमार गुप्ता, महासचिव, समाजवादी पार्टी
2. श्री यू एन मिश्रा, सचिव सदस्य सीपीआई
3. श्री एम जब्बार आलम, सदस्य राज्य सचिवालय, सीपीआई
4. श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, राज्य अध्यक्ष, राजद
5. श्री सुशील कुमार मोदी, भाजपा
6. श्री राधा मोहन सिंह, भाजपा
7. श्री राजीव रंजन सिंह, जनता पार्टी (यू)
8. श्री उपेन्द्र कुशवाहा, एनसीपी
9. श्री अनिल शर्मा, अध्यक्ष, बीपीसीसी
10. डा. समीर कुमार सिंह, बीपीसीसी
11. श्री राम देव वर्मा, सीपीआई (एम)
12. श्री मृत्युञ्जय कुमार, एनसीपी
13. श्री विनोद नारायण झा, भाजपा
14. डा. सूरज नंदन मेहता, भाजपा
15. श्री शकील अहमद खान, राजप
16. श्री बी एस कुशवाहा, बीएसपी

5. छत्तीसगढ़ (21-22 मई 2009)**राज्य सरकार के प्रतिनिधि**

1. राज्य सरकार के प्रतिनिधि
1. डा. रमण सिंह- मुख्यमंत्री
2. श्री नान किराम कंवर, मंत्री, गृह, जेल, सह-कारिता
3. श्री बृज मोहन अग्रवाल, मंत्री, स्कूली शिक्षा, संस्कृति, संसदीय कार्य पर्यटन व लोक निर्माण विभाग
4. श्री रामविचार नेताम, मंत्री, पंचायत और ग्रामीण विकास, कानून
5. श्री चन्द्रशेखर साहु, मंत्री, कृषि, पशु पालन, मत्स्य पालन श्रम विभाग
6. श्री अमर अग्रवाल, मंत्री, लोक स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राजस्व, आपदा प्रबंध
7. श्री विक्रम सेन्दी, मंत्री, वन, लोक उद्यम, लोक शिकायत
8. श्री राजेश मुनाल, मंत्री, परिवहन, भवन एवं पर्यावरण वाणिज्य व उद्योग
9. श्री केदार कश्यप, मंत्री, अनुसूचित जाति-जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण, लोक स्वास्थ्य इंजिनियरिंग
10. श्री पी जाय उमेन, मुख्य सचिव
11. श्री सेरजियस मिंत्र, अपर मुख्य सचिव, कृषि एवं वन विभाग
12. श्री विवेक कुमार धान्द, प्रधान सचिव, भहरी प्रशासन, विकास एवं खाद्य
13. श्री डी एस मिश्रा, प्रधान सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं ऊर्जा
14. श्री एन के असवाल, प्रधान सचिव, गृह, जेल, परिवहन
15. श्री एम के राऊत, प्रधान सचिव, लोक कार्य
16. श्री अजय सिंह, प्रधान सचिव, वित्त एवं योजना वाणिज्य कर
17. श्री एन बैजेन्द्र कुमार, सचिव, भवन एवं पर्यावरण
18. श्री आर एस शर्मा, सचिव कानून व न्याय
19. श्री आर पी मंडल, सचिव कानून व न्याय
20. श्री जवाहर श्रीवास्तव, सचिव, सामान्य प्रबंध एवं संसदीय कार्य, राजस्व

21. श्री विकास भील, सचिव, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण
22. श्री नन्द कुमार, सचिव, स्कूली विभाग
23. श्री विजयेन्द्र, सचिव, वित्त खाद्य
24. सुश्री रेणुजी पिल्लै, सचिव वित्त
25. श्री अमन सिंह, विशेष सचिव, सूचना तकनीकी
26. श्री विश्व रंजन, पुलिस महानिदेशक

स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि

1. श्री मुनीराम साहू, अध्यक्ष, जिला पंचायत, बिलासपुर
2. सुश्री प्रभा जयसवाल, अध्यक्ष, जनपद पंचायत, माल खरोहा जिला जंजगीर
3. श्री राम चंद्र पात्ले, सदस्य, जिला पंचायत कोरबा
4. श्री छत्तर सिंह नायक, अध्यक्ष, जिला पंचायत, महासमुंद
5. श्री भारत वर्मा, अध्यक्ष, जिला पंचायत, राजनन्द गांव
6. श्री खूबलाल कुरै, अध्यक्ष, जिला पंचायत, धामतारी
7. श्री सुरेश राम, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत, जमपुर
8. श्री अशोक बजाज, अध्यक्ष, जिला पंचायत, रायपुर
9. श्री निशांत शर्मा, सदस्य, जिला पंचायत, दुर्ग
10. श्री बीरबल सिंह चातुर, उपसरपंच, ग्राम पंचायत, बालुद जिला दांतेवाड़ा
11. श्री लाखेश्वर बाघेल, सदस्य, जिला पंचायत, बस्तर
12. सुश्री प्रेमा अजगाले, सदस्य, जिला पंचायत, रायगढ़
13. श्री भागवत नेताम, अध्यक्ष, जिला पंचायत, कांवेर
14. सुश्री प्रमिला लाकड़ा, अध्यक्ष, जिला पंचायत, सरगुजा
15. श्री ध्रुपद चौहान, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत, नोरिया
16. श्री रघुराज सिंह, अध्यक्ष, जिला पंचायत, कबीरधाम
17. श्री सुनिल सोनी, मेयर, नगर निगम, रायपुर
18. श्री प्रबोध मिंत्र, मेयर, नगर निगम, अम्बिकापुर
19. सुश्री गीतेम माल, मेयर, नगर निगम, जगदलपुर
20. श्री विमल चोपड़ा, अध्यक्ष, नगर पंचायत, महासुंद
21. सुश्री पूरोबी वर्मा, अध्यक्ष, नगर पालिका दालीराजहारा
22. सुश्री संतोष शर्मा, अध्यक्ष, नगर पंचायत, अम्बागढ़ चौकी
23. श्री विश्वनाथ, अध्यक्ष, नगर पंचायत लखनपुर
24. सुश्री अर्पणा देव, अध्यक्ष, नगर पंचायत सुकवा

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1. श्री शोमालाल प्रजापति- राज्याध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल
2. श्री अरुण कुमार पाटली, राज्य सचिव, राष्ट्रीय जनता दल
3. श्री ललित कुमार, राज्य सदस्य, राष्ट्रीय जनता दल
4. श्री धरम राज महापात्रा सीपीआई(एम)
5. श्री संजय पसाते, सीपीआई(एम)
6. श्री अजय चन्द्राकार, भारतीय जनता पार्टी
7. श्री नरेश चन्द्र गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी
8. श्री रमेश वरल्यानी, महामंत्री एवं प्रवक्ता, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस पार्टी
9. श्री अम्बर शुक्ला, प्रवक्ता, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस पार्टी
10. सुश्री कामदा जोल्हे, उपाध्यक्ष, भारतीय समाजवादी पार्टी
11. श्री धुजराम बुद्ध जी विधान मंडल सदस्य, भारतीय समाजवादी पार्टी
12. श्री एम पी मधुकर, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी

व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि

1. श्री विरेन्द्र गोयल, अध्यक्ष, सीआईआई
2. श्री प्रतीन पांडे, राज्याध्यक्ष, सीआईआई
3. श्री मोहन लाल अग्रवाल, कोषाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राइस मिल्लरर्स एसोसिएशन
4. श्री के अग्रवाल, अध्यक्ष, उरला उद्योग संघ
5. श्री नितिन नरेचा, संयुक्त सचिव, उरला उद्योग संघ
6. श्री महेन्द्र कोठारी, आयोजक, छत्तीसगढ़ चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री
7. श्री महेश वाकद, अध्यक्ष, उद्योग महासंघ
8. श्री अरविन्द जैन, अध्यक्ष, भिलाई इंडस्ट्रीज एसोसिएशन
9. श्री ए एन सिंह, भिलाई इंडस्ट्रीज एसोसिएशन
10. श्री आर के मेडिया, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ स्टील रि-रोल्लर एसोसिएशन

6. गोवा (27-28 जून 2008)**राज्य सरकार के प्रतिनिधि**

1. श्री दिगम्बर वी कामत, मुख्यमंत्री
2. श्री रवि नायक मंत्री सचिवालय
3. श्री दयानन्द नारेवकर, मंत्री, वित्त
4. श्री जोश फिलिप डिसूजा, मंत्री राजस्व
5. श्री चर्चिल अलमाओ, मंत्री, पीडब्ल्यूडी
6. श्री फिलिप नेरी रोड्रिक्स, मंत्री जल संसाधन
7. श्री रामकृष्णा दावलीकर, मंत्री, परिवहन
8. श्री जोवाकिम अलमाओ, मंत्री शहरी विकास
9. श्री मनोहर अगांवकर, मंत्री, ग्रामीण विकास
10. श्री फ्रांसिस्को एक्स पाचेको, मंत्री पर्यटन
11. श्री अलेक्सो सिक्वेरिया, मंत्री, ऊर्जा
12. श्री विश्वजीत पी राणे, मंत्री, स्वास्थ्य
13. डा. विल्फ्रेड डि सूजा, उपाध्यक्ष, योजना बोर्ड
14. श्री जे पी सिंह, मुख्य सचिव
15. श्री आनन्द प्रकाश, विकास आयुक्त
16. श्री राजीव यदुवंशी, आयुक्त व सचिव, परिवहन/सीएम
17. श्री आर पी पाल, सचिव सूचना तकनीकी और शहरी विकास
18. श्री उदीप्ता राय, सचिव वित्त सचिव
19. डा. एम मोदास्सर, सचिव, वित्त सचिवालय
20. श्री दिवान चंद, सचिव, पर्यटन सचिवालय
21. श्री वी के झा, सचिव, उद्योग सचिवालय
22. श्री अजित श्रीवास्तव, सचिव, ग्रामीण विकास
23. श्री के एस सिंह सचिव, सहकारिता
24. श्री सी पी त्रिपाठी, सचिव लोक निर्माण विभाग
25. श्री निखिल कुमार राज्यपाल के सचिव
26. श्री नरेन्द्र कुमार, राज्यपाल के सचिव
27. श्री मनीष बहुगुणा, विशेष सचिव, वित्त
28. श्री अनुपम किशोर, संयुक्त सचिव, डीएमयू
29. श्री सुरेश संबोग, संयुक्त सचिव, बजट
30. श्री दत्ताराम, संयुक्त सचिव, वित्त

व्यापार व उद्योग के प्रतिनिधि

1. श्री संजीव रोड्रिक्स, निदेशक, उद्योग और व्यापार
2. श्री डी मेनेज, अध्यक्ष, भारतीय उद्योग संघ
3. श्री पी के पिन्टो, महानिदेशक, गोवा चैम्बर आफ कामर्स

4. श्री शिवान्द वी सलगंवकर, अध्यक्ष, गोवा खनिज लौह निर्यातक संघ और गोवा खनन संघ
5. श्री अतुल डी पाई काने, अध्यक्ष, गोवा लघु उद्योग संघ
6. श्री रात्फ डिसूजा, अध्यक्ष, गोवा यात्रा और पर्यटन संघ
7. श्री दिलिप सालगंवकर, अध्यक्ष, गोवा फार्मास्युटिकल निर्माता संघ

स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि

1. श्री टोनी रोड्रिक्स, अध्यक्ष/मेयर नगर निगम, पणजी
2. सुश्री स्नेहा भोबे, अध्यक्ष, मापुसा नगर निगम परिषद
3. श्री जानसन फर्नांडिस, अध्यक्ष, मारगांव, नगर निगम परिषद
4. श्री संजय मनु नायक, अध्यक्ष, पोण्डा नगर निगम परिषद
5. सुश्री अमोल कृष्णा मोराजकर, अध्यक्ष, जिला पंचायत, नार्थ गोवा
6. श्री क्लाफासियो जे डयास, अध्यक्ष, जिला पंचायत, साउथ गोवा
7. श्री जोवाकिम मनुएल परेरा, सरपंच, ग्राम पंचायत, अस्तोलता, सलसिट
8. सुश्री मरिया ए. रोड्रिक्स, सरपंच, ग्राम पंचायत, ड्रमापुर सरलिम
9. श्री विल्सन वालडर, सरपंच, ग्राम पंचायत, कराम बोलिक
10. सुश्री जोवानिता मदकैयकर, सरपंच, ग्राम पंचायत, सी. ओल्ड गोवा
11. श्री प्रदीप मदन नायक, सरपंच, ग्राम पंचायत, धारगालिम
12. सुश्री गौरी जोशालकर, सरपंच, ग्राम पंचायत, वररोन्द नागजर
13. सुश्री विभक्ति गावडे, सरपंच, ग्राम पंचायत, विरनोदा
14. श्री शशिकान्त गांवकर, सरपंच, ग्राम पंचायत, नेतरलिम
15. श्री दिलेश कालेकर, सरपंच, ग्राम पंचायत, अवेदेम

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1. श्री फ्रांसिस्को सरदिन्हा, संसद सदस्य, अध्यक्ष, गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी
2. डा. विल्फ्रेड डिसूजा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, गोवा, राज्य
3. श्री श्रीपाद वाई नायक, अध्यक्ष, गोवा इकाई, भाजपा
4. श्री पांडुरंग राउत, अध्यक्ष, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी
5. श्री फ्रांसिस्को मोंटे क्रूज, अध्यक्ष, संयुक्त गोवा डेमोक्रेटिक पार्टी
6. श्री सुरेश एस नायक, अध्यक्ष, गोवा इकाई, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)
7. श्री राजु मंगेशकर, अध्यक्ष, गोवा इकाई, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी

गुजरात (18-19 जून 2009)**राज्य सरकार के प्रतिनिधि**

1. श्री नरेन्द्र भाई मोदी, मुख्यमंत्री
2. श्री बाजुभाई वाला, मंत्री वित्त
3. श्री सौरभ भाई पटेल, राज्य मंत्री, वित्त
4. श्री डी राजगोपालन, मुख्य सचिव
5. श्री एस ने शीतल, मुख्यमंत्री के सलाहकार
6. श्री के कैलाशनाथन, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव
7. श्री एम एम श्रीवास्तव, प्रधान सचिव, वित्त
8. श्री तपन राय, प्रधान सचिव (आर्थिक कार्य) वित्त
9. डा. वरेक सिन्हा, प्रधान सचिव, पंचायत, ग्रामीण आवास व ग्रामीण विकास

10. सुश्री गौरी कुमार, प्रधान सचिव, शहरी विकास और शहरी आवास
 11. श्री हंसमुख आदित्य, प्रधान सचिव, शिक्षा
 12. श्री रवि सक्सेना, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
 13. श्री सी एम मीणा, सचिव (व्यय), वित्त
 14. श्री के श्रीनिवास, प्रबन्ध निदेशक, गुजरात शहरी विकास कार्य
 15. श्री जे पी गुप्ता, विशेषायुक्त वाणिज्यिक कर
 16. श्री एन श्रीवास्तव, विशेषाधिकारी (बीपीई), वित्त
 17. श्री मुनिद्र भट्ट, अपर सचिव, (कर), वित्त
 18. सुश्री मोना कांदर, संयुक्त सचिव (बजट), वित्त
 19. श्री मनीष वर्मा, अपर सचिव व निदेशक (आईएम) वित्त
- स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि**
1. श्री रामभाई पटेल, अध्यक्ष, जिला पंचायत, मेहसाना
 2. श्री मोजीभाई चौधरी, अध्यक्ष, जिला पंचायत, व्यारा
 3. श्री राकेशभाई राव, अध्यक्ष, जिला पंचायत, नादियत
 4. सुश्री विलासबेन गबरूभाईवाला, अध्यक्ष, तालुका पंचायत धारी, अमरेली जिला
 5. श्री वाघाभाई बी चौहान, अध्यक्ष, तालुका पंचायत, दियोदार बनासंकाला जिला
 6. सुश्री प्रवीणबेन आर पटेल, अध्यक्ष, तालुका पंचायत सन्केदा बड़ौदा, जिला
 7. सुश्री कांताबेन नटवरभाई पटेल, सरपंच, ग्राम भाठा, तालुका गनदेवी, नवसाड़ी जिला
 8. श्री हिमांशु एन पटेल, सरपंच, ग्राम पुनसाड़ी तालुका तालोड़, सबरकान्ठा जिला
 9. श्री बालूभाई शुक्ला, मेयर, वड़ोदरा नगर निगम
 10. सुश्री रीनाबेन शाह, मेयर, भावनगर नगर निगम
 11. श्री मुकेशभाई दलाल, अध्यक्ष स्थायी समिति, सूरत नगर निगम
 12. सुश्री मधु पटेल, पूर्व अध्यक्ष, स्थायी समिति, अहमदाबाद नगर निगम
 13. श्री धनसुखबाई भंडारी, पूर्व मेयर, राजकोट नगर निगम
 14. श्री बसंत भाई जे. रोदरानी, अध्यक्ष, अन्जार नगरपालिका
 15. श्री जनकभाई के भानुसाली, अध्यक्ष, वलसाड़, नगर पालिका
 16. डा. नारभाई एन अमीन, अध्यक्ष, बिलिमोड़ा, नगर पालिका
 17. श्री गिरिशभाई जे राजगोर, अध्यक्ष, मेहसाना, नगर पालिका
 18. श्री जयसुखभाई गुजराती, उपाध्यक्ष जेतपुर, नगर पालिका
 19. डा. महेन्द्र भाई शाह, उपाध्यक्ष ब्यारा, नगर पालिका
 20. श्री पोपट भाई पटेल, सदस्य, मेहसाना, नगर पालिका
 21. श्री रासविनभाई पी डोडिया, सदस्य, बागसरा, नगर पालिका
 22. श्री अनिरुद्ध भाई बी दवे, अध्यक्ष, माडवी नगर पालिका जिला कच्छ
 23. श्री नातुभाई रामदास पटेल, सदस्य कादी नगरपालिका
 24. सुश्री गौरी कुमार, प्रधान सचिव, शहरी विकास और शहरी आवास विभाग
 25. श्री के श्रीनिवास, एम डी गुजरात शहरी विकास कम्पनी
 26. सुश्री एम. एम. ओजा, उप सचिव, शहरी विकास और शहरी आवास विभाग

27. श्री जे. के. अस्तिक, सीईओ, गुजरात नगर निगम वित्त बोर्ड
 28. श्री एच एन ठक्कर, अपर सीईओ, गुजरात शहरी विकास मिशन
- व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधि**
1. श्री रूपेश सी शाह, अध्यक्ष, गुजरात चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री
 2. श्री प्रणव अदानी, अध्यक्ष, भारतीय उद्योग संघ
 3. श्री परम शाह, फिक्की
 4. श्री निलेश वी. मंडलवाला, सर्दन गुजरात चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री
 5. श्री कमलेश भाई सी पटेल, अध्यक्ष, इंडियन ड्रग्स मनुफैक्चरर्स एसोसिएशन
 6. श्री मनीष गिरी, अध्यक्ष, द गुजरात डिस्टफ मनुफैक्चरिंग एसोसिएशन निदेशक, एटीआईआरए
 7. श्री ए के शर्मा,
 8. श्री अतुल कपासी, अध्यक्ष, गुजरात राज्य लघु उद्योग संघ
 9. श्री भावेश पटेल, अध्यक्ष, राजकोट इंजिनियरिंग एसोसिएशन
 10. श्री कमलेश इन्वाइरो जे बी केमिकल्स एण्ड फामास्युटिकल्स लिमिटेड
 11. श्री शैलेश पटवारी, अध्यक्ष, नरोदा इन्भरो प्रोजेक्ट लिमिटेड
- राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि**
1. श्री शक्ति सिंह गोहिल, कांग्रेस
 2. श्री मधुसुदन मिस्त्री, कांग्रेस
 3. श्री सिद्धार्थ पटेल, कांग्रेस
 4. श्री मनोहर सिंह जडेजा, कांग्रेस
 5. श्री बाबू भाई मेघजी शाह, कांग्रेस
 6. श्री अरविन्द संघवी, कांग्रेस
 7. श्री जयन्ती बारोत, भाजपा
 8. श्री भारत गाड़ीवाला, भाजपा
 9. श्री यामल व्यास, भाजपा
 10. श्री जयन्ती भाई पटेल, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी
 11. श्री छोटू भाई वासवा, जनता दल
- हरियाणा (17 जुलाई, 2008)**
- राज्य सरकार के प्रतिनिधि**
1. श्री बी एस हुड्डा, मुख्यमंत्री, हरियाणा
 2. श्री बिरेन्द्र सिंह, वित्त मंत्री, हरियाणा
 3. श्री धरमवीर, मुख्य सचिव, हरियाणा
 4. श्री एम एल तयाल, मुख्यमंत्री के निजि सचिव
 5. श्री एस पी शर्मा, वित्त सचिव
 6. श्री के एस भारिया, वित्त आयुक्त राजस्व
 7. श्री के के जेलन, एफसीपीडब्ल्यू
 8. श्री वाई एस मलिक, सीआई
 9. श्री रंजन गुप्ता, सीएण्डएस शिक्षा
 10. श्री सरबन सिंह, सी स्पोर्ट्स
 11. श्री रोशन लाल, सीडब्ल्यूएसएस
 12. श्री नवराज संघु, डीएसजे
 13. श्री हरदीप कुमार, सीएसएएच
 14. श्री डी एस देशी, एफसीटीसीडी
 15. श्री पी के गुप्ता, एफसी, एफएण्डई
 16. सुश्री अनुराधा गुप्ता, एफसी, स्वास्थ्य

17. श्री समीर माथुर, एफसीटी
18. श्री अशोक लवासा, एफसीएण्डपीएस, पावर
19. श्री रमेन्द्र जाकु, एफसीएण्डपीएस, ईएण्डडी
20. श्री एन के जैन, आयुक्त, मत्स्य पालन
21. श्री कृष्ण मोहन, एफसीएण्डपीएस, कृषि
22. श्री सी प्रसन्ना कुमार, एफसीडब्ल्यूसीडी
22. श्री आर एन प्राशेर, एफसी सिंचाई
- 23 सुश्री उर्वशी गुलाटी, एफसी, विकास एवं पंचायत
24. सुश्री फिरोजा मेहरोत्रा, एफसी, गृह, जेल एवं न्यायपालिका

स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1. सुश्री ब्रह्मवती खटाना, नगर निगम, फरीदाबाद
2. सुश्री मोहिनी नंदा, नगर समिति, कालका
3. श्री रविन्दर रावल, नगर परिषद, पंचकुला
4. श्री केशव देव मुंजाल, नगर परिषद, पलवल
5. श्री बलविंदर कालरा, नगर परिषद, करनाल
6. श्री विनोद कुमार, नगर परिषद, पानीपत
7. श्री तरसेम चन्द, नगर समिति, चीका
8. श्री अजीत प्रसाद, नगर परिषद, रोहतक
9. सुश्री उमा सुधा, नगर परिषद, थानेश्वर
10. श्री पवन कुमार, नगर परिषद, सिरसा
11. श्रीमती बिमला धनकर, अध्यक्ष, जिला परिषद, झज्जर
12. श्री जितेन्द्र अहलावत, अध्यक्ष, पंचायत समिति, पानीपत
13. श्री प्रीतम सिंह, अध्यक्ष, पंचायत समिति, दादरी
14. श्री रमेश मलिक, अध्यक्ष, पंचायत समिति, पानीपत
15. श्रीमति प्रीति मदान, अध्यक्ष, पंचायत समिति, बल्लभगढ़
16. श्री महेन्द्र सिंह, सदस्य, जिला परिषद, भिवानी
17. श्रीमति सुमन, सरपंच, ग्राम पंचायत
18. श्री पवन कुमार, सरपंच ग्राम पंचायत, भिवानी
19. श्री नरेन्द्र सिंह, सरपंच ग्राम पंचायत, कुब्जानगर भिवानी

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1. श्री बिरेन्द्र सिंह, वित्त मंत्री, हरियाणा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
2. सतविंदर राणा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
3. राम किशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
4. श्रीमती सुमीता सिंह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
5. डा. सुशील इंदौरा, भारतीय राष्ट्रीय लोक दल
6. अर्जुन सिंह, बहुजन समाज पार्टी
7. राम कुमार गौतम, भारतीय जनता पार्टी

व्यापार और उद्योग प्रतिनिधि

1. प्रणव गुप्ता, पीएचडीसीसीआई
2. दलीप शर्मा, क्षेत्रीय निदेशक, पीएसडीसीसीआई
3. विष्णु गोयल, सचिव, एचसीसीआई, हरियाणा
4. रमन सलुजा, सीआईआई
5. ओ पी खुराना, एचसीसीआई
6. नरेन्द्र कुमार, एचसीसीआई
7. अंजन राय, फिक्की
8. राकेश टुटेजा, उपमहाप्रबंधक, एचएसआईडीसी

हिमाचल प्रदेश (6-8 जून, 2008)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1. प्रो. प्रेम कुमार धूमल, मुख्यमंत्री
2. ठाकुर गुलाब सिंह, मंत्री, लोक निर्माण
3. ईश्वर दास धिमान, मंत्री, शिक्षा
4. जे पी नंदा, मंत्री, वन
5. रविन्दर सिंह रवि, मंत्री, सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य
6. किशन कपूर, मंत्री, परिवहन
7. नरेन्द्र ब्रागता, मंत्री, बागवानी
8. रमेश धावला, मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति
9. राजीव बिंदल, मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
10. सरवीन चौधरी, मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता
11. रवि ढींगरा, मुख्य सचिव
12. परमिन्दर हीरा माथुर, अपर मुख्य सचिव, परिवहन एवं एलईपी
13. अवय शुक्ला, अपर मुख्य सचिव, वन
14. जे पी नेगी, अपर मुख्य सचिव, शहरी विकास
15. आर के जैन, प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता
16. टी जी नेगी, प्रधान सचिव, वाईएसएस
17. दीपक सानन, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद
18. वी सी पर्का, प्रधान सचिव, प्रशा. सुधार एवं प्रशिक्षण
19. एस सी नेगी, प्रधान सचिव, उद्योग
20. अजय मित्तल, प्रधान सचिव, एमपीपी एण्ड पी
21. अरविंद मेहता, प्रधान सचिव, वित्त
22. डा. जे एन वारोवालिया, प्रधान सचिव, विधि
23. पी सी धिमान, प्रधान सचिव, शिक्षा
24. भीम सेन, प्रधान सचिव, उत्पाद शुल्क, एवं कराधान/सीएम
25. नरेन्द्र चौहान, प्रधान सचिव, आईपीएच
26. बलराम शर्मा, सचिव, पीडब्ल्यूडी
27. श्रीमती मनीषा नंदा, सचिव, निर्वाचन एवं पर्यटन
28. दिलजीत सिंह डोगरा, सचिव, कार्मिक/जीएडी/एसएडी
29. कश्मीर चन्द, सचिव, गृह
30. राकेश कौशल, सचिव, राजस्व
31. श्रीकांत बाल्डी, सचिव, ग्रा.वि. और पीआर
32. बी के अग्रवाल, सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति/सीएम
33. जगदीश चन्दर, सदस्य, एफएण्डए, हि.प्र.रा.बि.बो.
34. आर डी धिमान, आयुक्त, उत्पाद शुल्क एवं कराधान
35. अनिल काची, निदेशक, उद्योग
36. टी सी जनार्था, प्रबंध निदेशक, एच आर टी सी
37. तरुण कपूर, प्रबंध निदेशक, एचपीपीसीएल
38. एस पांडा, निदेशक, सा.न्याय और अधि.
39. अश्वनी कुमार, महानिदेशक, पुलिस
40. आर एन बट्टा, निदेशक, आर डी एण्ड पी आर
41. बी आर वर्मा, श्रम आयुक्त
42. डा. गुरदेव सिंह, निदेशक, बागवानी
43. डा. जे सी राणा, निदेशक, कृषि
44. डा. सुलक्षणा पुरी, निदेशक, स्वास्थ्य सेवा
45. आर एन शर्मा, इंजीनियर प्रभारी, आईपीएच
46. नगिन नंदा, निदेशक, पर्यावरण और एसटी

47. डा ओ पी शर्मा, निदेशक, उच्चतर शिक्षा
 48. बी एस राजपाल, इंजीनियर प्रभारी, लो नि वि
 49. ए एस राठौर, निदेशक, शहरी विकास
 50. डी आर वुशेहरी, सलाहकार, योजना
 51. अभिषेक जैन, विशेष सचिव, बागवानी
 52. शेखर गुप्ता, विशेष सचिव, वित्त
 53. अक्षय सूद, विशेष सचिव, वित्त
 54. सुश्री पूर्णिमा चौहान, विशेष सचिव, आईपीएच
 55. के आर भारती, विशेष सचिव, जी ए डी
 56. जे आर कटवाल, विशेष सचिव, सीएम एण्ड आई पी आर
 57. परदीप चौहान, सलाहकार, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी
 58. बी एल राघव, अपर निदेशक, शहरी विकास
 59. पंकज राय, संयुक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी
 60. आर के शर्मा, मुख्य इंजीनियर, (एसजेड) आईपीएच
 61. राकेश कंवर, अपर सचिव, स्वास्थ्य
 62. वीरेन्द्र स्पेया, एसई, आईपीएच
 63. बसु सूद, उप निदेशक, योजना
 64. एम एस राणा, अनुसंधान अधिकारी, योजना
 65. अमिताव अवस्थी, आयुक्त, नगर निगम, शिमला

स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1. श्रीमती चंद्रमणि नेगी, अध्यक्ष, जिला परिषद, किन्नौर
 2. भिषुक सेन, अध्यक्ष, पंचायत समिति, काल्पा, किन्नौर
 3. श्याम लाल, प्रधान, ग्राम पंचायत, लिपा, किन्नौर
 4. देवेंद्र ठाकुर, अध्यक्ष नगर परिषद, सोलन
 5. सुश्री सोमा देवी, अध्यक्ष, पंचायत समिति नालगढ़, सोलन
 6. प्रेम सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत, ओचघाट, सोलन
 7. विक्रम सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत, बालदयान, शिमला
 8. तिलक राज भारद्वाज, अध्यक्ष, जिला परिषद, चम्बा
 9. अनिल ओबेराय, प्रधान, ग्राम पंचायत, बनीखेत, चंबा
 10. सुश्री सुशीला सांखला, अध्यक्ष, नगर परिषद, मंडी
 11. सतीश ठाकुर, प्रधान, ग्राम पंचायत, सुरेन्द्र नगर, मंडी
 12. कप्तान गुरपाल सिंह, अध्यक्ष, पंचायत समिति, गाग्रेट, उना
 13. विजय कुमार शर्मा, प्रधान, ग्राम पंचायत, मुछियाली, उना
 14. रणधीर सेखरी, अध्यक्ष, नगर परिषद, धर्मशाला, कांगड़ा
 15. संजीव सोनी, प्रधान, ग्राम पंचायत, लोहना कांगड़ा
 16. संतोष धिमान, अध्यक्ष, जिला परिषद, बिलासपुर
 17. सुश्री सरला देवी, अध्यक्ष, पंचायत समिति, झंदाता, बिलासपुर
 18. जोगिन्द्र सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत, चन्दपुर बिलासपुर
 19. सुभाष बनियाल, अध्यक्ष, पंचायत समिति, बीझरी, हमीरपुर
 20. दीन कुमार, अध्यक्ष, नगर समिति, हमीरपुर
 21. सुश्री मंजू शर्मा, अध्यक्ष, जिला परि, सिमौर
 22. एम आर पराशर, अध्यक्ष, पंचायत समिति
 23. सुश्री प्रोमिला देवी ठाकुर, प्रधान, ग्राम पंचायत, सिरमौर
 24. शीस राम, अध्यक्ष, जिला परिषद, कुल्लू
 25. गंगाराम चन्देल, अध्यक्ष, पंचायत समिति, अनी, कुल्लू
 26. रफ्तार सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत, कुल्लू
 27. सुश्री पुष्पा देवी, प्रधान, जिला परिषद, लाहौल एवं स्पीति
 28. ज्ञान चन्द, उपाध्यक्ष, पंचायत समिति, लाहौल और स्पीति
 29. ननवंग ताशी, प्रधान, ग्राम पंचायत, लाहौल और स्पीति

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1. वेद पी सूद, बहुजन समाज पार्टी
 2. टिकेंदर सिंह, सीपीआई (एम)
 3. जगत राम, सीपीआई (एम)
 4. विजेंद्र मेहरा, सीपीआई (एम)

व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधि

1. शेखर गुप्ता, अध्यक्ष, सीआईआई, हि. प्र. राज्य परिषद
 2. विनोद गुप्ता, हिमाचल औषध विनिर्माता एसोसिएशन
 3. एस एल सिंगला, हिमाचल औषध विनिर्माता एसोसिएशन
 4. सतीश वागरोडिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पीएचडी चेम्बर आफ इंडस्ट्री
 5. ध्यान चन्द, अध्यक्ष, हि. प्र. समिति, पीएचडी
 चेम्बर आफ इंडस्ट्री
 6. सी आर बी ललित, सलाहकार, हि. प्र. समिति, पीएचडी
 चेम्बर आफ इंडस्ट्री
 7. विजय शर्मा, पीएचडी चेम्बर आफ इंडस्ट्री
 8. योगिन्द्र दिवान, पूर्व अध्यक्ष, पीएचडी चेम्बर आफ इंडस्ट्री
 9. डा. मदनलाल खुराना, राज्य अध्यक्ष, हि. प्र. व्यापार मण्डल
 10. अरूण कुकियाला, महासचिव, हि. प्र. व्यापार मण्डल
 11. रमेश चोज्जर, महासचिव, व्यापार मण्डल, शिमला
 12. कवलजीत सिंह, अध्यक्ष, व्यापार मण्डल, शिमला
 13. अशोक सूद, व्यापार मण्डल, शिमला
 14. अवतार सिंह नारंग, कार्यापालक सदस्य, व्यापार मण्डल, शिमला
 15. अजित बटेल, होटल अम्बर, राम बाजार, शिमला
 16. शिवेनीर शर्मा, सीआईआई, चण्डीगढ़

10. जम्मू कश्मीर (30 जून-4 जुलाई 2009)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1. उमर अब्दुल्ला, मुख्य मंत्री
 2. तारा चंद, उपमुख्य मंत्री, मंत्री, आवास, शहरी
 विकास, नगरपालिकाएं, चुनाव,
 मुद्रण और लेखन सामग्री
 3. अब्दुल रहीम राथेर, मंत्री, वित्त, विधि और संसदीय कार्य
 4. पीरजादा मोहम्मद सईद, मंत्री, स्कूल शिक्षा और पब्लिक उद्यम
 5. अली मोहम्मद सागर, मंत्री, ग्रामीण विकास और पंचायत
 6. नवंग रिगजिन जोरा, मंत्री, पर्यटन और संस्कृति
 7. सुरजीत सिंह स्लेदिया, मंत्री, उद्योग और वाणिज्य, श्रम और
 रोजगार, उपभोक्ता मामलें और
 सार्वजनिक वितरण
 8. श्री श्याम लाल शर्मा, मंत्री, स्वास्थ्य, बागवानी, पुष्प कृषि
 9. श्री महमूद उल रहमान, अध्यक्ष राज्य वित्त आयोग
 10. श्री जे ए खान, आर्थिक सलाहकार
 11. श्री शामसिंह कपूर, मुख्य सचिव
 12. श्री शिवन लाल भट्ट, वित्त आयुक्त, योजना और
 विकास/लद्दाख कार्य
 13. श्री वर्गीस सेम्यूल, वित्त आयुक्त, गृह
 14. श्री अनिल गोस्वामी, प्रधान सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य
 15. डा. अरूण कुमार, प्रधान सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी
 16. श्री सोनाली कुमार, प्रधान सचिव, कृषि उत्पादन
 17. श्री अशोक कुमार अंगुराणा, प्रधान सचिव, पीएचई/आई एण्ड एफसी
 18. श्री खुशींद ए ज्ञानी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव
 19. श्री ए एच कोचक, प्रधान सचिव, विधि और संसदीय कार्य
 20. श्री प्रमोद कुमार जैन, आयुक्त/सचिव, समाज कल्याण
 21. श्री सुधांशु पांडे, आयुक्त/सचिव, वित्त

22. श्री संदीप कुमार नायक, आयुक्त/सचिव विद्युत विकास
23. श्री अटल डुलू, आयुक्त/सचिव, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा
24. श्री बशरत अहमद धर, आयुक्त/सचिव, सामान्य प्रशासन
25. श्री महबूब इकबाल, आयुक्त/सचिव, पीडब्ल्यू (आरएंडवी)
26. श्री शांत मनु, आयुक्त/सचिव, वन और पर्यावरण
27. श्री एन के वर्मा, आयुक्त/सचिव, उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा
28. श्री खालिद हबीब, आयुक्त/सचिव, श्रम और रोजगार
29. श्री नसीम लेंकर, आयुक्त/सचिव, आवास और शहरी विकास
30. श्री अब्दुल हमीद, आयुक्त/सचिव, परिवहन
31. मोहम्मद सईद खान, सचिव, ग्रामीण विकास
32. श्री कुलभूषण जंदियाल, सचिव, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण
33. श्री गुलाम अहमद पीर, सचिव, स्कूली शिक्षा
34. श्री तनवीर जेहान, सचिव, पर्यटन और संस्कृति
35. श्री रवि कुमार थुसु, सचिव पशु और भेड़ पालन
36. श्री वशीर अहमद खाजा, आयुक्त वाणिज्यिक कर
37. श्री शेक ईजाज इकबाल, सचिव राजस्व
38. श्री रवि मंगोत्रा, निदेशक (सामान्य बजट), वित्त
39. श्री जी ए कुरेशी, निदेशक, सामान्य अर्थशास्त्र और सांख्यिकी
40. श्री रमेश कुमार कौल, विशेष सचिव, वित्त
41. श्रीमति रश्मि कश्यप, निदेशक (संसाधन), वित्त
42. श्री शौकत हुसैन मीर, मुख्य लेखनधिकारी (संसाधन), वित्त
43. श्री जे एन कौल, उपनिदेशक बजट
44. श्री अमित महाजन, लेखाधिकारी (संसाधन), वित्त

स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1. श्री सलमान अली सागर, मेयर, एसएससी
2. श्री सजाद ए काशू, उप मेयर, एस एम सी
3. श्री मंजूर अहमद वाणी, अध्यक्ष, लोक स्वास्थ्य स्थायी समिति, एस एम सी
4. श्री अब्दुल गनी खान, पार्षद, एस एम सी
5. श्री अंजुम कादरी, पार्षद, एस एम सी
6. श्री धर्मवीर जामवाल, मेयर, जे एम सी
7. श्री मनमोहन सिंह, पूर्व मेयर, जे एम सी
8. श्री नरेन्द्र सिंह, पूर्व मेयर, जे एम सी
9. श्रीमती नम्रता शर्मा, पार्षद, जे एम सी
10. श्री अशोक मन्हास, पार्षद, जे एम सी
11. श्री शब्बीर अहमद कमल, अध्यक्ष, एम सी किशतवार
12. श्री दर्शन सिंह, अध्यक्ष, एम सी लखनपुर
13. श्री कैसर अहमद वानी, अध्यक्ष, एम सी अनंतनाग
14. श्री मुश्ताक अहमद डार, अध्यक्ष, एम सी, बांदीपुरा
15. श्री गुलाम मोहम्मद लोन, अध्यक्ष, एम सी, गंदरबल
16. श्री गुलाम महीउद्दीन, अध्यक्ष, एम सी बडगम
17. श्री मोहम्मद सईद खान, सचिव, ग्रामीण विकास
18. श्रीमती दिलशाद खान, निदेशक, ग्रामीण विकास, कश्मीर
19. श्री जे एल भगत, निदेशक, ग्रामीण विकास
20. श्री मोहम्मद यूनिस्, सहायक आयुक्त, कुपवाड़ा
21. श्री डी पी खजूरिया, सेवानिवृत्त निदेशक, ग्रामीण विकास/के वी आई बी के सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता
22. श्री अब्दुल मजीद मीर, पूर्व सरपंच, बल्हामा, रोहामा, जिला बारामूला
23. श्री रणजीत सिंह सरहदी, लेह (लद्दाख), पूर्व सरपंच, बल्हामा, रोहामा, जिला बारामूला

24. श्री जी एम शेख, लेह (लद्दाख) सामाजिक कार्यकर्ता, गैर सरकारी संगठन एल डी ए का प्रमुख
25. मौ. यूसुफ, पूर्व सरपंच हंजूर, कादूर प्रखण्ड, बडगम
26. श्री अखतर अली खां, निवासी श्रीनगर, एन जी ओ स्वैच्छिक स्वास्थ्य संगठन (वी एच ओ) का प्रमुख
27. श्री काचो अहमद अली खां, कार्यक्रम कार्यपालक अधिकारी, लद्दाख पारिस्थिकीय विकास ग्रुप, करगिल

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1. श्री मुज्जफर हुसैन बेग, एम एल ए, पिपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी
2. श्री एम वाई तारिगामी, एम एल ए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मा)
3. ठाकुर रणधीर सिंह, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
4. श्री विजय बाक्हया, एमएलसी, जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय कान्फ्रेस
5. श्री अशोक खजूरिया, एम एल ए, भारतीय जनता पार्टी
6. श्री बी एस मंकोटिया, एम एल ए, जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय पैथर पार्टी
7. श्री बशीर अमहद मेग्रे, एमएलसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
8. श्री अब्दुल रशीद, एम एल ए, (लांगटे), स्वतंत्र
9. श्री चरणजीत सिंह, एम एल ए, (कटुआ) स्वतंत्र
10. श्री इश्तियाक कादरी, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट
11. श्री फारूख जान, डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनलिस्ट
12. श्री तुलसी दास लेंगे, बहुजन समाज पार्टी
13. कामरेड कंवल देव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
14. श्री फय्याज अहमद भट्ट, समाजवादी पार्टी
15. श्री गुलाम नबी शाह, राष्ट्रीय जनता दल

व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधि

1. श्री राम सहाय, अध्यक्ष जेसीसी एण्ड आई
2. डा. मुबीन शाह, अध्यक्ष, केसीसीएण्डआई
3. श्री शकील कलन्दर, अध्यक्ष, उद्योग मण्डल परिसंघ, कश्मीर
4. हाजी अब्दुल खालिक वांगू, अध्यक्ष, ट्रेवल एजेन्ट्स सोसाइटी आफ कश्मीर
5. श्री जी एम डग, अध्यक्ष, जे के टी ए
6. श्री सिराज अहमद, प्रेसीडेंट, कश्मीर होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन
7. मोहम्मद आजिम त्वनान, अध्यक्ष, हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन
8. हाजी अब्दुल रशीद, चेयरमेन, कश्मीर टूरिस्ट टेक्सी ट्रांसपोर्टर्स फेडरेशन

II झारखण्ड (29-30 सितम्बर, 2008)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1. श्री ए के सरकार, प्रधान सचिव, कृषि और गन्ना विकास
2. श्री आदित्य स्वरूप, प्रधान सचिव, पशुपालन और मत्स्य पालन
3. श्री रवि शंकर वर्मा, सचिव, मानव संसाधन विकास और कला संस्कृति, खेल और युवा कार्य
4. श्री ए के चुघ, सदस्य, राजस्व बोर्ड
5. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, सचिव, भवन निर्माण
6. श्रीमती अलका तिवारी, सचिव, वाणिज्यिक कर
7. श्री आर एस शर्मा, प्रधान सचिव, पेय जल और स्वच्छता तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
8. श्री एन एन पांडे, सचिव, ऊर्जा
9. श्रीमती राजबाला वर्मा, सचिव, वित्त
10. श्री ए के पान्डेय, प्रधान सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले

11. श्री सुखदेव सिंह, सचिव, वन और पर्यावरण
12. डा. प्रदीप कुमार, सचिव, स्वास्थ्य, विकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण
13. श्री जे बी टुबिड, सचिव, गृह और कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा
14. श्री यू के संगमा, प्रधान सचिव, आवास और समाज कल्याण
15. श्री के के खंडेलवाल, सचिव, उद्योग, खान और भू-विज्ञान
16. श्री बी के त्रिपाठी, प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री का कार्यालय
17. श्री पी के जाजोरिया, सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी
18. श्री विष्णु कुमार, सचिव, संस्थागत वित्त और कार्यक्रम क्रियान्वयन
19. श्री प्रशांत कुमार, सचिव, विधि
20. श्री एस के चौधरी, विकास आयुक्त
21. श्री सुधीर प्रसाद, प्रधान सचिव, पंजीकरण और नागरिक विमानन
22. श्री आर एस पोद्दार, प्रधान सचिव, राजस्व और भू-सुधार
23. श्री एन एन सिन्हा, सचिव, सड़क निर्माण
24. श्री एस के सत्पथी, सचिव, ग्रामीण विकास
25. श्री अरूण कुमार सिंह, सचिव, पर्यटन
26. श्री शैलेश कुमार सिंह, सचिव, शहरी विकास
27. श्री विष्णु दयाल राम, महानिदेशक, पुलिस
28. श्री सी आर सहाय, प्रधान मुख्य संरक्षक, वन
29. श्री जयंत मुनिगाला, सचिव, उत्पाद शुल्क
30. श्री निरंजन कुमार, अपर वित्त आयुक्त, वित्त

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1. (i) श्री शत्रुघ्न कुमार शत्रु, अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी, झारखंड, रांची
- (ii) श्री हिमांशु तिवारी, महासचिव, अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी, झारखंड, रांची
2. (i) डा. दिनेशानन्द गोस्वामी, राज्य महासचिव, भारतीय जनता पार्टी
- (ii) श्री मधुसूदन जरूहर, राज्य कार्यालय सचिव, भारतीय जनता पार्टी
3. (i) श्री खगेन्द्र ठाकुर, सहा. सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
- (ii) श्री के डी सिंह, सहा. सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
4. (i) श्री जे एस मजुमदार, राज्य सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
- (ii) श्री प्रकाश विप्लव, राज्य सचिव सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
5. (i) डा. जय प्रकाश गुप्ता, अध्यक्ष, विधि प्रकोष्ठ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
- (ii) प्रो. कामेश्वर प्रसाद सिंह, अध्यक्ष, विधि प्रकोष्ठ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
6. (i) श्री प्रभात कुमार सिंह, राज्य प्रवक्ता, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
- (ii) श्री मुकेश कुमार, राज्य अध्यक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
7. (i) श्री प्रमोद मिश्रा, राज्य प्रवक्ता जनता दल (यूनाइटेड)
- (ii) श्री श्रवण कुमार, राज्य सचिव, जनता दल (यूनाइटेड)
8. (i) श्री सुप्रिय भट्टाचार्य, केन्द्रीय आयोजन सचिव, झारखंड मुक्ति मोर्चा
- (ii) प्रो. अशोक कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष, झारखंड मुक्ति मोर्चा

9. (i) श्री गौतम सागर राणा, राज्य अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल
- (ii) श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, एमएलए, राष्ट्रीय जनत दल

स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1. श्रीमती रमा खालको, मेयर, रांची नगर निगम
2. श्री अजय नाथ सहदेव, डिप्टी मेयर, रांची नगर निगम
3. श्रीमती अंजली कुमारी, अध्यक्ष, हराजीबाग नगर परिषद
4. श्री मनीष जायसवाल, उपाध्यक्ष, हजारीबाग नगर परिषद
5. श्रीमती अमिता रक्षित, अध्यक्ष, दुमका नगर परिषद
6. श्री गरीब दास, उपाध्यक्ष, दुमका नगर परिषद
9. श्री वंसत कुमार सिंह, अध्यक्ष, फुसरो नगर परिषद
10. श्री इंद्रजीत मुखर्जी, उपाध्यक्ष, फुसरो नगर परिषद
11. श्रीमती पूनम प्रकाश, अध्यक्ष, गिरिदीह नगर परिषद
12. श्री विभाकर पाण्डेय, उपाध्यक्ष, गिरिदीह नगर परिषद
13. श्रीमती अनिता दत्त, अध्यक्ष, गड़वा नगर परिषद
14. श्री अलख नाथ पाण्डेय, उपाध्यक्ष, गड़वा नगर परिषद
15. श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, अध्यक्ष, मेदिनीनगर नगर परिषद
16. श्री मनोज सिंह, उपाध्यक्ष, मेदिनीनगर नगर परिषद

व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधि

1. (i) श्री अरूण कुमार छावछरिया, अध्यक्ष, झारखंड लघु उद्योग एसोसिएशन
- (ii) श्री अरूण कुमार खेमका, उपाध्यक्ष, झारखंड लघु उद्योग एसोसिएशन
- (iii) शरद कुमार पोद्दार, अवैतनिक सचिव, झारखंड लघु उद्योग एसोसिएशन
- (iv) श्री आर के टिब्रेवाल, पूर्व अध्यक्ष, झारखंड लघु उद्योग एसोसिएशन
- (v) श्री हरि प्रसाद बियानी, कार्यकारिणी सदस्य, झारखंड लघु उद्योग एसोसिएशन
2. (i) श्री मधुकर सिन्हा, अध्यक्ष, सीआईआई
- (ii) श्री ए के श्रीवास्तव, संयोजक, नीति, सीआईआई
- (iii) श्री बी सर्वगी, सीआईआई
- (iv) श्री वी के गोडुयान, सीआईआई
3. श्री आर के चौधरी, महासचिव, एसोचैम
4. (i) श्री मनोज नरेदी, अध्यक्ष, वाणिज्य मण्डल
- (ii) श्री सुरेश चन्द्र अग्रवाल, अवैतनिक सचिव, वाणिज्य मण्डल
- (iii) श्री के के पोद्दार, पूर्व अध्यक्ष, वाणिज्य मण्डल
- (iv) श्री ए आर शाह, पूर्व अध्यक्ष, वाणिज्य मण्डल
- (v) श्री विष्णु बुधिया, पूर्व अध्यक्ष, वाणिज्य मण्डल

12. कर्नाटक (9-11 फरवरी, 2009)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1. श्री बी एस येदीयुरूपा, मुख्यमंत्री
2. श्री गोविंद एम कारजोल, मंत्री, सिचाई, योजना और सांख्यिकी
3. श्री के एस ईश्वरप्पा, मंत्री ऊर्जा
4. डा. वी एस आचार्य, मंत्री, गृह
5. श्री सी एम उदेशी, मंत्री, लोक निर्माण विभाग
6. श्री जी करुणाकर रेड्डी, मंत्री, राजस्व
7. श्री बासवराज बोम्मई, जल संसाधन मंत्री
8. श्रीमती शोभा करंदलजे मंत्री, ग्रामीण विकास और पंचायती राज

9	श्री कत्ता सब्रमण्य नायडु	मंत्री, आईटीबीटी और उत्पाद शुल्क	4	श्री के. रेवनप्पा	अध्यक्ष, शिकारीपुर तालुक पंचायत
10	श्री सुधाकर राव	मुख्य सचिव	5	श्री नागेश कुंडलपाडी,	अध्यक्ष, मदीकेरी तालुक पंचायत
11	श्रीमती वत्सला वत्स	अपर मुख्य सचिव	6	श्री कल्लाप्पा हट्टी	अध्यक्ष, धारवाड़ तालुक पंचायत
12	डॉ. एल शांताकुमारी सुंदर	अपर मुख्य सचिव और विकास आयुक्त	7	श्री नरसिम्हा शेट्टी	अध्यक्ष, मारवंत ग्राम पंचायत
13	श्री एम.आर. श्रीनिवास मूर्ति	प्रधान सचिव, वित्त	8	श्री कृष्ण गौड़ा	अध्यक्ष, अलदुरु ग्राम पंचायत
14	श्रीमती शोभा नमबिसन,	प्रधान सचिव, योजना	9	श्री जगदीश एम. कावाटगी	मठ अध्यक्ष, टाउन म्युनिसिपल काउंसिल, चिक्कोडी
15	श्री सी.के. ज्योतिरामलिंगम	प्रधान सचिव, शहरी विकास	10	श्री अयुब खान,	मेयर, मैसूर सिटी कार्पोरेशन
16	श्री के जयराज	प्रधान सचिव, ऊर्जा	11	श्री बी.सी. मंजूनाथ	अध्यक्ष, टाउन म्युनिसिपल काउंसिल, बेलूर
17	श्री एल वी नागराजन	प्रधान सचिव, जल-संसाधन विकास	12	श्रीमती राधाबाई नंदगोपाल सारापरे	मेयर, सिटी कार्पोरेशन, हुबली धारवाड़
18	श्री ए वी अगुवानी	प्रधान सचिव, लोकनिर्माण	13	श्री एम शंकर ,	अध्यक्ष, टाउन म्युनिसिपल काउंसिल, शिमोगा
19	श्री सी एस सुरंजना	प्रधान सचिव, शिक्षा(उच्चतर शिक्षा)	14	श्रीमती के सी नागम्मा,	अध्यक्ष, टाउन म्युनिसिपल काउंसिल, मंडया
20	श्रीमती सी मीरा सक्सेना	प्रधान सचिव, वन	15	श्री ए मरेप्पा वकिला,	अध्यक्ष, टाउन म्युनिसिपल काउंसिल, रायचूर
21	श्री आर. एन. शास्त्री	प्रधान सचिव, लघु सिंचाई	व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधि		
22	श्री डी. थंगराज	प्रधान सचिव, राजस्व	1	श्रीमती रेवती वेंकटरमन,	अध्यक्ष, एडब्ल्यूकेई
23	श्री डी वेंकटेश्वर राव	प्रधान सचिव, पब्लिक उद्यम	2	श्री लिंगनागोदर,	अध्यक्ष, कर्नाटक चैम्बर्स आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज
24	श्री वी.पी. बालिगर,	मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव	3	श्री अरविन्द एन बुरजी,	अध्यक्ष, कर्नाटक स्माल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (केएसएसएसआईए)
25	श्री श्रीकुमार आर.	महानिदेशक और महानिरीक्षक (पुलिस) बंगलौर	4	श्री बी डी कडाबी,	अध्यक्ष, नॉर्थ कर्नाटक स्माल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (एनकेएसएसएसआईए)
26	श्री लक्ष्मीनारायण एम.,	मुख्यमंत्री के सचिव	5	श्री डी मुरलीधरन,	अध्यक्ष, फेडरेशन आफ कर्नाटक चैम्बर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (एफकेसीसीएल)
27	श्री के.वी. राजू,	मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार	6	श्री एन एन उपाध्याय,	अध्यक्ष, बंगलौर चैम्बर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज
28	श्री आर. पी. जगदीश,	मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार	7	श्री एस विश्वनाथन,	चेयरमैन, कंफेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्रीज
29	श्री जी.एस. नारायणस्वामी	सचिव, राजस्व (आपदा प्रबंध)	8	श्री राजेन्द्र जे. हिन्दुजा	प्रबंध निदेशक, मै. गोकुलदास एक्सपोर्ट्स
30	श्री पी. रविकुमार	सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायती राज	9	श्री कृष्ण गोपालकृष्णन एस.	प्रबंध निदेशक, मै. इंफोसिस टेक्नोलॉजिस लि
31	श्री ए एस श्रीकांत	सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायती राज	10	श्री मोहन दास परई,	बोर्ड सदस्य और निदेशक, एचआरडी मै. इंफोसिस टेक्नोलॉजिस लि.
32	श्री जावेद अख्तर	सचिव, शहरी विकास	11	श्री राजीव चन्द्र शेखर,	अध्यक्ष, संसद, फिक्की
33	श्री जे सुकुमार	सचिव, लोक निर्माण	12	श्री संजन पुवय्या,	चेयरमैन, फिक्की, कर्नाटक स्टेट काउंसिल
34	श्री एम मदनगोपाल	सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	13	श्री आर कृष्ण अध्यक्ष,	मैसूर चैम्बर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज
35	श्री एम आर काम्बले	सचिव, जल-संसाधन	14	श्री उमाकांत, अध्यक्ष,	हैदराबाद कर्नाटक चैम्बर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज
36	डॉ. अदिति राज	निदेशक, वित्त, के0पी0टी0सी0एल0	15	श्री सोम राजू के	मोहन एंड कंपनी
37	श्री योगेन्द्र त्रिपाठी	उत्पाद शुल्क आयुक्त	16	श्री राजेश,	प्रबंध निदेशक, मारुति क्लोथिंग कंपनी
38	श्री हरीश गौड़ा आयुक्त,	वाणिज्यिक कर	17	श्री पी के मिश्रा,	क्रय प्रमुख और उपाध्यक्ष, एसएटीएचवीए ग्रुप
39	श्री अजय सेठ सचिव	(बी.एंड आर), वित्त	राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि		
40	श्री अनिल कुमार झा	सचिव (व्यय), वित्त	1	श्री डी एच शेखरमूर्ति,	उपाध्यक्ष, राज्य योजना बोर्ड
41	श्री एस नागराज	प्रधान मुख्य संरक्षक, वन	2	श्री मल्लिकार्जुन खड्गे	विपक्ष के नेता, केएलए
42	श्री श्रीधर ए एन	संयुक्त सचिव (प्रशासन), वित्त	3	श्री एच डी कुमार स्वामी,	नेता, जनता दल(सेक्यूलर)
43	डॉ. आर विशाल	उप सचिव (बी एंड आर), वित्त	4	श्री वी एस उगरप्पा,	विपक्ष के नेता, केएलसी
44	श्री एम.एस. कृष्णामूर्ति	परामर्शदाता, एफ.पी.ह.वि.सी.	5	श्री एम सी नेनय्या, नेता,	जनता दल(सेक्यूलर)
45	श्री जी0 नागराजू	उप सचिव, वित्त (वित्त आयोग प्रकोष्ठ)	6	श्री आर वी देशपांडे,	अध्यक्ष, इंडियन नेशनल कांग्रेस
46	श्री एस. एम. जामदर	प्रबंध निदेशक, कर्नाटक विद्युत निगम	7	श्री डी.के. शिवकुमार,	कार्यकारी अध्यक्ष, इंडियन नेशनल कांग्रेस
47	श्री प्रकाश, निदेशक,	कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा मॉनिटरिंग केन्द्र, बंगलौर	8	श्री एम.पी. नाडगौड़ा	नेता, जनता दल(संयुक्त) पार्टी
48	श्री आई एस एन प्रसाद,	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एम. एस.ई.जेड.	9	श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा,	संसद-सदस्य और अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी
49	श्री देवीप्रसाद	निदेशक, एफ.पी.आई.	10	श्री नारायण स्वामी,	जनता दल(सेक्यूलर) पार्टी
50	श्री एम सिंधी	परामर्शदाता, एफ.पी.ए.सी.			
51	श्रीमती एन टी अबरू,	कोषागार निदेशक			
स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि					
1	श्रीमती पुष्पा रेखा पद्मनाभ रेड्डी,	अध्यक्ष, बेलारी जिला पंचायत			
2	श्री सुचरित शेट्टी	अध्यक्ष, दक्षिण कन्नड जिला पंचायत			
3	श्री सुभाष राठौड़,	सदस्य, गुलबर्गा जिला पंचायत			

13. केरल (8-10 फरवरी, 2009)**राज्य सरकार के प्रतिनिधि**

- 1 श्री वी.एस. अच्युतानंदन, मुख्यमंत्री
- 2 श्री एम.ए. बेबी, मंत्री, शिक्षा और संस्कृति
- 3 श्री कोडियेरी बालकृष्णन, मंत्री, गृह, सर्तकता और पर्यटन
- 4 श्री ए.के. बालन, मंत्री, विद्युत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास मंत्री, वन एवं आवास
- 5 श्री बिनोय विश्वम, मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं पशुपालन
- 6 श्री सी. दिवाकरण, मंत्री, श्रम एवं शुल्क
- 7 श्री पी.के. गुरुदासन, मंत्री, उद्योग
- 8 श्री एलाराम करीम, मंत्री, लोक निर्माण कार्य
- 9 श्री मोन्स जोसफ, मंत्री, परिवहन, मुद्रण एवं लेखन सामग्री
- 10 श्री मेथ्यू टी थॉमस, मंत्री, स्थानीय स्वशासन एवं ग्रामीण विकास
- 11 श्री पालोलि मोहम्मद कुट्टी, मंत्री, जल-संसाधन
- 12 श्री एन के प्रेमचन्द्रन, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार
- 13 श्री के पी राजेन्द्रन, कृषि मंत्री,
- 14 श्री मुल्लाक्कार रतनाकरण, मंत्री, मत्स्य पालन एवं पंजीकरण
- 15 श्री एस. शर्मा, मंत्री, स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण
- 16 श्रीमती पी के श्रीमती टीचर, मंत्री, सहकारिता, कॉयर एंड देवास्वम
- 17 श्री जी. सुधाकरन, मंत्री, वित्त
- 18 डॉ टी एम थामस आईजेक, मंत्री, न्याय, खेल एवं युवा मामले, संसदीय मामले
- 19 श्री एम विजयकुमार, उपाध्यक्ष, राज्य योजना बोर्ड
- 20 प्रो0 प्रभात पटनायक, सदस्य, राज्य योजना बोर्ड
- 21 डा0 के एन हरिलाल, राज्य योजना बोर्ड
- 22 डा0 मुदुल येपन, सदस्य, मुख्य सचिव
- 23 श्री के जे मैथ्यू, अपर मुख्य सचिव, जल-संसाधन
- 24 श्री के जयकुमार, अपर मुख्य सचिव, परिवहन
- 25 श्री अजय चौधरी, अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन
- 26 डा पी प्रभाकरन, अपर मुख्य सचिव, गृह
- 27 श्रीमती नीला गंगाधरन, प्रधान सचिव, वित्त
- 28 श्री एल सी गोयल, मुख्य मंत्री की सचिव
- 29 श्रीमती शीला थॉमस, प्रधान सचिव, आवास एवं पशुपालन
- 30 श्री रामा मूर्ति, प्रधान सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य
- 31 श्री टी बालकृष्णन, प्रधान सचिव, स्थानीय स्वशासन
- 32 श्री एस एम विजयानन्द, प्रधान सचिव, उच्चतर शिक्षा
- 33 श्री कुरुविल्ला जोन, प्रधान सचिव, वन एवं वन्य जीव
- 34 श्री पी के मोहन्ती, प्रधान सचिव, राजस्व
- 35 डॉ. निवेदिता पी. हरन, प्रधान सचिव, विद्युत
- 36 श्री एल राधाकृष्णन, प्रधान सचिव, कर
- 37 श्री पी मारा पांडियन, प्रधान सचिव, कर

38 श्री पॉल एंटनी

39 श्री टी के मनोजकुमार

40 श्री सी के विश्वनाथन,

41 श्री टी.के. जोस,

42 श्री टॉम जोस

43 डॉ. विश्वास मेहता,

44 श्री जेम्स वर्गिस,

45 श्री के. आर. ज्योतिलाल

46 श्री टीका राम मीणा

47 डॉ. वेनू. वी

48 डॉ. अजय कुमार,

49 डॉ. ई पी यशोधरन,

50 डॉ. ऊषा टाइट्स,

51 श्रीमती शारदा मुरलीधरन,

52 श्री पी के सतीशन,

53 श्री एन सासी,

54 श्री के शशिधर,

55 श्री पुनीत कुमार,

56 श्री एस अनन्तकृष्णन

57 श्री राजीव सदानन्दन

58 श्री एन वी त्रिवेदी बाबू

59 श्री मनोज जोशी,

60 श्री पॉल लेसले,

61 श्री के0 पद्म कुमार

स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1 श्री एम भास्करन

2 श्री सी जयन बाबु

3 श्री अरीमबरा मोहम्मद मास्टर

4 श्री अनवूर नागाप्पन,अध्यक्ष,

5 श्री एम.वी. बालकृष्णन मास्टर

6 श्री सी. दिवाकरन,चेयरमैन,

7 श्रीमती पी. थंकोम टीचर,अध्यक्ष,

8 श्री अयामनम बाबु ,

9 श्री कलाडी अबुबाकर,

10 श्री के नारायणन,

11 श्री के सुगथन

12 कुमारी सी अनीता,अध्यक्ष, कदमपाड़ीपुरम ग्राम पंचायत, पालाक्कड

प्रधान सचिव, अनुसूचित जाति/

अनुसूचित जनजाति

सचिव, वित्त (व्यय)

सचिव, श्रम

सचिव, स्थानीय स्वासन

सचिव, लोक निर्माण कार्य

सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार

कल्याण

सचिव, सामान्य शिक्षा

सचिव, परिवहन

सचिव, योजना एवं आर्थिक

मामले

सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति

मामले

सचिव, आई टी

सचिव, विज्ञान प्रौद्योगिकी

सचिव, समाज कल्याण

कार्यकारी निदेशक, कुदम्बसरी

मुख्य अभियंता, सड़क एवं पुल

मुख्य अभियन्ता, सिंचाई

निदेशक, महाविद्यालय शिक्षा

निदेशक, तकनीकी शिक्षा

परिवहन आयुक्त

चेयरमैन, केएसईबी

सीसीएफ, विकास

प्रबंध निदेशक, केएसआईडीसी

पुलिस महानिरीक्षक, कारागार

सचिव, आरआईएबी

मेयर, कोजीकोड निगम

मेयर, तिरुवनन्तपुरम निगम

अध्यक्ष, जिला पंचायत,

मालापुरम

जिला पंचायत, तिरुवनन्तपुरम

अध्यक्ष, जिला पंचायत,

कसारगोड

पेरिनथलमन्न नगरपालिका,

मलप्पुरम

कोडाकारा ब्लॉक पंचायत,

कोट्टायाम

अध्यक्ष, इट्टूमनूर ब्लॉक

पंचायत, कोट्टायाम

अध्यक्ष, कोट्टापद्म ग्राम

पंचायत

अध्यक्ष, कारीवेल्लूर-पेरालाम

ग्राम पंचायत, कन्नूर

अध्यक्ष, अड्ल्लूर ग्राम पंचायत,

पालाक्कड

13 श्रीमती सी सान्तामणी अध्यक्ष, अगाली ग्राम पंचायत, पालाक्कड

व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि

- 1 श्री मनोज जोशी, प्रबंध निदेशक, केरल राज्य उद्योग विकास निगम(केएसआईडीसी)
- 2 श्री के पद्मकुमार, सचिव, आरआईएबी
- 3 श्री वी के सी मोहम्मद कोया, राज्य अध्यक्ष, केरल राज्य लघु उद्योग संघ
- 4 श्री पी. गणेश, जोनल चेयरमैन, कानफेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्रीज(सीआईआई)
- 5 श्री जोश, मुख्य संरक्षक, आभूषण विनिर्माता संघ
- 6 श्री सी ए सी मोहन सचिव, मालाबार चैम्बर आफ कॉमर्स

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

- 1 श्री एम पी गंगाधरन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
- 2 श्री के एम मणि विधानसभा सदस्य, केरल कांग्रेस (एम)
- 3 श्री कुट्टी अहमद कुट्टी विधानसभा सदस्य, मुस्लिम लीग सीपीएम
- 4 श्री सी पी जॉन भारतीय जनता पार्टी
- 5 श्री एम टी रमेश, कांग्रेस(एस)
- 6 श्री रामचन्द्रन कडन्नाप्पलई संसद-सदस्य, केरल कांग्रेस(जे)
- 7 श्री के फ्रांसिस जार्ज भारतीय समाजवादी पार्टी(एम)
- 8 श्री वाईक्कॉम विश्वम, भारतीय समाजवादी पार्टी(एम)
- 9 श्री फिलिप्स थॉमस इंडियन नेशनल कांग्रेस
- 10 श्री टी एस जॉन केरल कांग्रेस(सेक्यूलर)
- 11 श्री वी पी रामकृष्णन पिल्लई रिव्यूल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी
- 12 प्रो० ओम्मेन मेथ्यू केरल कांग्रेस(जेकब)
- 13 डॉ० वर्गिस जार्ज जनता दल (एस)

14. मध्यप्रदेश (8-11 जून, 2009)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

- 1 श्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री
- 2 श्री राघवजी वित्त मंत्री
- 3 श्री राम कृष्ण कुसमारिया कृषि मंत्री
- 4 श्री करण सिंह वर्मा मंत्री, श्रम, राजस्व एवं पुनर्वास
- 5 श्रीमती रजना बघेल मंत्री, महिला एवं बाल विकास
- 6 श्रीमती अर्चना चिटनिस मंत्री, शिक्षा
- 7 श्री राजेन्द्र शुक्ला, मंत्री, वन
- 8 श्री जगदीश देवड़ा मंत्री, गृह
- 9 श्री अनूप मिश्रा मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
- 10 श्री जयन्त माल्या मंत्री, जल-संसाधन, आवास एवं पर्यावरण
- 11 श्री गोपाल भार्गव मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास
- 12 श्री राकेश साहनी, मुख्य सचिव
- 13 श्री विनोद चौधरी, अपर मुख्य सचिव, गृह
- 14 श्री प्रशान्त मेहता अपर सचिव, वन
- 15 श्री जी पी सिंघल प्रधान सचिव, वित्त
- 16 श्री देवराज बिरदी प्रधान सचिव, स्वास्थ्य
- 17 श्रीमती टीनू जोशी, प्रधान सचिव, महिला एवं बाल विकास
- 18 श्री सुदेश कुमार, प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन
- 19 श्री सत्य प्रकाश, प्रधान सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग
- 20 श्री अरविन्द जोशी, प्रधान सचिव, जल-संसाधन
- 21 श्री राघव चन्द्रा प्रधान सचिव, शहरी प्रशासन एवं विकास

- 22 श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव प्रधान सचिव, शिक्षा
- 23 श्री आई एस दानी प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास
- 24 श्री पी डी मीणा प्रधान सचिव, लोक निर्माण
- 25 श्री एम एम उपाध्याय प्रधान सचिव, राजस्व
- 26 श्री ओ पी रावत प्रधान सचिव, जनजाति
- 27 श्री ए पी श्रीवास्तव प्रधान सचिव, वाणिज्यिक शुल्क
- 28 श्री आलोक श्रीवास्तव प्रधान सचिव, आवास एवं पर्यावरण
- 29 श्री इकबाल सिंह बैंस मुख्य मंत्री के सचिव
- 30 श्री एस्.के. मिश्रा मुख्य मंत्री के सचिव
- 31 श्री अनिल श्रीवास्तव सचिव, ग्रामीण विकास
- 32 श्री संजय बंधोपाध्याय सचिव, ऊर्जा
- 33 श्री अनुराग जैन मुख्य मंत्री के सचिव
- 34 श्रीमती अलका उपाध्याय सचिव, वित्त
- 35 श्री एस.पी.एस. परिहार मुख्य मंत्री के सचिव
- 36 श्री प्रभाकर बंसोड सचिव, वित्त
- 37 श्रीमती सुधा चौधरी सचिव, राज्य वित्त आयोग
- 38 श्री मनोज झालानी आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र
- 39 बी०आर नायडू आयुक्त, लोक अनुदेश
- 40 श्रीमती वीणा घाणेकर आयुक्त, जनजाति
- 41 श्री मनोहर अगनानी आयुक्त, स्वास्थ्य
- 42 श्रीमती दीप्ति परियोजना निदेशक,
- गौड़ मुखर्जी परियोजना उदय
- 43 श्री प्रवीण गर्ग प्रबंध निदेशक, मध्यप्रदेश
- राज्य उद्योग विकास निगम
- 44 श्री दीपक खांडेकर आयुक्त, उद्योग
- 45 मोह० सुलेमान प्रबंध निदेशक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम
- 46 श्रीमती पल्लवी जैन गोविल अपर सचिव, वित्त एवं निदेशक, संस्थागत वित्त
- 47 श्रीमती कल्पना आयुक्त, श्रीवास्तव महिला एवं बाल विकास
- 48 श्रीमती रश्मि मुख्य अभियंता अधिकारी, अरूण शामी एनआरईजीएस
- 49 श्री एस.एन मिश्रा आयुक्त, शहरी प्रशासन एवं विकास
- 50 डॉ. ई. रमेश कुमार उप सचिव, वित्त
- 51 श्री जितेन्द्र अग्रवाल सीसीएफ
- 52 श्री एच.एस. पावला एसीसीएफ
- 53 श्री धमेन्द्र शुक्ला एसीसीएफ
- 54 श्री एस. के. गुप्ता संयुक्त निदेशक, संस्थागत, वित्त
- 55 डॉ. अरूण पालीवाल संयुक्त निदेशक, संस्थागत, वित्त
- 56 श्री मिलिन्द वाईकर उप सचिव, वित्त
- 57 श्रीमती विजय लक्ष्मी बरस्कर उप सचिव, वित्त
- 58 श्री बिरेन्द्र कुमार अवर सचिव, वित्त
- 59 श्री अदिति त्रिपाठी अवर सचिव, वित्त
- 60 श्री अजय चौबे अवर सचिव, वित्त
- 61 मो. रज्जाक अवर सचिव, वित्त

स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1	श्रीमती अनिता मंदिरेया	अध्यक्षा, सिहोरे
2	श्रीमती ममता मीणा	अध्यक्षा, गुना
3	श्रीमती रेखा बिसेन	अध्यक्षा, बालाघाट
4	श्री मदन लाल राठौड़	अध्यक्ष, मंदसौर
5	श्री प्रभाकर मेहरा	अध्यक्ष, रायसेन
6	श्री हरवंश सिंह राठौड़	अध्यक्ष, सागर
7	श्रीमती ज्योति शाह	अध्यक्षा, विदिशा
8	श्री छतर सिंह पटेल	अध्यक्ष, गैरतगंज, रायसेन
9	श्री रमेश कोल	अध्यक्ष, सोहागपुर, शाहदोल
10	श्रीमती विद्यावती	अध्यक्षा, उज्जैन
11	श्रीमती रेखा संतोष कुमार	अध्यक्षा, तिमरनी, हरदा
12	श्री राजेन्द्र कुमरे	अध्यक्ष, मोहखेद, छिंदवाड़ा
13	श्रीमती सुन्दर बाई	सरपंच, जनपद पंचायत-गैरतगंज रायसेन
14	श्री धारा सिंह पटेल	सरपंच, चाचरासी, जनपद पंचायत-अष्ट, सिहोरे
15	श्री राम अवतार यादव	सरपंच कमतउन कसिया, जनपद पंचायत-ओबेदुल्लागंज, रायसेन
16	श्री हरिहर मोगरे	सरपंच रत्नपुर, जनपद पंचायत-बगेली, देवास
17	श्रीमती समरथ बाई	सरपंच तिगरिया छोटा, जनपद पंचायत-देवास
18	श्री सुनील सूद	मेयर, भोपाल
19	श्रीमती उमा शर्मा,	मेयर, इंदौर
20	श्रीमती आशा मौर्या	मेयर, रतलाम
21	श्रीमती सोनी बाई मेहर	मेयर, उज्जैन
22	सुश्री बिमला पांडे	मेयर, सतना
23	श्री हरिबाबू अग्रवाल	अध्यक्ष, विदिशा
24	श्री रघुराज चौधरी	अध्यक्ष, नीमच
25	श्री कन्हैया राम रघुवंशी,	अध्यक्ष, छिंदवाड़ा
26	श्री प्यारा सिंह	अध्यक्ष, छतरपुर
27	श्री विष्णु चौरसिया,	चेयरमैन, मैहार, सतना
28	सुश्री सत्यभामा,	अध्यक्षा, शाहडोल
29	श्री गोपाल सेठ,	अध्यक्ष, धामनोद, खारगोने
30	श्री कैलाश चौरसिया,	अध्यक्ष, पथारिया
31	श्री भूपेन्द्र द्विवेदी	अध्यक्ष, इस्सारगढ़, गुना
32	श्रीमती मंजूलता शिवहरे	अध्यक्षा, नरसिंहगढ़, राजगढ़

व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि

1	डॉ. आर.एस. गोस्वामी	अध्यक्ष, मध्यप्रदेश लघु उद्योग संघ, भोपाल
2	श्री विपिन कुमार जैन	महासचिव, मध्यप्रदेश लघु उद्योग संघ, भोपाल
3	श्री बी.एस. खारगांवकर	अध्यक्ष, कंफेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्रीज, भोपाल
4	श्री संजय खंडेलवाल	अध्यक्ष, उद्योग-संघ, रायसेन
5	श्री ए.के. भसीन	अध्यक्ष, उद्योग-संघ, रायसेन
6	श्री जगदीश मित्तल,	सचिव, ग्वालियर उद्योग संघ, ग्वालियर
7	श्री जी.डी. लढ्ढा	अध्यक्ष, मध्यप्रदेश चैम्बर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ग्वालियर

8	श्री आर.के. खेतान	उपाध्यक्ष, ग्वालियर
9	श्री अशोक जायसवाल	अध्यक्ष, उद्योग-संघ, इंदौर
10	श्री शलभ शर्मा	उपाध्यक्ष(भोपाल डिवीजन) फेडरेशन आफ मध्यप्रदेश चैम्बर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, भोपाल
11	श्री अरूण जैन	उपाध्यक्ष (जबलपुर डिवीजन)
12	श्री एस0 पाल	उपाध्यक्ष मध्यप्रदेश टैक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन, इंदौर
13	श्री गौतम कोठारी	अध्यक्ष, पीठमपुर औद्योगिक संगठन, इंदौर
14	श्री दर्शन कटारिया	महासचिव, पीठमपुर औद्योगिक संगठन, इंदौर
15	डॉ0 अजय नारंग,	राज्य-प्रभारी, लघु उद्योग भारती, मध्यप्रदेश, भोपाल
16	श्री उल्लास वैद्य	अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1	श्री ब्रिजेन्द्र सिंह	राज्य उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी
2	श्री एन.पी. प्रजापति	विधानसभा सदस्य एवं कोषाध्यक्ष, मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी
3	श्री राकेश चौधरी	विधानसभा सदस्य एवं प्रवक्ता, मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी
4	श्री नुसरत अली	महासचिव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, मध्यप्रदेश
5	श्री मोहन सिंह पवार	राज्य सचिव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, मध्यप्रदेश
6	श्री प्रकाश कुमार	राज्य अध्यक्ष, छात्र कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, मध्यप्रदेश
7	कामरेड शैलेन्द्र कुमार शैली	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मध्यप्रदेश
8	कामरेड रूप सिंह चौहान	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मध्यप्रदेश
9	श्री प्रमोद प्रधान	सदस्य, राज्य सचिव मंडल, मध्यप्रदेश, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (एम)
10	सुश्री संध्या शैली	सदस्य, राज्य सचिव मंडल, मध्यप्रदेश, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (एम)
11	श्री आई0एस0 मोर्य	बहुजन समाज पार्टी
12	श्री राजाराम	कार्यकारी राज्य सचिव, बहुजन समाज पार्टी

15. महाराष्ट्र (20-21 फरवरी, 2009)**राज्य सरकार के प्रतिनिधि**

1	श्री अशोक चौहान	मुख्य मंत्री
2	श्री दिलीप वालसे पाटिल	मंत्री, वित्त
3	श्री अजीत पवार	मंत्री, जल-संसाधन
4	श्री रत्नाकर महाजन	अध्यक्ष, राज्य योजना बोर्ड
5	श्री जॉनी जोसफ	मुख्य सचिव
6	श्री जे0पी0 डांगे	अपर मुख्य सचिव, वन
7	श्रीमती चन्द्रा आयंगर	अपर मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य

8	श्री विद्याधर कनडे	प्रधान सचिव, वित्त	5	श्री टी0एन0 हॉकिप	मंत्री, पीएचआरडी, आईपीआर, पर्यटन
9	डॉ0 प्रदीप व्यास	सचिव, व्यय	6	श्री वाई0 एरावत सिंह	मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग, एफसीएस, सहकारिता
10	श्री ए0एम0 खान	प्रधान सचिव, उद्योग	7	श्री एन0 लोकन सिंह	मंत्री, कृषि, एमआई, समाज कल्याण
11	श्री सुनील सोनी	प्रधान सचिव, योजना	8	श्री एल0 जयंतकुमार सिंह	मंत्री, शिक्षा, परिवहन, रेशम उत्पादन
12	डॉ0 एस0के0 गोयल	प्रधान सचिव, सहकारिता एवं वस्त्र विभाग	9	श्री के0 रणजीत सिंह	मंत्री, निर्माण कार्य, मुद्रण एवं लेखन सामग्री
13	श्री रमेश कुमार	प्रधान सचिव, पुनर्वास	10	मो0 अलाऊदीन खान	मंत्री, आरडी एंड पीआर, एमओबीसी, मत्स्य पालन
14	श्री मनुकुमार श्रीवास्तव	सचिव, शहरी विकास विभाग	11	श्री एन बिरेन	मंत्री, आईएफसीडी, युवा मामलें एवं खेल मामले
स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि					
1	श्री बलदेव सिंह	सचिव, आरडीडी	12	श्री डी डी थैसी	मंत्री, टीडी, जिला काउंसिल एंड हिल्स, पशु-चिकित्सा एवं पशुपालन
2	श्री रत्नाकर महाजन	चेयरमैन, राज्य योजना बोर्ड	13	श्री ई कुंजेश्वर सिंह	डिप्टी चेयरमैन, राज्य योजना बोर्ड
3	श्रीमती शुभा राउल	मेयर, मुंबई नगर निगम	14	श्री राकेश, आईएएस	मुख्य सचिव
4	श्रीमती राजलक्ष्मी भोसले	मेयर, पुणे	15	श्री वाई जॉयकुमार सिंह,	आईपीएस, पुलिस महानिदेशक
5	श्रीमती गोदावरी केन्द्रे अध्यक्ष,	जिला परिषद, उस्मानाबाद	16	श्री डी एस पुनिया,	आईएएस, अपर मुख्य सचिव, गृह, योजना
6	श्रीमती प्रीतिला धर्मेन्द्र दुधे	अध्यक्ष, जिला परिषद, यवतमाल	17	श्री पी सी लोमकुंगा,	आईएएस, प्रधान सचिव, पीएचईडी, आरडी एवं पीआर, एमओबीसी
7	श्री भरत पाटिल, उपाध्यक्ष,	जिला परिषद, कोल्हापुर	18	श्री एल पी गोम्मई, आईएएस	आयुक्त, ऊर्जा, टीडी, हिल्स
8	श्री उदय बाने	सदस्य, जिला परिषद, रत्नागिरि	19	श्री रामगनिंग मुईवाह, आईएएस	आयुक्त, निर्माण कार्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
9	श्री पोपट पवार	सरपंच, ग्राम पंचायत, हिवारे बाजार	20	श्री पी0 भरत सिंह, आईएएस	आयुक्त, कला एवं संस्कृति, आईपीआर, जीएडी
10	श्री नन्दकिशोर पाटकेर	अध्यक्ष, बदलापुर नगर परिषद	21	श्री शंभु सिंह, आईएएस	आयुक्त, शिक्षा-एस चुनाव
11	श्रीमती अंजली टाम्बे	अध्यक्ष, सांगमनेर नगर परिषद	22	डॉ0 सुहेल अख्तर, आईएएस	आयुक्त, सीएडीए
12	श्री चरणसिंह ठाकुर	उपाध्यक्ष, कातोळ नगर परिषद	23	श्री वयूमलुन्ग वयूलन्म, आईएएस	सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
13	श्री नानकराम नेभनानी	अध्यक्ष, मुर्तजापुर नगर परिषद	24	श्री एस0 सुंदरलाल सिंह, आईएएस	सचिव, राजस्व, एमएचयूडी
व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधि					
1	डॉ0 सी0एस0 देशपांडे	महाराष्ट्र आर्थिक विकास परिषद	25	श्री पी0के0 सिंह, आईएएस	मुख्यमंत्री के सचिव, डीपी एंड एआर
2	श्री रानाडे	भारतीय उद्योग परिसंघ(सीआईआई)	26	डॉ0 आर0के0 निमई सिंह,	आईएएस राज्यपाल के सचिव
3	डॉ0 वैजयंती पंडित	भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल परिसंघ (फिक्की)	स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि		
4	श्री विजय कलंतरी	अखिल भारतीय उद्योग संघ	1	श्री सोईबम सुभाषचन्द्र सिंह	अध्यक्ष, इम्फाल पश्चिम जिला परिषद
5	श्री चन्द्रकान्त सालुन्खे	भारतीय लघु एवं मध्यम व्यापार विकास मंडल	2	मो अब्दुल लतीफ	अध्यक्ष, थोउबल जिला परिषद
6	श्रीमती मीनल	मोहदिकर महाराष्ट्र वाणिज्य एवं उद्योग मंडल	3	श्री चौ रोमियो	प्रधान, थोंगजू, पार्ट-II, ग्राम पंचायत, इम्फाल पूर्वी जिला
7	श्री टी0पी0 गोपालकृष्ण	एसईईपीजेड, रत्न एवं आभूषण विनिर्माता संघ	4	श्रीमती एच इबेयैमा देवी	प्रधान, खा थिंगनुनोई, मोईरंग ब्लॉक, बिशानुपुर जिला
8	श्री एम0आर0 खम्बेते	लघु उद्योग संघ मंडल	5	श्री वाई नेता सिंह	निदेशक, आरडी एंड पीआर, मणिपुर
9	श्री मोहन गुरनानी	महाराष्ट्र एसोसिएशन फेडरेशन	6	श्री एम जॉय सिंह	एमसीडी, निदेशक(एमएचयूडी), मणिपुर
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि					
1	श्री रत्नाकर महाजन	राष्ट्रवादी कांग्रेस	7	श्रीमती एम रानीसना देवी	अध्यक्षा, इम्फाल नगर परिषद
2	श्री गजानन कीर्तिकर	शिव सेना	8	श्रीमती ए मंजरी देवी	अध्यक्षा, थोउबल नगर परिषद
3	श्री एकनाथ खडसे	भारतीय जनता पार्टी	9	श्री के एस एच कुलहरि सिंह	अध्यक्ष, काकचिंग नगर परिषद
16. मणिपुर (21-23 जनवरी, 2009)					
राज्य सरकार के प्रतिनिधि					
1	श्री ओकराम ईबोबी सिंह	मुख्य मंत्री	10	श्रीमती एस जीबनलता देवी	अध्यक्षा, मोईरंग नगर परिषद
2	श्री ठा0 देबेन्द्र सिंह	मंत्री, राजस्व, वन एवं पर्यावरण, विधि एवं विधायी कार्य	11	श्री ई मांगी सिंह	अध्यक्ष, लामलई नगर पंचायत
3	श्री टी0 फुंगजथांग तोनसिंह	मंत्री, ऊर्जा, बागवानी एवं रेशम उत्पादन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	12	श्री आर के रगईसिन	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, तमेंगलॉग, एडीसी
4	श्री परिजात सिंह	मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सीएडीए, श्रम एवं रोजगार			

- 13 श्री निन्नाम चामराय मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उखरुल एडीसी
 14 श्री बिरमानी सिंह मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सेनापति एडीसी
 15 श्री चोंगपू किपगेन मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सदर हिल्स एडीसी

16 श्री एस0 व्यूरंगम मुख्य कार्यपालक अधिकारी, चंदेल एडीसी
व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधि

- 1 श्री वी0 तुआलथांग अपर निदेशक(आईएमबीटीयू) इंडो-म्यांमार बार्डर ट्रेड यूनियन
 2 श्री द्विजमणि सिंह विशेष कार्य अधिकारी, उद्योग (आईएमबीटीयू) इंडो-म्यांमार बार्डर ट्रेड यूनियन
 3 श्री यूमनन चा दिलीपकुमार अध्यक्ष (आईएमबीटीयू) इंडो-म्यांमार बार्डर ट्रेड यूनियन
 4 श्री यूमलेम्बन कपूर उपाध्यक्ष (आईएमबीटीयू) इंडो-म्यांमार बार्डर ट्रेड यूनियन
 5 श्री ओइनम रंजीत सिंह महासचिव(आईएमबीटीयू) इंडो-म्यांमार बार्डर ट्रेड यूनियन
 6 श्री टी रशमानी शर्मा, सदस्य (आईएमबीटीयू) इंडो-म्यांमार बार्डर ट्रेड यूनियन
 7 श्री थांगजम रोलिविन, सदस्य (आईएमबीटीयू) इंडो-म्यांमार बार्डर ट्रेड यूनियन
 8 श्री एन0 रुद्रमणी सदस्य (आईएमबीटीयू) इंडो-म्यांमार बार्डर ट्रेड यूनियन
 9 श्री मुतुम बिरजीत सदस्य (आईएमबीटीयू) इंडो-म्यांमार बार्डर ट्रेड यूनियन

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

- 1 डॉ0 एल0 चन्द्रमणी सिंह अध्यक्ष एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री, मणिपुर पीपल्स पार्टी
 2 श्री ओ0 जॉय सिंह विधानसभा सदस्य, मणिपुर पीपल्स पार्टी,
 3 डॉ0 बिजॉय सिंह विधानसभा सदस्य
 4 श्री याम सिंह सचिव, मणिपुर पीपल्स पार्टी
 5 डॉ0 एस0 प्रियकुमार सिंह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
 6 डॉ0 काल्टोनलियन अमो उपाध्यक्ष, मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी
 7 श्री सरत सलाम सचिव, सीपीआई(एम)
 8 श्री संता सचिवालय सदस्य, सीपीआई(एम)
 9 श्री यूमनन रतन सचिवालय सदस्य, सीपीआई(एम)
 10 डॉ0 एम नारा राज्य सचिवालय सदस्य, सीपीआई
 11 श्री के0 मणिबाबू सिंह राज्य परिषद सदस्य, सीपीआई
 12 श्री इबोयमा राज्य परिषद सदस्य, सीपीआई
 13 श्री डब्ल्यू0 कूल्लाबिधू सिंह पूर्व संसद सदस्य, अध्यक्ष, जनता दल सेक्यूलर
 14 श्री एच0 बोरबाबू सिंह पूर्व स्पीकर, अध्यक्ष, बीजेपी, मणिपुर यूनिट
 15 श्री धनन्जय सिंह पूर्व स्पीकर, उपाध्यक्ष, बीजेपी, मणिपुर यूनिट

- 16 श्री एच0 कंगजाम्बा पूर्व मंत्री, पदाधिकारी, बीजेपी, मणिपुर यूनिट

17. मेघालय (25-29 अप्रैल, 2009)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

- 1 श्री रंजीत शेखर मूसाहारी राज्यपाल
 2 श्री रंजन चटर्जी, आईएएस मुख्य सचिव
 3 श्री डब्ल्यू0एम0एस0 परैत, आईएएस,अपर मुख्य सचिव
 4 श्री पी0बी0ओ0 वारजरी, आईएएस, प्रधान सचिव
 5 श्री अनूप कुमार ठाकुर, आईएएस, प्रधान सचिव
 6 श्री वी0एस0 ओबराय, आईएएस, प्रधान सचिव
 7 श्री बी0के0 देव वर्मा, आईएएस, प्रधान सचिव
 8 श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव, आईएएस, प्रधान सचिव
 9 श्री एस0एस0 गुप्ता, आईएएस, प्रधान सचिव
 10 श्री ए0के0 भल्ला, आईएएस, प्रधान सचिव
 11 श्री पी नाईक, आईएएस, प्रधान सचिव
 12 श्री सी डी किनजिंग, आईएएस, प्रधान सचिव
 13 डॉ0 श्रीरंजन, आईएएस, आयुक्त एवं सचिव
 14 श्री एच0 मारवीन, आईएएस, आयुक्त एवं सचिव
 15 श्री पी डब्ल्यू इंगटी, आईएएस, आयुक्त एवं सचिव
 16 श्री पी खरकोंगोर, आईएएस, आयुक्त एवं सचिव
 17 श्री एल0 राय, आईएएस, आयुक्त एवं सचिव
 18 श्रीमती आर वी सुचियांग, आईएएस, आयुक्त एवं सचिव
 19 श्री अरविन्दम सोम, आईएएस, आयुक्त एवं सचिव
 20 श्री डी के डरवार, आईएएस, आयुक्त एवं सचिव
 21 श्री अजय तिवारी, आईएएस, आयुक्त एवं सचिव
 22 श्री डी पी वाहलांग, आईएएस, आयुक्त एवं सचिव

स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

- 1 श्री पी0के0 संगमा मुख्य कार्यकारी सदस्य, गारो हिल्स, स्वायत्त जिला परिषद, तूरा
 2 श्री ओ0आर0 मारक कार्यकारी सदस्य, गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद, तूरा
 3 श्री एस0आर0आर मारक उप सचिव, कार्यकारी समिति, गारो हिल्स, स्वायत्त जिला परिषद, तूरा
 4 श्री आर0बी0 मारक काउंसिल अभियंता, गारो हिल्स, स्वायत्त जिला परिषद, तूरा
 5 श्री जे0आर0 पीरतुह कार्यकारी सदस्य, जयंतिया हिल्स, स्वायत्त जिला परिषद, जोवई
 6 श्री एस0एम0 सुना कार्यकारी सदस्य, जयंतिया हिल्स, स्वायत्त जिला परिषद, जोवई
 7 श्री के0 लिटन कार्यकारी सदस्य, जयंतिया हिल्स, स्वायत्त जिला परिषद, जोवई
 8 श्री एस0 पीडे सचिव, कार्यकारी सदस्य, जयंतिया हिल्स, स्वायत्त जिला परिषद, जोवई
 9 श्री एन0एन0 कलिता मुख्य अभियंता, जयंतिया हिल्स, स्वायत्त जिला परिषद, खासी
 10 डॉ0 सी0 लिंगदोह मुख्य कार्यकारी सदस्य, खासी हिल्स, स्वायत्त जिला परिषद, शिलांग
 11 श्री के0पी0पांगनियांग कार्यकारी सदस्य, खासी हिल्स, स्वायत्त जिला परिषद, शिलांग

- 12 श्री सी0एस0 सोहतुन कार्यकारी सदस्य, खासी हिल्स, स्वायत्त जिला परिषद, शिलांग
- 13 श्री एल0 खरकांगर कार्यकारी सदस्य, खासी हिल्स, स्वायत्त जिला परिषद, शिलांग
- 14 श्री डब्ल्यू सिमलेह सचिव, कार्यकारी समिति, खासी हिल्स, स्वायत्त, जिला परिषद, शिलांग
- 15 श्री आर0एस0 वाननियांग संयुक्त सचिव, कार्यकारी समिति, खासी हिल्स, स्वायत्त जिला परिषद, शिलांग

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

- 1 डॉ जेमिनो मावथोह अध्यक्ष, शिलांग सिटी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी(एनसीपी)
- 2 डॉ0 एल0 केजी कार्यकारी अध्यक्ष, मेघालय राज्य परिषद, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी(एनसीपी)
- 3 श्रीमती देबोराह सी0 मारक कार्यकारी अध्यक्ष, मेघालय प्रदेश कार्य समिति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस(एनसीपी)
- 4 श्री बोल्डनेस एल0 नोनगम महासचिव, मेघालय प्रदेश कांग्रेस समिति, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी(एनसीपी)
- 5 श्री रंजीत कार सहायक सचिव, मेघालय राज्य परिषद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी(सीपीआई)
- 6 श्री डी0डी0 डिम्पेप, सचिव मेघालय राज्य परिषद, सीपीआई
- 7 डॉ0 पी0एम0 पासा, महासचिव, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)
- 8 श्री सुभाषिष मंडल सचिव एवं संयोजक, लीगल सेल, भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी)

व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि

- 1 श्री रेमस वाहलांग मेघालय आयात-निर्यात संघ, शिलांग
- 2 श्री अलबान खोंगलह मेघालय आयात-निर्यात संघ, शिलांग
- 3 श्रीमती डॉली खोंगलह मेघालय इंटरनेशनल चैम्बर आफ कॉमर्स, शिलांग
- 4 श्रीमती माया देवी सुरांग मेघालय इंटरनेशनल चैम्बर आफ कॉमर्स, शिलांग
- 5 श्री उमीकृष्णन मेघालय उद्योग परिसंघ, शिलांग
- 6 श्रीमती सुजी बासन मेघालय उद्योग परिसंघ, शिलांग
- 7 श्री टी0के0 चक्रवर्ती मेघालय उद्योग परिसंघ, शिलांग
- 8 श्रीमती जे0एम0 वाहलांग मै0 मेघा साल्ट
- 9 श्री ए0 नान्किनरिह मै0 मेघा साल्ट

18. मिजोरम (22-24 अप्रैल, 2009)**राज्य सरकार के प्रतिनिधि**

- 1 श्री लाल थनहोला मुख्य मंत्री
- 2 श्री आर0 ललजिरलियाना मंत्री, गृह
- 3 श्री एच0 लियनसलोवा मंत्री, कृषि
- 4 श्री लालसावता मंत्री, शिक्षा
- 5 श्री जोडितलुआंगा मंत्री, ग्रामीण विकास और पी.ए.
- 6 श्री लालखामा वाइस चेयरमैन, राज्य योजना बोर्ड
- 7 श्री आर0 सेलथुआमा वाइस चेयरमैन, एनएलयूपी बोर्ड
- 8 श्री लाल थंजारा संसदीय सचिव
- 9 श्री एच0 जोथंगलियाना संसदीय सचिव

- 10 श्री वनहेला पचायु मुख्य सचिव
- 11 श्रीमती एल0 तोचोंग प्रधान सचिव, कृषि
- 12 श्री सी0 ललसावता प्रधान सचिव, वित्त
- 13 श्री लालरोकखुहुमा पचायु पुलिस महानिदेशक
- 14 डॉ0 एस0एस0 गरब्याल प्रधान मुख्य वन संरक्षक
- 15 श्री पी0 चक्रवर्ती आयुक्त और सचिव, विधि एवं न्याय
- 16 श्री के. लालधिगलोवा सचिव, पी एंड ई
- 17 श्री वेंनिगमाविया सचिव, जीएडी
- 18 श्री टी. पी. खोंड प्रधान सलाहकार
- 19 श्रीमती एस्थर लालरुआतकिमी सचिव, उद्योग
- 20 श्री लियांगसांगा सचिव और इंजीनियर प्रभारी, लोक निर्माण विभाग
- 21 श्री रोहमिंगलियाना सचिव, एलएडी
- 22 श्री ललथनसांगा सचिव, वित्त
- 23 श्री जॉनी टीओ सचिव, शहरी विकास और पीए
- 24 श्री नागाक्लियानमाविया सचिव, बागवानी
- 25 श्री वनलालरुआता अपर सचिव, वित्त
- 26 श्री पवन कुमार मुख्य अभियंता, पीएचई
- 27 श्री आर लालफनलियाना मुख्य इंजीनियर, पीएचई
- 28 श्री वनलाल दूसाका मुख्य इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग
- 29 श्री एल0 पचायु मुख्य इंजीनियर, पी एंड ई
- 30 श्रीमती मालस्वामथांगी निदेशक, स्कूली शिक्षा
- 31 डॉ0 डी. बरुआ निदेशक, अस्पताल और चिकित्सा शिक्षा
- 32 श्री शूरवीर सिंह, निदेशक उद्योग
- 33 श्री पी0 भट्टाचारजी निदेशक, कृषि (फसल कार्य)
- 34 श्री ब्याक्टलुआंगा निदेशक, एलएडी
- 35 श्री लालथंगलियाना वरते कर आयुक्त, कराधान
- 36 श्री ए0 मेत्रा वित्त सलाहकार
- 37 श्री सी0 रलकापा निदेशक, डीएम एंड आर
- 38 श्री सैमुअल रोसंगलुरा निदेशक, बागवानी
- 39 श्री वलबुआंगा परियोजना निदेशक, एसआइपीएमआईयू
- 40 श्री ललमलसावता उप सचिव, वित्त
- 41 श्री एच0वी0एल0 जरजोईंगा उप निदेशक, यूडी एंड पीए
- 42 श्री वनलामाविया अवर सचिव, वित्त
- 43 डॉ0 पी0सी0 ललमपुईया अवर सचिव, वित्त
- 44 श्री एफ0 ललडिलोवा अवर सचिव, वित्त

स्वायत्त जिला परिषदों के प्रतिनिधि

- 1 श्री निरुपम चाकमा विधानसभा सदस्य
- 2 श्री एफ0सी0 जेसे चेयरमैन, मारा स्वायत्त जिला परिषद
- 3 श्री एस0 किप्पो मुख्य कार्यकारी सदस्य, मारा स्वायत्त जिला परिषद
- 4 श्री हुम हिरे वाइस चेयरमैन, लई स्वायत्त जिला परिषद
- 5 श्री सी0डी0 किमा एलओ, लई स्वायत्त, जिला परिषद, आईजाल
- 6 श्री कालीकुमार टोंगचोंगिया मुख्य कार्यकारी सदस्य, चाकमा स्वायत्त जिला परिषद
- 7 श्री एच0बी0 थापा सचिव सह विकास अधिकारी, सिंलुंग हिल्स विकास परिषद
- 8 श्री जे0सी0 तलंगथनस्यामा अध्यक्ष, हमार छात्र संघ

स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

- 1 श्री आर संगलियांनखुमा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईजॉल नगर परिषद

2	श्री के थान्हलिरा	सचिव, आईजॉल नगर परिषद
3	श्री सी ललरामदिना	अध्यक्ष, मिजोरम नगर संचालन समिति
4	श्री रोबट ललचुआना	सचिव, मिजोरम नगर संचालन समिति
5	श्री ललमुआनपुइया पुंटे	महासचिव, मिजोरम नगर संचालन समिति
6	श्री ललरिनजुआला चोंगथु	उपाध्यक्ष (वरि0), पीपल्स राइट टू इनफार्मेशन एण्ड डेवलपमेंट इंफ्लिमेंटिंग सोसाइटी ऑफ मिजोरम, मिजोरम ट्रेड यूनियन फेडरेशन
7	श्री आर ललराममाविया	अध्यक्ष, मिजोरम गवर्नमेंट इम्प्लॉईज एवं वर्कर्स एसोसिएशन फेडरेशन
8	श्री ललछवेलोवा	महासचिव, मिजोरम गवर्नमेंट इम्प्लॉईज एवं वर्कर्स एसोसिएशन फेडरेशन
9	श्री डेंगनुना, आईएस (सेवानिवृत्त)	प्रख्यात नागरिक
10	प्रो तलंगलामा	प्रख्यात नागरिक
11	प्रो लियानजेला	प्रख्यात नागरिक
12	डॉ ओ रोसंगा	कार्यकारी सदस्य, मिजोरम अनुसंधान प्रतिष्ठान(एमआरएफ), मिजोरम विश्वविद्यालय
13.	श्री रोचमलियाना	महासचिव, मिजोरम अनुसंधान प्रतिष्ठान(एमआरएफ)
14	डॉ एच वनलालहलुना	उपाध्यक्ष, अखिल मिजोरम कृषक संघ(एएमएफयू)
15	श्री जियोनललरेमरूआता	महासचिव, अखिल मिजोरम कृषक संघ (एएमएफयू)
16	श्री वी0 एल. बेला	मिजोरम कोहरन हरूएट्यूट कमेटी, (एमकेएचसी)
17	श्री जोन किमा	अध्यक्ष, मिजोरम यूनाइटेड स्पोर्ट्स, एसोसिएशन
18	श्री ललथियांगलिमा	अध्यक्ष, ग्राम परिषद
19	श्री ललछंदामा सियाकेंग	अध्यक्ष, ग्राम परिषद
20	श्री ललियानथुआमा	सचिव, मिजोरम यूनाइटेड स्पोर्ट्स, एसोसिएशन ऑफ इंडिया

व्यापार और उद्योग प्रतिनिधि

1	श्री जे डी वनललफिगा	अध्यक्ष, मिजोरम उद्योग संघ
2	श्री के ललदुआंगलियाना	सचिव, मिजोरम उद्योग संघ
3	श्री एच ललमछुआना	संस्थापक, अध्यक्ष, मिजोरम आर्थिक फोरम संघ
4	श्री आर0सा. रोहमिंगथांगा	सदस्य, मिजोरम आर्थिक फोरम संघ
5	श्री के0 ललमिंगथांगा	अध्यक्ष, मिजोरम चैम्बर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज
6	श्री डेविड ललमुआनपुइया	संयुक्त सचिव, मिजोरम चैम्बर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1	कर्नल एल सी सेलो	कार्यकारी अध्यक्ष, मिजोरम पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी(एमपीसी)
2	डॉ0 केनिथ चोंगलियाना	मिजोरम पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी(एमपीसी)
3	श्री टा.सा. पचहुंगा	मिजो नेशनल फ्रंट(एमएनएफ)
4	श्री रोंगजआला	मिजो नेशनल फ्रंट(एमएनएफ)
5	श्री चोंगकुंगा	महासचिव, मिजोरम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एमपीसीसी)

6	श्री हिफेई, पूर्व संसद-सदस्य	महासचिव, मिजोरम प्रदेश कांग्रेस कमेटी(एमपीसीसी)
7	विंग कंमाडर ललजुवामा	चेयरमैन, सतर्कता सेल(एमपीसीसी)
8	श्री जासंगा	महासचिव(एमपीसीसी)

19. नागालैंड (19-21 जनवरी, 2009)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1	श्री निफियु रियो	मुख्यमंत्री
2	श्री कियानिली	अध्यक्ष
3	श्री टी आर जिलियांग	मंत्री, योजना और समन्वय, पशुचिकित्सा और पशुपालन, मूल्यांकन और संसदीय कार्य
4	श्री जी केटोअई	मंत्री, सड़क और पुल
5	श्री निवांग कोंयक	मंत्री, स्कूली शिक्षा और एससीईआरटी
6	श्री दोसोवाई सेमा	मंत्री, ऊर्जा और चुनाव
7	श्री पी लोंगन	मंत्री, मृदा और जल संरक्षण, भूमि संसाधन विकास
8	श्री कुजोलुजो	मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
9	श्री एम सी कोंयक	मंत्री, वन, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और वन्यजीव, उत्पाद- शुल्क
10	डॉ नांगशी के एओ	मंत्री, पीएचई
11	डॉ चुम्वेन मुरी	मंत्री, कृषि
12	श्री ललहुमा	मुख्य सचिव
13	श्री जे चंगकिजा	पुलिस महानिदेशक
14	श्री ललथारा	अपर मुख्य सचिव, गृह
15	श्री अलेमतेमशी जमीर	अपर मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त
16	श्रीमती बानो जेड जमीर	अपर मुख्य सचिव, स्कूली शिक्षा
17	श्री तोशी अय्यर	प्रधान सचिव और एफ सी
18	श्री सी0जे0 पोनराज	प्रधान सचिव, पी एंड ए आर
19	श्री एच0 के0 कुलु	आयुक्त एन/एल ओर प्रधान सचिव, जी एंड एम
20	श्री महेतांग किथान	आयुक्त एवं सचिव, परिवहन
21	श्री आर0 बेंचिलो थोंग	आयुक्त एवं सचिव, विद्युत
22	श्री टेमजेन टॉय	आयुक्त एवं सचिव, शहरी विकास
23	श्री खेखई केंसेमा	आयुक्त एवं सचिव, ए एंड सी और पर्यटन
24	श्री सेंटियंगर इम्चेन	आयुक्त एवं सचिव, बागवानी और आईपीआर
25	श्री अचुंम एनगुली	आयुक्त एवं सचिव, एल आर और उत्पाद-शुल्क
26	श्री अयोमो जामी	आयुक्त एवं सचिव, डब्ल्यू एंड एच
27	श्री इंकोगलेम्बा	आयुक्त एवं सचिव, उद्योग और वाणिज्य
28	श्री वाइकटोलासाखरी	आयुक्त एवं सचिव, ग्रामीण विकास
29	श्री एल किर्रे	मुख्य मंत्री और वन के आयुक्त एवं सचिव
30	श्री मेनुखोल जोन कल्याण	आयुक्त एवं सचिव, स्वास्थ्य और परिवार
31	श्री एन0 जासा	आयुक्त एवं सचिव, कृषि
32	श्री जानबेमो	विशेष सचिव, गृह, राजनीति
33	श्री अभिषेक सिंह	गवर्नर के सचिव और सूचना प्रौद्योगिकी

34	श्री एम यंथन	सचिव, पशु चिकित्सा और पशु पालन
35	श्री के0टी0 सुखालु	सचिव, एस एंड वाईआर, आईटी
36	श्री जेलियो रियो	सचिव, पीएचई
37	श्री नारमन पुसचर	सचिव, भूमि संसाधन
38	श्री के0एन0 चिसी	सचिव, न्याय एवं विधि
39	श्री के0एन0 केदित्सु	निदेशक, शहरी विकास
40	श्री नेपुसाइली अंगमी	अपर निदेशक, स्कूली शिक्षा
41	श्री अभिजीत सिन्हा, आईएएस	निदेशक, एटीआई
42	श्री एम0 पैटन	आयुक्त, कर और उत्पाद-शुल्क
43	इंजीनियर एन0 चिली	प्रभारी इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग
44	इंजीनियर जी0 केपेन रेंगमा	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य
45	श्री खेतोबी सुमी	मुख्य इंजीनियर, पीएचई
46	डॉ0 सुपोंगकित्जार	निदेशक, कृषि
47	श्री मेटसुबो जमीर	निदेशक, ग्रामीण विकास
48	श्री इमोकोकबा एओ	निदेशक, आईपीआर
49	श्रीमती केविनिनो पी मेरू	निदेशक, कला एवं संस्कृति
50	इंजीनियर डी वासुमटारी	मुख्य इंजीनियर, विद्युत
51	डॉ वी सेखोस	प्रधान निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
52	डॉ वाई यिसाव	निदेशक, पशुचिकित्सा एवं पशुपालन
53	श्री के हेनी	सचिव, वित्त
54	श्री वी केजो	विशेष कार्य अधिकारी राजस्व, वित्त
55	श्री वाई किखेतो सेमा	विशेष कार्य अधिकारी(बजट), वित्त
56	श्री आर सी अचारजी	सलाहकार(बजट), वित्त
57	श्री जी डब्ल्यू ली	परामर्शदाता, एफआरसी वित्त

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1	श्री आतो येपथोमी	राज्य अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी
2	श्री ओ0 मोजामो एनबुली	राज्य कार्यकारी सदस्य, भारतीय जनता पार्टी
3	श्री जाचिलु वदेव	उपाध्यक्ष, एनपीसीसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
4	श्री टका मासा	पूर्व विधानसभा सदस्य, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
5	श्री पोवत्सो लोहे	अध्यक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
6	श्री चिनीमाघ रेंगमा	महासचिव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
7	श्री अपांग पोंगेनर	कार्यकारी अध्यक्ष, नागालैंड पीपल्स फ्रंट
8	श्री के0जी0 केन्चे	महासचिव, नागालैंड पीपल्स फ्रंट
9	इंजीनियर एन0एन0 लोथा	संस्थापक अध्यक्ष, रिपब्लिकन लेबर पार्टी
10	श्री एन0 सेमो एनगुली	अध्यक्ष, संयुक्त नागा लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी
11	श्री सी0एन0 लोथा	महासचिव, संयुक्त नागा लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी

व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधि

1	श्री क्रिसक्रे	संयुक्त सचिव, केसीएम एंड आई
2	श्री खिरीहुजो	सदस्य, केसीएम एंड आई
3	श्री निंगुली	सदस्य, केसीएम एंड आई
4	श्री आर. देशमो	सदस्य, केसीएम एंड आई
5	श्री केसिटो	अध्यक्ष, डीसीसी

6	श्री बसु	सदस्य, डीसीसी
7	श्री अटो	सदस्य, डीसीसी
8	श्री अजो केदित्सु	सदस्य, डीसीसी
9	श्री एमबी लोंगकुमेर	अध्यक्ष, एमसीसी एंड आई
10	श्री लनुकाबा	सदस्य, एमसीसी एंड आई
11	श्री लनु लेमतूर	सदस्य, एमसीसी एंड आई
12	श्री बेनडेंग वालिंग	सदस्य, एमसीसी एंड आई

स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1	श्री विपोपाल किंत्सो	अध्यक्ष, केएमसी
2	श्री केडयोलहोली	सदस्य, केएमसी
3	श्री जेकिखोटो	लेखा अधिकारी, केएमसी
4	श्री नेवोर	सदस्य, केएमसी
5	श्री अलेम्बा	अध्यक्ष, टीटीसी
6	श्री नामांग	सदस्य, टीटीसी
7	श्री एल0 इलेनचांग	सदस्य, टीटीसी
8	श्री खेखाओ	अध्यक्ष, डीएमसी
9	श्री टी0 लोथा	सदस्य, डीएमसी
10	श्री नुंगसांग जमीर	सदस्य, डीएमसी
11	श्री एन0के0 गोमी	सदस्य, डीएमसी
12	श्री लिपोक	सदस्य, डीएमसी
13	डॉ0 किडीसी	किदिमा गांव
14	श्री देनिविको	खुज़मा गांव
15	श्री निहोवी	विसवेमा गांव
16	श्रीमती अपरेली	जाखमा गांव
17	श्री माया एओ	सुंगरत्सु गांव
18	श्री वांग सोक	मोन वीडिबी यूनियन
19	श्री खोनचामो	लोंगसजांग गांव
20	श्री टीसिमोमो	चकिटोंग गांव
21	श्री मेनुअल कामसन	पेरेन वीडिबी यूनियन

20. उड़ीसा (25-27 फरवरी, 2009)**राज्य सरकार के प्रतिनिधि**

1	श्री नवीन पटनायक	मुख्य मंत्री
2	श्री प्रफुल चन्द्र गडई	मंत्री, वित्त,
3	श्री चैतन्य प्रसाद माझी	मंत्री, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण
4	श्री देबीप्रसाद मिश्रा	मंत्री, उत्पाद शुल्क पर्यटन
5	श्री सूर्य नारायण पात्रो	मंत्री, ऊर्जा, संस्कृति, सूचना प्रौद्योगिकी
6	श्री सनातन बिसी	राज्यमंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
7	श्री सूरमा पाधी	राज्यमंत्री, सहकारिता
8	श्री अजीत कुमार त्रिपाठी, आईएएस	मुख्य सचिव
9	श्री तरुणकांती मिश्रा, आईएएस	विकास आयुक्त-सह' अपर मुख्य सचिव
10	श्री सत्य प्रकाश नन्दा, आईएएस	आयुक्त, कृषि उत्पादन
11	श्री बिजय कुमार पटनायक,	आईएएस
		मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव
12	श्री संतोष कुमार,	आईएएस, सदस्य, राजस्व बोर्ड
13	श्री रवी नारायण सेनापति,	आईएएस, प्रधान सचिव, वित्त
14	श्री मन मोहन प्रहराज,	आईपीएस, पुलिस महानिदेशक

15	श्री अनुप पटनायक, आईपीएस	सतर्कता महानिदेशक	43	श्री डी0पी0 दास, आईएएस	विशेष सचिव, वित्त
16	श्री ए0पी0 पाधी, आईएएस	प्रधान सचिव, गृह	44	श्री एस0के0 मिश्रा	विशेष सचिव, वित्त
17	श्री अशोक कुमार त्रिपाठी,	आईएएस प्रधान सचिव,	45	श्री एस0 पटनायक	विशेष सचिव, वित्त
		अनुसूचित जनजाति और	46	श्री विजय अरोडा,	आईएएस विशेष सचिव, योजना
		अनुसूचित जाति विकास			एवं सहकारिता
18	श्रीमती वन्दना कुमारी जेना,	आईएएस प्रधान सचिव, एस	47	श्रीमती बी0 राधिका,	आईपीएस, विशेष सचिव, गृह
		एंड एमई	48	श्री बी0सी0 महापात्र,	आईएएस, अपर सचिव, वित्त
19	श्री बी0के0 नायक	ओएसजेएस(एसबी), प्रधान	49	श्री के0सी0 मिश्रा	अपर सचिव, वित्त
		सचिव, विधि	50	श्री अरबिन्द मिश्रा	अपर सचिव, वित्त
20	श्री यू0पी0 सिंह, आईएएस	आयुक्त-सह-सचिव, कृषि	स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि		
21	श्री प्रदीप कुमार, जेना,	आईएएस आयुक्त-सह-सचिव,	1	श्री अशोक कुमार पांगी	अध्यक्ष, जिला परिषद, कोरापुट
		ऊर्जा	2	श्री शंकर परिदा	अध्यक्ष, जिला परिषद, पुरी
22	श्रीमती मोना शर्मा,	आईएएस आयुक्त-सह-सचिव,	3	श्रीमती बसंती महापात्र	उपाध्यक्ष, जिला परिषद, खुर्दा,
		महिला एवं बाल विकास			जिला खुर्दा
23	श्री प्रदीप कुमार महापात्र,	आईएएस आयुक्त-सह-सचिव,	4	श्री प्रियदर्शी पटनायक	अध्यक्ष, अंगुल ब्लॉक, जिला
		सूचना प्रौद्योगिकी			अंगुल
24	श्री राजकुमार शर्मा,	आईएएस आयुक्त-सह-सचिव,	5	श्री शत्रुघ्न प्रस्ती	चेयरमैन, तारावा ब्लॉक, जिला
		एफएस एंड सीडब्ल्यू			सोनपुर
25	श्री सुरेश चन्द्र महापात्र,	आईएएस आयुक्त-सह-सचिव,	6	श्री लक्ष्मीधर दास	सरपंच, मुकुलिशी ग्राम पंचायत,
		जल संसाधन			बस्ता ब्लॉक, बालासोर
26	श्री जी वी वेनुगोपाल शर्मा,	आईएएस आयुक्त-सह-सचिव,	7	श्री सुनील कुमार सेनापति	सरपंच, कुलिदा ग्राम पंचायत,
		राजस्व एवं डीएम			बस्ता ब्लॉक, बालासोर
27	डॉ0 अरुण कुमार पांडा,	आईएएस आयुक्त-सह-सचिव,	8	श्री अनिल कुमार महापात्र	जिला परिषद सदस्य, बालासोर
		आवास एवं शहरी विकास			जिला परिषद
28	श्री यू0एन0 बेहरा, आईएएस	आयुक्त-सह-सचिव, वन एवं	9	श्री अनन्त नारायण जेना	मेयर, भुवनेश्वर नगर निगम,
		पर्यावरण			भुवनेश्वर
29	श्री मधु सूदन पाधी, आईएएस	आयुक्त-सह-सचिव, उच्च	10	श्री सोमेन्द्र कुमार घोष	मेयर, सीएमसी
		शिक्षा	11	श्री शिव शंकर दास	मेयर, बरहामपुर नगर निगम,
30	डॉ0 तारा दत्त, आईएएस	आयुक्त-सह-सचिव, सहकारिता			बरहामपुर
31	डॉ0 अशोक महादेव राव दलवी,	आईएएस आयुक्त-सह-सचिव,	12	श्री सूर्य नारयण रथ	उपाध्यक्ष, जयपुर नगरपालिका,
		इस्पात एवं खान			जयपुर
32	श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी,	आईएएस आयुक्त-सह-सचिव,	13	श्री राजकुमार चौहान	अध्यक्ष, खरियार रोड एन.ए.सी.
		ग्रामीण विकास			नौपाडा
33	श्री रबिन्द्र नाथ दास, आईएएस	आयुक्त-सह-सचिव, पंचायती	14	श्री प्रकाश चन्द्र साहू	अध्यक्ष, सुबरनपुर नगरपालिका
		राज	15	सुश्री स्नेहलता प्रधान	अध्यक्षा, पुरी नगरपालिका, पुरी
34	श्री बिजय चन्द्र जेना, आईएएस	आयुक्त-सह-सचिव, संस्कृति	राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि		
35	श्री सौरभ गर्ग, आईएएस	आयुक्त-सह-सचिव, उद्योग	1	श्री नरेन्द्र कुमार स्वेन	महासचिव, बीजू जनता दल,
36	श्रीमती अनु गर्ग, आईएएस	आयुक्त-सह-सचिव, स्वास्थ्य			उड़ीसा
		एवं परिवार कल्याण	2	श्री मायाधर नायक	सचिव, भुवनेवर जिला समिति,
37	श्री एस के रे	ई.आई.सी.-सह-सचिव, निर्माण			बीजू जनता दल, उड़ीसा
		कार्य	3	श्री धीरेन्द्र कुमार बाग	सचिव, भुवनेवर जिला समिति,
38	श्री प्रमोद कुमार पटनायक,	आईएएस आयुक्त-सह-सचिव,			बीजू जनता दल, उड़ीसा
		पीजी एंड पीए	4	श्री एम0ए0 खारवेल स्वेन,	संसद सदस्य राष्ट्रीयकार्यकारी सदस्य
39	श्री सुरेश चन्द्र पटनायक,	आईएएस आयुक्त-सह-सचिव,			एवं उप मुख्य सचेतक, बीजेपी,
		खेल एवं युवा कार्य			लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी
40	डॉ आर वी सिंह, आईएएस	सरकार के विशेष सचिव,	5	श्री प्रसन्न मिश्रा	मुख्य मीडिया विभाग, ओपीसीसी,
		योजना एवं समन्वय			भारतीय नेशनल कांग्रेस
41	श्री टी0के0 पांडे, आईएएस	वाणिज्यिक कर आयुक्त,	6	श्री उत्कल केसरी राउतरे	सचिव, ओपीसीसी, भारतीय
		उड़ीसा			नेशनल कांग्रेस
42	श्री निकुन्ज बिहारीढल,	आईएएस विशेष परियोजना	7	श्री सोरिबन्धु कर	राज्य सचिवालय सदस्य,
		निदेशक, ओपीईपीए			भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी

- 8 श्री जनार्दन पाती सचिव, उड़ीसा राज्य समिति, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (एम)
- 9 श्री संतोष दास सचिवालय सदस्य, उड़ीसा राज्य समिति, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (एम)
- 10 श्री जयंत कुमार भोई महासचिव, बहुजन समाज पार्टी, उड़ीसा

व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधि

- 1 श्री निरंजन मोहंती अध्यक्ष, उत्कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, भुवनेश्वर उपाध्यक्ष (पूर्वी क्षेत्र), उड़ीसा
- 2 श्री संजय कुमार महापात्र लघु उद्योग संघ, कटक
- 3 श्री अनन्त नारायण त्रिपाठी अध्यक्ष, उड़ीसा युवा उद्योगपति संघ, कटक
- 4 श्री राज किशोर मोहंती पूर्व अध्यक्ष एवं वीषण प्रतिनिधि, उड़ीसायुवा उद्योगपति संघ, कटक
- 5 श्री अबानी कानूनगो अध्यक्ष, उड़ीसा उद्योग संघ, कटक
- 6 डॉ० सरत साहू चेयरमैन, उड़ीसा उद्योग परिसंघ, कटक

21. पंजाब (4-5 दिसम्बर, 2008)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

- 1 श्री प्रकाश सिंह बादल मुख्य मंत्री
- 2 श्री मनोरंजन कालिया मंत्री, स्थानीय सरकार, उद्योग एवं वाणिज्य
- 3 श्री रंजीत सिंह ब्रह्मपुरा मंत्री, ग्रामीण विकास और पंचायत तथा चुनाव
- 4 श्री मनप्रीत सिंह बादल मंत्री, वित्त एवं योजना
- 5 श्री जनमेजा सिंह सेंखों सिंचाई मंत्री
- 6 श्री राज खुराना मुख्य संसदीय सचिव, वित्त
- 7 डॉ. जे. एस. बजाज वाइस चेयरमैन, राज्य योजना बोर्ड
- 8 श्री वाई.एस. रात्रा, आईएएस (सेवानिवृत्त) चेयरमैन, पंजाब राज्य बिजली बोर्ड, पटियाला
- 9 श्री रमेश इंदर सिंह, आईएएस, मुख्य सचिव
- 10 श्री एस०सी० अग्रवाल, आईएएस प्रधान सचिव, वित्त
- 11 श्री एस०एस० बरार, आईएएस वित्त आयुक्त, कराधान
- 12 श्री जी०एस० संधू, आईएएस वित्त आयुक्त, ग्रामीण विकास और पंचायत
- 13 श्री डी०एस० गुरु, आईएएस मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव
- 14 श्री डी०एस० बैस, आईएएस प्रधान सचिव, स्थानीय शासन
- 15 श्री एस०एस० चानी, आईएएस प्रधान सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य
- 16 श्री सुरेश कुमार, आईएएस प्रधान सचिव, सिंचाई और विद्युत
- 17 श्री सतीश चन्द्र, आईएएस सचिव, योजना और विशेष आर्थिक पैकेज

स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

- 1 श्री सतनाम सिंह चेयरमैन, जिला परिषद, एसएएस नगर
- 2 श्री रंजीत सिंह दियोल वाइस चेयरमैन, ब्लॉक समिति, कपूरथला
- 3 श्रीमती मंजीत कौर सेखों सदस्य, ब्लॉक समिति, नूरमहल, जालंधर
- 4 श्री सुखदेव सिंह सरपंच, चाक-कलां, लुधियाना
- 5 श्री अजमेर सिंह बिट्टू सदस्य, जिला परिषद, नवांशहर
- 6 श्री परमीत सिंह उपाध्यक्ष, ब्लॉक समिति अम्लोह
- 7 श्रीमती परमजीत कौर गिल उपाध्यक्षा, ब्लॉक समिति खरार
- 8 श्रीमती अनुरीत कौर बजाज सदस्य, जिला परिषद, योजना बोर्ड पटियाला
- 9 श्रीमती गुलशन कौर सदस्य जिला परिषद, पटियाला
- 10 श्रीमती नरेन्द्र कौर अध्यक्ष, ब्लॉक समिति, रजपुरा
- 11 श्री राकेश राठौर मेयर, जालंधर
- 12 श्री बलजीत सिंह बीर बेहमन मेयर, बठिंडा
- 13 श्री परवीन बंसल वरिष्ठ उप मेयर, लुधियाना
- 14 श्री भूपिन्दर सिंह खेड़ा अध्यक्ष, नगर परिषद, तरन तारन
- 15 श्री परवीन छाबड़ा अध्यक्ष, नगर परिषद, राजपुरा
- 16 श्री गुरबिन्दर सिंह भाट्टी अध्यक्ष, नगर परिषद, सरहिंद
- 17 श्री प्रकाश सिंह मालना अध्यक्ष, नगरपंचायत, मूनक
- 18 श्रीमती जसविन्दर कौर संघू अध्यक्ष, नगर पंचायत, सहानेवाल
- 19 श्री आसिफ कुरोशी अध्यक्ष, निगम परिषद, मालेरकोटला
- 20 श्री डी०पी० भारद्वाज सहायक आयुक्त, नगर निगम, अमृतसर

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1. श्री बलरामजी दास टंडन बीजेपी
2. श्रीमती उपेन्द्रजित कौर शिरोमणि अकाली दल (बी)
3. डा. दलजीत सिंह चीमा अकाली दल (बी)
4. श्री राजिन्दर भंडारी बीजेपी
5. श्री सुखपाल सिंह खेरा, एमएलए कांग्रेस
6. श्री सिमरनजीत सिंह मान शिरोमणि अकाली दल (बी)
7. श्री चरन सिंह विरदी सचिव, सीपीआई (एम)
8. श्री राजनाथ सिंह सीपीआई (एम)
9. श्री लेहम्बर सिंह जग्गार सीपीआई (एम)

व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधि

1. श्री संजीव गोयल प्रबंध निदेशक, मैसर्स नेकटर लाइफ साइंस लिमिटेड, मोहाली
2. श्री बी.एस. बैदवान वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मैसर्स, सन ग्रुप इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, मोहाली
3. श्री बी.एस. आनन्द मैसर्स आनंद मेटल्स, मोहाली
4. श्री महिन्दर भगत अध्यक्ष, मध्यम उद्योग विकास बोर्ड, जालंधर
5. श्री सर्व दमन प्रीत सदस्य, मध्यम उद्योग विकास बोर्ड, जालंधर
6. श्री राजिन्दर मित्तल प्रबन्ध निदेशक, मैसर्स गनपति टाउनशिप लिमिटेड, बठिंडा
7. श्री दिनेश लाकड़ा मैसर्स लाकड़ा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लुधियाना

8. श्री संजीव नागपाल	मेसर्स नासा एग्रो इंडस्ट्रीज, फजिल्का, पंजाब	13. डा. जितेन्द्र सिंह	मंत्री, उर्जा एवं अपरम्परागत ऊर्जा संसाधन, सूचना तकनीकी एवं संचार, आपदा प्रबंधन एवं सहायता, उच्च शिक्षा
9. श्री हरीश कुमार आनंद	अर्थशास्त्री, वर्धमान इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लुधियाना	14. श्री राजेन्द्र पारीक	मंत्री, उद्योग, अनिवासी भारतीय, अर्थास्त्र एवं सांख्यिकी तथा उत्पाद शुल्क
10. श्री नरोत्तम देव राती	अध्यक्ष, ट्रेडर्स बोर्ड, सनबीम इंडस्ट्रीज, जालंधर रोड कपूरथला	15. श्री राम किशोर सैनी	राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जेल
11. श्री मदनलाल बग्गा	उपाध्यक्ष, ट्रेडर बोर्ड, लुधियाना	16. श्रीमती गोलमा देवी	राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग, होमगार्ड एवं सिविल डिफेंस
12. श्री डी.पी. चन्दन	उपाध्यक्ष, लघु ट्रेडर बोर्ड, फिरोजपुर	17. श्री अशोक बैरवा	राज्य मंत्री, सूचना एवं जनसम्पर्क, शिक्षा, परिवहन, संस्कृत शिक्षा, भाषा एवं अल्पसंख्यक भाषा, देवस्थान
13. श्री अक्षय बेक्टर	सीआईआई, चंडीगढ़	18. श्री भरोसी लाल जाटव	राज्य मंत्री, सम्पदा, मोटर कैराज, कृषि, पशुपालन, मात्स्यिकी
14. श्रीमती कामना राज अग्रवाल	सदस्य, लघु उद्योग एवं विकास, जालंधर	19. श्री गुरमीत सिंह कुन्नार	राज्य मंत्री, कृषि विपणन, जल संसाधन इंदिरा गांधी कैनल परियोजना, पीएचईडी, भूमिगत जल, कमान क्षेत्र विकास
15. श्री सुखविन्दर सिंह भाम्बरी	प्रबंध निदेशक, मेसर्स भाम्बरी स्टील, रोलिंग मिल्स, मंडी गोबिन्दगढ़	20. श्री मांगीलाल गरासिया	राज्य मंत्री, युवा कार्य एवं खेल, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, श्रम एवं रोजगार
16. श्री विनोद जैन	उपाध्यक्ष, लघु उद्योग विकास बोर्ड	21. श्री बाबू लाल नागर	राज्य मंत्री, खाद्य एवं सिविल आपूर्ति, डेयरी, तकनीकी शिक्षा, कृषि
17. सुश्री चारु माथुर	क्षेत्रीय निदेशक एवं प्रमुख, सीआईआई	22. श्री राम लाल जाट खान	राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण, संसदीय सचिव
22. राजस्थान (21-23 जून 2009)			
राज्य सरकार के प्रतिनिधि			
1. श्री अशोक गहलोत	मुख्य मंत्री	23. श्री ब्रह्मदेव कुमावत	संसदीय सचिव
2. श्री ऐमाउद्दीन अहमद	मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा	24. श्री दिलीप चौधरी	संसदीय सचिव
3. श्री भरत सिंह	मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज	25. श्री नाना लाल नीनामा	संसदीय सचिव
4. श्रीमती बीना काक	मंत्री, पर्यटन, कला, संस्कृति एवं पुरातत्व, महिला एवं बाल विकास, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी	26. श्रीमती कुशल सिंह	मुख्य सचिव
5. श्री ब्रिज किशोर शर्मा	मंत्री, परिवहन, संस्कृत शिक्षा, भाषा एवं अल्पसंख्यक भाषाएं एवं देवस्थान	27. श्रीमती अल्का काला	अपर मुख्य सचिव, विकास
6. श्री हरजी राम बरदाक	मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं मात्स्यिकी	28. श्रीमती कुलकरनी हल्दिया	अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण एवं लघु उद्योग
7. श्री हेमा राम चौधरी	मंत्री, राजस्व, आवासीकरण, सैनिक कल्याण	29. श्री टी. श्रीनिवासन	प्रधान सचिव, सी.एम.-1
8. श्री महेन्द्र जीत सिंह मालवीय	मंत्री, जनजातीय क्षेत्र विकास, लोक शिकायत निवारण, तकनीकी एवं अभियांत्रिकी शिक्षा	30. श्री एस. अहमद	प्रधान सचिव, कृषि
9. श्री महिपाल मदेरना	मंत्री, जल संसाधन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, लोक स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी, भूमिगत जल, कमान क्षेत्र विकास	31. श्री सी.के. मैथ्यू	प्रधान सचिव, वित्त
10. श्री मास्टर भंवर लाल मंत्री,	श्रम एवं रोजगार, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा	32. श्री सी.एस. राजन	प्रधान सचिव, उद्योग
11. श्री प्रसादी लाल मीणा	मंत्री, सहकारिता, लघु बचत एवं राज्य लाटरी	33. श्री राम लुभाया	प्रधान सचिव, जल संसाधन एवं पीएचईडी
12. श्री शांति कुमार धारीवाल	गृह मंत्री, होमगार्ड एवं सिविल डिफेंस, विधि एवं न्याय, संसदीय कार्य, शहरी विकास एवं आवास, स्थानीय स्वासन	34. श्री आशीष बहुगुना	प्रधान सचिव, परिवहन
		35. श्री ललित कोठारी	प्रधान सचिव, चिकित्सा शिक्षा
		36. श्री जी.एस. सन्धू	प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
		37. श्री अशोक सम्पतराम	प्रधान सचिव, राजस्व
		38. श्री एस.एन थान्वी	प्रधान सचिव, गृह
		39. श्री गुरदयाल एस. सन्धू	प्रधान सचिव, यूडीएच एवं एलएसजी
		40. श्री राकेश वर्मा	प्रधान सचिव, जीएडी
		41. सुश्री गुरजोत कौर	प्रधान सचिव, आयोजना
		42. श्री राजहंस उपाध्याय	प्रधान सचिव, टीएडी

43. डा. दिनेश कुमार गोयल	प्रधान सचिव, लोक निर्माण कार्य विभाग
44. श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल	प्रधान सचिव, सीएडी
45. श्री ओ.पी. सैनी	प्रधान सचिव, पशुपालन एवं मात्स्यिकी
46. श्री तपेश पवार	प्रधान सचिव, उच्च शिक्षा
47. श्री गोविन्द शर्मा	प्रधान सचिव, खान एवं पेट्रोलियम
48. श्री श्रीमत पांडे	प्रधान सचिव, ऊर्जा
49. श्री बी.एल. आर्य	प्रधान सचिव, वन
50. श्री सुदर्शन सेठी राज	सचिव एवं आयुक्त, पंचायती
51. श्री दीपक उपरेती	सचिव, वित्त (बजट)
52. श्री एस.आर. मीणा	सचिव, शिक्षा (स्कूल)
53. डा. आर. वेंकटेश्वरन	आयुक्त एवं सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
54. श्री वी. श्रीनिवास	सचिव, परिवार कल्याण एवं निदेशक, एनआरएचएम
55. श्री अभय कुमार	सचिव, वित्त (व्यय)
56. श्री रजत मिश्र	सचिव, वित्त (राजस्व)
57. श्री श्री तन्मय कुमार	सचिव, आपदा प्रबन्ध एवं सहायता
58. श्री विनोद पांड्या	निदेशक, वित्त (वित्त आयोग प्रकोष्ठ)
59. श्री एस.सी. दिनकर	निदेशक (बजट) एवं उप सचिव, वित्त (एफसीसी)

व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधि

1. डा. के.एल. जैन	अवैतनिक महासचिव, राजस्थान चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (आरसीसीआई)
2. श्री डी.एस. भंडारी	निदेशक, आलीशान पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड, राजस्थान चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (आरसीसीआई)
3. श्री राजीव जैन	संभव गेम्स लिमिटेड, राजस्थान चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (आरसीसीआई)
4. श्री ए.के. गोदिका	औद्योगिक सलाहकार, राजस्थान चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (आरसीसीआई)
5. श्री आर.एस. जेमिनी	अध्यक्ष, राजस्थान व्यापार एवं उद्योग परिसंघ (एफओआरटीआई) महासचिव, (एफओआरटीआई)
6. श्री प्रेम बियानी	सी.ए. (एफओआरटीआई)
7. श्री आर.सी.शाह	सी.ए. (एफओआरटीआई)
8. श्री ओ.पी. अग्रवाल	निदेशक, सुबोध प्रबंध संस्थान, एफओआरटीआई
9. प्रोफेसर मान चन्द खंडेला	सी.ए. (एफओआरटीआई)
10. श्री शंकर लाल अग्रवाल	उपाध्यक्ष, एफओआरटीआई
11. श्री अरुण अग्रवाल	सचिव, आरसीसीआई
12. श्री आर.डी. बातवारा	अध्यक्ष, राजस्थान समिति, चैम्बर ऑफ कामर्स
13. श्री बसंत खेतान पीएचडी, एंड इंडस्ट्री	
14. श्री जी.एस. कान्दोई	अध्यक्ष, केजी पेट्रो रसायन लिमिटेड, पीएचडी चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री
15. श्रीमती मालती जैन	आवासीय निदेशक, पीएचडी चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री

स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1. श्री पंकज जोशी
2. श्री अब्दुल गनी फौजदार
3. श्री रवीन्द्र श्रीमाली
4. श्री ओम प्रकाश नरानीवाल
5. श्रीमती कृष्णा कटारा
6. श्री वीरेन्द्र सिंह जादों
7. श्रीमती कमला मीणा
8. डा. राजबाला ओला
9. श्रीमती सीमा चौधरी
10. श्री राजो नागर
11. श्री भंवर लाल चौधरी
12. श्रीमती सविता राठी

राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि

1. डा. चंद्र भान	उपाध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी (आई)
2. श्री सुनील शर्मा	सदस्य, प्रदेश कांग्रेस कमेटी (आई)
3. श्री अनिल शाह	सदस्य, राज्य कार्य समिति, भारतीय जनता पार्टी
4. श्री सिराज मोहम्मद खान	राज्य अध्यक्ष, राजस्थान प्रदेश जनता दल (आरजेडी)
5. श्री साबिर खान	जिला अध्यक्ष, जयपुर, आरजेडी
6. श्री रवीन्द्र शुक्ला	सदस्य, राज्य पार्टी सचिवालय, सीपीआई (एम)
7. श्री दुष्यन्त ओझा	सचिव, राजस्थान राज्य परिषद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (एम)
8. श्री तारा सिंह सिद्धू	सदस्य, राज्य सचिवालय, राजस्थान प्रदेश, सीपीआई (एम)

23. सिक्किम (10-11 नवंबर 2008)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1. डा. पवन चामलिंग	मुख्यमंत्री
2. श्री डी.एन. तकपा	सभापति, सिक्किम विधान सभा
3. श्री नकुल दास राय	संसद सदस्य, लोक सभा
4. श्री पी.डी. राय	उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग
5. श्री केदार नाथ राय	मंत्री, ग्रामीण प्रबंधन विकास
6. श्री प्रेम सिंग तमांग	मंत्री, भवन एवं आवास, खेल एवं युवा कार्य
7. श्री दोरजी त्सेरिंग लेप्चा	मंत्री, सड़क एवं पुल, श्रम
8. श्री राम बहादुर सुब्बा	मंत्री, पर्यटन, वाणिज्य, उद्योग
9. श्रीमती कलावती सुब्बा	मंत्री, पशुपालन एवं पशुधन, मात्स्यिकी, पशु चिकित्सा
10. श्री सोमनाथ पौडियाल	मंत्री, खाद्य सुरक्षा एवं कृषि
11. श्री एन.डी0 चिंगपा,	आईएएस मुख्य सचिव
12. श्री टी.टी. दोरजी,	आईएएस, अपर मुख्य सचिव, वित्त राजस्व एवं व्यय
13. श्री के. ग्यात्सो,	आईएएस, प्रधान सचिव, आयोजना, डीपीईआर एवं एनईसीए

14. श्री टीडब्ल्यू बारफुंगपा,	आईएएस प्रधान सचिव, पशुपालन, एलएफ एवं वीएस	46. श्री एस.डी. प्रधान	अपर निदेशक, बजट, वित्त, राजस्व एवं व्यय
15. श्री सी.एम. रवीन्द्रन,	आईपीएस, पुलिस महानिदेशक	47. श्री एम.प्रधान	सहायक निदेशक, बजट, वित्त, राजस्व एवं व्यय
16. श्री आर.एस. बसनेत,	आईएएस, एचसीएम के प्रधान सचिव	48. श्री सी.सी. भूटिया	उप निदेशक, एफसीडी, वित्त, राजस्व एवं व्यय
17. श्री आर. आंगमू,	आईएएस, प्रधान सचिव, ई एंड एसजेईडब्ल्यू	49. श्री बी. दत्ता	संयुक्त निदेशक, एफसीडी, वित्त, राजस्व एवं व्यय
18. श्री गोपारमा, आईएएस (आर)	सचिव, सहकारिता	50. श्री एस.के. शर्मा	मुख्य निदेशक, एफसीडी, वित्त, राजस्व एवं व्यय
19. श्री ए.के. करकी, एससीएस	सचिव, संस्कृति कार्य एवं विरासत संरक्षण		
20. श्री एम.जी. किरन,	आईएएस, सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग	स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि	
21. श्री डी.टी. लेप्पा	पीसीई-सह-सचिव, भवन एवं आवास	1. श्रीमती चन्द्र माया सुब्बा	जिला पंचायत अध्यक्ष-पश्चिम
22. श्री पी. वांग्चेन	पीसीई-सह-सचिव, ऊर्जा एवं विद्युत	2. श्री रवि चन्द्र गुरंग	जिला पंचायत अध्यक्ष-दक्षिण
23. श्रीमती एनजी. प्रधान	सचिव, उत्पाद शुल्क, (आबकारी)	3. श्री बिमल दावरी	जिला पंचायत अध्यक्ष-पूर्व
24. श्री बी.के. खरेल,	आईएएस, सचिव, खाद्य सिविल आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले	4. श्री त्सेरिंग वोंगडी लेप्पा	जिला पंचायत अध्यक्ष-उत्तर
25. श्री आर. तेलंग,	आईएएस, सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं कृषि	5. श्री राम कुमार राय	जीपी सभापति, सुल्डुंग कामलिंग जीपीयू-पश्चिम
26. श्री एस.टी. लाचुन्पा,	आईएएस पीसीसीएफ-सह- सचिव, वन, पर्यावरण एवं वन्यजीव प्रबंध	6. श्री गनेश कुमार राय	जीपी सभापति, मेल्ली दारा, पाक्योंग जीपीयू-दक्षिण
27. श्री वी.बी. पाठक, आईएएस	प्रधान सचिव, स्वास्थ्य सुरक्षा, मानव सेवाएं एवं परिवार कल्याण	7. श्री राजकुमार थापा	जीपी सभापति, सोरोक स्यामपानी, जीपीयू-दक्षिण
28. श्री जे. सिंह,	आईपीएस, प्रधान सचिव, गृह	8. श्री दिनेश गुरंग	जीपी सभापति, अरितार, जीपीयू-पूर्व
29. श्री के.टी. चनक्कपा	सचिव, एचआरडीडी	9. श्रीमती चुरा कुमारी	जीपी सभापति, साम्दोंग कम्बाल, जीपीयू-पूर्व
30. श्री आर.पी. चिंगपा	सचिव, भूमि राजस्व एवं आपदा प्रबन्ध	10. श्री लेन्डप लेप्पा	जीपी सभापति, चुंगथांग, जीपीयू-उत्तर
31. श्री आ.र. के. पुरकायस्थ	सचिव, विधि	11. श्री पी.एस. लिम्बो	जीपी सभापति, थिंगचिम मंगशिला-नार्थ
32. श्री आर.के. गुरंग	सचिव, खान एवं भूविज्ञान	12. श्रीमती अन्नपूर्ण अल्लेय	उप सचिव (पंचायत)
33. श्री एस.डी. बसी,	आईएएस, राज्यपाल के प्रधान सचिव	13. श्री कुबेर भंडारी	सीएओ आरएमडीडी
34. श्री जी.पी. शर्मा	पीसीई-सह-सचिव, सड़क एवं पुल	14. श्रीमती सी.सी. वांगडी	अपर सचिव, आरएमडीडी
35. श्री ए.के. गनेरीवाला,	आईएएस, सचिव, ग्रामीण प्रबन्ध एवं विकास	15. श्रीमती ज्योत्सना एम. कारथक	उप सचिव, आरएमडीडी
36. श्री एम.एल. अरावतिया,	आईएएस, सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	16. श्री पी.टी. इथेनपा	निदेशक, पंचायत, आरएमडीडी
37. श्री डी.रिन्चेन	सचिव, सिक्किम विधान सभा	17. श्री पी. भूटिया	डीपीओ, पूर्व
38. श्री के.पी. अधिकारी,	आईएएस, सचिव, खेल एवं युवा कार्य	18. श्री सोनम एल. काल्योन	सहायक निदेशक (आईटी आरएमडीडी)
39. श्री एस.बी.एस. भादुरिया,	आईएएस, सचिव, पर्यटन	व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधि	
40. श्री के.एन. भूटिया,	आईएएस, सचिव, परिवहन	1. श्री एस.के. सारदा	अध्यक्ष, चैम्बर आफ कामर्स
41. श्री टी. दोरजी,	आईएएस, सचिव, शहरी विकास एवं भवन निर्माण	2. श्री सुरेश कुमार अग्रवाल	महासचिव, चैम्बर आफ कामर्स
42. श्री पी.एस. बासनेत	पीसीई-सह-सचिव, जल सुरक्षा एवं पीएचई	3. श्री रमेश पेंरीवाल	उपाध्यक्ष, चैम्बर आफ कामर्स
43. श्री पी. वांगदी	लेखा नियंत्रक, वित्त, राजस्व एवं व्यय	4. श्री कैलाश अग्रवाल	सचिव, चैम्बर आफ कामर्स
44. श्री टी.पी. कोइराला	प्रधान निदेशक, ट्रेजरी, पी एंड एओ, वित्त, राजस्व एवं व्यय	5. श्री स्वामीनाथ प्रसाद	चैम्बर आफ कामर्स
45. श्री एन.टी. लेप्पा	प्रधान निदेशक, वित्त, राजस्व एवं व्यय	6. श्री आर.के. मित्तल	खजांची, चैम्बर आफ इंडस्ट्री
		7. श्री गुरु लदाखी	सीईओ, चैम्बर आफ इंडस्ट्री
		8. श्री बिकास अग्रवाल	सदस्य, चैम्बर आफ इंडस्ट्री
		9. श्री तुल्लिम खम्पा	एमडी, पीटीएस पैकर्स एवं प्रोवाइडर्स प्राइवेट लि.
		10. श्री उज्जल गुरंग	निदेशक, सी एंड आई
		11. श्री एस.टी. ग्यात्सो	उप निदेशक, सी एंड आई
		राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि	
		1. श्री एन.के. प्रधान,	एमएलए, अध्यक्ष, सिक्किम डेमोक्रेटिक, फ्रंट

2. श्री बी.एस. पन्त	महासचिव, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट	24. श्रीमती तमिलरासी	आदि द्रविड़ कल्याण मंत्री
3. श्री मेजर टी. ग्यात्सो	वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सिक्किम प्रदेश कांग्रेस समिति	25. डा. एम. नागनाथन	उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग
4. श्री कुन्गा नीमा लेप्चा	महासचिव-सह-प्रवक्ता, सिक्किम प्रदेश कांग्रेस समिति	26. श्री एस. राजारेथीनाम, आईएएस (सेवानिवृत्त)	मुख्य मंत्री के सचिव-॥
5. श्री डी.बी. बासनेट	महासचिव, सिक्किम प्रदेश कांग्रेस समिति	27. श्री एम. देवराज, आईएएस (सेवानिवृत्त)	मुख्य मंत्री के सचिव-॥
6. श्री सोनम त्सेरिंग	महासचिव, सिक्किम प्रदेश कांग्रेस समिति	28. डा. के. राजामनिकम,	आईएएस (सेवानिवृत्त)
7. श्री एच.आर. प्रधान	अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी	29. श्री एस.के. प्रभाकर,	मुख्य मंत्री के सचिव-iv
8. श्री सी.बी. चेतरी	महासचिव, भारतीय जनता पार्टी	30. श्री के. शनमुगनाथन	आईएएस
9. श्री जी.डी. अग्रवाल	खजांची, भारतीय जनता पार्टी	31. श्री के.गोपीनाथन (सेवानिवृत्त)	मुख्य मंत्री के सचिव
10. श्रीमती पून्या कोइराला	राज्य समिति के सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (एम)	32. श्री के.एस. श्रीपती,	मुख्य मंत्री के अपर सचिव
11. श्रीमती पवित्रा भंडारी	राज्य समिति के सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (एम)	33. श्री आर. सेल्लामुत्थु,	आईएएस
12. श्री अंजन उपाध्याय	सीपीआई	34. डा. एन. गोविन्दन, आईएएस	मुख्य सचिव
24. तमिलनाडु (4-5 जून, 2009)		35. श्री के. नन्द किशोर,	आईएएस, विकास आयुक्त, आयोजना और विकास
राज्य सरकार के प्रतिनिधि		36. श्री राजीव रंजन,	प्रधान सचिव, आदि द्रविड़ एवं जनजातीय कल्याण
1. डा. एम. करुणानिधि	मुख्य मंत्री	37. श्री देवेंद्रनाथ सारंगी,	आईएएस
2. प्रोफेसर के. अनबाझगन	मंत्री, वित्त	38. श्री पी.डब्ल्यू.सी. दवीदार, आईएएस	प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन
3. श्री एम.के. स्तालिन	उप मुख्य मंत्री	39. श्री विश्वनाथ शेगाओन्कर, आईएएस	सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा (अतिरिक्त प्रभार)
4. श्री अर्काट एन. वीरासामी	विद्युत मंत्री	40. श्री वी.के. सुब्बुराज, आईएएस	सचिव, हथकरघा, हस्तशिल्प, वस्त्र एवं खादी
5. श्री को. सी. मनी	सहकारिता मंत्री	41. श्री के. गनेसन, आईएएस	प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
6. श्री दुरई मुर्गन	लोक निर्माण कार्य एवं विधि मंत्री	42. श्री के. अलाउद्दीन,	प्रधान सचिव, उच्च शिक्षा
7. डा. के. पोन्मुदी	उच्च शिक्षा मंत्री	43. श्री एस. मलाठी, आईएएस	आईएएस, प्रधान सचिव, राजमार्ग और लघु पोत
8. श्री एम.आर.के. पानीरसेल्वम	स्वास्थ्य मंत्री	44. श्री सुरजित के. चौधरी,	प्रधान सचिव, गृह, निषेध एवं उत्पाद शुल्क
9. श्री पोगालुर एन. पलानीसामी	ग्रामीण उद्योग एवं पशुपालन मंत्री	45. श्री एम.एफ फारुकी, आईएएस	प्रधान सचिव, आवास
10. श्री आई. पेरियासामी	राजस्व एवं आवास मंत्री	46. डा. निरंजन मराडी, आईएएस	आईएएस एवं शहरी विकास
11. श्री एन. सुरेश रंजन	पर्यटन एवं पंजीयन मंत्री	47. डा. आर. विजय कुमार, आईएएस	प्रधान सचिव, उद्योग
12. श्री ए.वी. वल्लू	खाद्य मंत्री	48. डा. टी.वी. सोमनाथन, आईएएस	सचिव, नगर प्रशासन एवं जलापूर्ति
13. श्री सुबा थांगवेलन	सफाई और आवास नियंत्रण मंत्री	49. श्री डी जोथी	प्रधान सचिव, आयोजना एवं विकास
14. श्री के.के.एस.एस.आर. रामचंद्रन	पिछड़ा वर्ग मंत्री	50. श्री एस. रामसुन्दरम,	सचिव, आयोजना विकास एवं विशेष पहल
15. श्री टी.एम. अनबारासन	श्रम मंत्री	51. श्री के. दीनबन्धु,	आईएएस सचिव, लोक एवं पुनर्वास
16. श्री के.आर. पेरिकारुप्पन	हिन्दू धर्म और चैरिटेबल इंडोवमेंट्स मंत्री		आईएएस, प्रधान सचिव, लोक निर्माण कार्य
17. श्री थंगम थेन्नारासु	स्कूली शिक्षा मंत्री		आईएएस
18. श्री एस.एन.एम. उबायादुल्ला	वाणिज्यिक कर मंत्री		प्रधान सचिव, राजस्व
19. श्री टी.पी.एम. मोहिद्दीन खान	पर्यावरण मंत्री		
20. श्री एन. सेल्वाराज	वन मंत्री		
21. श्री वेल्लाकोइल सामीनाथन	राजमार्ग और लघु पत्तन मंत्री		
22. डा. (श्रीमती) पूनोथाई	सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री		
23. श्रीमती गीता जीवन	समाज कल्याण मंत्री		

52. श्री के. अशोक वर्धन शेट्टी, आईएएस	प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज	80. डा. एस. इलांगो	निदेशक, लोक स्वास्थ्य एवं निवारक औषधि
53. श्री एम. कुतरालिंगम, आईएएस	प्रधान सचिव, प्राथमिक शिक्षा	81. श्री रमेश कुमार कन्ना	आयुक्त पुरातत्व एवं ऐतिहासिक अनुसंधान
54. श्री जी. मुत्थुसामी, आईएएस	सचिव, तमिल विकास - धार्मिक विन्यास एवं सूचना	82. श्री. टी.एस. श्रीधर	आयुक्त, पुरातत्व
55. डा. वी. इरा अन्बु,	आईएएस सचिव, पर्यटन और संस्कृति	83. श्री आर शिवकुमार	महा निरीक्षण, पंजीयन
56. श्री अतुल्य मिश्रा,	आईएएस सचिव, परिवहन	84. श्री टी. जैकब	आयुक्त, वाणिज्यक कर
57. श्री के. गनादेसिकन,	आईएएस प्रधान सचिव, वित्त	85. श्री गंगदीप सिंह वेदी	आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
58. डा. डी. कार्तिकेयन,	आईएएस संयुक्त सचिव, वित्त	86. श्री राजेश लखानी	आयुक्त चेन्नई निगम
59. डा. पी. उमानाथ,	आईएएस उप सचिव, वित्त	87. श्री पी. सेठी कुमार	निदेशक, नगर प्रासन
60. डा. विजय पिंगाले,	आईएएस उपसचिव, वित्त	88. श्री डी. राजेन्द्रन	निदेशक, टाउन पंचायत
61. श्री एस.वी. बालचन्द्रन	अपर सचिव, वित्त	89. श्री शिव दास मीना	सचिव, चेन्नई मेट्रो जलापूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड
62. श्री प्रवीन कुमार, आईएएस	विशेष सचिव, वित्त	90. डा. सुन्दरादेवन	निदेशक, राजस्व प्रशासन
63. श्रीमती अनिता प्रवीन आईएएस	विशेष सचिव, वित्त	91. श्री अरुल आमझी	सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग
64. श्री वी. अतुनराय, आईएएस	उप सचिव, वित्त	92. श्री एस. मछेन्द्रनाथन	आयुक्त, परिवहन
65. डा. फणीन्द्र रेड्डी,	आईएएस प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, तमिलनाडु, शहरी, अवसंरचना वित्त सेवाएं लिमिटेड	93. डा. पी. पेरूमलसामी	निदेशक, स्कूली शिक्षा
66. श्री चन्द्र प्रकाश सिंह,	आईएएस अध्यक्ष, टीएनईबी	94. श्री एम. करुणामूर्ती,	बीई, मुख्य अभियन्ता, नाबार्ड
67. श्री मोहन वर्गीज चुनकाथ	सीएमडी, तमिलनाडु ऊर्जा विकास एजेंसी	राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि	
68. डा. एस. विनयागम,	एमडी, डीएमआरडी निदेशक, चिकित्सा शिक्षा	1. श्री टी. सुर्दरसनम	आईएनसी
69. श्री एस.एस. मुनिया सामी	अभियन्ता प्रभारी एवं मुख्य अभियन्ता (सामान्य), पीडब्ल्यूडी	2. श्रीमती टी.अ. यसोथा	आईएनसी
70. श्री टी.के. रामचन्द्रन	प्रबंध निदेशक, तमिलनाडु सलम सफाई बोर्ड	3. श्री एस. पीटर अल्पोन्स	आईएनसी
71. श्रीमती आर. जया	निदेशक, हैंडलूम एवं वस्त्र	4. श्री एस. पीटर पोन्नइयान	एआईएडीएम
72. श्री एस. जयरमन	मुख्य अभियन्ता, भवन	5. श्री एम. सेन्थीलाथिबान	एमडीएमके
73. श्री पी.आर. सम्पत	आयुक्त, एचआर एवं सीई	6. श्री ए.के. पद्मनाबन	सीपीआई (एम)
74. श्री टीके. शनमुगसुंदरम,	एमई मुख्य अभियन्ता, राजमार्ग	7. श्री ए. अरुन्गम नयनार	सीपीआई (एम)
75. श्रीमती कनेगी पाकीयानाथन	आयुक्त, आदि द्रविड़ एवं जनजाति कल्याण	8. श्री अरमुगम	पीएमके
76. श्री सी.के. श्रीधरन,	आईएफएस प्रधान मुख्य वन संरक्षक	9. श्री पी. सेन्थामिल सेल्वन	पीएमके
77. श्री के.एस. नीलाकंदन,	आईएफएस, पर्यावरण निदेशक	10. श्रीमती जी सुबाथरा	एनसीपी
78. श्री के. देवराजन	प्राथमिक शिक्षा निदेशक	11. श्रीमती एस. कालैवानी	एनसीपी
79. श्री विभाकर शर्मा,	आईपीएस अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, तमिलनाडु आवास निगम लिमिटेड	12. श्री पी.वी. कल्याणसुन्दरम	डीएमके
		स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि	
		1. श्री ए. रविचन्द्र रामावान्नी	अध्यक्ष, जिला पंचायत, रामनाथपुरम जिला
		2. श्रीमती डी अजिथा मानो थंगराज	अध्यक्ष, जिला पंचायत, कन्याकुमारी जिला
		3. श्री एस. रामालिंगम	अध्यक्ष, पंचायत संघ, थिरुवदैमारतुर ब्लॉक, तंजाउर जिला
		4. श्री एस.के.टी.बी कामराज	अध्यक्ष, पंचायत संघ, कीलापावूर तालुक, थिरुनेवेली जिला
		5. श्री एस.के.एस. राजेन्द्रन	अध्यक्ष, गांव पंचायत, पेशुरेडिडियापट्टी, विरुधुनागार जिला
		6. श्री ए.एल. सुब्रमणियन मेयर,	तिरुनेवेली शहरी नगर निगम
		7. श्री पी. वेंगकटाचलम	मेयर, कोयम्बटूर शहरी नगर निगम
		8. श्री वी. राजमनिकम	अध्यक्ष, पलानी नगरपालिका, डिंडीगुल जिला
		9. श्री एस. सिवप्रकासम	अध्यक्ष, अरुपुकोट्टई नगर पालिका, विरुधुनागार जिला
		10. श्रीमती आर. वसन्त माला	अध्यक्ष, अचारपक्कम नगर पंचायत, कांचीपुरम जिला
		11. श्रीमती मलिगा मोहन	अध्यक्ष, मादाम्पक्कम नगर पंचायत, कांचीपुरम जिला

व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधि

1. श्री के. रंगनाथन अध्यक्ष, भारतीय उद्योग परिसंघ
2. श्री रफीक अहमद अध्यक्ष, फिक्की, तमिलनाडु, राज्य परिषद
3. श्री चंद्रमौली पानेल संयोजक, फिक्की, तमिलनाडु, राज्य परिषद
4. श्री डी. गांधीकुमार अध्यक्ष, तमिलनाडु, लघु एवं अतिलघु उद्योग
5. श्री के. गोपालकृष्णन अवैतनिक महासचिव
6. श्री के.वी. रामचन्द्रन भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ
7. श्रीमती सान्झी जे.डी. भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ
8. श्री एस. सामीयाप्पन अध्यक्ष, तिरुपुर रंगरेज संगठन
9. श्री के. कृष्णन महासचिव
10. श्री के.वी. श्रीनिवासन अध्यक्ष, दक्षिण भारत मिल संगठन, कोयम्बटूर (सीमा)
11. श्री के. रघुनन्दन प्रबन्ध निदेशक, दक्षिण भारतीय चीनी मिल संगठन
12. श्री के.एन. राथीनावेलू सचिव
13. श्री श्रीवत्सराम अध्यक्ष, स्थालित उपकरण विनिर्माण संगठन
14. श्री आर. सुब्रमनियन महासचिव, मद्रास चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री
15. श्री के. पुरुषोत्तमन क्षेत्रीय निदेशक, नास्कॉम, चेन्नई
16. श्री महालिंगम टीसीएस

25. त्रिपुरा(13-14 फरवरी, 2009)**राज्य सरकार के प्रतिनिधि**

1. श्री मानिक सरकार मुख्य मंत्री
2. श्री अघोर देवबर्मा मंत्री, कृषि एवं जनजातीय कार्य
3. श्री बादल चौधरी मंत्री, वित्त, पीडब्ल्यूडी
4. श्री तपन चक्रवर्ती मंत्री, शिक्षा (स्कूल) एवं स्वास्थ्य
5. श्री मानिक डे मंत्री, ऊर्जा एवं परिवहन
6. श्री जितेन्द्र चौधरी मंत्री, वन एवं आई एंड सी
7. श्री जय गोविन्द देव राय मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी
8. श्री मनिन्दर रिआंग मंत्री, टीआरपी एवं पीजीपी एवं गृह (जेल)
9. श्रीमती बिजिता नाथ मंत्री, एसडब्ल्यू एवं एसई
10. श्री शशीप्रकाश मुख्य सचिव
11. श्री ए.के. मंगोत्रा प्रधान सचिव, आयोजना, कृषि
12. श्री वाई.पी. सिंह प्रधान सचिव, पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य
13. श्री यू. वेंकटेश्वरुलु प्रधान सचिव, एआरडीडी
14. श्री एस.के. राय प्रधान सचिव, वित्त, यूडी
15. श्री बनमाली सिन्हा प्रधान सचिव, शिक्षा (स्कूल)
16. श्री एन.सी. सिन्हा आयुक्त एवं सचिव, आरडी, जीए
17. श्री एस.के. दास आयुक्त एवं सचिव, जनजातीय कल्याण
18. श्री आर.के. डे चौधरी विशेष सचिव, वित्त
19. श्री अतुल गुप्ता अपर पीसीसीएफ
20. श्री दीपक गांगुली सीएमडी, टीएसईसीएल
21. श्री एस. भौमिक मुख्य अभियन्ता, पीडब्ल्यूडी (आर एंड बी)
22. श्री अपूर्व राय उप सचिव, वित्त
23. श्री आर.के. मजुमदार निदेशक, शहरी विकास
24. श्री एस देववर्मा निदेशक, पंचायत
25. श्री आर. कार उप निदेशक, पंचायत

राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि

1. श्री गौतम दास सीपीआई (एम)
2. श्री नारायण रूपिणी सीपीआई (एम)

3. श्री रतन लाल नाथ आईएनसी
4. श्री सुदीप राय बर्मन आईएनसी
5. श्री मानिक देव आईएनसी
6. श्री शशांक कपाली सीपीआई
7. श्री दिनेश चन्द्र साहा सीपीआई
8. श्री रमेन्द्र दत्त गुप्ता सीपीआई

व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधि

1. श्री एम.एल. देवनाथ अध्यक्ष, टीसीसीआई
2. श्री ए.के. राय सचिव, टीसीसीआई
3. श्री परिमल राय चौधरी अध्यक्ष, आयात-निर्यात संगठन
4. श्री संजय देव राय महासचिव, एफएसीएसआई
5. श्री रजत पाल एफएसीएसआई
6. श्री सुब्रत रंजन राय अध्यक्ष, टीआईई
7. श्री रमेश कुमार भुवनिया कार्यकारी सदस्य, टीआईई

स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1. श्री रंजीत देवबर्मा मुख्य कार्यकारी सदस्य, त्रिपुरा जनजातीय स्वायत्त क्षेत्र जिला परिषद (टीटीएएडीसी)
2. श्री राधचरण देवबर्मा कार्यकारी सदस्य, टीटीएएडीसी
3. श्री पी. सरकार कार्यकारी सदस्य, टीटीएएडीसी
4. श्री एस. चकमा कार्यकारी सदस्य, टीटीएएडीसी
5. श्री एस.के. दास आयुक्त एवं सचिव
6. श्री कुमार आलोक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, टीटीएएडीसी
7. श्री पी. देवबर्मा अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, टीटीएएडीसी
8. श्री आर.के. देवबर्मा कार्यकारी अधिकारी, वित्त, टीटीएएडीसी
9. श्री एस. दास अध्यक्ष, एएमसी
10. श्री एस. देव अध्यक्ष, उदयपुर एनपी
11. श्री एस. भट्टाचारजी अध्यक्ष, धरमनगर एनपी
12. श्रीमती मीना दास अध्यक्ष, कुमारघाट एनपी
13. श्री एस. चक्रवर्ती अध्यक्ष, सोनामुरा एनपी
14. श्री किरन गित्ती मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एएमसी
15. श्रीमती एस. सरकार सभाधिपति, पीटीजेडपी
16. श्री पी. चक्रवर्ती सभाधिपति, डीजेडपी
17. श्री एस. डे अध्यक्ष, बोकफा पीएस
18. श्री डी. जमातिया अध्यक्ष, ओम्पी बीएसी
19. श्री के. के. सिंह प्रधान, गौरनागर जीपी
20. श्रीमती आर. देवबर्मा अध्यक्ष, वीसी, मन्दाई बीएसी

26. उत्तर प्रदेश (15-16 जुलाई 2009)**राज्य सरकार के प्रतिनिधि**

1. सुश्री मायावती मुख्यमंत्री
- 2क. श्री शशांक शेखर सिंह उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग
- 2ख. श्री विजय शंकर पांडेय अपर कैबिनेट सचिव
3. श्री अतुल कुमार गुप्ता मुख्य सचिव
4. श्री वी.के. शर्मा कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव
5. श्री अनूप मिश्रा अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त
6. श्री आर.के. मित्तल सामाजिक कार्य आयुक्त
7. श्री रवीन्द्र सिंह मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव

8. श्री मंजीत सिंह प्रधान सचिव, वित्त
9. श्री आलोक रंजन प्रधान सचिव, शहरी विकास एवं पर्यावरण
10. श्री देश दीपक वर्मा प्रधान सचिव, वाणिज्य कर एवं पंजीयन
11. श्री गोविन्दन नायर प्रधान सचिव, राजस्व
12. श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा प्रधान सचिव, पंचायती राज
13. कुमारी नीता चौधरी प्रधान सचिव, योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन
14. श्री प्रदीप शुक्ल प्रधान सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण
15. श्री हरमिन्दर राज सिंह प्रधान सचिव, आवास
16. श्री रोहित नन्दन प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास, अम्बेडकर ग्रामीण विकास कार्यक्रम
17. श्री कपिल देव प्रधान सचिव, लोक निर्माण कार्य
18. श्री नेत राम प्रधान सचिव, उत्पाद शुल्क
19. श्री वारिन्द स्वरूप प्रधान सचिव, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा
20. श्री हरभजन सिंह प्रधान सचिव, चिकित्सा शिक्षा
21. श्री पंकज अग्रवाल प्रधान सचिव, परिवहन
22. सुश्री सुनन्दा प्रसाद प्रधान सचिव, लोक उद्यम
23. श्री अरुन कुमार सिन्हा प्रधान सचिव, सिंचाई
24. श्री अरुण कुमार सिन्हा प्रधान सचिव, सिंचाई
25. श्री अवनीश अवस्थी सचिव, संस्कृति कार्य विभाग
26. डा. बी.एम. जोशी सचिव, वित्त
27. श्री नवनीत सहगल मुख्य मंत्री के सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश ऊर्जा निगम
28. श्री शम्भूनाथ शुक्ल सचिव, राजस्व एवं आयुक्त सहायता
29. श्री तीरथराज त्रिपाठी सचिव, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान कार्य
30. श्री एम.वी.एस. रामी रेड्डी प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश एसआरटीसी
31. श्री आलोक टंडन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश ऊर्जा उत्पादन निगम
32. श्री नरेन्द्र भूषण अपर प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश ऊर्जा उत्पादन निगम
33. श्री अनूप चन्द्र पांडेय सचिव, प्राथमिक शिक्षा
34. श्री कामरान रिजवी सचिव, उच्च शिक्षा
35. श्री महेश कुमार गुप्ता सचिव, गृह विभाग

स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1. श्रीमती ज्योति रावत अध्यक्ष, जिला पंचायत, उन्नाव
2. श्रीमती केसरी देवी अध्यक्ष, जिला पंचायत, इलाहाबाद
3. श्री राकेश रावत प्रमुख, ब्लाक पंचायत, विकास खंड, सरोजिनी नगर, लखनऊ
4. श्री अब्दुल हन्नान प्रमुख, ब्लाक पंचायत, विकास खंड, बेहेन्दार, हरदोई
5. श्री शिवहर्ष सिंह प्रधान, ग्राम पंचायत, सांगोरा ग्राम पंचायत, विकास खंड, सिद्धौर, बाराबंकी
6. श्रीमती पूनम प्रधान, ग्राम पंचायत, ओबरी ग्राम पंचायत, विकास खंड, बाराबंकी
7. श्रीमती दमयन्ती गोयल मेयर, नगर निगम, गाजियाद
8. डा. एस.डी. हसन मेयर, नगर निगम, मुरादाबाद
9. श्री ज्ञान वाजपेयी अध्यक्ष, लखीमपुर खीरी नगरपालिका
10. श्री मनोज अग्रवाल अध्यक्ष, फर्रुखाबाद नगर पालिका
11. श्री मतीन अहमद खान अध्यक्ष, नगर पंचायत, दरियाबाद, बाराबंकी
12. श्री अरविन्द नारायण अध्यक्ष, नगर पंचायत, नवाबगंज, उन्नाव

राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि

1. श्री लालजी वर्मा वित्त मंत्री, बहुजन समाज पार्टी
2. श्री राम आश्रय वर्मा राज्य अध्यक्ष, आरएलडी, उत्तर प्रदेश
3. श्री एस.पी. कश्यप राज्य महासचिव, सीपीएम
4. श्री अशोक सिंह राज्य अध्यक्ष, आरजेडी
5. श्री गिरीश शर्मा राज्य महासचिव, सीपीआई
6. श्री फैज अली मसूद राज्य अध्यक्ष, एनसीपी
7. श्री शिव पाल सिंह विपक्ष के नेता, यादव उत्तर प्रदेश विधान सभा, समाजवादी पार्टी
8. श्री अहमद हसन विपक्ष के नेता, उत्तर प्रदेश विधान परिषद, समाजवादी पार्टी
9. श्री ओम प्रकाश सिंह महासचिव, समाजवादी पार्टी
10. श्री अशोक वाजपेयी महासचिव, राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी
11. श्री बलराम यादव सदस्य, राष्ट्रीय क्रांति समाजवादी पार्टी
12. श्री धर्मेन्द्र सिंह महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल
13. श्री सुबोध श्रीवास्तव महासचिव एवं मुख्य प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी
14. श्री राम कृष्ण द्विवेदी पूर्व गृह मंत्री, कांग्रेस पार्टी
15. श्री सुरेश कुमार खन्ना एमएलए, बीजेपी
16. श्री हृदय नारायण दीक्षित राज्य उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता, बीजेपी
17. श्री अशोक सिंह राज्य अध्यक्ष, आरजेडी
18. श्री ओम प्रकाश सिंह विधान सभा के नेता, बीजेपी

व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधि

1. श्री शैलेंद्र जैन उपाध्यक्ष, संयुक्त चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, उत्तर प्रदेश
2. श्री एस.बी. अग्रवाल महासचिव, संयुक्त चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, उत्तर प्रदेश
3. श्री आर.सी. वर्मा कार्यकारी अधिकारी, संयुक्त चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, उत्तर प्रदेश
4. ब्रिगेडियर (से.नि.) आवासी निदेशक, पीएचडी अमिताभ चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, लखनऊ
5. श्री सुधाकर तिवारी परामर्शदाता, पीएचडी चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, लखनऊ
6. श्री गणेश चतुर्वेदी पूर्व अध्यक्ष, भारतीय उद्योग संगठन (आईआईए)
7. श्री मुकेश टंडन पूर्व महासचिव, आईआईए
8. श्री किरन चोपड़ा पूर्व अध्यक्ष, सीआईआई, उत्तर प्रदेश
9. श्री अनिल शुक्ला राज्य प्रमुख, सीआईआई, उत्तर प्रदेश

उत्तराखंड (27-29 जनवरी 2009)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1. मेजर जनरल (से.नि.) भुवन चन्द्र खंडूरी मुख्य मंत्री
2. श्री प्रकाश पंत मंत्री, पर्यटन
3. श्री इंदु कुमार पांडे मुख्य सचिव
4. श्री एन.एस. नेपाल चयाल अपर, प्रधान सचिव,
5. श्री सुभाष कुमार प्रधान सचिव, गृह एवं राजस्व
6. श्री केशव देसी राज प्रधान सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
7. श्री आलोक कुमार जैन प्रधान सचिव, वित्त
8. श्रीमती विनीता कुमार प्रधान सचिव, कृषि

9. श्री राकेश शर्मा,	सचिव, तकनीकी शिक्षा	9. श्री मंत्रीप्रसाद नेथानी	राज्य महासचिव, कांग्रेस
10. श्री शत्रुघ्न सिन्ह	मुख्य मंत्री के सचिव	10. श्री राम शरन नौटियाल	राज्य महासचिव, आईएनसी
11. श्री अनूप बाधवान	सचिव, वन	11. श्री यशपाल आर्या	अध्यक्ष, कांग्रेस
12. श्री प्रभात कुमार सारंगी	सचिव, ऊर्जा	12. श्री सुबोध उनियाल	उपाध्यक्ष, आईएनसी
13. डा. रनवीर सिंह	सचिव, उत्पाद शुल्क	13. श्री नवप्रभात	उपाध्यक्ष, कांग्रेस
14. श्री उत्पल कुमार सिंह	सचिव, पर्यटन	14. डा. सुशील मिश्रा	राज्य संयोजक, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी
15. श्री विनोद फोनिया	सचिव, सिंचाई	15. श्री देव प्रकाश	राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी
16. श्री ओम प्रकाश	सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज	16. श्री विनोद बरतवाल	राष्ट्रीय महासचिव, एसपी
17. श्रीमती राधा रतूरी	सचिव, वित्त एवं आयोजना	17. श्री इसलामुद्दीन अंसारी	राज्य अध्यक्ष, आरजेडी
18. श्री एम.एच. खान	सचिव, सचिवालय प्रासन	18. श्री जीतेन्द्र कांडपाल	जिला अध्यक्ष, आरजेडी
19. डा. उमाकांत पंवार	सचिव, परिवहन	19. श्री अजय भट्ट	राज्य महासचिव, बीजेपी
20. डा. राकेश कुमार	सचिव, शिक्षा	20. श्री सुरेश जोशी,	राज्य उपाध्यक्ष, बीजेपी
21. श्री ललित मोहन पन्त	सचिव, वित्त	21. श्री अनिल गोयल	राज्य कोषाध्यक्ष, बीजेपी
22. श्री एन.के. जोशी	अपर सचिव, स्वास्थ्य	22. श्री विनोद शर्मा	सदस्य कार्य समिति, बीजेपी
23. श्री सौरभ जैन	अपर सचिव, ऊर्जा	23. श्री बच्ची राम	
24. श्री विनोद शर्मा	अपर सचिव, परिवहन	कौंसवाल	सदस्य, मंत्रिपरिषद सीपीआई (एम)
25. श्री आर मीनाक्षी सुंदरम	अपर सचिव, शहरी विकास	24. श्री रामसूरत यादव	अध्यक्ष, आरजेडी
26. श्री किशन नाथ	अपर सचिव, सचिवालय प्रासन	25. श्री जावेद अक्तर	राज्य संयोजक, मुस्लिम समुदाय, बीएसपी
27. श्रीमती हेमलता		26. श्री एस.एन.सचान	पीजीएस, समाजवादी पार्टी
डॉंडियाल	अपर सचिव, उद्योग	27. श्री सूरजमल	राज्य अध्यक्ष, बीएसपी
28. श्री अरविन्द सिंह		28. श्री करन सिंह	राज्य महासचिव, बीएसपी
हयान्की	अपर सचिव, सम्पदा विभाग	29. श्री रमेश कुमार	जिला, महासचिव, बीएसपी

व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधि

1. श्रीमती लवलीना मोदी	पूर्व अध्यक्ष, सीआईआई
2. श्री हेमन्त कुमार अरोरा	पूर्व अध्यक्ष, सीआईआई
3. श्री राकेश ओबेराय	उपाध्यक्ष, सीआईआई
4. श्री दिनेश जैन	अध्यक्ष, सीआईआई
5. सुश्री विभा मल्होत्रा	अध्यक्ष, उत्तराखंड कार्यालय, सीआईआई
6. श्री एस.पी. कोचर	संयुक्त अध्यक्ष, पीएचडी चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री
7. श्री सुनील सहगल	वरिष्ठ सचिव, पीएचडी चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री
8. श्री मोहित जैन	अध्यक्ष, पीएचडी चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री
9. श्री अनिल गोयल	राज्य महासचिव, उत्तराखंड उद्योग संगठन
10. श्री राजीव अग्रवाल	वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उत्तराखंड उद्योग संगठन
11. श्री पंकज गुप्ता	अध्यक्ष, उत्तराखंड उद्योग संगठन
12. श्री राजीव घई	अध्यक्ष, केजीसीसीआई
13. श्री शरत गोयल	महासचिव, केजीसीसीआई
14. श्री जीतेन्द्र कुमार	अध्यक्ष, पेपर यूनिट केजीसीसीआई
15. श्री विकास जिंदल	अध्यक्ष, पीएचडीसीसी
16. श्री राकेश भाटिया	वी.पी. केजीसीसीआई
17. श्री एस.के. शर्मा	एसआईडीसीयूएल
18. श्री एस.सी. नौटियाल	अपर निदेशक, उद्योग

राजनैतिक पार्टियों के प्रतिनिधि

1. श्री जगपाल सिंह सेनी	राज्य उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी
2. श्री कृपाल सिंह	राज्य अध्यक्ष, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी
3. श्री कल्याण सिंह वर्मा	राज्य अध्यक्ष, कार्यक्रम समिति
4. श्री सुभाष शर्मा	वरिष्ठ नेता, बीएसपी
5. श्री पी.एस. बेंस	राज्य कार्यसमिति सदस्य, बीएसपी
6. श्री सी.पी. सिंह	राज्य कार्य समिति सदस्य, एसपी
7. श्री छोटे सिंह	जिला सचिव, बीएसपी
8. श्री सूर्यकान्त धसमाना	मीडिया प्रभारी, कांग्रेस

9. श्री मंत्रीप्रसाद नेथानी	राज्य महासचिव, कांग्रेस
10. श्री राम शरन नौटियाल	राज्य महासचिव, आईएनसी
11. श्री यशपाल आर्या	अध्यक्ष, कांग्रेस
12. श्री सुबोध उनियाल	उपाध्यक्ष, आईएनसी
13. श्री नवप्रभात	उपाध्यक्ष, कांग्रेस
14. डा. सुशील मिश्रा	राज्य संयोजक, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी
15. श्री देव प्रकाश	राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी
16. श्री विनोद बरतवाल	राष्ट्रीय महासचिव, एसपी
17. श्री इसलामुद्दीन अंसारी	राज्य अध्यक्ष, आरजेडी
18. श्री जीतेन्द्र कांडपाल	जिला अध्यक्ष, आरजेडी
19. श्री अजय भट्ट	राज्य महासचिव, बीजेपी
20. श्री सुरेश जोशी,	राज्य उपाध्यक्ष, बीजेपी
21. श्री अनिल गोयल	राज्य कोषाध्यक्ष, बीजेपी
22. श्री विनोद शर्मा	सदस्य कार्य समिति, बीजेपी
23. श्री बच्ची राम	
कौंसवाल	सदस्य, मंत्रिपरिषद सीपीआई (एम)
24. श्री रामसूरत यादव	अध्यक्ष, आरजेडी
25. श्री जावेद अक्तर	राज्य संयोजक, मुस्लिम समुदाय, बीएसपी
26. श्री एस.एन.सचान	पीजीएस, समाजवादी पार्टी
27. श्री सूरजमल	राज्य अध्यक्ष, बीएसपी
28. श्री करन सिंह	राज्य महासचिव, बीएसपी
29. श्री रमेश कुमार	जिला, महासचिव, बीएसपी
30. श्री योगराज सिंह	जिला अध्यक्ष, बीएसपी
31. श्री सुशील कुमार	महासचिव, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी

स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1. श्री शाहिद हसन	ग्राम प्रधान, राहतपुर
2. श्री जगदम्बा प्रसाद रतूरी	प्रमुख, जखाधीधर, टिहरी गढ़वाल
3. श्री पूरन चन्द्र रामोला	प्रमुख, प्रताप नगर, टिहरी गढ़वाल
4. श्री वीर सिंह चौहान	ग्राम प्रधान, नागल हसाला
5. श्री दीप शर्मा	अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश
6. सुश्री शोभा जोशी	अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, अल्मोड़ा
7. श्री महेश यादव	ग्राम प्रधान, रायपुर
8. श्री दीपचन्द्र साती	अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, कालाडुंगी
9. श्री कमल कुमार जौरा	अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, हरिद्वार
10. श्री खेम सिंह पाल	प्रमुख, क्षेत्र पंचायत, रायपुर
11. सुश्री सरिता पुन्दीर	ग्राम प्रधान, जौलीग्रंट
12. सुश्री नगीना रानी	प्रमुख, डोईवाला
13. श्री इकबाल सिंह	ग्राम प्रधान, मुबारकपुर
14. श्री राजपाल सिंह	सदस्य, जिला पंचायत, हरिद्वार
15. श्री ऋषिपाल सिंह	सदस्य, जिला पंचायत, हरिद्वार
16. श्री मोहन लाल जैन	अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, श्रीनगर, गढ़वाल
17. श्री ओ.पी. उनियाल	अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, मसूरी
18. श्रीमती मधु चौहान	अध्यक्ष, जिला पंचायत, देहरादून
19. श्री सूरत सिंह चौहान	सदस्य, जिला पंचायत, जमानीपुर
20. श्री विनोद चमोली	मेयर, नगर निगम, देहरादून
21. सुश्री गीताराव	ब्लाक प्रमुख, जौनपुर, टिहरी गढ़वाल
22. सुश्री मीरा सकलानी	उपाध्यक्ष, जिला पंचायत, टिहरी गढ़वाल
23. श्री धर्मेन्द्र सिंह	ग्राम प्रधान, भक्तनपुर, हरिद्वार
24. श्री राव अफाक अली	ग्राम प्रधान, सलेमपुर, हरिद्वार
25. श्री रोशन रतूरी	ग्राम प्रधान, धालवाला, टिहरी गढ़वाल
26. श्री शोबान सिंह	कोठारी
	ग्राम प्रधान, कुन्द सकलानी, टिहरी गढ़वाल

27. श्री राजेन्द्र सिंह राना अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल
28. श्री डी.पी. देवरादी डीपीआरओ, टिहरी गढ़वाल
29. श्री विपिन कुमार संयुक्त निदेशक, पंचायत विभाग
30. श्री जे.एल. शर्मा अवर सचिव, शहरी विकास विभाग
31. श्री बी.एस. नागी डीपीआरओ, जिला पंचायत, हरिद्वार
32. श्री मनीश कुमार प्रमुख, भागवानपुर
33. सुश्री ज्वाला देवी प्रमुख, लक्शर

28. पश्चिम बंगाल (17-18 नवंबर 2008)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

- श्री बुद्धदेव भट्टाचारजी मुख्य मंत्री
- श्री आसिम के. दासगुप्ता मंत्री, वित्त एवं उत्पाद शुल्क
- डा. सूर्य के. मिश्रा मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जैव-प्रौद्योगिकी एवं कर्मचारी राज्य बीमा
- श्री नरेन दे मंत्री, कृषि एवं उपभोक्ता मामले
- श्री क्षिति गोस्वामी मंत्री, लोक निर्माण कार्य
- श्री नंद गोपाल भट्टाचार जी मंत्री, जल संसाधन, अन्वेषण विकास
- डा. मोर्तजा हुसैन मंत्री, आपदा प्रबंधन, कृषि विपणन
- श्री मृणाल बनर्जी मंत्री, विद्युत एवं अपरम्परागत ऊर्जा संसाधन
- श्री सुभाष नास्कर मंत्री, सिंचाई एवं जलमार्ग
- श्री चक्रधर मैकप मंत्री, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण
- श्रीमती मीरा पांडेय अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन अन्वेषण एवं विकास
- श्री सुनील मित्रा अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा एवं अपरम्परागत ऊर्जा संसाधन
- श्री समर घोष प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
- श्री पी.के. प्रधान प्रधान सचिव, शहरी विकास
- श्रीमती जया दासगुप्ता प्रधान सचिव, विकास एवं आयोजना
- श्री दीपांकर मुखोपाध्याय प्रधान सचिव, वित्त
- श्रीमती एन. चटर्जी प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा
- डा. एम.एन. राय प्रधान सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास
- श्री एस. के. साथियावासन प्रधान सचिव, लोक निर्माण कार्य
- श्री एम.एल. मीना प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन
- श्री एस. सिद्धार्थ प्रधान सचिव, बायो-तकनीकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी
- श्री सी.एम. बछावत प्रधान सचिव, वित्त (राजस्व) एवं उत्पाद शुल्क
- श्री पवन अग्रवाल सचिव, नगर पालिका कार्य
- श्री संजीव चोपड़ा सचिव, कृषि
- श्री अरुन बाल सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा सुन्दरबन कार्य
- श्री तपन मित्रा सचिव, सिंचाई एवं जलमार्ग

स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

- श्री बिकाश रंजन भट्टाचार्य मेयर, कोलकाता नगर निगम
- श्री उदय सरकार सभाधिपति, बर्दवान जिला परिषद
- श्रीमती मणि थापा सभाधिपति, सिलीगुड़ी महकमा परिषद
- डा. सांतनु झा अध्यक्ष, कल्यानी नगरपालिका
- श्री पिनाकी धमाली अध्यक्ष, उत्तरपारा-कोटरांग नगरपालिका
- श्रीमती सबीना येसमिन सभाधिपति, माल्दा जिला परिषद

राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि

- डा. धनपत राम अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी
- प्रोफेसर तथागत राय भारतीय जनता पार्टी
- श्री नृपेन्द्र नाथ बंदोपाध्याय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
- श्री चन्दन चक्रवर्ती भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
- श्री मृदुल डे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (एम)
- श्री मदन घोष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (एम)
- श्री हाफिज सैरानी अखिल भारतीय फारवर्ड ब्लॉक
- डा. बरुन मुखर्जी अखिल भारतीय फारवर्ड ब्लॉक
- श्री मनोज भट्टाचारजी रिवोल्युशनरी सोसलिस्ट पार्टी
- श्री अमर चौधरी रिवोल्युशनरी सोसलिस्ट पार्टी
- श्री प्रदीप कुमार भट्टाचारजी पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति
- श्रीमती मैत्रेयी साहा पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति
- मोहम्मद सोहराब राष्ट्रीय जनता दल
- श्री पार्थ चटर्जी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
- श्री सौगात राय अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस

व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधि

- श्री सी के धनुका क्षेत्रीय अध्यक्ष, फेडरोन आफ इंडियन चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री
- श्री बी.जी. राय क्षेत्रीय अध्यक्ष, फेडरोन आफ इंडियन चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री
- श्री एस. राधाकृष्णन क्षेत्रीय निदेशक, इंडो-जर्मन चैम्बर ऑफ कामर्स
- श्री हर्ष के. झा अध्यक्ष, इंडियन चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री
- श्री के.के. नवादा अध्यक्ष, बंगाल नेशनल चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री
- श्री अतुल चौरीवाल अध्यक्ष, मार्चेन्ट चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री
- श्री पी.आर. अग्रवाल अध्यक्ष, इंडियन चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री
- श्री एच.वी. पटोदिया अध्यक्ष, कलकत्ता चैम्बर आफ कामर्स
- श्री एन.डी. मेहता अध्यक्ष, ओरिएंटल चैम्बर आफ कामर्स
- श्री संदीपन चक्रवर्ती अध्यक्ष, भारत उद्योग परिसंघ

आयोग का संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का दौरा कार्यक्रम-15-24 अक्टूबर-2008
वाशिंगटन डीसी

तारीख	कार्यक्रम का स्थान	कार्यक्रम
15 अक्टूबर, 2008	दि सेंटर फॉर दि एडवांस स्टडी ऑफ इंडिया (सीएसआई/विश्व बैंक कार्यशाला)	सत्र 1: बिना शर्त और सशर्त अंतरण (i) अंतरण सरकारी वित्त-अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं से शिक्षा (ii) ब्राजील से शिक्षा सत्र 2: तृतीय टियर के लिए हस्तांतरण (i) विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में तृतीय टियर सरकारी वित्त (ii) दक्षिण अफ्रीका से सबक सत्र 3: राजकोषीय अंतरण और सामाजिक क्षेत्र (i) राजकोषीय अंतरण और सेवा प्रदाय (ii) भारत में प्राइमरी शिक्षा और ग्रामीण जल सत्र 4: अभिनव संघवाद (i) अभिनव संघवाद (ii) विश्व व्यापी परिप्रेक्ष्य
16 अक्टूबर, 2008	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष/विश्व बैंक अधिकारियों के साथ बैठकें	(i) श्री अजय चौपड़ा कार्यकारी निदेशक यूरोपियन विभाग, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (ii) सुश्री टेरेसा टेरे-मिनासेन, निदेशक राजकोषीय कार्य विभाग, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (iii) मि. डेविड बर्टन, निदेशक, एशिया और प्रशांत विभाग, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (iv) मि. जस्टिन यिफु लिन, मुख्य अर्थशास्त्री, विश्व बैंक (v) श्रीमती देबॉराह वेजेल, ब्राजील प्रमुख अर्थशास्त्री, विश्व बैंक
17 अक्टूबर, 2008	विश्व बैंक/अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कार्यशाला	(i) व्यय-गुणवत्ता (ii) वस्तु एवं सेवाकर (iii) राजकोष संबंधी नियम

कनाडा

20 अक्टूबर, 2008	वित्त मंत्रालय, क्यूबेक प्रांतीय सरकार/अंतरराष्ट्रीय संबंध मंत्रालय क्यूबेक	(i) वित्तीय अंतरणों एवं लोक वित्त मामलों पर प्रस्तुति (ii) पर्यावरणीय और सतत विकास से संबंधित भिन्न-भिन्न विषयों पर विचार-विमर्श क्यूबेक सरकार की नीति (iii) क्यूबेक में वस्तु एवं सेवाकर प्रणाली पर चर्चा
21 अक्टूबर, 2008	ओटावा वित्त विभाग; संघीय प्रांतीय संबंध शाखा अंतर-सरकारी कार्य विभाग में कार्यक्रम	राजकोषीय नीति प्रभाग पर/द्वारा प्रस्तुती (i) सहायक उपमंत्री अंतर सरकारी नीति और योजना से प्राप्त संक्षिप्त विचार (ii) अध्यक्ष, तेरहवें वित्त आयोग द्वारा तेरहवें वित्त आयोग के अधिदेश और कार्य का सिंहावलोकन (iii) अंतर सरकारी राजकोषीय व्यवस्था के लिए कनाडाई दृष्टिकोष पर प्रस्तुति (iv) अध्यक्ष, फेडरेशन-फोरम के साथ बैठक

तारीख	कार्यक्रम का स्थान	कार्यक्रम
22 अक्टूबर, 2008	ओटावा अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र (आईडीआरसी)	राजकोषीय संघवाद संबंधी विषयों पर गोलमेज चर्चा कनाडाई और भारतीय परिप्रेक्ष्य (i) भारतीय वित्त आयोग द्वारा सामना किए जा रहे विषयों को सिंहावलोकन (ii) कनाडा में राजकोषीय संघवाद का अवलोकन (iii) विषय संबंधी चर्चा: (क) राजकोषीय फेडरेशन में हस्तांतरण (ख) वस्तु एवं सेवाकर
23 अक्टूबर, 2008	टोरेंटो	(i) नगर कार्य मंत्री, ऑंटारियो के साथ बैठक (ii) वित्त मंत्रालय, ऑंटारिया के साथ बैठक
23 अक्टूबर, 2008	टोरेंटो	(i) भारतीय मूल के वित्त विशेषज्ञों के साथ गोल मेज वार्ता (ii) नगर सम्पत्ति निर्धारण निगम पिकरिंग का दौरा-प्रस्तुति और चर्चा

दिए गए अध्ययनों की सूची

क्रम संख्या	विषय	संस्था/संगठन/व्यक्ति का नाम
1.	वर्ष 2010-11 में पांच वर्षों के लिए राजकोषीय पुनर्संरचना योजना की रूपरेखा तैयार करना	राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी), नई दिल्ली
2.	राजकोषीय अंतरणों में प्रवृत्तियों की समीक्षा	मद्रास स्कूल ऑफ इकॉनामिक्स, चेन्नै
3.	पूर्वानुमानों और नीतिगत प्रोत्साहनों के लिए वृहत राजकोषीय प्रतिरूपेण ढांचा	मद्रास स्कूल ऑफ इकॉनामिक्स, चेन्नै
4.	भारत में अंतःराज्यिक आर्थिक विषमताएं	एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान, पटना
5.	एक संगणीय सामान्य संतुलन फ्रेमवर्क में राजकोषीय अंतरण की विविक्षाओं का विश्लेषण करना	आर्थिक विकास संस्थान, नई दिल्ली
6.	स्थानीय स्तर पर राजकोषीय संघवाद की विधि और अर्थशास्त्र	भारतीय राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, बंगलौर
7.	वित्त आयोग के समकक्ष मुद्दे पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करना	ग्रामीण प्रबन्ध संस्थान, आणंद (आईआरएमए), गुजरात
8.	नगरीय सर्वोत्तम परिपाटियां	यशवंतरा चव्वाण विकास प्रशासन अकादमी, पुणे
9.	भारत के नगरों व कस्बों में संपत्ति कर संभावना	राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, नई दिल्ली
10.	राज्य वित्त आयोगों की रिपोर्टों का अध्ययन	राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, नई दिल्ली
11.	भारत में राज्यों के लिए सुशासन सूचक का विकास	राष्ट्रीय प्रशासन अनुसंधान संस्थान, लाल बहादुरशास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मंसूरी
12.	नगर वित्त-पोषण विकल्प के रूप में भूमि-भारत से एक प्रायोगिक अध्ययन	लोक कार्य केन्द्र, बंगलौर
13.	बेहतर उत्पादन और निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए लोक व्यय-गुणवत्ता का सुधार	भारतीय प्रशासनिक स्टाफ, हैदराबाद
14.	पूर्वोत्तर भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास की समस्याएं और संभावनाएं	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, असम
15.	वनाधीन विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रों की व्यवस्था के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति करने हेतु तंत्र तैयार करना	भारतीय वन प्रबंध संस्थान (आईआईएफएम), भोपाल
16.	आपदा प्रबंध और आपदा राहत वित्त-पोषण	राहत प्रशासन अध्ययन केन्द्र नई दिल्ली
17.	रक्षा मंत्रालय को आबंटित बजटीय संसाधनों के उपयोग में दक्षता	स्ट्रेटेजिक और सिक्यूरिटी अध्ययन केन्द्र, नई दिल्ली
18.	केन्द्रीय सब्सिडियों और कर व्यय का अन्तर-सामाजिक वितरण	राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान (एआईपीएफपी),
19.	विशेष श्रेणी वाले राज्यों की ऋण समस्याएं	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, इटानगर
20.	राज्य वित्त-साधनों पर प्रभाव के लिए विद्युत सेक्टर के विशिष्ट पहलू	मरकेडॉस इनर्जी मार्केट इंडिया प्राइवेट लि., नई दिल्ली

क्रम संख्या	विषय	संस्था/संगठन/व्यक्ति का नाम
21.	भारतीय राजकोषीय संघवाद फ्रेमवर्क में पर्यावरण, पारिस्थिति और जलवायु परिवर्तन को एकीकृत करना	ऊर्जा संसाधन संस्थान, नई दिल्ली
22.	न्याय सुपुदगी प्रणालियों को सुदृढ करना	नीति अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली
23.	भारत में आपदा प्रबन्धन को वित्तपोषण करना	राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संस्थान (एनआईडीएम), नई दिल्ली
24.	वस्तु और सेवाकर लागू करने पर राजस्व निहितार्थ	लोक अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान, नई दिल्ली
25.	पेट्रोलियम उत्पादों के कराधान को युक्तियुक्त करना	राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी)
26.	राज्य स्तरीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों का अध्ययन	आंतरिक गृह: वित्त आयोग
27.	राज्य सिंचाई विभागों का अध्ययन	आंतरिक गृह: वित्त आयोग
28.	भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर वस्तु एवं सेवा कर का प्रभाव	राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
29.	पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास बाधाएं और संभावनाएं	नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय, दार्जिलिंग
30.	राज्यों में विद्युत सेक्टर के वित्तसाधनों की समीक्षा	मरकोडॉस ऊर्जा मार्किट प्रा.लि. नई दिल्ली
31.	राज्य सरकारों द्वारा प्रभावी राजकोषीय और जनशक्ति लागत/लाभों के लिए कर्मचारी और पेशनर डाटाबेस और एम.आई.एस.	<ol style="list-style-type: none"> श्री सुभाष गर्ग, आ.प्र. से, प्रधान सचिव, राजस्थान सरकार श्री गौतम भरद्वाज, प्रबंध निदेशक, इन्वेस्ट इंडिया इकोनोमिक फाउंडेशन प्राइवेट लि. नोएडा

अध्यक्ष से मुलाकात करने वाले व्यक्तियों की सूची

क्रम संख्या	नाम	पदनाम/संगठन
1.	श्री जोशुआ फेलमैन	रेजीडेंट प्रतिनिधि, अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष
2.	श्री एन गोपालस्वामी	मुख्य निर्वाचन आयुक्त
3.	डा. एस. के. राव	महानिदेशक, भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद
4.	सुश्री इसाबेल गेरेरो	निदेशक विश्व बैंक (नई दिल्ली कार्यालय)
5.	डा. डी. सुब्बा राव	केन्द्रीय वित्त सचिव
6.	डा. एम गोविंद राव	निदेशक, राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी), नई दिल्ली
7.	मि. टी. कोण्डो	देश निदेशक, एशियाई विकास बैंक
8.	डा. आर.के. पचौरी	महानिदेशक ऊर्जा अनुसंधान संस्थान
9.	डा. प्रताप भानु मेहता	अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक, नीति अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली
10.	डा. पार्था मुखोपाध्याय	वरिष्ठ फैलो, नीति अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली
11.	प्रो. बिबेक देबराय	प्रोफेसर नीति अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली
12.	रशपाल मल्होत्रा	महानिदेशक, ग्रामीण और औद्योगिक विकास अनुसंधान केन्द्र, चंडीगढ़
13.	डा. प्रणव सेन	सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग
14.	श्री पवन चैमलिंग	मुख्य मंत्री, सिक्किम
15.	डा. विनय लाल	महानिदेशक, विकास अध्ययन केन्द्र दिल्ली
16.	श्री पी. कृष्णामूर्ति	अध्यक्ष, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद, नई दिल्ली
17.	श्री वी. गोविंद राजन	सदस्य सचिव, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद, नई दिल्ली
18.	श्री युगांधर	सदस्य, योजना आयोग
19.	डा. वाई.के. अलाघ	अध्यक्ष, ग्रामीण प्रबंध संस्थान, आनन्द गुजरात
20.	डा. के श्रीनाथ रेड्डी	अध्यक्ष, भारतीय लोक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, नई दिल्ली
21.	श्री अरविंद केजरीवाल	सामाजिक कार्यकर्ता और सूचना के अधिकार के क्यूसेडर
22.	डा. अमित भादुड़ी	प्रोफेसर राजनीतिक अर्थव्यवस्था पविया विश्वविद्यालय
23.	प्रो. विवेक भंडारी	निदेशक, ग्रामीण प्रबंध संस्थान, आनन्द
24.	मि. रॉय बहल	स्थापना डीन, एन्ड्र्यू यंग स्कूल और रेजेन्ट्स प्रोफेसर अर्थशास्त्र; प्रोफेसर, लोक प्रशासन केन्दुकी विश्वविद्यालय (लोक वित्त विशेषज्ञ)
25.	डा. बंसल के प्रधान	प्रोफेसर, आर्थिक विकास संस्थान, नई दिल्ली
26.	डा. रणजीत एस चौवान	डी सी, अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान, मुम्बई
27.	श्री रमेश रामनाथन	सह-स्थापक 'ज्ञानग्रह एन.जी.ओ.' तथा राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार जेएनएनयूआरएम (अति लघु (माइक्रो) वित्त विशेषज्ञ)
28.	मि. गगन राम	प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नेशनल सिक्यूरिटी डिपोजिटरी लि., मुम्बई

क्रम संख्या	नाम	पदनाम/संगठन
29.	श्री वी.के. शूंगलू	भारत के पूर्व नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक
30.	श्री मणि शंकर अय्यर	केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री
31.	प्रो. के.सी. शिवरामकृष्णन	नीति अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली
32.	श्री संजय पी पंत	वरिष्ठ रेजिडेन्ट प्रतिनिधि, नई दिल्ली
33.	डा. राकेश मोहन	उप गवर्नर, भा. रि. बैंक
34.	श्री तरुण गोगोई	मुख्य मंत्री, असम
35.	श्री जयराम रमेश	राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पर्यावरण और वन
36.	डा. मोहन गोपाल	निदेशक, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल
37.	श्री एम.एन. प्रसाद	सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
38.	डा. असिम दास गुप्ता	वित्त मंत्री, पश्चिम बंगाल
39.	श्री शिवराज सिंह चौहान	मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश
40.	श्री अशोक चौवान	मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र
41.	श्री दिलीप वालसेकर पाटिल	वित्त मंत्री, महाराष्ट्र
42.	श्री प्रफुल्ल चंद्र गडई	वित्त मंत्री, उड़ीसा
43.	श्री डा. अमित मित्रा	भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल परिसंघ (फिक्की), नई दिल्ली
44.	श्री सतीश चंद्र	सदस्य सचिव, राज्य वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति
45.	श्री धनेद्र प्रभार	अध्यक्ष, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
46.	मि. रोबर्टो जाघा	देश निदेशक, विश्व बैंक
47.	डा. अरविंद विरमानी	मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार
48.	श्री मोहन कांडा	सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, नई दिल्ली
49.	श्री मुकुल जोशी	सचिव, अंतर्राज्यिक परिषद
50.	श्री देश दीपक वर्मा	प्रधान सचिव, उत्तर प्रदेश
51.	श्री अतुल्य चतुर्वेदी	सचिव (उर्वरक)
52.	श्री जुगल किशोर महापात्रा	प्रधान सचिव (वित्त), उड़ीसा
53.	श्री पी.डी. राय	संसद-सदस्य (सिक्किम)
54.	श्री ठाकुर गुलचैन सिंह चरक	पूर्व-मंत्री, उच्चतर शिक्षा और एआरआई प्रशिक्षण, जम्मू और कश्मीर
55.	श्रीमति ओमिता पॉल	केन्द्रीय वित्त मंत्री की सलाहकार
56.	श्री मनप्रीत सिंह बादल	वित्त मंत्री, पंजाब
58.	श्री नवीन पटनायक	मुख्य मंत्री, उड़ीसा
59.	श्री आर सेशासई	प्रबंध निदेशक, असोक लेलैण्ड
60.	श्री मरुत सेनगुप्ता	कार्यपालक निदेशक (एनएफसीजी) और प्रमुख, भारतीय उद्योग नीति परिसंघ (सीआईआई), नई दिल्ली
61.	श्री सी बनर्जी	महानिदेशक सीआईआई, नई दिल्ली
62.	श्री वेणुश्रीनिवासन	अध्यक्ष, सीआईआई, नई दिल्ली
63.	डा. मधु वर्मा	प्रोफेसर, भारतीय वन संस्थान
64.	डा. डी.के. श्रीवास्तव	मद्रास स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स, चेन्नै
65.	श्री इबोबी सिंह	मुख्य मंत्री, मणिपुर
66.	श्री मुकुल संगमा	उप मुख्य मंत्री, मेघालय
67.	श्री निर्मल सिंह	सदस्य, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एण्ड फाइनेंशियल रिकन्सट्रक्शन, नई दिल्ली
68.	श्री टाको दाबी	गृह मंत्री, अरुणाचल प्रदेश

केन्द्र से राज्यों को राजस्व अंतरणों की प्रतिशत व्यवस्था

वर्ष	वित्त आयोग अंतरण			अन्य अंतरण		कुल अन्य अंतरण (5+6)	कुल अंतरण (4+7)	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल अंतरण
	केन्द्रीय करों में हिस्सा	अनुदान	कुल वित्त आयोग अंतरण (2+3)	योजना अनुदान	योजना- भिन्न अनुदान			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. एफसी-VIII (1984-89)	53.48	6.65	60.13	35.80	4.07	39.87	100.00	4.83
2. एफसी-IX (1989-95)	52.98	8.48	61.46	35.91	2.63	38.54	100.00	4.89
3. एफसी-X (1995-2000)	62.06	6.55	68.61	29.52	1.87	31.39	100.00	4.09
4. एफसी-XI (2000-2005)	58.38	11.00	69.38	28.65	1.97	30.62	100.00	4.16
5. एफसी-XII (2005-10)	56.48	11.55	68.03	28.55	3.43	31.97	100.00	5.21
2005-06	57.00	14.95	71.94	25.36	2.70	28.06	100.00	4.69
2006-07	57.93	13.47	71.40	25.54	3.05	28.60	100.00	5.11
2007-08	58.82	10.21	69.02	27.69	3.29	30.98	100.00	5.46
2008-09 (सं.अ.)	56.04	9.69	65.74	30.92	3.34	34.26	100.00	5.37
2009-10 (ब.अ.)	53.62	11.22	64.84	30.88	4.28	35.16	100.00	5.23

टिप्पणी: ये राजस्व लेखा अंतरण हैं। वित्त आयोग-XII से पूर्व, आयोजना सहायता में ऋण संघटक होता था, जो कुल सहायता के हिस्से के रूप में साधारण श्रेणी वाले राज्यों के लिए 70% से विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए 10 प्रतिशत तक भिन्न-भिन्न था। केन्द्र द्वारा राज्यों को लघु बचत योजनाओं से निवल संग्रहित राशि में से उधार भी दिया गया।

स्रोत : मूल आंकड़े भारतीय लोक वित्त सांख्यिकी, केन्द्रीय वित्त खातों और केन्द्रीय बजट प्रलेखों से लिए गए हैं।

अनुबंध 4.2
(पैरा 4.57)

केन्द्र की सकल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में केन्द्र से राज्यों को राजस्व अंतरण

वर्ष	वित्त आयोग अंतरण			अन्य अंतरण			कुल अंतरण (4+7)
	केन्द्रीय करों में हिस्सा	अनुदान	कुल वित्त आयोग अंतरण (2+3)	योजना अनुदान	योजना-भिन्न अनुदान	कुल अन्य अंतरण (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. एफसी-VIII (1984-89)	20.25	2.52	22.77	13.56	1.54	15.10	37.86
2. एफसी-IX (1989-95)	21.37	3.42	24.79	14.49	1.06	15.55	40.33
3. एफसी-X (1995-2000)	22.22	2.34	24.56	10.57	0.67	11.24	35.79
4. एफसी-XI (2000-2005)	20.59	3.88	24.47	10.10	0.70	10.80	35.27
5. एफसी-XII (2005-10)	21.75	4.45	26.20	10.99	1.32	12.31	38.51
2005-06	21.71	5.69	27.41	9.66	1.03	10.69	38.09
2006-07	21.97	5.11	27.08	9.69	1.16	10.85	37.93
2007-08	21.88	3.80	25.68	10.30	1.22	11.53	37.21
2008-09 (सं.अ.)	22.17	3.83	26.01	12.23	1.32	13.56	39.57
2009-10 (ब.अ.)	21.10	4.42	25.52	12.15	1.69	13.84	39.35

टिप्पणी: ये राजस्व लेखा अंतरण हैं। वित्त आयोग-XII से पूर्व, आयोजना सहायता में ऋण संघटक होता था, जो कुल सहायता के हिस्से के रूप में साधारण श्रेणी वाले राज्यों के लिए 70% से विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए 10 प्रतिशत तक भिन्न-भिन्न था। केन्द्र द्वारा राज्यों की लघु बचत योजनाओं से निवल संग्रहित राशि में से उधार भी दिया गया।

स्रोत : मूल आंकड़े भारतीय लोक वित्त सांख्यिकी, केन्द्रीय वित्त खातों और केन्द्रीय बजट प्रलेखों से लिए गए हैं।

राजस्व प्राप्तियां : भारत सरकार

(करोड़ रुपए)

	2009-10 (ब.अ.)	2009-10 पुनःमूल्यांकित	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
क कर राजस्व (सकल)	641079	641079	747658	876929	1034381	1220104	1439174
1 निगम कर	256725	256725	299406	351173	414226	488600	576328
2 निगम कर को छोड़कर आय पर कर	112850	112850	131611	154367	182083	214777	253340
3 सीमाशुल्क	98000	98000	114293	134054	158123	186514	220003
4 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	106477	106477	124179	145649	171801	202647	239033
5 सेवा कर	65000	65000	75806	88913	104878	123708	145920
6 धन कर	425	425	496	581	686	809	954
7 संघ राज्य क्षेत्रों के कर	1602	1602	1868	2191	2585	3049	3596
ख कर राजस्व (निवल)	545463	545463	636183	746179	880156	1038188	1224595
ग कर-भिन्न राजस्व	140279	115279	132236	152888	177776	207572	243303
1 राजकोषीय संवाएं	148	148	131	116	102	90	80
2 ब्याज प्राप्तियां	19174	19174	19353	19858	20502	21273	22188
i) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार से	11643	11643	11410	11182	10958	10739	10524
ii) रेल पूंजी पर	5479	5479	5930	6701	7605	8632	9797
iii) अन्य ब्याज प्राप्तियां	2052	2052	2013	1975	1938	1902	1866
3 लाभांश और लाभ	49750	49750	58876	70067	83823	100563	120986
i) भा. रि. बैंक/बैंकों से लाभ	28600	28600	32175	36358	41267	46838	53161
ii) अन्य लाभांश और लाभ	21150	21150	26701	33709	42556	53725	67826
4 अन्य सामान्य सेवाएं	7670	7670	8555	9543	10645	11874	13245
5 सामाजिक सेवाएं	608	608	691	786	893	1015	1154
6 आर्थिक सेवाएं	60039	35039	41346	48788	57570	67933	80161
7 विधान सभा रहित संघ राज्य क्षेत्र	754	754	825	903	989	1082	1185
8 सहायता अनुदान और अंशदान	2136	2136	2457	2827	3252	3742	4305
कुल राजस्व प्राप्तियां (क+ग)	781358	756358	879894	1029817	1212157	1427676	1682477
सकल घरेलू उत्पाद (बाजार मूल्य - 1999-2000 श्रृंगला)	5856569	5856569	6588640	7445163	8450260	9591046	10885837

टिप्पणी: 1. सामान्य सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 2010-11 में 12.50 प्रतिशत, 2011-12 में 13.0 प्रतिशत और 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में 13.5 प्रतिशत होने का अनुमान है।

2. कर राजस्व (सकल) में से संघ राज्य क्षेत्रों के संग्रहणों, उप करों व अधिभारों और करों की लागत घटा कर, कर राजस्व (निवल) विभाज्य पूल है।

अनुबंध 6.2
(पैरा 6.42)

राजस्व प्राप्तियां : भारत सरकार

(स. घ. उत्पाद का प्रतिशत)

	2009-10 (ब.अ.)	2009-10 पुनःमूल्यांकित	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
क कर राजस्व (सकल)	10.95	10.95	11.35	11.78	12.24	12.72	13.22
1 निगम कर	4.38	4.38	4.54	4.72	4.90	5.09	5.29
2 निगम कर को छोड़कर आय पर कर	1.93	1.93	2.00	2.07	2.15	2.24	2.33
3 सीमाशुल्क	1.67	1.67	1.73	1.80	1.87	1.94	2.02
4 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	1.82	1.82	1.88	1.96	2.03	2.11	2.20
5 सेवा कर	1.11	1.11	1.15	1.19	1.24	1.29	1.34
6 धन कर	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
7 संघ राज्य क्षेत्रों के कर	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
ख कर राजस्व (निवल)	9.31	9.31	9.66	10.02	10.42	10.82	11.25
ग कर-भिन्न राजस्व	2.40	1.97	2.01	2.05	2.10	2.16	2.24
1 राजकोषीय संवाएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 ब्याज प्राप्तियां	0.33	0.33	0.29	0.27	0.24	0.22	0.20
i) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार से	0.20	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10
ii) रेल पूंजी पर	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
iii) अन्य ब्याज प्राप्तियां	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02
3 लाभांश और लाभ	0.85	0.85	0.89	0.94	0.99	1.05	1.11
i) भा. रि. बैंक/बैंकों से लाभ	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49
ii) अन्य लाभांश और लाभ	0.36	0.36	0.41	0.45	0.50	0.56	0.62
4 अन्य सामान्य सेवाएं	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12
5 सामाजिक सेवाएं	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
6 आर्थिक सेवाएं	1.03	0.60	0.63	0.66	0.68	0.71	0.74
7 विधान सभा रहित संघ राज्य क्षेत्र	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
8 सहायता अनुदान और अंशदान	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
कुल-राजस्व प्राप्तियां (क+ग)	13.34	12.91	13.35	13.83	14.34	14.89	15.46

योजना-भिन्न व्यय : भारत सरकार

(करोड़ रुपए)

शीर्ष/मद	2009-10 (ब.अ.)	2009-10 पुनःमूल्यांकित	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1 ब्याज अदायगी	225511	225511	233368	261691	288558	315119	336582
2 रक्षा व्यय	141703	128792	139452	151023	163585	177225	192039
i) राजस्व	86879	73968	79146	84686	90614	96957	103744
ii) पूंजीगत	54824	54824	60306	66337	72971	80268	88295
3 सब्सिडी	111276	118927	111260	110254	105250	102974	101213
i) खाद्य	52490	52490	52635	59441	62249	67785	73836
ii) उर्वरक	49980	49980	42168	34356	26544	18732	10920
iii) पेट्रोलियम सब्सिडी	3109	10760	10760	10760	10760	10760	10760
iv) अन्य सब्सिडियां	5697	5697	5697	5697	5697	5697	5697
4. पुलिस	25390	21680	23306	25054	26933	28953	31125
5 पेंशन	34980	34980	38128	41560	45300	49377	53821
6 डाक घाटा	5395	5395	5277	5161	5048	4938	4830
7 विधान सभा रहित संघ राज्य क्षेत्रों का योजना-भिन्न व्यय	3152	2662	2984	3345	3750	4204	4713
i) राजस्व	3162						
ii) पूंजीगत	-10						
8 आम चुनाव	850	850	43	43	43	43	1085
9 अन्य सामान्य सेवाएं	17879	15906	16701	17536	18413	19334	20301
10 सामाजिक सेवाएं	18491	18015	19366	20819	22380	24059	25863
11 किसानों के लिए ऋण माफी और ऋण राहत योजना	15000	0	15000	10000	0	0	0
12 आर्थिक सेवाएं	20992	17971	18869	19813	20803	21844	22936
13 राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से राज्यों को सहायता	2500	2500	2916	3420	4034	4758	5612
14 संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान एवं राज्यों को योजना-भिन्न, एफसी-भिन्न अनुदान	14176	5154	5412	5683	5967	6265	6578
15 योजना-भिन्न पूंजीगत व्यय	21056	21056	22109	23215	24375	25594	26874
16 विदेशी सरकारों को अनुदान	1611	1611	1692	1776	1865	1958	2056
17 राज्यों को योजना भिन्न ऋण	17	17	18	19	20	21	22
18 संघ राज्य क्षेत्रों को योजना-भिन्न ऋण	72	72	76	79	83	88	92
19 सरकारी उद्यमों को योजना-भिन्न अनुदान व ऋण	3485	3485	3485	3485	3485	3485	3485
i) ऋण	637	637	637	637	637	637	637
ii) अनुदान	2848	2848	2848	2848	2848	2848	2848
20 विदेशी सरकारों को ऋण	125	125	131	138	145	152	160
21 अन्य योजना-भिन्न ऋण	134	134	141	148	155	163	171
22 एनएसएसएफ ऋणों पर ब्याज राहत			3046	2883	2706	2529	2352
23 योजना-भिन्न व्यय	663795	624844	662780	707145	742899	793081	841908
24 योजना-भिन्न राजस्व व्यय (21-2(ii)-7(ii)-15-17-18-19(i)-20-21)	586940	547979	579362	616572	644513	686159	725658
25 सकल घरेलू उत्पाद (बाजार मूल्य 1999-2000 श्रृंगला)	5856569	5856569	6588640	7445163	8450260	9591046	10885837

टिप्पणी: सामान्य सकल घरेलू उत्पाद दर 2010-11 में 12.50 प्रतिशत, 2011-12में 13.0 प्रतिशत और 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में 13.5 प्रतिशत होने का अनुमान है।

अनुबंध 6.4
(पैरा 6.42)

योजना-भिन्न व्यय : भारत सरकार

(स. घ. उत्पाद का प्रतिशत)

शीर्ष/मद	2009-10 (ब.अ.)	2009-10 पुनःमूल्यांकित	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1 ब्याज अदायगी	3.85	3.85	3.54	3.51	3.41	3.29	3.09
2 रक्षा व्यय	2.42	2.20	2.12	2.03	1.94	1.85	1.76
i) राजस्व	1.48	1.26	1.20	1.14	1.07	1.01	0.95
ii) पूंजीगत	0.94	0.94	0.92	0.89	0.86	0.84	0.81
3 सब्सिडी	1.90	2.03	1.69	1.48	1.25	1.07	0.93
i) खाद्य	0.90	0.90	0.80	0.80	0.74	0.71	0.68
ii) उर्वरक	0.85	0.85	0.64	0.46	0.31	0.20	0.10
iii) पेट्रोलियम सब्सिडी	0.05	0.18	0.16	0.14	0.13	0.11	0.10
iv) अन्य सब्सिडियां	0.10	0.10	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05
4 पुलिस	0.43	0.37	0.35	0.34	0.32	0.30	0.29
5 पेंशन	0.60	0.60	0.58	0.56	0.54	0.51	0.49
6 डाक घाटा	0.09	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04
7 विधान सभा रहित संघ राज्य क्षेत्रों का योजना-भिन्न व्यय	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04
i) राजस्व	0.05						
ii) पूंजीगत	0.00						
8 आम चुनाव	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
9 अन्य सामान्य सेवाएं	0.31	0.27	0.25	0.24	0.22	0.20	0.19
10 सामाजिक सेवाएं	0.32	0.31	0.29	0.28	0.26	0.25	0.24
11 किसानों के लिए ऋण माफी और ऋण राहत योजना	0.26	0.00	0.23	0.13	0.00	0.00	0.00
12 आर्थिक सेवाएं	0.36	0.31	0.29	0.27	0.25	0.23	0.21
13 राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से राज्यों को सहायता	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05
14 संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान एवं राज्यों को योजना-भिन्न, एफसी-भिन्न अनुदान	0.24	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06
15 योजना-भिन्न पूंजीगत व्यय	0.36	0.36	0.34	0.31	0.29	0.27	0.25
16 विदेशी सरकारों को अनुदान	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02
17 राज्यों को योजना भिन्न ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18 संघ राज्य क्षेत्रों को योजना-भिन्न ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 सरकारी उद्यमों को योजना-भिन्न अनुदान व ऋण	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03
i) ऋण	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ii) अनुदान	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03
20 विदेशी सरकारों को ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 अन्य योजना-भिन्न ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 एनएसएसएफ ऋणों पर ब्याज राहत			0.05	0.04	0.03	0.03	0.02
23 योजना-भिन्न व्यय	11.33	10.67	10.06	9.50	8.79	8.27	7.73
24 योजना-भिन्न राजस्व व्यय	10.02	9.36	8.79	8.28	7.63	7.15	6.67

2010-15 के लिए राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत अनुमान

(करोड़ रुपए)

राज्य	राज्य की राजस्व प्राप्तियां			योजना-भिन्न राजस्व व्यय			सुपुर्दगी पूर्व यो. भिन्न रा. घाटा
	स्वयं का कर राजस्व	कर-भिन्न राजस्व	जोड़	जोड़	पेंशन	व्याज अदायगी	
1. आन्ध्र प्रदेश	271959	51410	323369	481049	69173	71793	157680
2. अरुणाचल प्रदेश	705	2007	2711	9822	698	1880	7111
3. असम	24839	7399	32238	100142	11566	12288	67905
4. बिहार	34419	2618	37036	273946	33755	28042	236909
5. छत्तीसगढ़	58725	13657	72382	66766	8256	8523	-5616
6. गोआ	13456	9796	23251	22440	2309	4716	-811
7. गुजरात	157294	22285	179578	208792	22523	60272	29214
8. हरियाणा	108525	27767	136291	125160	14988	14912	-11131
9. हिमाचल प्रदेश	19049	8360	27409	75861	12598	14576	48452
10. जम्मू और कश्मीर	23815	10830	34644	83035	7022	11751	48391
11. झारखंड	46924	23824	70748	82557	7646	15786	11809
12. कर्नाटक	240410	12210	252620	286355	32814	49823	33734
13. केरल	128970	9251	138221	225500	34992	33865	87279
14. मध्य प्रदेश	106509	20713	127222	182497	19851	31301	55275
15. महाराष्ट्र	409095	42682	451777	474114	33713	95210	22337
16. मणिपुर	1375	1309	2685	17221	2148	1822	14536
17. मेघालय	2906	1686	4592	14232	1135	1589	9640
18. मिजोरम	681	866	1547	11455	1012	1168	9907
19. नागालैण्ड	947	829	1776	18023	2629	2125	16248
20. उड़ीसा	53409	12771	66181	192074	25275	28676	125893
21. पंजाब	80388	37633	118022	177040	24443	32089	59019
22. राजस्थान	121479	29262	150741	240488	23923	42992	89747
23. सिक्किम	685	684	1368	6451	538	1313	5083
24. तमिलनाडु	254485	18939	273424	372543	76906	43327	99119
25. त्रिपुरा	4013	712	4725	22946	3487	2545	18221
26. उत्तर प्रदेश	269976	26441	296417	421250	52732	69350	124833
27. उत्तराखंड	26967	5235	32202	50625	7501	8086	18424
28. पश्चिम बंगाल	154119	15791	169910	279147	31777	76876	109237
सभी राज्य	2616122	416966	3033087	4521531	565409	766699	1488443

अनुबंध 7.2
(पैरा 7.16)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर

(प्रतिशत)

राज्य	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1. आन्ध्र प्रदेश	12.55	10.03	13.30	13.96	14.50	14.50	14.50
2. अरुणाचल प्रदेश	10.19	8.55	10.71	11.14	11.50	11.50	11.50
3. असम	13.81	11.32	11.45	11.48	11.50	11.50	11.50
4. बिहार	9.83	7.97	10.56	11.07	11.50	11.50	11.50
5. छत्तीसगढ़	14.10	12.28	12.44	12.47	12.50	12.50	12.50
6. गोआ	15.44	13.06	14.11	14.32	14.50	14.50	14.50
7. गुजरात	15.08	12.46	13.95	14.25	14.50	14.50	14.50
8. हरियाणा	16.09	12.30	13.91	14.23	14.50	14.50	14.50
9. हिमाचल प्रदेश	12.13	10.30	12.64	13.11	13.50	13.50	13.50
10. जम्मू और कश्मीर	12.35	10.25	11.17	11.35	11.50	11.50	11.50
11. झारखंड	13.34	11.50	13.70	14.14	14.50	14.50	14.50
12. कर्नाटक	13.95	10.53	13.44	14.02	14.50	14.50	14.50
13. केरल	13.93	10.30	13.38	13.99	14.50	14.50	14.50
14. मध्य प्रदेश	8.85	7.61	10.46	11.03	11.50	11.50	11.50
15. महाराष्ट्र	13.53	9.93	13.28	13.94	14.50	14.50	14.50
16. मणिपुर	10.07	8.95	10.58	10.91	11.18	11.18	11.18
17. मेघालय	13.72	11.19	11.42	11.46	11.50	11.50	11.50
18. मिजोरम	11.17	7.96	9.70	10.05	10.34	10.34	10.34
19. नागालैण्ड	10.92	7.67	8.36	8.49	8.61	8.61	8.61
20. उड़ीसा	14.64	12.63	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50
21. पंजाब	8.54	7.26	10.36	10.98	11.50	11.50	11.50
22. राजस्थान	12.13	10.33	11.19	11.36	11.50	11.50	11.50
23. सिक्किम	11.37	9.00	10.65	10.98	11.25	11.25	11.25
24. तमिलनाडु	12.60	9.72	11.76	12.16	12.50	12.50	12.50
25. त्रिपुरा	7.32	5.81	7.54	7.89	8.18	8.18	8.18
26. उत्तर प्रदेश	8.86	7.49	10.43	11.01	11.50	11.50	11.50
27. उत्तराखंड	12.42	10.17	11.95	12.30	12.60	12.60	12.60
28. पश्चिम बंगाल	13.49	10.04	13.31	13.96	14.50	14.50	14.50
सभी राज्य	12.67	10.05	12.50	13.00	13.42	13.44	13.45
सामान्य श्रेणी वाले राज्य	12.68	10.04	12.57	13.09	13.52	13.54	13.55
विशेष श्रेणी वाले राज्य	12.46	10.25	11.33	11.55	11.74	11.76	11.77

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर

(स. रा. घ. उत्पाद का प्रतिशत)

राज्य	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1. आन्ध्र प्रदेश	10.16	10.16	10.16	10.16	10.16	10.16
2. अरुणाचल प्रदेश	2.79	2.85	2.91	2.97	3.03	3.09
3. असम	4.70	4.80	4.90	5.00	5.10	5.20
4. बिहार	6.24	6.34	6.45	6.55	6.65	6.75
5. छत्तीसगढ़	8.77	8.77	8.77	8.77	8.77	8.77
6. गोआ	7.87	8.01	8.15	8.30	8.44	8.58
7. गुजरात	7.31	7.56	7.82	8.07	8.33	8.58
8. हरियाणा	8.48	8.50	8.52	8.54	8.56	8.58
9. हिमाचल प्रदेश	6.28	6.38	6.47	6.57	6.66	6.75
10. जम्मू और कश्मीर	8.07	8.07	8.07	8.07	8.07	8.07
11. झारखंड	6.13	6.26	6.38	6.50	6.63	6.75
12. कर्नाटक	11.72	11.72	11.72	11.72	11.72	11.72
13. केरल	9.08	9.08	9.08	9.08	9.08	9.08
14. मध्य प्रदेश	9.28	9.28	9.28	9.28	9.28	9.28
15. महाराष्ट्र	8.47	8.49	8.52	8.54	8.56	8.58
16. मणिपुर	2.69	2.75	2.81	2.87	2.93	2.99
17. मेघालय	3.88	3.98	4.08	4.18	4.28	4.38
18. मिजोरम	2.83	2.89	2.95	3.01	3.07	3.13
19. नागालैण्ड	2.38	2.44	2.50	2.56	2.62	2.68
20. उड़ीसा	6.65	6.67	6.69	6.71	6.73	6.75
21. पंजाब	11.05	11.05	11.05	11.05	11.05	11.05
22. राजस्थान	7.84	7.99	8.14	8.29	8.44	8.58
23. सिक्किम	6.65	6.67	6.69	6.71	6.73	6.75
24. तमिलनाडु	10.76	10.76	10.76	10.76	10.76	10.76
25. त्रिपुरा	4.33	4.43	4.53	4.63	4.73	4.83
26. उत्तर प्रदेश	8.19	8.27	8.35	8.43	8.51	8.58
27. उत्तराखंड	9.12	9.12	9.12	9.12	9.12	9.12
28. पश्चिम बंगाल	5.11	5.44	5.77	6.10	6.43	6.75
सभी राज्य	8.43	8.51	8.58	8.66	8.74	8.82
सामान्य श्रेणी वाले राज्य	8.58	8.66	8.74	8.81	8.89	8.97
विशेष श्रेणी वाले राज्य	5.94	6.02	6.09	6.16	6.24	6.31

अनुबंध 7.4
(पैरा 7.68)

ऋण स्थिति

(करोड़ रुपए)

राज्य	31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार बकाया ऋण	31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार बिना-ब्याज वाला बकाया ऋण	31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार बकाया एनएसएसएफ ऋण
1. आन्ध्र प्रदेश	124039.22	10818.01	24208.71
2. अरुणाचल प्रदेश	3335.78	112.16	542.68
3. असम	25935.67	1362.39	4716.62
4. बिहार	58397.05	6515.07	15269.20
5. छत्तीसगढ़	18846.13	2313.78	4736.25
6. गोआ	7448.15	198.60	2703.73
7. गुजरात	115648.80	6556.89	44315.67
8. हरियाणा	40089.85	2112.40	10455.93
9. हिमाचल प्रदेश	22470.28	1171.91	3889.22
10. जम्मू और कश्मीर	25692.05	2834.26	3158.90
11. झारखंड	25066.90	2334.07	8506.41
12. कर्नाटक	80796.86	8427.65	19350.51
13. केरल	70193.12	2656.51	11879.99
14. मध्य प्रदेश	67176.45	4950.67	14174.43
15. महाराष्ट्र	198084.21	17259.51	73279.22
16. मणिपुर	5008.01	849.92	880.26
17. मेघालय	3783.30	608.46	293.49
18. मिजोरम	3897.55	313.03	137.42
19. नागालैण्ड	4930.45	290.83	112.67
20. उड़ीसा	45730.15	2206.82	6822.27
21. पंजाब	66165.89	1013.31	21428.87
22. राजस्थान	91120.60	5625.97	23768.90
23. सिक्किम	2494.51	236.02	112.94
24. तमिलनाडु	92000.35	4128.80	24675.74
25. त्रिपुरा	5228.67	237.89	1096.14
26. उत्तर प्रदेश	213349.24	39318.84	44214.61
27. उत्तराखंड	35403.16	1508.81	4972.48
28. पश्चिम बंगाल	162740.77	4931.74	62234.52
सभी राज्य	1615073.15	130894.32	431937.78

पूर्ण आयोजना स्कीमों की प्रतिबद्ध देयताओं के लिए प्रावधान

(करोड़ रुपए)

राज्य	2012-13	2013-14	2014-15
1. आन्ध्र प्रदेश	9142.43	9599.55	10079.53
2. अरुणाचल प्रदेश	384.73	403.97	424.16
3. असम	2069.63	2173.11	2281.77
4. बिहार	3051.24	3203.80	3363.99
5. छत्तीसगढ़	2448.29	2570.70	2699.24
6. गोआ	269.67	283.16	297.31
7. गुजरात	4126.33	4332.65	4549.28
8. हरियाणा	1651.35	1733.91	1820.61
9. हिमाचल प्रदेश	288.53	302.95	318.10
10. जम्मू और कश्मीर	102.60	107.73	113.12
11. झारखंड	1813.49	1904.16	1999.37
12. कर्नाटक	3867.14	4060.49	4263.52
13. केरल	1302.57	1367.69	1436.08
14. मध्य प्रदेश	2915.35	3061.12	3214.17
15. महाराष्ट्र	5643.97	5926.17	6222.48
16. मणिपुर	488.21	512.62	538.25
17. मेघालय	593.83	623.52	654.70
18. मिजोरम	328.94	345.38	362.65
19. नागालैण्ड	255.31	268.08	281.48
20. उड़ीसा	2115.77	2221.56	2332.64
21. पंजाब	763.44	801.61	841.69
22. राजस्थान	1963.00	2061.15	2164.21
23. सिक्किम	230.99	242.54	254.67
24. तमिलनाडु	3870.36	4063.88	4267.07
25. त्रिपुरा	254.28	266.99	280.34
26. उत्तर प्रदेश	7058.13	7411.04	7781.59
27. उत्तराखंड	784.87	824.12	865.32
28. पश्चिम बंगाल	3193.70	3353.39	3521.06
सभी राज्य	60978.15	64027.06	67228.41
सामान्य श्रेणी वाले राज्य	55196.23	57956.04	60853.84
विशेष श्रेणी वाले राज्य	5781.92	6071.02	6374.57

अनुबंध 7.6
(पैरा 7.84)

सिंचाई के लिए अनुमानित अनुरक्षण व्यय (मुख्य शीर्ष - 2700, 2701 और 2702)

(करोड़ रुपए)

राज्य	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2010-15
1. आन्ध्र प्रदेश	613.79	644.48	676.70	710.54	746.06	3391.57
2. अरुणाचल प्रदेश	29.53	31.00	32.55	34.18	35.89	163.15
3. असम	411.17	431.73	453.32	475.98	499.78	2271.98
4. बिहार	854.48	897.21	942.07	989.17	1038.63	4721.55
5. छत्तीसगढ़	225.00	236.25	248.07	260.47	273.49	1243.29
6. गोआ	36.05	37.86	39.75	41.74	43.82	199.22
7. गुजरात	446.52	468.84	492.29	516.90	542.75	2467.30
8. हरियाणा	693.47	728.15	764.55	802.78	842.92	3831.87
9. हिमाचल प्रदेश	193.16	202.82	212.96	223.61	234.79	1067.35
10. जम्मू और कश्मीर	250.57	263.10	276.25	290.06	304.57	1384.54
11. झारखंड	330.29	346.80	364.14	382.35	401.47	1825.05
12. कर्नाटक	358.44	376.36	395.18	414.94	435.68	1980.60
13. केरल	297.81	312.70	328.33	344.75	361.98	1645.56
14. मध्य प्रदेश	391.96	411.56	432.13	453.74	476.43	2165.82
15. महाराष्ट्र	963.09	1011.24	1061.81	1114.90	1170.64	5321.68
16. मणिपुर	52.42	55.04	57.79	60.68	63.71	289.63
17. मेघालय	14.27	14.98	15.73	16.52	17.34	78.85
18. मिजोरम	1.95	2.05	2.15	2.26	2.37	10.79
19. नागालैण्ड	11.07	11.63	12.21	12.82	13.46	61.20
20. उड़ीसा	367.31	385.68	404.96	425.21	446.47	2029.63
21. पंजाब	739.49	776.46	815.29	856.05	898.85	4086.14
22. राजस्थान	486.24	510.56	536.08	562.89	591.03	2686.81
23. सिक्किम	2.13	2.24	2.35	2.47	2.59	11.78
24. तमिलनाडु	430.11	451.62	474.20	497.91	522.80	2376.64
25. त्रिपुरा	31.36	32.92	34.57	36.30	38.11	173.26
26. उत्तर प्रदेश	2853.66	2996.34	3146.16	3303.47	3468.64	15768.28
27. उत्तराखंड	240.29	252.31	264.92	278.17	292.08	1327.76
28. पश्चिम बंगाल	771.10	809.65	850.14	892.64	937.28	4260.81
सभी राज्य	12096.74	12701.57	13336.65	14003.48	14703.66	66842.10

अनुबंध 7.7 (पैरा 7.90)

राज्य : आन्ध्र प्रदेश

स्वयं की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां और योजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

शीर्ष/मद	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2010-15
क स.रा.घ.उ.	453685	517006	591972	677808	776090	
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	52834.84	59744.10	67830.40	77158.65	87785.74	345353.73
1. स्वयं का कर राजस्व	46074.04	52504.58	60117.74	68834.82	78815.87	306347.05
2. स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	6760.80	7239.52	7712.65	8323.83	8969.88	39006.68
ग योजना-भिन्न राजस्व व्यय	44183.37	47904.86	61085.50	66021.22	71642.41	290837.36
1. वेतन	14851.30	15735.45	16672.09	17664.33	18715.46	83638.64
2. अन्य (i से v)	29332.07	32169.41	44413.41	48356.89	52926.95	207198.72
i. सामान्य सेवाएं जिसमें	19296.54	21397.16	23705.71	26338.39	29509.41	120247.21
ब्याज अदायगी	9862.70	11024.81	12355.43	13878.99	15623.47	62745.40
पेंशन	7751.44	8526.59	9379.25	10317.17	11348.89	47323.34
ii सामाजिक सेवाएं	6137.31	6628.30	7158.56	7731.25	8349.74	36005.16
iii आर्थिक सेवाएं	3499.10	3712.91	3941.17	4184.93	4445.27	19783.38
iv स्थानीय निकायों को समनुदेशन	399.12	431.05	465.53	502.78	543.00	2341.47
v प्रतिबद्ध देयताएं	0.00	0.00	9142.43	9599.55	10079.53	28821.50
घ पूर्व सुप. योजना-भिन्न राजस्व घाटा (+)/अधिशेष(-)	-8651.47	-11839.24	-6744.90	-11137.42	-16143.33	

राज्य : अरुणाचल प्रदेश

स्वयं की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां और योजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

शीर्ष/मद	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2010-15
क स.रा.घ.उ.	5323	5916	6597	7355	8201	
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	351.25	390.06	605.91	693.87	845.82	2886.91
1. स्वयं का कर राजस्व	151.72	172.17	195.93	222.88	253.43	996.13
2. स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	199.53	217.89	409.98	470.99	592.39	1890.78
ग योजना-भिन्न राजस्व व्यय	1554.16	1652.28	2153.99	2301.91	2496.45	10158.79
1. वेतन	787.33	834.57	884.65	937.73	993.99	4438.28
2. अन्य (i से v)	766.83	817.71	1269.34	1364.18	1502.46	5720.51
i. सामान्य सेवाएं जिसमें	536.39	570.16	618.63	674.40	771.12	3170.69
ब्याज अदायगी	244.47	257.78	272.61	289.15	307.59	1371.60
पेंशन	159.43	175.38	192.91	212.20	233.42	973.35
ii सामाजिक सेवाएं	58.02	62.66	67.67	73.09	78.94	340.38
iii आर्थिक सेवाएं	172.41	184.89	198.30	212.73	228.24	996.58
iv स्थानीय निकायों को समनुदेशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v प्रतिबद्ध देयताएं	0.00	0.00	384.73	403.97	424.16	1212.86
घ पूर्व सुप. योजना-भिन्न राजस्व घाटा (+)/अधिशेष(-)	1202.91	1262.22	1548.08	1608.04	1650.63	

अनुबंध 7.7 (पैरा 7.90)

राज्य : असम

स्वयं की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां और योजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

शीर्ष/मद	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2010-15
क स.रा.घ.उ.	107476	119812	133590	148953	166082	
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	7439.95	8302.00	9275.65	10402.42	11757.75	47177.78
1. स्वयं का कर राजस्व	5157.09	5868.82	6677.33	7594.17	8633.58	33931.00
2. स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	2282.86	2433.18	2598.32	2808.25	3124.17	13246.78
ग योजना-भिन्न राजस्व व्यय	14589.43	15513.07	18523.73	19700.49	20982.36	89309.09
1. वेतन	6783.52	6970.31	7155.05	7336.79	7514.52	35760.19
2. अन्य (i से v)	7805.91	8542.76	11368.69	12363.70	13467.84	53548.91
i. सामान्य सेवाएं जिसमें	5365.86	5926.79	6493.86	7181.85	7958.37	32926.72
ब्याज अदायगी	2241.71	2511.28	2811.86	3147.00	3520.69	14232.54
पेंशन	1969.47	2166.42	2383.06	2621.37	2883.51	12023.83
ii सामाजिक सेवाएं	1158.99	1251.71	1351.84	1459.99	1576.79	6799.32
iii आर्थिक सेवाएं	1269.80	1352.10	1440.21	1534.56	1635.60	7232.28
iv स्थानीय निकायों को समनुदेशन	11.26	12.16	13.14	14.19	15.32	66.08
v प्रतिबद्ध देयताएं	0.00	0.00	2069.63	2173.11	2281.77	6524.51
घ पूर्व सुप. योजना-भिन्न राजस्व घाटा (+)/अधिशेष(-)	7149.48	7211.07	9248.08	9298.07	9224.61	

राज्य : बिहार

स्वयं की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां और योजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

शीर्ष/मद	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2010-15
क स.रा.घ.उ.	129917	144301	160895	179398	200029	
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	9896.61	11076.20	12444.66	14065.56	15977.26	63460.28
1. स्वयं का कर राजस्व	8242.27	9302.67	10537.39	11933.07	13510.40	53525.80
2. स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	1654.34	1773.53	1907.27	2132.49	2466.86	9934.48
ग योजना-भिन्न राजस्व व्यय	24786.79	26475.31	31384.52	33724.33	36254.06	152625.00
1. वेतन	9165.13	9707.99	10282.94	10891.89	11536.84	51584.79
2. अन्य (i से v)	15621.65	16767.32	21101.58	22832.44	24717.22	101040.22
i. सामान्य सेवाएं जिसमें	8753.56	9399.52	10144.59	11143.71	12244.70	51686.09
ब्याज अदायगी	4439.16	4763.57	5125.30	5528.62	5978.32	25834.97
पेंशन	3859.19	4245.11	4669.63	5136.59	5650.25	23560.77
ii सामाजिक सेवाएं	4495.17	4854.78	5243.16	5662.62	6115.63	26371.36
iii आर्थिक सेवाएं	2368.47	2508.21	2657.40	2816.70	2986.84	13337.61
iv स्थानीय निकायों को समनुदेशन	4.45	4.81	5.19	5.61	6.06	26.12
v प्रतिबद्ध देयताएं	0.00	0.00	3051.24	3203.80	3363.99	9619.03
घ पूर्व सुप. योजना-भिन्न राजस्व घाटा (+)/अधिशेष(-)	14890.17	15399.11	18939.87	19658.77	20276.80	

स्वयं की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां और योजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

शीर्ष/मद	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2010-15
क स.रा.घ.उ.	102004	114728	129069	145203	163353	
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	11335.97	12578.81	13972.84	15546.87	17310.26	70744.76
1. स्वयं का कर राजस्व	8946.59	10062.56	11320.38	12735.43	14327.36	57392.33
2. स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	2389.38	2516.25	2652.46	2811.44	2982.90	13352.43
ग योजना-भिन्न राजस्व व्यय	8901.89	9670.30	12959.42	14038.12	15201.56	60771.29
1. वेतन	3548.07	3857.00	4199.11	4578.11	4998.15	21180.44
2. अन्य (i से v)	5658.78	6241.76	9335.08	10207.01	11152.14	42594.77
i. सामान्य सेवाएं जिसमें						
ब्याज अदायगी	1577.85	1835.98	2126.37	2453.06	2820.59	10813.85
पेंशन	984.21	1082.63	1190.90	1309.99	1440.99	6008.72
ii सामाजिक सेवाएं	775.89	837.96	905.00	977.40	1055.59	4551.84
iii आर्थिक सेवाएं	1395.72	1485.15	1580.81	1683.16	1792.67	7937.51
iv स्थानीय निकायों को समनुदेशन	512.95	553.98	598.30	646.17	697.86	3009.26
v प्रतिबद्ध देयताएं	0.00	0.00	2448.29	2570.70	2699.24	7718.24
घ पूर्व सुप. योजना-भिन्न राजस्व घाटा (+)/अधिशेष(-)	-2129.12	-2480.03	-438.63	-761.69	-1159.91	

राज्य : गोवा

स्वयं की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां और योजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

शीर्ष/मद	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2010-15
क स.रा.घ.उ.	26995	30863	35338	40462	46328	
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	2820.39	3229.82	3706.73	4258.49	4895.56	18910.99
1. स्वयं का कर राजस्व	2162.32	2516.44	2932.12	3415.44	3977.28	15003.59
2. स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	658.07	713.39	774.61	843.05	918.29	3907.40
ग योजना-भिन्न राजस्व व्यय	2284.14	2466.56	2944.42	3173.93	3439.00	14308.05
1. वेतन	667.88	707.95	750.43	795.45	843.18	3764.89
2. अन्य (i से v)	1616.26	1758.61	2193.99	2378.48	2595.82	10543.16
i. सामान्य सेवाएं जिसमें						
ब्याज अदायगी	694.60	764.02	843.50	934.51	1038.72	4275.35
पेंशन	193.55	212.90	234.19	257.61	283.38	1181.64
ii सामाजिक सेवाएं	450.54	486.59	525.51	567.55	612.96	2643.15
iii आर्थिक सेवाएं	182.47	192.53	203.18	214.45	226.38	1019.01
iv स्थानीय निकायों को समनुदेशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v प्रतिबद्ध देयताएं	0.00	0.00	269.67	283.16	297.31	850.14
घ पूर्व सुप. योजना-भिन्न राजस्व घाटा (+)/अधिशेष(-)	-536.25	-763.26	-762.31	-1084.56	-1456.56	

अनुबंध 7.7 (पैरा 7.90)

राज्य : गुजरात

स्वयं की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां और योजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

शीर्ष/मद	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2010-15
क स.रा.घ.उ.	448405	512311	586597	671653	769043	
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	39375.05	45873.03	53562.39	62599.05	73172.47	274581.99
1. स्वयं का कर राजस्व	33908.49	40051.26	47358.81	55943.47	66021.96	243283.98
2. स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	5466.56	5821.77	6203.58	6655.58	7150.51	31298.01
ग योजना-भिन्न राजस्व व्यय	31011.94	33723.59	40924.75	44354.46	48335.48	198350.23
1. वेतन	5265.46	5501.28	5744.84	5996.10	6254.96	28762.64
2. अन्य (i से v)	25746.48	28222.31	35179.91	38358.36	42080.53	169587.59
i. सामान्य सेवाएं जिसमें	16449.12	18216.47	20283.87	22432.42	25049.91	102431.79
ब्याज अदायगी	10080.80	11232.99	12552.24	14062.78	15792.35	63721.15
पेंशन	4424.89	4867.37	5354.11	5889.52	6478.47	27014.37
ii सामाजिक सेवाएं	7407.45	8000.05	8640.05	9331.25	10077.75	43456.55
iii आर्थिक सेवाएं	1791.96	1900.02	2015.41	2138.66	2270.33	10116.38
iv स्थानीय निकायों को समनुदेशन	97.95	105.78	114.25	123.39	133.26	574.62
v प्रतिबद्ध देयताएं	0.00	0.00	4126.33	4332.65	4549.28	13008.26
घ पूर्व सुप. योजना-भिन्न राजस्व घाटा (+)/अधिशेष(-)	-8363.11	-12149.44	-12637.64	-18244.59	-24836.99	

राज्य : हरियाणा

स्वयं की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां और योजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

शीर्ष/मद	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2010-15
क स.रा.घ.उ.	207230	236724	271049	310352	355353	
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	29603.91	33567.66	38134.37	43373.21	49337.18	194016.33
1. स्वयं का कर राजस्व	17613.74	20171.15	23153.80	26577.32	30506.85	118022.85
2. स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	11990.17	13396.52	14980.57	16795.90	18830.33	75993.48
ग योजना-भिन्न राजस्व व्यय	15789.90	17173.79	20359.91	22138.16	24102.58	99564.35
1. वेतन	6456.50	6843.20	7253.05	7687.43	8147.81	36387.99
2. अन्य (i से v)	9333.40	10330.59	13106.86	14450.73	15954.77	63176.36
i. सामान्य सेवाएं जिसमें	5822.22	6574.17	7435.82	8414.46	9528.28	37774.95
ब्याज अदायगी	3474.32	4006.69	4616.26	5314.21	6113.37	23524.86
पेंशन	1939.32	2133.25	2346.58	2581.24	2839.36	11839.75
ii सामाजिक सेवाएं	1257.99	1358.63	1467.32	1584.71	1711.48	7380.14
iii आर्थिक सेवाएं	2155.94	2292.76	2438.94	2595.14	2762.09	12244.86
iv स्थानीय निकायों को समनुदेशन	97.25	105.03	113.44	122.51	132.31	570.55
v प्रतिबद्ध देयताएं	0.00	0.00	1651.35	1733.91	1820.61	5205.87
घ पूर्व सुप. योजना-भिन्न राजस्व घाटा (+)/अधिशेष(-)	-13814.01	-16393.87	-17774.45	-21235.05	-25234.60	

अनुबंध 7.7 (पैरा 7.90)

राज्य : हिमाचल प्रदेश

स्वयं की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां और योजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

शीर्ष/मद	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2010-15
क स.रा.घ.उ.	48398	54744	62134	70521	80042	
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	4480.34	4820.67	5435.98	6143.90	7149.87	28030.76
1. स्वयं का कर राजस्व	3086.73	3542.95	4079.70	4696.81	5406.19	20812.39
2. स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	1393.60	1277.73	1356.28	1447.09	1743.68	7218.38
ग योजना-भिन्न राजस्व व्यय	8305.24	8743.59	9521.62	10055.46	10620.88	47246.79
1. वेतन	3838.11	3925.27	4009.07	4088.79	4163.66	20024.89
2. अन्य (i से v)	4467.14	4818.33	5512.55	5966.66	6457.22	27221.90
i. सामान्य सेवाएं जिसमें						
ब्याज अदायगी	1776.28	1899.45	2039.25	2197.92	2378.02	10290.91
पेंशन	1445.02	1589.52	1748.47	1923.32	2115.65	8821.98
ii सामाजिक सेवाएं	653.12	705.37	761.80	822.75	888.57	3831.62
iii आर्थिक सेवाएं	462.54	492.17	523.84	557.70	593.91	2630.14
iv स्थानीय निकायों को समनुदेशन	3.75	4.05	4.37	4.72	5.10	22.00
v प्रतिबद्ध देयताएं	0.00	0.00	288.53	302.95	318.10	909.58
घ पूर्व सुप. योजना-भिन्न राजस्व घाटा (+)/अधिशेष(-)	3824.91	3922.92	4085.64	3911.56	3471.01	

राज्य : जम्मू और कश्मीर

स्वयं की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां और योजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

शीर्ष/मद	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2010-15
क स.रा.घ.उ.	48206	53677	59849	66732	74406	
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	4227.86	4712.95	5259.02	5881.57	6574.55	26655.95
1. स्वयं का कर राजस्व	3888.91	4330.24	4828.22	5383.46	6002.56	24433.40
2. स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	338.95	382.71	430.80	498.11	571.98	2222.55
ग योजना-भिन्न राजस्व व्यय	11005.00	11705.58	12539.31	13392.83	14132.27	62774.99
1. वेतन	5366.29	5549.73	5735.87	5924.37	6114.84	28691.10
2. अन्य (i से v)	5638.72	6155.85	6803.44	7468.46	8017.43	34083.89
i. सामान्य सेवाएं जिसमें						
ब्याज अदायगी	1862.76	2053.58	2240.31	2419.49	2586.90	11163.04
पेंशन	1811.75	1992.93	2192.22	2411.44	2652.58	11060.92
ii सामाजिक सेवाएं	1004.66	1085.03	1171.83	1265.58	1366.82	5893.91
iii आर्थिक सेवाएं	597.90	635.96	676.66	720.19	766.74	3397.46
iv स्थानीय निकायों को समनुदेशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v प्रतिबद्ध देयताएं	0.00	0.00	102.60	107.73	113.12	323.45
घ पूर्व सुप. योजना-भिन्न राजस्व घाटा (+)/अधिशेष(-)	6777.14	6992.62	7280.29	7511.26	7557.72	

अनुबंध 7.7 (पैरा 7.90)

राज्य : झारखंड

स्वयं की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां और योजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

शीर्ष/मद	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2010-15
क स.रा.घ.उ.	112268	128138	146718	167992	192351	
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	10394.85	11769.81	13358.33	15205.46	17348.80	68077.26
1. स्वयं का कर राजस्व	7023.03	8175.53	9543.88	11137.16	12991.83	48871.45
2. स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	3371.82	3594.28	3814.44	4068.30	4356.97	19205.81
ग योजना-भिन्न राजस्व व्यय	11058.32	11964.56	14775.41	15966.44	17376.93	71141.65
1. वेतन	4573.16	4966.73	5401.15	5880.85	6410.77	27232.67
2. अन्य (i से v)	6834.98	7488.47	10031.45	10938.60	12048.23	47341.72
i. सामान्य सेवाएं जिसमें	4829.18	5337.19	5910.07	6557.94	7390.83	30025.20
ब्याज अदायगी	2398.60	2686.72	3016.62	3394.35	3826.86	15323.16
पेंशन	1173.27	1290.59	1419.65	1561.62	1717.78	7162.91
ii सामाजिक सेवाएं	1406.21	1518.71	1640.20	1771.42	1913.13	8249.67
iii आर्थिक सेवाएं	599.11	632.05	667.12	704.47	744.24	3346.98
iv स्थानीय निकायों को समनुदेशन	0.49	0.52	0.57	0.61	0.66	2.85
v प्रतिबद्ध देयताएं	0.00	0.00	1813.49	1904.16	1999.37	5717.02
घ पूर्व सुप. योजना-भिन्न राजस्व घाटा (+)/अधिशेष(-)	1013.41	685.70	2074.80	1614.77	1111.27	

राज्य : कर्नाटक

स्वयं की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां और योजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

शीर्ष/मद	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2010-15
क स.रा.घ.उ.	351438	400700	458802	525328	601501	
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	46239.19	52444.81	59705.82	68046.08	77572.78	304008.68
1. स्वयं का कर राजस्व	41199.04	46974.12	53785.36	61584.24	70513.95	274056.71
2. स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	5040.14	5470.69	5920.46	6461.84	7058.83	29951.96
ग योजना-भिन्न राजस्व व्यय	35140.01	38040.35	45109.05	48907.41	52920.83	220117.66
1. वेतन	5508.29	5736.33	5969.85	6208.52	6451.96	29874.95
2. अन्य (i से v)	29631.72	32304.03	39139.21	42698.88	46468.87	190242.71
i. सामान्य सेवाएं जिसमें	12156.25	13594.98	15242.85	17196.42	19251.68	77442.18
ब्याज अदायगी	6567.22	7468.00	8499.40	9680.35	11032.54	43247.52
पेंशन	4781.79	5259.97	5785.96	6364.56	7001.02	29193.30
ii सामाजिक सेवाएं	9677.55	10451.76	11287.90	12190.93	13166.21	56774.35
iii आर्थिक सेवाएं	5724.67	6018.18	6323.08	6639.34	6966.82	31672.09
iv स्थानीय निकायों को समनुदेशन	2073.25	2239.11	2418.24	2611.70	2820.64	12162.94
v प्रतिबद्ध देयताएं	0.00	0.00	3867.14	4060.49	4263.52	12191.15
घ पूर्व सुप. योजना-भिन्न राजस्व घाटा (+)/अधिशेष(-)	-11099.17	-14404.45	-14596.77	-19138.67	-24651.95	

स्वयं की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां और योजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

शीर्ष/मद	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2010-15
क स.रा.घ.उ.	239181	272643	312176	357441	409270	
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	23644.57	26808.86	30543.16	34827.71	39729.63	155553.93
1. स्वयं का कर राजस्व	21725.63	24765.06	28355.99	32467.61	37175.42	144489.72
2. स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	1918.93	2043.80	2187.16	2360.10	2554.22	11064.21
ग योजना-भिन्न राजस्व व्यय	28349.37	30775.81	34752.86	37654.01	40863.39	172395.44
1. वेतन	6421.75	6805.29	7211.71	7642.36	8098.69	36179.80
2. अन्य (i से v)	21927.62	23970.51	27541.15	30011.65	32764.70	136215.64
i. सामान्य सेवाएं जिसमें	12427.54	13743.97	15228.87	16789.89	18564.20	76754.47
ब्याज अदायगी	5866.54	6581.57	7400.27	8203.77	9123.77	37175.91
पेंशन	5500.65	6050.71	6655.78	7321.36	8053.50	33582.00
ii सामाजिक सेवाएं	5126.32	5536.42	5979.34	6457.68	6974.30	30074.06
iii आर्थिक सेवाएं	1679.82	1780.66	1888.17	2002.80	2125.05	9476.50
iv स्थानीय निकायों को समनुदेशन	2693.94	2909.46	3142.21	3393.59	3665.08	15804.27
v प्रतिबद्ध देयताएं	0.00	0.00	1302.57	1367.69	1436.08	4106.34
घ पूर्व सुप. योजना-भिन्न राजस्व घाटा (+)/अधिशेष(-)	4704.80	3966.95	4209.70	2826.30	1133.75	

राज्य : मध्य प्रदेश

स्वयं की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां और योजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

शीर्ष/मद	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2010-15
क स.रा.घ.उ.	191298	212392	236817	264051	294417	
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	22428.46	24626.15	27154.11	29990.18	33144.69	137343.58
1. स्वयं का कर राजस्व	17756.71	19714.76	21981.95	24509.88	27328.52	111291.82
2. स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	4671.75	4911.39	5172.15	5480.30	5816.17	26051.76
ग योजना-भिन्न राजस्व व्यय	25074.48	26957.07	31909.25	34342.94	36872.50	155156.23
1. वेतन	10219.75	10832.94	11482.91	12171.89	12902.20	57609.70
2. अन्य (i से v)	14854.73	16124.13	20426.33	22171.05	23970.29	97546.53
i. सामान्य सेवाएं जिसमें	9305.59	10166.13	11112.62	12237.23	13372.45	56194.01
ब्याज अदायगी	5356.66	5834.12	6366.49	6960.08	7621.94	32139.30
पेंशन	2932.92	3226.21	3548.83	3903.72	4294.09	17905.77
ii सामाजिक सेवाएं	1845.15	1992.77	2152.19	2324.36	2510.31	10824.78
iii आर्थिक सेवाएं	1642.07	1738.37	1841.17	1950.93	2068.16	9240.69
iv स्थानीय निकायों को समनुदेशन	2061.91	2226.86	2405.01	2597.41	2805.21	12096.41
v प्रतिबद्ध देयताएं	0.00	0.00	2915.35	3061.12	3214.17	9190.63
घ पूर्व सुप. योजना-भिन्न राजस्व घाटा (+)/अधिशेष(-)	2646.02	2330.92	4755.14	4352.76	3727.81	

अनुबंध 7.7 (पैरा 7.90)

राज्य : महाराष्ट्र

स्वयं की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां और योजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

शीर्ष/मद	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2010-15
क स.रा.घ.उ.	831964	947978	1085435	1242823	1423032	
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	82209.06	92889.03	105500.76	119992.57	136582.57	537173.99
1. स्वयं का कर राजस्व	70648.59	80721.02	92678.39	106406.25	122166.62	472620.86
2. स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	11560.47	12168.01	12822.37	13586.33	14415.95	64553.13
ग योजना-भिन्न राजस्व व्यय	67883.66	73741.91	85883.71	93327.87	101880.63	422717.77
1. वेतन	13786.66	14507.73	15263.57	16055.60	16885.24	76498.81
2. अन्य (i से v)	54097.00	59234.18	70620.13	77272.27	84995.38	346218.96
i. सामान्य सेवाएं जिसमें	23779.09	26622.23	29892.35	33598.66	38155.04	152047.36
ब्याज अदायगी	16212.66	18343.45	20783.21	23576.74	26775.33	105691.39
पेंशन	6071.21	6678.33	7346.17	8080.78	8888.86	37065.36
ii सामाजिक सेवाएं	20969.42	22646.97	24458.73	26415.43	28528.66	123019.22
iii आर्थिक सेवाएं	8324.10	8858.63	9430.22	10041.56	10695.52	47350.02
iv स्थानीय निकायों को समनुदेशन	1024.40	1106.35	1194.86	1290.45	1393.68	6009.73
v प्रतिबद्ध देयताएं	0.00	0.00	5643.97	5926.17	6222.48	17792.63
घ पूर्व सुप. योजना-भिन्न राजस्व घाटा (+)/अधिशेष(-)	-14325.40	-19147.12	-19617.06	-26664.71	-34701.94	

राज्य : मणिपुर

स्वयं की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां और योजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

शीर्ष/मद	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2010-15
क स.रा.घ.उ.	8115	9001	10006	11125	12368	
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	273.36	336.07	499.23	557.66	622.43	2288.75
1. स्वयं का कर राजस्व	223.41	253.17	287.47	326.27	370.16	1460.48
2. स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	49.96	82.90	211.76	231.38	252.27	828.27
ग योजना-भिन्न राजस्व व्यय	2379.02	2519.99	3150.67	3330.23	3506.65	14886.56
1. वेतन	1242.73	1287.66	1333.51	1380.23	1427.76	6671.89
2. अन्य (i से v)	1136.29	1232.33	1817.15	1950.00	2078.89	8214.67
i. सामान्य सेवाएं जिसमें	738.34	804.97	869.95	944.33	1010.94	4368.53
ब्याज अदायगी	350.29	373.90	400.16	425.17	452.99	2002.51
पेंशन	273.78	301.15	331.27	364.40	400.84	1671.44
ii सामाजिक सेवाएं	151.54	163.66	176.76	190.90	206.17	889.03
iii आर्थिक सेवाएं	135.95	144.39	153.39	163.00	173.25	769.97
iv स्थानीय निकायों को समनुदेशन	110.46	119.30	128.85	139.15	150.29	648.05
v प्रतिबद्ध देयताएं	0.00	0.00	488.21	512.62	538.25	1539.09
घ पूर्व सुप. योजना-भिन्न राजस्व घाटा (+)/अधिशेष(-)	2105.65	2183.91	2651.43	2772.58	2884.22	

स्वयं की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां और योजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

शीर्ष/मद	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2010-15
क स.रा.घ.उ.	12318	13729	15308	17069	19032	
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	773.87	858.56	954.17	1062.74	1185.08	4834.43
1. स्वयं का कर राजस्व	490.09	560.00	639.71	730.34	833.36	3253.50
2. स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	283.78	298.57	314.47	332.40	351.72	1580.93
ग योजना-भिन्न राजस्व व्यय	1998.60	2153.55	2924.21	3129.31	3358.15	13563.83
1. वेतन	920.90	976.12	1034.65	1096.69	1162.44	5190.81
2. अन्य (i से v)	1077.70	1177.43	1889.56	2032.62	2195.71	8373.02
i. सामान्य सेवाएं जिसमें						
ब्याज अदायगी	264.66	295.55	329.99	368.39	411.21	1669.81
पेंशन	205.66	226.22	248.85	273.73	301.10	1255.57
ii सामाजिक सेवाएं	296.38	320.09	345.70	373.35	403.22	1738.75
iii आर्थिक सेवाएं	148.20	158.50	169.56	181.42	194.16	851.85
iv स्थानीय निकायों को समनुदेशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v प्रतिबद्ध देयताएं	0.00	0.00	593.83	623.52	654.70	1872.05
घ पूर्व सुप. योजना-भिन्न राजस्व घाटा (+)/अधिशेष(-)	1224.73	1294.99	1970.03	2066.57	2173.07	

राज्य : मिजोरम

स्वयं की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां और योजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

शीर्ष/मद	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2010-15
क स.रा.घ.उ.	4618	5082	5608	6188	6828	
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	200.18	237.37	335.76	368.29	408.60	1550.19
1. स्वयं का कर राजस्व	133.35	149.81	168.66	189.81	213.54	855.17
2. स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	66.82	87.56	167.10	178.48	195.06	695.02
ग योजना-भिन्न राजस्व व्यय	1463.27	1564.20	2002.55	2144.83	2268.04	9442.89
1. वेतन	784.29	827.82	873.75	922.21	973.34	4381.40
2. अन्य (i से v)	678.98	736.38	1128.80	1222.62	1294.70	5061.49
i. सामान्य सेवाएं जिसमें						
ब्याज अदायगी	280.73	304.96	326.98	346.09	361.44	1620.20
पेंशन	146.09	160.69	176.76	194.44	213.88	891.87
ii सामाजिक सेवाएं	139.56	150.72	162.78	175.81	189.87	818.74
iii आर्थिक सेवाएं	20.43	21.76	23.20	24.73	26.39	116.50
iv स्थानीय निकायों को समनुदेशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v प्रतिबद्ध देयताएं	0.00	0.00	328.94	345.38	362.65	1036.97
घ पूर्व सुप. योजना-भिन्न राजस्व घाटा (+)/अधिशेष(-)	1263.10	1326.83	1666.79	1776.54	1859.44	

अनुबंध 7.7 (पैरा 7.90)
राज्य : नागालैण्ड

स्वयं की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां और योजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

शीर्ष/मद	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2010-15
क स.रा.घ.उ.	8342	9050	9829	10675	11594	
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	235.34	274.86	381.14	415.30	453.66	1760.31
1. स्वयं का कर राजस्व	203.78	226.52	251.91	280.00	311.06	1273.28
2. स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	31.56	48.34	129.23	135.30	142.60	487.03
ग योजना-भिन्न राजस्व व्यय	2474.11	2593.85	2985.27	3125.40	3280.69	14459.32
1. वेतन	1440.05	1474.85	1508.64	1541.18	1572.19	7536.93
2. अन्य (i से v)	1034.06	1118.99	1476.63	1584.21	1708.50	6922.40
i. सामान्य सेवाएं जिसमें	953.60	1032.57	1128.46	1216.34	1319.73	5650.70
ब्याज अदायगी	334.97	358.72	384.51	408.53	434.61	1921.33
पेंशन	392.95	432.24	475.47	523.01	575.31	2398.99
ii सामाजिक सेवाएं	47.73	51.54	55.67	60.12	64.93	279.99
iii आर्थिक सेवाएं	32.74	34.88	37.18	39.67	42.36	186.83
iv स्थानीय निकायों को समनुदेशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v प्रतिबद्ध देयताएं	0.00	0.00	255.31	268.08	281.48	804.87
घ पूर्व सुप. योजना-भिन्न राजस्व घाटा (+)/अधिशेष(-)	2238.77	2318.98	2604.13	2710.09	2827.03	

राज्य : उड़ीसा

स्वयं की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां और योजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

शीर्ष/मद	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2010-15
क स.रा.घ.उ.	160498	180560	203130	228521	257086	
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	12964.48	14513.76	16256.49	18219.24	20432.57	82386.54
1. स्वयं का कर राजस्व	10708.68	12084.30	13636.51	15387.96	17364.20	69181.66
2. स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	2255.81	2429.46	2619.97	2831.28	3068.37	13204.88
ग योजना-भिन्न राजस्व व्यय	17682.85	19131.24	22751.83	24583.18	26520.13	110669.21
1. वेतन	6513.57	6901.86	7313.24	7749.09	8210.86	36688.63
2. अन्य (i से v)	11169.28	12229.38	15438.59	16834.08	18309.27	73980.59
i. सामान्य सेवाएं जिसमें	7760.66	8580.06	9414.83	10426.52	11491.78	47673.85
ब्याज अदायगी	3673.60	4079.86	4536.90	5051.08	5629.52	22970.97
पेंशन	2633.92	2897.32	3187.05	3505.75	3856.33	16080.37
ii सामाजिक सेवाएं	1611.87	1740.82	1880.09	2030.50	2192.94	9456.22
iii आर्थिक सेवाएं	1387.89	1466.93	1551.00	1640.46	1735.67	7781.95
iv स्थानीय निकायों को समनुदेशन	408.86	441.56	476.89	515.04	556.24	2398.59
v प्रतिबद्ध देयताएं	0.00	0.00	2115.77	2221.56	2332.64	6669.98
घ पूर्व सुप. योजना-भिन्न राजस्व घाटा (+)/अधिशेष(-)	4718.36	4617.48	6495.34	6363.94	6087.56	

स्वयं की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां और योजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

शीर्ष/मद	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2010-15
क स.रा.घ.उ.	167560	185966	207352	231197	257785	
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	21722.12	24080.76	26826.12	29899.27	33336.38	135864.64
1. स्वयं का कर राजस्व	18518.21	20552.31	22915.83	25551.15	28489.53	116027.03
2. स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	3203.91	3528.45	3910.29	4348.12	4846.85	19837.61
ग योजना-भिन्न राजस्व व्यय	22926.54	24626.82	27198.13	29160.17	31271.58	135183.24
1. वेतन	8816.44	9278.04	9763.28	10273.33	10809.43	48940.53
2. अन्य (i से v)	14110.10	15348.77	17434.84	18886.84	20462.16	86242.71
i. सामान्य सेवाएं जिसमें	9723.00	10640.53	11617.60	12659.56	13794.59	58435.29
ब्याज अदायगी	5586.63	6074.32	6618.09	7137.79	7717.24	33134.07
पेंशन	3658.51	4024.36	4426.80	4869.48	5356.43	22335.59
ii सामाजिक सेवाएं	2134.70	2305.48	2489.92	2689.11	2904.24	12523.46
iii आर्थिक सेवाएं	1249.62	1319.76	1394.24	1473.34	1557.36	6994.33
iv स्थानीय निकायों को समनुदेशन	1002.78	1083.00	1169.64	1263.21	1364.27	5882.89
v प्रतिबद्ध देयताएं	0.00	0.00	763.44	801.61	841.69	2406.75
घ पूर्व सुप. योजना-भिन्न राजस्व घाटा (+)/अधिशेष(-)	1204.43	546.06	372.01	-739.10	-2064.79	

राज्य : राजस्थान

स्वयं की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां और योजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

शीर्ष/मद	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2010-15
क स.रा.घ.उ.	244946	272768	304136	339112	378110	
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	23501.66	27862.37	31510.30	35323.95	38983.12	157181.40
1. स्वयं का कर राजस्व	19562.20	22192.34	25199.62	28605.09	32460.54	128019.80
2. स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	3939.46	5670.03	6310.68	6718.86	6522.58	29161.60
ग योजना-भिन्न राजस्व व्यय	27491.48	29342.43	33306.59	35657.45	38118.83	163916.78
1. वेतन	10833.21	11283.30	11747.80	12226.76	12720.20	58811.27
2. अन्य (i से v)	16658.27	18059.13	21558.79	23430.69	25398.63	105105.51
i. सामान्य सेवाएं जिसमें	11232.49	12229.91	13331.88	14637.20	15997.31	67428.80
ब्याज अदायगी	7368.52	7982.08	8666.21	9429.01	10279.53	43725.35
पेंशन	3614.61	3976.07	4373.68	4811.05	5292.16	22067.58
ii सामाजिक सेवाएं	3861.03	4169.92	4503.51	4863.79	5252.89	22651.14
iii आर्थिक सेवाएं	1552.70	1646.29	1746.36	1853.38	1967.84	8766.59
iv स्थानीय निकायों को समनुदेशन	12.04	13.00	14.04	15.17	16.38	70.63
v प्रतिबद्ध देयताएं	0.00	0.00	1963.00	2061.15	2164.21	6188.36
घ पूर्व सुप. योजना-भिन्न राजस्व घाटा (+)/अधिशेष(-)	3989.82	1480.06	1796.29	333.50	-864.29	

अनुबंध 7.7 (पैरा 7.90)

राज्य : सिक्किम

स्वयं की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां और योजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

शीर्ष/मद	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2010-15
क स.रा.घ.उ.	3075	3412	3796	4224	4699	
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	513.89	551.02	677.46	787.88	920.65	3450.91
1. स्वयं का कर राजस्व	205.16	228.38	254.86	284.40	317.37	1290.16
2. स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	308.73	322.64	422.61	503.48	603.29	2160.75
ग योजना-भिन्न राजस्व व्यय	936.24	998.90	1301.37	1383.41	1475.51	6095.42
1. वेतन	566.28	600.26	636.28	674.45	714.92	3192.20
2. अन्य (i से v)	369.96	398.64	665.09	708.96	760.59	2903.22
i. सामान्य सेवाएं जिसमें						
ब्याज अदायगी	141.80	150.75	160.71	170.21	180.78	804.24
पेंशन	78.15	85.97	94.57	104.02	114.43	477.14
ii सामाजिक सेवाएं	53.27	57.53	62.13	67.11	72.47	312.52
iii आर्थिक सेवाएं	32.54	34.79	37.20	39.79	42.57	186.90
iv स्थानीय निकायों को समनुदेशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v प्रतिबद्ध देयताएं	0.00	0.00	230.99	242.54	254.67	728.20
घ पूर्व सुप. योजना-भिन्न राजस्व घाटा (+)/अधिशेष(-)	422.35	447.88	623.90	595.53	554.85	

राज्य : तमिलनाडु

स्वयं की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां और योजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

शीर्ष/मद	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2010-15
क स.रा.घ.उ.	436646	489754	550974	619845	697326	
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	49706.74	55637.52	62486.67	70218.10	78964.93	317013.97
1. स्वयं का कर राजस्व	46986.31	52701.16	59288.81	66699.91	75037.40	300713.60
2. स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	2720.43	2936.36	3197.86	3518.19	3927.53	16300.37
ग योजना-भिन्न राजस्व व्यय	43178.95	47185.12	55211.65	60083.42	65486.11	271145.26
1. वेतन	7671.83	8128.70	8612.72	9125.47	9668.67	43207.39
2. अन्य (i से v)	35507.13	39056.42	46598.93	50957.95	55817.44	227937.87
i. सामान्य सेवाएं जिसमें						
ब्याज अदायगी	7958.23	9059.49	10298.41	11692.20	13260.21	52268.55
पेंशन	9018.46	9920.30	10912.33	12003.57	13203.92	55058.58
ii सामाजिक सेवाएं	7540.31	8143.53	8795.01	9498.62	10258.51	44235.98
iii आर्थिक सेवाएं	3194.56	3406.68	3634.14	3878.06	4139.69	18253.13
iv स्थानीय निकायों को समनुदेशन	4580.67	4947.12	5342.89	5770.32	6231.95	26872.96
v प्रतिबद्ध देयताएं	0.00	0.00	3870.36	4063.88	4267.07	12201.31
घ पूर्व सुप. योजना-भिन्न राजस्व घाटा (+)/अधिशेष(-)	-6527.79	-8452.40	-7275.02	-10134.68	-13478.82	

स्वयं की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां और योजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

शीर्ष/मद	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2010-15
क स.रा.घ.उ.	13554	14623	15818	17111	18510	
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	730.18	803.88	888.32	979.77	1082.10	4484.25
1. स्वयं का कर राजस्व	600.51	662.50	732.49	809.48	894.17	3699.16
2. स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	129.67	141.37	155.83	170.29	187.93	785.09
ग योजना-भिन्न राजस्व व्यय	2826.16	2960.10	3360.18	3515.03	3687.64	16349.11
1. वेतन	1505.05	1528.20	1548.67	1566.06	1579.92	7727.89
2. अन्य (i से v)	1321.11	1431.90	1811.52	1948.97	2107.73	8621.23
i. सामान्य सेवाएं जिसमें	1007.76	1095.77	1196.62	1295.02	1412.08	6007.25
ब्याज अदायगी	458.61	491.49	527.07	565.54	607.17	2649.88
पेंशन	455.21	500.73	550.80	605.88	666.47	2779.10
ii सामाजिक सेवाएं	72.03	77.79	84.01	90.73	97.99	422.55
iii आर्थिक सेवाएं	157.09	167.36	178.35	190.11	202.70	895.61
iv स्थानीय निकायों को समनुदेशन	84.24	90.98	98.26	106.12	114.61	494.20
v प्रतिबद्ध देयताएं	0.00	0.00	254.28	266.99	280.34	801.62
घ पूर्व सुप. योजना-भिन्न राजस्व घाटा (+)/अधिशेष(-)	2095.98	2156.22	2471.87	2535.26	2605.54	

राज्य : उत्तर प्रदेश

स्वयं की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां और योजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

शीर्ष/मद	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2010-15
क स.रा.घ.उ.	451282	500979	558592	622830	694455	
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	44902.72	50295.06	56551.71	63699.90	71734.12	287183.52
1. स्वयं का कर राजस्व	37303.77	41811.11	47064.54	52973.30	59618.65	238771.36
2. स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	7598.95	8483.95	9487.18	10726.60	12115.47	48412.15
ग योजना-भिन्न राजस्व व्यय	59806.05	64421.47	76309.91	82043.01	88218.72	370799.17
1. वेतन	15796.05	16743.81	17748.44	18813.34	19942.14	89043.78
2. अन्य (i से v)	44010.00	47677.66	58561.47	63229.67	68276.58	281755.38
i. सामान्य सेवाएं जिसमें	29143.25	31765.38	34467.55	37575.38	40953.91	173905.46
ब्याज अदायगी	14199.71	15325.89	16581.58	17981.67	19542.78	83631.63
पेंशन	9515.73	10467.30	11514.03	12665.43	13931.97	58094.46
ii सामाजिक सेवाएं	5049.44	5453.40	5889.67	6360.84	6869.71	29623.05
iii आर्थिक सेवाएं	5973.03	6307.05	6662.15	7039.72	7441.26	33423.20
iv स्थानीय निकायों को समनुदेशन	3844.29	4151.83	4483.98	4842.70	5230.12	22552.92
v प्रतिबद्ध देयताएं	0.00	0.00	7058.13	7411.04	7781.59	22250.75
घ पूर्व सुप. योजना-भिन्न राजस्व घाटा (+)/अधिशेष(-)	14903.33	14126.41	19758.20	18343.11	16484.60	

अनुबंध 7.7 (पैरा 7.90)

राज्य : उत्तराखण्ड

स्वयं की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां और योजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

शीर्ष/मद	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2010-15
क स.रा.घ.उ.	47347	53172	59870	67412	75904	
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	5150.54	5740.81	6449.53	7246.21	8334.83	32921.92
1. स्वयं का कर राजस्व	4316.82	4847.91	5458.61	6146.24	6920.50	27690.07
2. स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	833.72	892.91	990.92	1099.97	1414.33	5231.85
ग योजना-भिन्न राजस्व व्यय	7279.11	7919.77	9389.56	10167.86	11037.58	45793.88
1. वेतन	2568.48	2782.54	3019.52	3282.01	3572.90	15225.46
2. अन्य (i से v)	4710.63	5137.22	6370.04	6885.85	7464.68	30568.42
i. सामान्य सेवाएं जिसमें	3020.41	3321.69	3634.74	3966.09	4347.38	18290.32
ब्याज अदायगी	1459.88	1599.46	1756.62	1908.30	2079.08	8803.33
पेंशन	1098.20	1208.01	1328.82	1461.70	1607.87	6704.59
ii सामाजिक सेवाएं	639.58	690.75	746.00	805.69	870.14	3752.15
iii आर्थिक सेवाएं	622.65	662.56	705.21	750.81	799.57	3540.80
iv स्थानीय निकायों को समनुदेशन	427.99	462.23	499.21	539.14	582.27	2510.84
v प्रतिबद्ध देयताएं	0.00	0.00	784.87	824.12	865.32	2474.32
घ पूर्व सुप. योजना-भिन्न राजस्व घाटा (+)/अधिशेष(-)	2128.57	2178.96	2940.03	2921.65	2702.75	

राज्य : पश्चिम बंगाल

स्वयं की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां और योजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

शीर्ष/मद	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2010-15
क स.रा.घ.उ.	431554	491788	563098	644747	738235	
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	26581.90	31700.01	37949.73	45390.19	54203.74	195825.56
1. स्वयं का कर राजस्व	23483.94	28375.43	34337.55	41432.09	49862.10	177491.10
2. स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	3097.96	3324.58	3612.18	3958.10	4341.64	18334.46
ग योजना-भिन्न राजस्व व्यय	40941.47	44387.23	51229.29	55298.37	59942.06	251798.41
1. वेतन	7901.59	8373.93	8874.46	9404.88	9966.96	44521.82
2. अन्य (i से v)	33039.88	36013.30	42354.82	45893.49	49975.10	207276.59
i. सामान्य सेवाएं जिसमें	20647.16	22670.35	24793.26	27066.77	29788.31	124965.85
ब्याज अदायगी	13694.95	14984.62	16461.30	17910.55	19569.94	82621.35
पेंशन	5883.07	6471.37	7118.51	7830.36	8613.40	35916.72
ii सामाजिक सेवाएं	9601.73	10369.87	11199.46	12095.41	13063.04	56329.51
iii आर्थिक सेवाएं	2308.19	2451.67	2605.27	2769.73	2945.85	13080.72
iv स्थानीय निकायों को समनुदेशन	482.79	521.42	563.13	608.18	656.83	2832.35
v प्रतिबद्ध देयताएं	0.00	0.00	3193.70	3353.39	3521.06	10068.15
घ पूर्व सुप. योजना-भिन्न राजस्व घाटा (+)/अधिशेष(-)	14359.57	12687.22	13279.56	9908.18	5738.32	

राज्यों द्वारा तेरहवें वित्त आयोग को प्रस्तुत अपने ज्ञापन में सुझाए गए मानदंड और भार

राज्य	अवसंरचना का निर्देशक	अवसंरचना निर्देशक के विपरीत	ऋण सा.रा. ध. उत्पा. अनुपात	क्षेत्रफल अंतर	जीवन स्तर लागत	सड़क, रेल, हवाई संपर्क जैसी सुविधाओं की उपलब्धता	राज्य के कुल क्षेत्रफल के अनुपात में कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता	प्रशासन कोशल में उपलब्धि	अवसंरचना अंतर	राजस्व बढ़ाने की क्षमता
विशेष श्रेणी वाले राज्य										
अरुणाचल प्रदेश										
असम	10									
हिमाचल प्रदेश										
जम्मू और कश्मीर										
मणिपुर										
मेघालय										
मिजोरम										
नागालैण्ड										
सिक्किम			20	5	5	10	15	15	10	10
त्रिपुरा	12.5									
उत्तराखंड										
सामान्य श्रेणी वाले राज्य										
आन्ध्र प्रदेश										
बिहार										
छत्तीसगढ़	12									
गोआ										
गुजरात										
हरियाणा										
झारखंड	5									
कर्नाटक										
केरल										
मध्य प्रदेश	7.5									
महाराष्ट्र										
उड़ीसा		20								
पंजाब										
राजस्थान	5									
तमिलनाडु										
उत्तर प्रदेश										
पश्चिम बंगाल										

राज्यों द्वारा तेरहवें वित्त आयोग को प्रस्तुत अपने ज्ञापन में सुझाए गए मानदंड और भार

राज्य	वन क्षेत्र	अंतरराष्ट्रीय सीमा की लम्बाई	गरीबी अनुपात	पिछड़ापन निर्देशक	योगदान**	राज्य आय का मानक विचलन	विकेन्द्रीकरण निर्देशक	मानव *** विकास निर्देशक	सामाजिक संकेतक	केन्द्रीय करों में योगदान	कुल स.रा.घ.उ. में प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा	अवसंरचना व सामाजिक क्षेत्र पर व्यय
विशेष श्रेणी वाले राज्य												
अरुणाचल प्रदेश												
असम												
हिमाचल प्रदेश												
जम्मू और कश्मीर												
मणिपुर												
मेघालय												
मिजोरम												
नागालैण्ड												
सिक्किम												
त्रिपुरा	5	5										
उत्तराखंड	10											
सामान्य श्रेणी वाले राज्य												
आन्ध्र प्रदेश												25
बिहार												
छत्तीसगढ़	10											
गोआ												
गुजरात					15							
हरियाणा									5	5		
झारखंड			10	5								
कर्नाटक								10				
केरल												
मध्य प्रदेश	7.5											
महाराष्ट्र						12.5	10					
उड़ीसा												
पंजाब		10									20	
राजस्थान												
तमिलनाडु												
उत्तर प्रदेश												
पश्चिम बंगाल												

* प्रशासन कौशल में उपलब्धि : मानव संसा. वि. में निवेश और साक्षरता दर में वृद्धि, स्वास्थ्य सेक्टर में आईएमआर व एमएमआर, अपराध दर एवं शांति व भाईचारा बनाए रखने की क्षमता।

** योगदान : सभी राज्यों में संग्रहित कर के प्रतिशत के रूप में राज्य से संग्रहित कर।

*** मा. वि. निर्देशक : अधिकतम मानव विकास निर्देशक से अंतर।

अनुबंध 8.2
(पैरा 8.27)

राज्यों की जनसंख्या

(करोड़)

क्र. सं.	राज्य	जनसंख्या		1971 की जनसंख्या में प्रत्येक राज्य का हिस्सा (%)
		1971	2001	
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.350	7.621	8.010
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.047	0.110	0.086
3.	असम	1.463	2.666	2.693
4.	बिहार	4.213	8.300	7.757
5.	छत्तीसगढ़	1.164	2.083	2.143
6.	गोआ	0.080	0.135	0.146
7.	गुजरात	2.670	5.067	4.916
8.	हरियाणा	1.004	2.114	1.848
9.	हिमाचल प्रदेश	0.346	0.608	0.637
10.	जम्मू और कश्मीर	0.462	1.014	0.850
11.	झारखंड	1.423	2.695	2.620
12.	कर्नाटक	2.930	5.285	5.395
13.	केरल	2.135	3.184	3.931
14.	मध्य प्रदेश	3.002	6.035	5.527
15.	महाराष्ट्र	5.041	9.688	9.283
16.	मणिपुर	0.107	0.229	0.198
17.	मेघालय	0.101	0.232	0.186
18.	मिजोरम	0.033	0.089	0.061
19.	नागालैण्ड	0.052	0.199	0.095
20.	उड़ीसा	2.194	3.680	4.041
21.	पंजाब	1.355	2.436	2.495
22.	राजस्थान	2.577	5.651	4.744
23.	सिक्किम	0.021	0.054	0.039
24.	तमिलनाडु	4.120	6.241	7.586
25.	त्रिपुरा	0.156	0.320	0.287
26.	उत्तर प्रदेश	8.385	16.620	15.439
27.	उत्तराखंड	0.449	0.849	0.827
28.	पश्चिम बंगाल	4.431	8.018	8.159
	जोड़	54.308	101.222	100.000

स्रोत : भारत का महारजिस्ट्रार

राज्यों का क्षेत्रफल

क्र. सं.	राज्य	क्षेत्रफल (000 वर्ग कि.मी.)	राज्य का मूल हिस्सा (प्रतिशत)	राज्य का समायोजित हिस्सा (प्रतिशत)
1.	आन्ध्र प्रदेश	275.05	8.395	7.134
2.	अरुणाचल प्रदेश	83.74	2.556	2.172
3.	असम	78.44	2.394	2.035
4.	बिहार	94.16	2.874	2.442
5.	छत्तीसगढ़	135.19	4.126	3.507
6.	गोआ	3.70	0.113	2.000
7.	गुजरात	196.02	5.983	5.084
8.	हरियाणा	44.21	1.349	2.000
9.	हिमाचल प्रदेश	55.67	1.699	2.000
10.	जम्मू और कश्मीर	222.24	6.783	5.765
11.	झारखंड	79.71	2.433	2.068
12.	कर्नाटक	191.79	5.854	4.975
13.	केरल	38.86	1.186	2.000
14.	मध्य प्रदेश	308.25	9.409	7.996
15.	महाराष्ट्र	307.71	9.392	7.982
16.	मणिपुर	22.33	0.682	2.000
17.	मेघालय	22.43	0.685	2.000
18.	मिजोरम	21.08	0.643	2.000
19.	नागालैण्ड	16.58	0.506	2.000
20.	उड़ीसा	155.71	4.753	4.039
21.	पंजाब	50.36	1.537	2.000
22.	राजस्थान	342.24	10.446	8.877
23.	सिक्किम	7.10	0.217	2.000
24.	तमिलनाडु	130.06	3.970	3.374
25.	त्रिपुरा	10.49	0.320	2.000
26.	उत्तर प्रदेश	240.93	7.354	6.249
27.	उत्तराखंड	53.48	1.632	2.000
28.	पश्चिम बंगाल	88.75	2.709	2.302
	सभी राज्य	3276.28	100.00	100.000

स्रोत : भारत का महारजिस्ट्रार

अनुबंध 8.4
(पैरा 8.32)

प्रतिव्यक्ति तुलनीय सकल राज्य घरेलू उत्पाद

क्र. सं.	राज्य	2004-05	2005-06	2006-07	औसत (रुपए)
1.	आन्ध्र प्रदेश	26655	30120	34909	30,561
2.	अरुणाचल प्रदेश	23326	25764	30472	26,521
3.	असम	18172	21090	22746	20,669
4.	बिहार	7486	9323	9744	8,851
5.	छत्तीसगढ़	20336	24422	26514	23,757
6.	गोआ	80392	90974	101179	90,848
7.	गुजरात	34223	39444	46616	40,094
8.	हरियाणा	35893	44936	50561	43,797
9.	हिमाचल प्रदेश	36785	43186	46683	42,218
10.	जम्मू और कश्मीर	22430	25512	27731	25,224
11.	झारखंड	19908	23261	22783	21,984
12.	कर्नाटक	28774	33698	37827	33,433
13.	केरल	32818	38144	43872	38,278
14.	मध्य प्रदेश	16597	18030	19934	18,187
15.	महाराष्ट्र	37235	43154	48833	43,074
16.	मणिपुर	22457	21855	23444	22,585
17.	मेघालय	24978	26405	30394	27,259
18.	मिजोरम	27663	30548	33183	30,465
19.	नागालैण्ड	22021	25744	27560	25,108
20.	उड़ीसा	18440	21390	24010	21,280
21.	पंजाब	36376	42013	45151	41,180
22.	राजस्थान	18909	21699	24730	21,779
23.	सिक्किम	28332	32884	35027	32,081
24.	तमिलनाडु	31603	35594	42492	36,563
25.	त्रिपुरा	26693	28179	29983	28,285
26.	उत्तर प्रदेश	13842	15737	17066	15,548
27.	उत्तराखंड	25276	27216	32107	28,200
28.	पश्चिम बंगाल	23145	27899	31211	27,418
	सभी राज्य	27170	31008	34527	30902

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

कर-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात (2004-05, 2005-06 और 2006-07 का औसत)

क्र. सं.	राज्य	प्रतिशत
1.	आन्ध्र प्रदेश	8.107
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.055
3.	असम	5.329
4.	बिहार	4.666
5.	छत्तीसगढ़	7.692
6.	गोआ	8.062
7.	गुजरात	7.159
8.	हरियाणा	9.009
9.	हिमाचल प्रदेश	5.408
10.	जम्मू और कश्मीर	5.798
11.	झारखंड	4.335
12.	कर्नाटक	10.614
13.	केरल	8.285
14.	मध्य प्रदेश	7.600
15.	महाराष्ट्र	7.963
16.	मणिपुर	1.915
17.	मेघालय	3.804
18.	मिजोरम	1.884
19.	नागालैण्ड	1.905
20.	उड़ीसा	6.160
21.	पंजाब	7.869
22.	राजस्थान	7.392
23.	सिक्किम	5.794
24.	तमिलनाडु	9.885
25.	त्रिपुरा	3.078
26.	उत्तर प्रदेश	6.775
27.	उत्तराखंड	7.402
28.	पश्चिम बंगाल	4.622
	सभी राज्य	7.476
	विशेष श्रेणी वाले राज्य	5.225
	सामान्य श्रेणी वाले राज्य	7.619

टिप्पणी : राज्यों के स्वयं के कर राजस्व में मूल्यवर्धित और केन्द्रीय बिक्री कर मुआवजा सम्मिलित हैं।

स्रोत : (विभिन्न वर्षों के) राज्य वित्त लेखाओं से प्राप्त मूल आंकड़े।

अनुबंध 8.6
(पैरा 8.36)

राजकोषीय अनुशासन का निर्देशक

क्र. सं.	राज्य	स्वयं का राजस्व/राजस्व व्यय (प्रतिशत)		सभी राज्यों के सापेक्ष (अनुपात)		परिवर्तन का निर्देशक (अनुपात)
		औसत 2001-02 से 2003-04	औसत 2005-06 से 2007-08	औसत 2001-02 से 2003-04	औसत 2005-06 से 2007-08	
1.	आन्ध्र प्रदेश	59.58	69.49	1.18	1.11	0.94
2.	अरुणाचल प्रदेश	10.99	23.92	0.22	0.38	1.76
3.	असम	34.51	44.99	0.68	0.72	1.05
4.	बिहार	24.46	23.40	0.48	0.37	0.77
5.	छत्तीसगढ़	56.88	72.30	1.13	1.16	1.03
6.	गोआ	78.01	86.98	1.54	1.39	0.90
7.	गुजरात	61.97	78.54	1.23	1.26	1.03
8.	हरियाणा	79.24	94.37	1.57	1.51	0.96
9.	हिमाचल प्रदेश	22.52	40.00	0.45	0.64	1.44
10.	जम्मू और कश्मीर	22.83	24.33	0.45	0.39	0.86
11.	झारखंड	52.60	48.50	1.04	0.78	0.75
12.	कर्नाटक	64.10	82.07	1.27	1.31	1.04
13.	केरल	55.33	61.16	1.10	0.98	0.89
14.	मध्य प्रदेश	46.86	57.29	0.93	0.92	0.99
15.	महाराष्ट्र	67.24	87.22	1.33	1.40	1.05
16.	मणिपुर	7.54	11.69	0.15	0.19	1.26
17.	मेघालय	21.05	24.08	0.42	0.39	0.93
18.	मिजोरम	6.62	11.16	0.13	0.18	1.36
19.	नागालैण्ड	6.99	9.63	0.14	0.15	1.11
20.	उड़ीसा	37.02	52.72	0.73	0.84	1.15
21.	पंजाब	59.11	71.93	1.17	1.15	0.98
22.	राजस्थान	46.94	59.69	0.93	0.96	1.03
23.	सिक्किम	26.46	29.19	0.52	0.47	0.89
24.	तमिलनाडु	67.20	81.88	1.33	1.31	0.99
25.	त्रिपुरा	15.88	16.91	0.31	0.27	0.86
26.	उत्तर प्रदेश	37.13	49.00	0.74	0.78	1.07
27.	उत्तराखंड	37.56	46.54	0.74	0.75	1.00
28.	पश्चिम बंगाल	33.63	37.83	0.67	0.61	0.91
		50.51	62.43	1.00	1.00	1.00

टिप्पणी : 1. स्वयं की राजस्व प्राप्तियों में मूल्यवर्धित कर और राज्यों को केन्द्रीय कर मुआवजा सम्मिलित हैं।

2. स्वयं की राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय, लाटरियों का निवल है।

स्रोत : (विभिन्न वर्षों के) राज्य वित्तलेखाओं से प्राप्त मूल आंकड़े।

**बकाया ऋण
आधार वर्ष और भावी अनुमान**

(सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)

क्र. सं.	राज्य	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1.	आन्ध्र प्रदेश	30.9	30.3	29.6	28.9	28.2	27.6
2.	अरुणाचल प्रदेश	64.0	61.3	58.2	55.2	52.5	50.1
3.	असम	28.1	28.2	28.3	28.4	28.4	28.5
4.	बिहार	49.4	48.2	46.4	44.6	43.0	41.6
5.	छत्तीसगढ़	21.3	22.0	22.5	23.0	23.5	23.9
6.	गोआ	33.7	33.0	31.9	30.8	29.9	29.1
7.	गुजरात	30.1	29.4	28.8	28.1	27.6	27.1
8.	हरियाणा	22.0	22.4	22.6	22.7	22.8	22.9
9.	हिमाचल प्रदेश	52.1	49.7	47.0	44.4	42.1	40.1
10.	जम्मू और कश्मीर	56.4	56.1	55.1	53.6	51.6	49.3
11.	झारखंड	29.0	29.0	28.5	27.8	27.3	26.9
12.	कर्नाटक	25.9	26.2	26.0	25.7	25.4	25.2
13.	केरल	33.2	32.8	32.3	31.7	30.7	29.8
14.	मध्य प्रदेश	38.8	38.4	37.6	36.8	36.0	35.3
15.	महाराष्ट्र	26.4	26.3	26.1	25.8	25.5	25.3
16.	मणिपुर	68.9	65.8	62.9	60.1	57.0	54.3
17.	मेघालय	33.5	33.1	32.7	32.3	32.0	31.7
18.	मिजोरम	87.5	87.3	85.7	82.9	79.2	74.8
19.	नागालैण्ड	57.7	56.8	55.8	54.9	53.5	52.3
20.	उड़ीसा	31.5	31.0	30.6	30.2	29.8	29.5
21.	पंजाब	43.0	42.5	41.8	41.0	39.8	38.7
22.	राजस्थान	41.5	40.4	39.3	38.3	37.3	36.5
23.	सिक्किम	71.8	68.4	65.2	62.1	58.8	55.9
24.	तमिलनाडु	23.6	24.1	24.5	24.8	25.0	25.2
25.	त्रिपुरा	44.9	45.2	44.9	44.6	44.2	43.8
26.	उत्तर प्रदेश	49.9	48.7	46.9	45.1	43.4	41.9
27.	उत्तराखंड	43.3	42.2	41.1	40.0	38.5	37.2
28.	पश्चिम बंगाल	42.0	40.6	39.1	37.7	35.9	34.3
	जोड़ सामान्य श्रेणी	33.1	32.6	31.9	31.2	30.5	29.8
	जोड़ विशेष श्रेणी	43.5	42.7	41.7	40.7	39.5	38.3
	कुल जोड़	33.7	33.2	32.5	31.7	31.0	30.3
	सकल घरेलू उत्पाद प्रतिशत के रूप में	27.1	26.7	26.1	25.5	24.9	24.3

- टिप्पणी : 1. वित्त लेखाओं में यथासूचित 2007-08 के लिए बकाया ऋण तथा 2008-09 व 2009-10 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटे को देखते हुए, मूल वर्ष के लिए बकाया ऋण अनुमानित किया गया है।
2. 2008-09 के लिए राजकोषीय घाटे का अनुमान 2008-09 के संशोधित अनुमान के निम्नतर पर तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.5 प्रतिशत पर लगाया गया है। 2009-10 के लिए राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4 प्रतिशत होने का अनुमान है।
3. 2010-11 के लिए बकाया ऋण का अनुमान लगाने हेतु, 2010-11 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का सामान्यतः 3 प्रतिशत या 2008-09 के बराबर, दोनों में जो भी अधिक हो, होना नियत है।
4. पंचाट अवधि के शेष वर्षों के लिए, बकाया ऋण का अनुमान अनुबंध 9.2 में निर्धारित घाटे के आधार पर लगाया गया है।

अनुबंध 9.2
(पैरा 9.81)राज्यकोषीय घाटा
पिछली प्रवृत्तियां और भावी लक्ष्य

(सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)

क्र. सं.	राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1.	आन्ध्र प्रदेश	3.4	2.0	2.7	3.0	3.0	3.0	3.0
2.	अरुणाचल प्रदेश	8.6	-3.0	0.2	3.0	3.0	3.0	3.0
3.	असम	-0.6	-1.1	-1.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4.	बिहार	4.4	3.4	1.7	3.0	3.0	3.0	3.0
5.	छत्तीसगढ़	0.8	-0.1	0.2	3.0	3.0	3.0	3.0
6.	गोआ	4.5	3.2	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7.	गुजरात	2.9	2.2	1.6	3.0	3.0	3.0	3.0
8.	हरियाणा	0.3	-1.0	0.9	3.0	3.0	3.0	3.0
9.	हिमाचल प्रदेश	2.6	3.0	1.6	3.0	3.0	3.0	3.0
10.	जम्मू और कश्मीर	9.5	6.3	7.6	4.7	4.2	3.6	3.0
11.	झारखंड	8.3	1.4	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0
12.	कर्नाटक	2.0	2.2	2.2	3.0	3.0	3.0	3.0
13.	केरल	3.3	2.6	3.6	3.5	3.5	3.0	3.0
14.	मध्य प्रदेश	3.8	2.1	1.9	3.0	3.0	3.0	3.0
15.	महाराष्ट्र	3.9	2.2	-0.5	3.0	3.0	3.0	3.0
16.	मणिपुर	5.4	8.7	-1.7	3.5	3.5	3.0	3.0
17.	मेघालय	2.8	1.0	2.4	3.0	3.0	3.0	3.0
18.	मिजोरम	13.8	6.0	11.2	6.4	5.2	4.1	3.0
19.	नागालैण्ड	5.6	2.7	6.2	3.5	3.5	3.0	3.0
20.	उड़ीसा	0.3	-0.9	-1.2	3.0	3.0	3.0	3.0
21.	पंजाब	2.4	0.5	3.5	3.5	3.5	3.0	3.0
22.	राजस्थान	3.8	2.5	1.9	3.0	3.0	3.0	3.0
23.	सिक्किम	7.9	4.8	2.8	3.5	3.5	3.0	3.0
24.	तमिलनाडु	1.0	1.4	1.2	3.0	3.0	3.0	3.0
25.	त्रिपुरा	1.2	-1.3	0.1	3.0	3.0	3.0	3.0
26.	उत्तर प्रदेश	3.5	3.0	3.9	3.0	3.0	3.0	3.0
27.	उत्तराखंड	7.5	3.0	5.1	3.5	3.5	3.0	3.0
28.	पश्चिम बंगाल	4.1	4.3	3.7	3.5	3.5	3.0	3.0
	जोड़ सामान्य श्रेणी	3.1	2.1	1.8	3.1	3.1	3.0	3.0
	जोड़ विशेष श्रेणी	3.8	1.9	2.3	3.4	3.3	3.1	3.0
	कुल जोड़	3.1	2.1	1.9	3.1	3.1	3.0	3.0

राजस्व घाटा
पिछली प्रवृत्तियां और भावी लक्ष्य

(सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)

क्र. सं.	राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.	अरुणाचल प्रदेश	-6.1	-19.4	-18.5	0.0	0.0	0.0	0.0
3.	असम	-2.5	-3.4	-3.4	0.0	0.0	0.0	0.0
4.	बिहार	-0.1	-2.8	-4.7	0.0	0.0	0.0	0.0
5.	छत्तीसगढ़	-2.5	-4.4	-4.3	0.0	0.0	0.0	0.0
6.	गोआ	0.2	-0.9	-0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
7.	गुजरात	0.2	-0.7	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
8.	हरियाणा	-1.2	-1.3	-1.6	0.0	0.0	0.0	0.0
9.	हिमाचल प्रदेश	-0.3	-0.6	-2.4	0.0	0.0	0.0	0.0
10.	जम्मू और कश्मीर	-1.4	-1.9	-3.1	0.0	0.0	0.0	0.0
11.	झारखंड	0.0	-1.4	-1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
12.	कर्नाटक	-1.2	-1.9	-1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
13.	केरल	2.5	1.8	2.3	1.4	0.9	0.5	0.0
14.	मध्य प्रदेश	0.0	-2.5	-3.4	0.0	0.0	0.0	0.0
15.	महाराष्ट्र	0.9	-0.2	-2.5	0.0	0.0	0.0	0.0
16.	मणिपुर	-8.1	-8.2	-19.9	0.0	0.0	0.0	0.0
17.	मेघालय	-1.1	-3.1	-2.1	0.0	0.0	0.0	0.0
18.	मिजोरम	-2.3	-8.0	-3.7	0.0	0.0	0.0	0.0
19.	नागालैण्ड	-3.8	-9.4	-6.6	0.0	0.0	0.0	0.0
20.	उड़ीसा	-0.6	-2.4	-3.8	0.0	0.0	0.0	0.0
21.	पंजाब	1.1	-1.7	2.9	1.8	1.2	0.6	0.0
22.	राजस्थान	0.5	-0.4	-0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
23.	सिक्किम	-10.4	-11.3	-15.3	0.0	0.0	0.0	0.0
24.	तमिलनाडु	-0.8	-1.0	-1.4	0.0	0.0	0.0	0.0
25.	त्रिपुरा	-6.6	-8.3	-8.2	0.0	0.0	0.0	0.0
26.	उत्तर प्रदेश	0.4	-1.5	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27.	उत्तराखंड	0.3	-3.0	-1.9	0.0	0.0	0.0	0.0
28.	पश्चिम बंगाल	3.1	3.1	2.7	1.6	1.1	0.5	0.0
	जोड़ सामान्य श्रेणी	0.4	-0.7	-1.0	0.3	0.2	0.1	0.0
	जोड़ विशेष श्रेणी	-2.1	-3.7	-4.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	कुल जोड़	0.2	-0.9	-1.2	0.2	0.2	0.1	0.0

एनएसएसएफ ऋणों पर ब्याज राहत

(करोड़ रुपए)

क्र. राज्य	31.3.2010 को बकाया एनएसएसएफ ऋण	पुनःनियत दरों पर भुगतान किया जाने वाला ब्याज					ब्याज राहत						
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2010-15	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2010-15
1. आन्ध्र प्रदेश	22223.26	2000.09	1909.65	1800.56	1691.47	1582.39	8984.17	164.29	155.90	146.47	137.04	127.61	731.31
2. अरुणाचल प्रदेश	480.45	43.24	41.58	39.34	37.10	34.86	196.12	2.82	2.70	2.55	2.40	2.25	12.71
3. असम	4172.40	375.52	354.74	333.39	312.04	290.69	1666.36	36.33	34.20	32.04	29.87	27.71	160.15
4. बिहार	13269.46	1194.25	1136.58	1069.39	1002.20	935.02	5337.44	112.50	106.32	99.61	92.90	86.19	497.53
5. छत्तीसगढ़	4013.99	361.26	345.35	325.99	306.63	287.28	1626.51	28.16	26.78	25.21	23.65	22.08	125.88
6. गोआ	2419.36	217.74	208.48	196.80	185.12	173.44	981.58	16.18	15.40	14.50	13.59	12.69	72.36
7. गुजरात	40152.60	3613.73	3439.94	3240.15	3040.37	2840.59	16174.79	318.18	301.07	282.53	263.98	245.43	1411.19
8. हरियाणा	9528.10	857.53	815.12	767.43	719.73	672.04	3831.85	76.96	72.74	68.23	63.72	59.20	340.85
9. हिमाचल प्रदेश	3445.95	310.14	296.51	279.83	263.14	246.46	1396.08	24.08	22.90	21.54	20.19	18.84	107.55
10. जम्मू और कश्मीर	2869.34	258.24	245.99	231.70	217.41	203.11	1156.45	22.69	21.48	20.15	18.83	17.50	100.65
11. झारखंड	7204.06	648.37	619.53	584.71	549.88	515.06	2917.55	50.89	48.39	45.55	42.72	39.88	227.43
12. कर्नाटक	17806.26	1602.56	1526.59	1438.95	1351.31	1263.67	7183.08	132.77	125.77	118.12	110.47	102.83	589.96
13. केरल	11121.17	1000.91	957.14	903.34	849.55	795.75	4506.68	73.68	70.10	65.96	61.81	57.67	329.22
14. मध्य प्रदेश	13402.04	1206.18	1149.45	1083.17	1016.90	950.62	5406.32	101.34	96.00	90.12	84.25	78.38	450.09
15. महाराष्ट्र	65640.28	5907.63	5625.28	5301.19	4977.09	4653.00	26464.18	503.29	476.51	447.40	418.30	389.20	2234.70
16. मणिपुर	462.42	41.62	40.46	38.28	36.11	33.93	190.40	2.90	2.80	2.64	2.48	2.32	13.13
17. मेघालय	253.71	22.83	21.68	20.41	19.14	17.88	101.94	2.02	1.91	1.79	1.67	1.55	8.94
18. मिजोरम	127.93	11.51	10.91	10.27	9.63	8.99	51.31	1.02	0.96	0.90	0.84	0.78	4.51
19. नागालैण्ड	102.95	9.27	8.82	8.30	7.79	7.28	41.45	0.83	0.79	0.74	0.69	0.64	3.69
20. उड़ीसा	6303.82	567.34	541.04	509.86	478.68	447.49	2544.42	47.93	45.42	42.63	39.85	37.07	212.90
21. पंजाब	19184.10	1726.57	1643.40	1546.77	1450.14	1353.51	7720.38	158.87	150.22	140.82	131.42	122.02	703.34
22. राजस्थान	21941.72	1974.75	1872.31	1761.13	1649.95	1538.77	8796.91	188.16	177.50	166.35	155.20	144.05	831.27
23. सिक्किम	105.08	9.46	8.95	8.42	7.89	7.36	42.09	0.84	0.80	0.75	0.70	0.65	3.73
24. तमिलनाडु	23868.04	2148.12	2050.10	1934.02	1817.94	1701.86	9652.05	166.69	158.25	148.81	139.36	129.92	743.04
25. त्रिपुरा	1010.36	90.93	86.56	81.51	76.47	71.42	406.89	8.44	7.99	7.49	7.00	6.51	37.44
26. उत्तर प्रदेश	38734.72	3486.12	3319.65	3125.40	2931.16	2736.91	15599.25	319.36	302.09	283.28	264.47	245.65	1414.85
27. उत्तराखंड	4075.46	366.79	349.78	330.09	310.39	290.69	1647.74	28.62	27.18	25.58	23.99	22.40	127.77
28. पश्चिम बंगाल	55430.60	4988.75	4750.48	4473.05	4195.63	3918.20	22326.12	455.85	431.28	404.53	377.77	351.02	2020.46
जोड़	389349.63	35041.47	33376.06	31443.46	29510.86	27578.26	156950.11	3045.70	2883.42	2706.29	2529.17	2352.04	13516.62

- टिप्पणी : 1. ये आंकड़े अमुनानित हैं और वास्तविक ब्याज राहत देने से पूर्व इन्हें ठीक कर लिया जाएगा।
2. ये आंकड़े 2006-07 तक लिए गए ऋणों से संबंधित हैं।
3. वास्तविक ब्याज आदायगी और बकाया अधिक होगी और उनमें 2006-07 के बाद लिए गए ऋण सम्मिलित होंगे।

वित्त मंत्रालय को छोड़कर, मंत्रालयों द्वारा प्रशासित केन्द्रीय ऋण

क्र. सं.	राज्य	(करोड़ रुपए) 31/3/2008 को शेष
1.	आन्ध्र प्रदेश	229
2.	अरुणाचल प्रदेश	53
3.	असम	502
4.	बिहार	107
5.	छत्तीसगढ़	36
6.	गोआ	158
7.	गुजरात	184
8.	हरियाणा	90
9.	हिमाचल प्रदेश	64
10.	जम्मू और कश्मीर	117
11.	झारखंड	55
12.	कर्नाटक	309
13.	केरल	106
14.	मध्य प्रदेश	218
15.	महाराष्ट्र	347
16.	मणिपुर	53
17.	मेघालय	35
18.	मिजोरम	75
19.	नागालैण्ड	81
20.	उड़ीसा	206
21.	पंजाब	104
22.	राजस्थान	273
23.	सिक्किम	40
24.	तमिलनाडु	242
25.	त्रिपुरा	78
26.	उत्तर प्रदेश	442
27.	उत्तराखंड	78
28.	पश्चिम बंगाल	224
	जोड़	4506

आयोग द्वारा एकत्रित डाटा

1. राज्य वित्त आयोग

1. अतीत में नियुक्त राज्य वित्त आयोगों का ब्यौरा और वर्तमान राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल। प्रस्तुत रिपोर्टों की प्रतियां।
2. उन अनुशंसाओं का ब्यौरा, जो पीआरआई और यूएलबी को करों/हस्तांतरण/सहायता अनुदान के समुदेशन के संबंध में कार्यान्वित की गयी थी अथवा उस समय कार्यान्वित की जा रही थी।
3. स्वयं के कर और कर-भिन्न अधिक्षेत्र में से विभिन्न अंतरण श्रेणियों (जैसे करो, हस्तांतरण, सहायता-अनुदान के समनुदेशनों) के अधीन राज्य वित्त आयोगों द्वारा संस्तुत धनराशियां।
4. स्वीकृत न की गयी सिफारिशें और स्वीकृत न किए जाने का कारण।
5. क्या राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, बिजली और जल आपूर्ति के बकाया देयों की वसूली सहित, स्थानीय निकायों को हस्तांतरित की जाने वाली निधियों के लिए किसी कारणवश राज्य सरकारों द्वारा समायोजन किए गए थे।
6. क्या एसएफसी रिपोर्टों की क्वालिटी सुधारने के लिए बारहवें वित्त आयोग द्वारा दिए गए सुझावों को स्वीकार किया गया है।

2. XIवें वित्त आयोग और XIIवे वित्त आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन

1. ग्यारहवें और बारहवें वित्त आयोगों की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
2. ईएफसी द्वारा संस्तुत अनुदानों का उपयोग।
3. स्थानीय निकायों के संसाधन जुटाने के लिए किए गए प्रयास।
4. गांव स्तरीय पंचायतों और मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों के लेखाओं के रखने की व्यवस्था-स्थानीय निकायों के वित्त साधनों से संबंधित डाटाबेस बनाने की स्थिति-पंचायती और शहरी स्थानीय निकायों की लेखा-परीक्षा के लिए की गई व्यवस्था और उसकी स्थिति।
5. स्थानीय निकायों को वित्त आयोग अनुदान देने में यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसका ब्यौरा। स्थानीय निकायों को बारहवें वित्त आयोग अनुसंशित अनुदान देने में ऐसे विलम्बों के कारण राज्य सरकारों द्वारा कितने अवसरों पर ब्याज अदा किया गया।
6. जल आपूर्ति से संबंधित ओएण्डएम लागतों की वसूली की स्थिति। 2005-06 से पंचायतों द्वारा कितनी जल आपूर्ति योजनाओं की जिम्मेदारी संभाली गयी। शहरी स्थानीय निकायों में टोस अपशिष्ट प्रबन्ध के लिए सेवाएं विकसित करने एवं बढ़ाने हेतु पीपीपी/अन्य तंत्रों का ब्यौरा। क्या शहरी क्षेत्रों में सम्पत्तियों के नक्शे बनाने और वित्तीय प्रबंधन में कम्प्यूटरीकरण के इस्तेमाल के लिए जीआईएस जैसे किसी तरीके का प्रयोग किया गया है।

3. उधार

1. क्या स्थानीय निकायों को बाजार से उधार लेने की अनुमति है। पिछले पांच वर्षों के दौरान लिए गए ऐसे उधारों और जहां अनुमति दी गयी है वहां बकाया देयताओं का ब्यौरा
2. पिछले पांच वर्षों के दौरान स्थानीय निकायों को दी गयी गारंटियों का ब्यौरा। बजटीय सहायता प्राप्त करने में हुई चूक, यदि कोई हुई है

4. स्थानीय निकायों का भौतिक और वित्तीय निष्पादन

1. स्थानीय निकायों के संबंध में मूल सूचना-प्रत्येक स्तर पर संख्या, पिछले चुनाव की तारीख, जनसंख्या एवं समाविष्ट क्षेत्र
2. पंचायती और शहरी स्थानीय निकायों के प्रत्येक स्तर के लिए-राज्य सरकार द्वारा समनुदेशित करों एवं उगाही का ब्यौरा, राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरित करों की राशि और प्रदान किया गया सहायता अनुदान, जिस एजेंसी ने कार्य किए उसका ब्यौरा।
3. पंचायती और शहरी स्थानीय निकायों के प्रत्येक स्तर के लिए- स्थानांतरित कार्यो का ब्यौरा और प्रत्येक कार्य में व्यय का स्तर।
4. पंचायती और शहरी स्थानीय निकायों के प्रत्येक स्तर के लिए-पूंजीगत एवं राजस्व व्यय ब्यौरा तथा राजस्व एवं पूंजीगत व्यय का स्रोत
5. पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में जल आपूर्ति व स्वच्छता सेवाओं के प्रावधान की स्थिति
6. लेखाएं रखने और लेखा-परीक्षा की स्थिति
7. नगरपालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में काम कर रही पैरास्टेटल्स का ब्यौरा; और पैरास्टेटल एवं नगर निकायों के बीच यदि आय का बंटवारा होता है तो इस स्थिति में व्यवस्था। दृष्टांत जहां भूमि की बिक्री का उपयोग वित्तीय विकल्प के रूप में किया गया है।

राज्य वित्त आयोग-I रिपोर्ट - गठन और रिपोर्ट प्रस्तुत करना

क्रम संख्या	राज्य	राज्य वित्त आयोग के गठन की तारीख	राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	समाविष्ट अवधि	हस्तांतरण सिफारिश
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	22.6.1994	20.5.1997	29.11.1997	1997-98 से 1999-2000	कर और कर-भिन्न से राज्य राजस्व का 39.2%, नगर निगम हैदराबाद को बाजी कर का 10%, व्यवसाय कर का 95%, नए बने नगर निगमों को 25 लाख रुपये का अनुदान।
2.	अरुणाचल प्रदेश	21.5.2003	अप्रैल, 2008 को रिपोर्ट प्रस्तुत	विचाराधीन	उपलब्ध नहीं	आंकड़े उपलब्ध नहीं
3.	असम	23.6.1995	29.2.1966	18.3.1996	1996-97 से 2000-01	राज्य के कर राजस्व का 2% सालाना, सहायता अनुदान: 1996-97 : रु. 36.89 करोड़, 1997-98 : रु. 37.15 करोड़, 1998-99 : रु. 37.02 करोड़, 1999-2000 : रु. 37.02 करोड़।
4.	बिहार	23.4.1994	प्रस्तुत नहीं की गई	प्रस्तुत नहीं की गई		-
5.	छत्तीसगढ़	22.8.2003	15.05.2007	विचाराधीन	2005-06 से 2009-10	**1. राज्य सरकार के सकल कर राजस्व का 0.514% का वैश्विक बंटवारा 2. निम्नलिखित से प्राप्त आय अधोलिखित अनुपात में हस्तांतरित की जाती है: स्टाम्प ड्यूटी 1%; मोटर वाहन कर 10; प्रवेश कर 98%; बिक्री कर पर अधिभार 10%; यात्री कर - वास्तविक के अनुसार।
6.	गोवा	1.4.1999	5.6.1999	12.11.2001	2000-01 से 2004-05	1. एस ओ टी आर का 27% और योजना-भिन्न शीर्ष के तहत जिला पंचायतों के हस्तांतरण के लिए केन्द्रीय करों में हिस्सा एवं योजना शीर्ष के अधीन वार्षिक राज्य योजना का 13%. 2. योजना-भिन्न शीर्ष के तहत नगर परिषदों को एसओटीआर का 9% और योजना शीर्ष के अधीन वार्षिक राज्य योजना का 3%।
7.	गुजरात	15.9.1994	ग्रा.स्था.नि. 13.7.1998 श.स्था.नि. अक्तूबर, 1998	28.08.2001	1996-97 से 2000-01	सालाना 293.09 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कराधान। व्यवसाय कर 50%; मनोरंजन कर 75%; अन्य अनुदान

क्रम संख्या	राज्य	राज्य वित्त आयोग के गठन की तारीख	राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	समाविष्ट अवधि	हस्तांतरण सिफारिश
1	2	3	4	5	6	7
8.	हरियाणा	31.5.1994	31.3.1997	5.9.2000	1997-98 से 2000-01	1. शहरी स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों को मॉनर मिनरल्स पर रायल्टी का 20% 2. "स्टाम्प ड्यूटी व पंजीकरण शुल्क" शीर्ष के अधीन निवल प्राप्तियों का 7.5% पीआरआई को हस्तांतरित किया जाए 3. श.स्था.नि. को मोटर वाहन पर कर 20%, मनोरंजन कर 50%।
9.	हिमाचल प्रदेश	23.4.1994	30.11.96	5.2.1997	1996-97 से 2000-01	स्थानीय निकायों को 138.75 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की जाए।
10.	जम्मू और कश्मीर	15.1.2008		प्रस्तुत नहीं होगी	2009-10	
11.	झारखण्ड	28.01.2004		उपलब्ध नहीं		
12.	कर्नाटक	10.06.1994	ग्रा.स्था.नि. जुलाई, 1996 श.स्था.नि. 30.1.1996	31.3.1997	1996-97 से 2000-01	स्थानीय निकायों को ऋण-भिन्न सकल स्वयं की राजस्व प्राप्तियों का 36%।
13.	केरल	23.4.1994	29.2.1996	26.2.1997	1996-97 से 2000-01	1. शहरी स्थानीय निकायों के पक्ष में स्टाम्प ड्यूटी पर 25% अधिभार उद्ग्रहीत किया जाए। स्टाफ ड्यूटी पर अधिभार तथा निगम क्षेत्र से संग्रहित मूल कर उन्हें उगाही आधार पर अंतरित किया जाए।
14.	मध्य प्रदेश	25.02.1995	20.7.1996	20.07.1996	1996-97 से 2000-01	2. भूमि कर दुगना किया जाए और उससे सृजित अतिरिक्त आय का 60% ब्लॉक, पंचायतों को और शेष, जिला पंचायतों को दिया जाए।
15.	महाराष्ट्र	23.4.1994	31.1.1997	5.3.1999	1994-95 से 1996-97#	पी आर आई को कुल कर एवं कर-भिन्न का 2.91% तथा विभाज्य पूल का 0.514% शहरी स्थानीय निकायों को; पी आर आईज को 67.66 करोड़ रुपए का विशिष्ट अनुदान। 1. स्थानीय निकायों को राज्य द्वारा संग्रहित व्यवसाय कर का 10% दिया जाए। 2. पीआरआई को भू-राजस्व की मांग और उस पर उपकर का 66.67% अग्रिम अनुदान के रूप में दिया जाए।

क्रम संख्या	राज्य	राज्य वित्त आयोग के गठन की तारीख	राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	समाविष्ट अवधि	हस्तांतरण सिफारिश
1	2	3	4	5	6	7
						3. जिला पंचायतों को इस मांग के 66.67% के बराबर सिंचाई उपकरण अनुदान अग्रिम अनुदान के रूप में दिया जाए। 4. मोटर वाहन कर से हुई निवल आय का 25%, शहरी स्थानीय निकायों को दिया जाए।
16.	मणिपुर	22.4.1994	दिसम्बर, 1996	28.7.1997	1996-97 से 2000-01	1. स्थानीय निकायों को केन्द्रीय करों में राज्य हिस्से का 5.229%, राज्य वित्त आयोग सिफारिशों के प्रथम वर्ष के लिए, अर्थात् 1996-97 के लिए सुझाया गया है। इसके पश्चात् स्थानीय निकायों को शेष अवधि के लिए 8.67 करोड़ रुपए की नियत राशि सालाना हस्तांतरित की जाएगी। 2. पंचायती राज संस्थानों को भू-राजस्व का 50%.
17.	मेघालय		अनुच्छेद 243एम के अधीन छूट			
18.	मिजोरम		अनुच्छेद 243एम के अधीन छूट			
19.	नागालैंड	1.8.2008	22.10.2000	विचाराधीन	2010-15	अनुच्छेद 243एम के अधीन छूट। राज्य अधिनियम के अधीन राज्य वित्त आयोग गठित। स्थानीय निकायों के लिए किसी विशेष हस्तांतरण की कोई सिफारिश नहीं की गयी है।
20.	उड़ीसा	21.11.1996/ 24.08.1998*	30.12.1998	9.7.1999	1998-99 से 2004-05*	सरकार, पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न विभागों द्वारा नियुक्त स्टाफ का पूरा वेतन और आवर्ती एवं अनावर्ती लागत वहन कर रही है। पंचायत समितियों के स्टाफ के वेतन के लिए दी जाने वाली धन-राशि, ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए निधियों के प्रत्यक्ष हस्तांतरण के रूप में मानी जानी चाहिए।
21.	पंजाब	22.04.1994	31.12.1995	17.09.1996	1996-97 से 2000-01	स्थानीय निकायों (शहरी व ग्रामीण दोनों) को 5 करों अर्थात् स्टाम्प ड्यूटी; मोटर वाहन कर; बिजली ड्यूटी; मनोरंजन कर; सिनेमा शोज का 20% हस्तांतरित किया जाए।
22.	राजस्थान	23.4.1994	31.12.1995	16.3.1996	1995-96 से 1999-2000	स्थानीय निकायों को राज्य की निवल कर प्राप्तियों का 2.18% हस्तांतरित किया जाए।

क्रम संख्या	राज्य	राज्य वित्त आयोग के गठन की तारीख	राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	समाविष्ट अवधि	हस्तांतरण सिफारिश
1	2	3	4	5	6	7
23.	सिक्किम	22.7.1998	16.08.1999	जून, 2000	2000-01 से 2004-05	पंचायतों को राज्य वार्षिक कर राजस्व का 1%
24.	तमिलनाडु	23.4.1994	29.11.1996	28.4.1997	1997-98 से 2001-02	आंकड़े उपलब्ध नहीं।
25.	त्रिपुरा	ग्रा.स्था.नि. 23.4.1994	ग्रा.स्था.नि. 12.1.1996	फरवरी, 1997	ग्रा.स्था.नि. जनवरी, 1997	1. पंचायती राज संस्थाओं को बिक्री कर, अतिरिक्त बिक्री कर, क्रय कर से अभी तक एवं विलासिता कर का 25%; व्यवसाय कर का 35%; वन राजस्व का 15% हस्तांतरित किया जाए। 2. पंचायती राज संस्थाओं को 200 रुपए प्रति व्यक्ति सालाना अनुदान के रूप में दिए जाने चाहिए।
		श.स्था.नि. 19-8-1996	श.स्था.नि. 17-9-1999	श.स्था.नि. 27-11-2000	श.स्था.नि. 1999-00 से 2003-04	शहरी स्थानीय निकायों को राज्य कर राजस्व का 5.5%; शहरी स्थानीय निकायों को 2001-02 तक इसका 90% और शेष 10% उनके निष्पादन की समीक्षा करने के बाद।
26.	उत्तर प्रदेश	22.10.1994	26.12.1996	20.11.1998	1997-98 से 2000-01	पंचायती राज संस्थाओं को निवल कर प्राप्ति का 4%; सहायता अनुदान बंद; शहरी स्थानीय निकायों को निवल कर प्राप्ति का 7%।
27.	उत्तराखंड	31.3.2001	29.06.2002	3.7.2004	2001-02 से 2005-06	स्थानीय निकायों को राज्य के निवल कर राजस्व का 11% पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को 42.23 : 57.77 के अनुपात में।
28.	पश्चिम बंगाल	30.5.1994	27.11.1995	22.7.1996	1996-97 से 2000-01	मनोरंजन कर : 90%; सड़क व पीडब्ल्यू उपकर : 80%।

टिप्पणी : * पुनर्गठन की तारीख

गुजरात के मामले में, शहरी स्थानीय निकाय रिपोर्ट, राज्य वित्त आयोग पुनर्गठित किए जाने के बाद, प्रस्तुत की गयी।

** छत्तीसगढ़ के मामले में, हस्तांतरण पूर्व मध्य प्रदेश के राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर होता है।

की गयी कार्रवाई रिपोर्ट के अनुसार, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें 1.4.1999 से लागू होंगी।

\$ यद्यपि राज्य वित्त आयोग से 1.4.1998 से पांच वर्षों की अवधि को समाविष्ट करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है, इसकी रिपोर्ट में 1998-99 से 2004-05 की अवधि समाविष्ट है।

स्रोत : राज्य सरकार और राज्य वित्त आयोग रिपोर्ट।

राज्य वित्त आयोग-II रिपोर्ट - गठन और रिपोर्ट प्रस्तुत करना

क्रम संख्या	राज्य	राज्य वित्त आयोग के गठन की तारीख	राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	समाविष्ट अवधि	हस्तांतरण सिफारिश
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	8.12.1998	19.08.2002	31.3.2003	2000-01 से 2004-05	स्थानीय निकायों को, केन्द्रीय करों के हिस्से सहित सरकार के कर एवं कर-भिन्न राजस्वों का 40.92% सालाना।
2.	अरुणाचल प्रदेश	गठित नहीं किया गया				
3.	असम	18.4.2001	18.08.2003	07.02.2006	20001-02 से 2005-06	1. स्थानीय निकायों को राज्य के सकल कर राजस्व का 3.5% सालाना। 2. शहरी स्थानीय निकायों को 10 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान सालाना।
4.	बिहार	20.06.1999	नवम्बर, 2003	उपलब्ध नहीं	जून 1999- नवम्बर 2003	उपलब्ध नहीं।
5.	छत्तीसगढ़	गठित नहीं किया गया				
6.	गोवा	16.08.2005	31.12.2007	उपलब्ध नहीं	2007-08 से 2011-12	पंचायती राज संस्थाओं को राज्य के स्वयं के राजस्व का 2% जिसमें से जिला परिषदों को 25% और ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों को शेष 75%।
7.	गुजरात	19.11.2003	जून 2006	विचाराधीन	2005-06 से 2009-10	आंकड़े उपलब्ध नहीं।
8.	हरियाणा	6.9.2000	30.09.2004	13.12.2005	2001-02 से 2005-06	1. ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं को लघु खनिजों पर रायल्टी से हुई वार्षिक आय का 20%। 2. पंचायती राज संस्थाओं को "स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क" से होने वाली निवल प्राप्तियों का 3%। 3. पंचायती राज संस्थाओं को एल एडीटी की निवल प्राप्तियों का 65%। 4. शहरी स्थानीय निकायों को मनोरंजन कर का 50%, मोटर वाहन कर का 20% एवं एलएडीटी का 35%।
9.	हिमाचल प्रदेश	मई 1999	24.10.2002	24.06.2003	2002-07 से	स्थानीय निकायों को 253.19 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की जाए।
10.	जम्मू और कश्मीर	गठित नहीं किया गया				

क्रम संख्या	राज्य	राज्य वित्त आयोग के गठन की तारीख	राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	समाविष्ट अवधि	हस्तांतरण सिफारिश
1	2	3	4	5	6	7
11.	झारखण्ड	गठित नहीं किया गया				
12.	कर्नाटक	25.10.2000	दिसम्बर 2002	प्रस्तुत नहीं की गई	2005-06 से 2009-10	स्थानीय निकायों को ऋण-भिन्न निवल राजस्व प्राप्तियों का 40%; सालाना 5 करोड़ रुपए की राशि सामान्य प्रयोजन निधि के रूप में।
13.	केरल	23.06.1999	08.01.2001	7.01.2004	2001-02 से 2005-06	<p>1. सरकार स्थानीय स्वशासनों को सरकार द्वारा समय-समय पर यथा नियत राज्य योजना की कम से कम एक तिहाई योजना निधियां (राज्य प्रायोजित स्कीमों के सिवाए) हस्तांतरित करें।</p> <p>2. राज्य सरकार के सालाना स्वयं के कर राजस्व का 5.5 प्रतिशत, स्थानीय स्व-शासनों को स्थानीय एवं शासनों के नियंत्रण वाली आस्तियों, जिनके अंतर्गत आस्तियों का अंतरण भी आता है, के स्वरुखाव के लिए सहायता अनुदान के रूप में हस्तांतरित किया जाए।</p> <p>3. महालेखाकार द्वारा प्रमाणित आंकड़ों के आधार पर राज्य सरकार के स्वयं के कर राजस्व का 3.5% स्थानीय स्वशासनों को, समनुदेशित करें, विभाजित करें और सांविधिक एवं गैर-सांविधिक सहायता अनुदान जिनमें विशिष्ट प्रयोजन व सामान्य प्रयोजन दोनों शामिल हैं, के एवज में, सामान्य प्रयोजन अनुदान के रूप में हस्तांतरित किए जाने चाहिए।</p>
14.	मध्य प्रदेश	17.06.1999	जुलाई, 2003 (पहली रिपोर्ट); अगस्त 2003 (दूसरी रिपोर्ट) दिसम्बर 2003 (तीसरी रिपोर्ट)	14.03.2005	2001-02 से 2005-06	कुल कर राजस्व व कर-भिन्न राजस्व का 2.93% पंचायती राज संस्थाओं को और 1.07% शहरी स्थानीय निकायों को स्थानीय निकायों को, 10% उगाही प्रभार घटाने के बाद, करों का समनुदेशन; पंचायती राज संस्थाओं को 28.40 करोड़ रुपए का स्थापना अनुदान और जिला परिषदों को प्रशिक्षण के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि।
15.	महाराष्ट्र	22.06.1999	27.03.2002	29.03.2006	1999-2000 से 2001-02	स्थानीय निकायों को राज्य के करों, ड्यूटियों, पथकर प्राप्तियों का 40%।
16.	मणिपुर	03.01.2003	नवम्बर, 2004	2 दिसम्बर, 2005	2001-02 से 2005-06	कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व और राज्य के केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से (अवार्ड समय का 10%; पंचायती राज संस्थाओं को

क्रम संख्या	राज्य	राज्य वित्त आयोग के गठन की तारीख	राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	समाविष्ट अवधि	हस्तांतरण सिफारिश
1	2	3	4	5	6	7
					बढ़ाया गया 34.38% और शहरी 31.03.2010) को 20.60% ।	स्थानीय निकायों
17.	मेघालय		अनुच्छेद 243एम के अधीन छूट			
18.	मिजोरम		अनुच्छेद 243एम के अधीन छूट			
19.	नागालैंड		अनुच्छेद 243एम के अधीन छूट			
20.	उड़ीसा	5.6.2003	29.09.2004	11.08.2006	2005-06 से 2009-10 तक हुए राज्य के सकल स्वयं के कर राजस्व के औसत का 10% हस्तांतरित किया जाए। विभिन्न विशिष्ट उद्देश्यों के लिए वर्ष 2002-03 से हस्तांतरित राशि कम करके राज्य के सकल स्वयं कर राजस्व के 10% की सिफारिश की गयी।	2001-02 से 2005-06 तक हुए राज्य के सकल स्वयं के कर राजस्व के औसत का 10% हस्तांतरित किया जाए। विभिन्न विशिष्ट उद्देश्यों के लिए वर्ष 2002-03 से हस्तांतरित राशि कम करके राज्य के सकल स्वयं कर राजस्व के 10% की सिफारिश की गयी।
21.	पंजाब	21.09.2000	15.2.2002	08.06.2006	2001-02 से 2005-06 तक हुए राज्य के सकल स्वयं के कर राजस्व के औसत का 4% हस्तांतरित किया जाए।	2001-02 से 2005-06 तक हुए राज्य के सकल स्वयं के कर राजस्व के औसत का 4% हस्तांतरित किया जाए।
22.	राजस्थान	07.05.1999	29.08.2002	08.06.2002	2001-02 से 2005-06 तक हुए राज्य के सकल स्वयं के कर राजस्व के औसत का 2.25%; मनोरंजन कर 15%; खनिजों पर रायल्टी 1% ।	2001-02 से 2005-06 तक हुए राज्य के सकल स्वयं के कर राजस्व के औसत का 2.25%; मनोरंजन कर 15%; खनिजों पर रायल्टी 1% ।
23.	सिक्किम	05.07.2003	30.09.2004	25.02.2006	2005-06 से 2009-10 तक हुए राज्य के सकल स्वयं के कर राजस्व के औसत का 5% हस्तांतरित किया जाए।	2005-06 से 2009-10 तक हुए राज्य के सकल स्वयं के कर राजस्व के औसत का 5% हस्तांतरित किया जाए।
24.	तमिलनाडु	03.03.2000	21.5.2001	8.5.2002	2002-03 से 2006-07 तक हुए राज्य के सकल स्वयं के कर राजस्व के औसत का 8% हस्तांतरित किया जाए।	2002-03 से 2006-07 तक हुए राज्य के सकल स्वयं के कर राजस्व के औसत का 8% हस्तांतरित किया जाए।
25.	त्रिपुरा	29.10.1999	10.04.2003	जून, 2008	2003-04 से 2007-08 तक हुए राज्य के सकल स्वयं के कर राजस्व के औसत का 10% हस्तांतरित किया जाए।	2003-04 से 2007-08 तक हुए राज्य के सकल स्वयं के कर राजस्व के औसत का 10% हस्तांतरित किया जाए।

क्रम संख्या	राज्य	राज्य वित्त आयोग के गठन की तारीख	राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	समाविष्ट अवधि	हस्तांतरण सिफारिश
1	2	3	4	5	6	7
26.	उत्तर प्रदेश	25 फरवरी, 2000	30.06.2002	30.04.2004	2001-02 से 2005-06	पंचायती राज संस्थानों को विभाज्य पूल का 5%; शहरी स्थानीय निकायों को राज्य के कर-राजस्व निवल प्राप्तियों का 7.5%; सहायता अनुदान : शून्य।
27.	उत्तराखंड	30.04.2005	06.06.2006	05.10.2006	2006-07 से 2010-11	राज्य के कर राजस्व और कर-भिन्न राजस्व का 10%; जिला परिषद को प्रतिवर्ष 6.24 लाख रुपए का सहायता अनुदान; बी.पी. को 42.75 लाख रुपए सालाना; अल्मोड़ा व पौड़ी के भवनों के लिए 105 लाख रुपए; भागीरथी नदी फ्रंट : 50 लाख रुपए।
28.	पश्चिम बंगाल	14.7.2000	6.2.2002	15.07.2005	2001-02 से 2005-06	350 करोड़ रुपए की वार्षिक एक मुश्त निधि, स्थानीय निकायों को मनोरंजन व आमोद कर 90%; सड़क व लोक निर्माण कार्यों पर उपकर 80% ।

स्रोत : राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचना ।

राज्य वित्त आयोग-III रिपोर्ट - गठन और रिपोर्ट प्रस्तुत करना

क्रम संख्या	राज्य	राज्य वित्त आयोग के गठन की तारीख	राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	समाविष्ट अवधि	हस्तांतरण सिफारिश
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	29.12.04	31.01.2009	कार्य जारी	2005-06 से 2009-10	आंकड़े उपलब्ध नहीं।
2.	अरुणाचल प्रदेश			गठित नहीं किया गया		
3.	असम	06.02.2006	27.03.2008	25.09.2009	2006-07 से 2010-11	1. वर्ष 2006-07 के लिए कोई हस्तांतरण नहीं। 2. वर्ष 2007-08 के लिए वास्तविक संग्रहण प्रभारों को घटाकर ऋण-भिन्न सकल स्वयं के कर राजस्व प्राप्तियों का 10%। 3. वर्ष 2008-11 के लिए वास्तविक संग्रहण प्रभारों को घटाने के बाद ऋण-भिन्न सकल स्वयं की कर राजस्व प्राप्तियों का 25%।
4.	बिहार	20.07.2004	नवम्बर, 2007	26.03.2007	जुलाई, 2004 से 24.06.2007	राज्य की निवल प्राप्तियों का 3%।
5.	छत्तीसगढ़		गठित नहीं किया गया			
6.	गोवा		आंकड़े उपलब्ध नहीं			
7.	गुजरात		गठित नहीं किया गया			
8.	हरियाणा	22.12.2005 22.12.2005	28 फरवरी, 2008 (अंतरिम रिपोर्ट) 31.12.2008 (अंतिम रिपोर्ट)	28.08.2008 तीसरे रा.वि.आ. द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट राज्य सरकार के विचाराधीन है	2006-2009 2006-11	स्थानीय निकायों को निवल कर राजस्व का 4%।
9.	हिमाचल प्रदेश	मई 1999	24.10.2002	24.06.2003	2002-07 से	शराब पर उपकर, स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाए; स्थानीय निकायों को 10 करोड़ रुपए की दर पर प्रोत्साहन निधि; 228.28 करोड़ रुपए का अन्तर-समाप्ति अनुदान, स्थानीय स्व शासनों को सहायता-अनुदान और सड़कों के मरम्मत व्यय।
10.	जम्मू और कश्मीर					आंकड़े उपलब्ध नहीं
11.	झारखण्ड					आंकड़े उपलब्ध नहीं
12.	कर्नाटक	28.08.2006	31.12.2008	अभी प्रस्तुत की जानी है	2010-11 से 2014-15	1. राज्य की स्वयं की राजस्व प्राप्तियों का 33% 70:30 के अनुपात में क्रमशः

क्रम संख्या	राज्य	राज्य वित्त आयोग के गठन की तारीख	राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	समाविष्ट अवधि	हस्तांतरण सिफारिश
1	2	3	4	5	6	7
						पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाए। 2. पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों का शेयर निकालते समय, पंचायती राज संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन घटक को असंबद्ध किया जाए।
13.	केरल	20.09.2004	23.11.2005	16.02.2006	2006-07 से 2010-11	वर्ष 2003-04 के कुल राज्य कर राजस्व का 25%, वर्ष 2006-07 में स्थानीय निकायों को अंतरित किया जाए। बाद के वर्षों के लिए स्थानीय निकायों को निधियां हस्तांतरित करने हेतु 10% की वार्षिक वृद्धि लागू की जाए।
14.	मध्य प्रदेश	19.7.2005	प्रस्तुत की 1.11.2008	कार्य जारी	2006-07 से 2010-11	आंकड़े उपलब्ध नहीं।
15.	महाराष्ट्र	15.01.2005	03.06.2006	विचाराधीन	2006-07 से 2010-11	आंकड़े उपलब्ध नहीं।
16.	मणिपुर	गठन की प्रक्रिया जारी				
17.	मेघालय	अनुच्छेद 243एम के अधीन छूट				
18.	मिजोरम	अनुच्छेद 243एम के अधीन छूट				
19.	नागालैंड	अनुच्छेद 243एम के अधीन छूट				
20.	उड़ीसा	10.09.2008	6.02.2009 (अंतरिम रिपोर्ट)	कार्य जारी	2010-11 से 2014-15	वर्ष 2005-06 से 2007-08 के लिए, 896.17 करोड़ रुपए की सालाना दर पर, राज्य के औसत सकल कर राजस्व का 15% स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाए।
21.	पंजाब	17.09.2004	28.12.2006	22.05.2007	2006-07 से 2010-11	सभी राज्य करों की निवल प्राप्तियों का 4% हिस्सा स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाए।
22.	राजस्थान	15.09.2005	27.02.2008	17.03.2008	2005-06 से 2009-10	राज्य की स्वयं की निवल कर प्राप्तियों का 3.50%, मनोरंजन कर 100%; खनिजों पर रायल्टी 1%।
23.	सिक्किम	04.03.2009	प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख		2010-11 से 2014-15	रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की जानी है।
24.	तमिलनाडु	14.12.2004	30.09.2006	10.05.2007	2007-08 से 2011-12	राज्य के स्वयं के कर राजस्व का 10% स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाए; विशिष्ट प्रयोजन अनुदान राज्य

क्रम संख्या	राज्य	राज्य वित्त आयोग के गठन की तारीख	राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	समाविष्ट अवधि	हस्तांतरण सिफारिश
1	2	3	4	5	6	7
						के अपने कर राजस्व का 0.5% से 1% होगा।
25.	त्रिपुरा	28.03.2008	प्रतीक्षित			
26.	उत्तर प्रदेश	23.12.2004	29.08.2008	विचाराधीन	2006-07 से 2010-11	निवल कर प्राप्तियों का 6% पंचायती राज संस्थाओं को शहरी स्थानीय निकायों को 9% जो विचाराधीन है।
27.	उत्तराखंड	गठित नहीं किया गया				
28.	पश्चिम बंगाल	22.02.2006	31.10.2008	16.07.2009	2008-09 से 2012-13	2009-10 से 850 करोड़ रुपए की एक मुश्त निधि और बाद के वर्षों के लिए संचयी आधार पर 12% की वार्षिक वृद्धि।

स्रोत : राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना।

विभिन्न स्तरों पर स्थानीय निकायों की संख्या

क्रम संख्या	राज्य	ग्रामीण स्था. निकायों के स्तर (स्वायत्त जिला परि. सहित)	वि.ओ.-XII	वि.ओ.-XIII	शहरी स्था. निकायों की संख्या	वि.ओ.-XII	वि.ओ.-XIII
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	1. ग्राम पंचायतें 2. मंडल परिषदें 3. जिला परिषदें जोड़	21943 1096 22 23061	21809 1097 22 22928	1. नगर निगम 2. नगर पालिकाएं 3. नगर पंचायत जोड़	7 109 1 117	15 103 6 124
2.	अरुणाचल प्रदेश	1. ग्राम पंचायतें 2. अंचल समिति 3. जिला परिषदें जोड़	1747 150 15 1912	1751 150 16 1917	शहरी स्था. निकाय मौजूद नहीं हैं		
3.	असम	1. ग्राम पंचायतें 2. आंचलिक (ब्लॉक) परिषद 3. जिला परिषद 4. स्वायत्त परिषदें जोड़	2487 203 22 2710	2202 185 22 4 2411	1. नगर निगम 2. नगर पालिकाएं 3. कस्बा पंचायतें जोड़	1 28 54 83	1 29 59 89
4.	बिहार	1. ग्राम पंचायतें 2. पंचायत समिति 3. जिला परिषदें जोड़	8471 531 38 9040	8463 531 38 9032	1. नगर निगम 2. नगर पालिकाएं 3. नगर पंचायतें जोड़	5 37 117 159	11 43 84 138
5.	छत्तीसगढ़	1. ग्राम पंचायतें 2. जनपद पंचायतें 3. जिला परिषदें जोड़	9139 146 16 9301	9820 146 16 9982	1. नगर निगम 2. नगर पालिकाएं 3. कस्बा पंचायतें जोड़	10 28 71 109	10 28 124 162
6.	गोवा	1. ग्राम पंचायतें 2. जिला पंचायत जोड़	189 2 191	189 2 191	1. नगर निगम 2. नगर परिषदें जोड़	 13 13	1 13 14
7.	गुजरात	1. ग्राम पंचायतें* 2. तालुका पंचायत 3. जिला परिषदें जोड़	13781 224 25 14030	13738 224 26 13988	1. नगर निगम 2. नगर पालिकाएं 3. नगर पंचायतें जोड़	7 142 149	7 159 2 168
8.	हरियाणा	1. ग्राम पंचायतें 2. पंचायत समिति 3. जिला परिषदें जोड़	6032 114 19 6165	6187 119 19 6325	1. नगर निगम 2. नगर परिषदें 3. नगर समितियां जोड़	1 21 46 68	1 24 51 76
9.	हिमाचल प्रदेश*	1. ग्राम पंचायतें 2. पंचायत समिति 3. जिला पंचायत जोड़	3037 75 12 3124	3243 75 12 3330	1. नगर निगम 2. नगर परिषदें 3. नगर पंचायतें जोड़	1 20 28 49	1 20 28 49

क्रम संख्या	राज्य	ग्रामीण स्था. निकायों के स्तर (स्वायत्त जिला परि. सहित)	वि.ओ.-XII	वि.ओ.-XIII	शहरी स्था. निकायों की संख्या	वि.ओ.-XII	वि.ओ.-XIII
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	जम्मू और कश्मीर	1. हल्का पंचायतें 2. ब्लॉक पंचायतें 3. जिला पंचायतें जोड़	2700 134 14 2848	4139 0 0 4139	1. नगर निगम 2. नगर समितियां 3. नगर परिषदें जोड़	2 6 61 69	2 80 82
11.	झारखण्ड	1. ग्राम पंचायतें 2. पंचायत समितियां 3. जिला पंचायतें जोड़	3765 211 22 3998	4562 212 24 4798	1. नगर निगम 2. नगर पालिकाएँ / एमसी 3. कस्बा पंचायतें/एनएसी जोड़	1 20 22 43	2 15 22 39
12.	कर्नाटक	1. ग्राम पंचायतें 2. तालुका पंचायतें 3. जिला पंचायतें जोड़	5659 175 27 5861	5652 176 29 5857	1. नगर/शहर निगम* 2. नगर/शहर परिषदें* 3. कस्बा पंचायतें* जोड़	6 123 93 222	8 138 73 219
13.	केरल	1. ग्राम पंचायतें 2. ब्लॉक पंचायतें 3. जिला पंचायतें जोड़	991 152 14 1157	999 152 14 1165	1. नगर निगम 2. नगर पालिकाएं जोड़	5 53 58	5 53 58
14.	मध्य प्रदेश	1. ग्राम पंचायतें 2. ब्लॉक पंचायतें 3. जिला पंचायतें जोड़	22029 313 45 22387	23040 313 48 23401	1. नगर निगम 2. नगर पालिकाएं 3. नगर पंचायतें जोड़	14 86 236 336	14 88 236 338
15.	महाराष्ट्र	1. ग्राम पंचायतें 2. पंचायत समिति 3. जिला परिषदें जोड़	28553 349 33 28935	27916 351 33 28300	1. नगर निगम 2. नगर परिषदें 3. नगर पंचायत जोड़	16 228 5 244	22 222 5 249
16.	मणिपुर	1. ग्राम पंचायतें 2. जिला पंचायतें 3. स्वायत्त जिला परिषदें जोड़	166 4 6 175	165 4 6 175	1. नगर निगम* 2. नगर पालिकाएं* 3. छोटे गांव की समितियां जोड़	7 142 1 28	7 159 1 28
17.	मेघालय	1. स्वायत्त जिला परिषदें जोड़	3 3	3 3	1. नगर परिषदें जोड़	6 6	6 6
18.	मिजोरम	1. ग्राम परिषदें जोड़	737 737	707 707	1. नगर पालिकाएं जोड़	0 0	1 1
19.	नागालैण्ड	1. ग्राम परिषदें* जोड़	1286 737	1110 707	1. नगर पालिकाएं 2. कस्बा परिषदें जोड़	 9 9	3 16 19
20.	उड़ीसा	1. ग्राम पंचायतें 2. पंचायत समिति 3. जिला परिषदें जोड़	6234 314 30 6578	6234 314 30 6578	1. नगर निगम 2. नगर परिषदें 3. नोटिफाई क्षेत्र परिषदें जोड़	2 33 68 103	3 36 64 103
21.	पंजाब	1. ग्राम पंचायतें 2. पंचायत समिति 3. जिला परिषदें जोड़	12449 140 17 12606	12447 141 20 12608	1. नगर निगम 2. नगर परिषदें 3. नगर पंचायत जोड़	4 98 32 134	5 97 33 135

क्रम संख्या	राज्य	ग्रामीण स्था. निकायों के स्तर (स्वायत्त जिला परि. सहित)	वि.ओ.-XII	वि.ओ.-XIII	शहरी स्था. निकायों की संख्या	वि.ओ.-XII	वि.ओ.-XIII
1	2	3	4	5	6	7	8
22.	राजस्थान	1. ग्राम पंचायतें 2. पंचायत समिति 3. जिला परिषदें जोड़	9189 237 32 9458	9184 237 32 9453	1. नगर निगम 2. नगर परिषदें 3. नगर बोर्ड जोड़	3 11 169 183	3 11 169 183
23.	सिक्किम	1. ग्राम पंचायतें 2. जिला पंचायतें जोड़	166 4 170	163 4 167	1. नगर निगम 2. नगर परिषदें 3. नगर पंचायतें जोड़	0 0 0 0	1 2 9 12
24.	तमिलनाडु	1. ग्राम पंचायतें 2. पंचायत युनियन 3. जिला पंचायतें जोड़	12618 385 28 13031	12618 385 29 13032	1. नगर निगम 2. नगर परिषदें 3. कस्बा पंचायतें जोड़	6 102 611 719	8 150 561 719
25.	त्रिपुरा	1. ग्राम पंचायतें 2. पंचायत समिति 3. जिला पंचायतें 4. स्वायत्त जिला परिषदें जोड़	540 23 4 9458	513 23 4 9453	1. नगर परिषदें 2. नगर पंचायतें जोड़	1 12 13	1 12 13
26.	उत्तर प्रदेश	1. ग्राम पंचायतें 2. क्षेत्र पंचायतें 3. जिला पंचायतें जोड़	52029 809 70 52908	52000 820 70 52890	1. नगर निगम 2. नगर पालिका परिषदें 3. नगर पंचायतें जोड़	11 195 417 623	12 194 422 628
27.	उत्तराखण्ड	1. ग्राम पंचायतें 2. इंटरमीडियट पंचायतें 3. जिला पंचायतें जोड़	7055 673 7728	7227 95 13 7335	1. नगर निगम* 2. नगर पालिका परिषदें* 3. नगर पंचायतें* जोड़	1 31 31 63	1 31 31 63
28.	पश्चिम बंगाल	1. ग्राम पंचायतें 2. पंचायत समिति 3. जिला परिषदें जोड़	3358 341 18 3717	3354 341 18 3713	1. नगर निगम* 2. नगर पालिकाएं* 3. नोटिफाई क्षेत्र आथोरिटी* जोड़	6 114 3 123	6 118 3 127
		1. ग्राम/गांव पंचायतें (ग्राम परिषदें और बोर्डों सहित) 2. पंचायत समिति 3. जिला पंचायतें 4. स्वायत्त जिला परिषदें	236350 6795 531 9	239432 6087 543 14	नगर निगम का कुल जोड़ नगर परिषदों का कुल जोड़ नगर पंचायतों का कुल जोड़	109 1432 2182	139 1595 2108
	जोड़	कुल जोड़ (सभी ग्रा.स्था.नि.) कुल जोड़ (सभी एलबीएस)	243685 247408	246076 249918	कुल जोड़ (सभी श.स्था. नि.)	3723	3842

स्रोत : वि.आ.- XIII : राज्य सरकारों द्वारा तेरहवें वित्त आयोग को प्रस्तुत आंकड़े
वि. आ. - XII : बारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट

स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा की राज्यवार स्थिति

राज्य का नाम	लेखापरीक्षा करने के लिए प्राधिकारी	रिपोर्टिंग व्यवस्था
1. आन्ध्र प्रदेश	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अधीन, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा कर रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी उक्त अधिनियम की धारा 20 (1) के अधीन नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा का तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन सौंपा है।	स्थानीय निकायों के संबंध में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसे विधान सभा में रखा जाता है।
2. असम	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अधीन, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा कर रहा है। असम सरकार ने भी उक्त अधिनियम की धारा 20 (1) के अधीन नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा का तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन सौंपा है।	वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की जाती है और राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाती है।
3. अरुणाचल प्रदेश	तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन के अधीन लेखा परीक्षा नहीं सौंपी गई है।	
4. बिहार	राज्य अधिनियम के अनुसार स्थानीय लेखाओं का परीक्षक स्थानीय निकायों का एक मात्र लेखा परीक्षक होता है। वह भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का अधिकारी है।	स्थानीय लेखाओं के परीक्षक की रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाती है।
5. छत्तीसगढ़	राज्य सरकारों ने तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन प्रशिक्षण उद्देश्य के लिए स्वीकार कर लिया है। किसी भी स्तर के शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सौंपा गया है।	
6. गोवा	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और शर्तें) अधिनियम की धारा 14 के अधीन, शहरी स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। गोवा सरकार ने भी उक्त अधिनियम की धारा 20 (1) के अधीन पंचायत राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं की परीक्षा का कार्य तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन मॉड्यूल के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सौंपा गया है।	वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की जाती है और राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाती है।
7. गुजरात	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जहां कहीं लागू होता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और शर्तें) अधिनियम की धारा 14 के अधीन पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा करता है। स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा भी पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 (1) के अधीन तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन मॉड्यूल के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षा को सौंपा जाता है।	वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की जाती है और राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाती है।
8. हरियाणा	लेखा परीक्षा का कार्य अगस्त 2008 में, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और शर्तें) अधिनियम की धारा 20 (1) के अधीन तकनीकी मार्गदर्शन समर्थन मॉड्यूल के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सौंपा गया है।	लेखा परीक्षा का कार्य चल रहा है और राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के लिए कार्रवाई रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
9. हिमाचल प्रदेश	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जहां कहीं लागू होता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और शर्तें) अधिनियम की धारा 14 के अधीन पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय	वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की जाती है और राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाती है।

राज्य का नाम	लेखा परीक्षा करने के लिए प्राधिकारी	रिपोर्टिंग व्यवस्था
	निकायों की लेखा परीक्षा करता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 (1) के अधीन तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन व्यवस्था के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं का शहरी स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा भी करता है।	
10. जम्मू-कश्मीर	राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन स्थानीय निधि लेखा परीक्षा के परीक्षक द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा की जाती है। हालांकि शहरी स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है।	
11. झारखण्ड	राज्य अधिनियम के अनुसार, स्थानीय लेखाओं का परीक्षक स्थानीय निकायों का एकमात्र लेखा परीक्षक होता है, वह भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का अधिकारी है।	स्थानीय लेखाओं के परीक्षक की रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाती है।
12. कर्नाटक	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक प्रथम दो स्तरीय अर्थात् जिला परि-दों और नगर परि-दों की लेखा परीक्षा करने और लेखाओं को प्रमाणित करने के लिए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और शर्तें) अधिनियम की धारा 19 (3) के तहत जिम्मेदार है। शहरी स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन का कार्य नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को नहीं सौंपा गया है।	पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार की जाती है और विधान सभा में रखी जाती है।
13. केरल	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और शर्तें) अधिनियम की धारा 20 (1) की धारा 14 के अधीन, तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की लेखा-परीक्षा करता है।	स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के संबंध में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट तैयार की जाती है और विधान सभा में रखी जाती है।
14. मध्य प्रदेश	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और शर्तें) अधिनियम की धारा 14 के अधीन, स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त, उसे तकनीकी मार्गदर्शन एवं समर्थन व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा का कार्य सौंपा गया है।	वार्धिक तकनीकी रिपोर्ट तैयार की जाती है और राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाती है।
15. महाराष्ट्र	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और शर्तें) अधिनियम की धारा 14 के अधीन नगर निगमों की लेखा परीक्षा करता है, वह राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन व्यवस्था के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा भी करता है। नगर परि-दों का तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन व्यवस्था का कार्य नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को नहीं सौंपा गया है।	स्थानीय निकायों पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसे विधान सभा में रखा जाता है।
16. मणिपुर	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन, स्थानीय निकायों की लेखा-परीक्षा करता है। राज्य सरकार ने, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और शर्तें) अधिनियम की धारा 10 (1) के अधीन, तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन व्यवस्था के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की लेखा-परीक्षा का कार्य भी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सौंपा है।	लेखा परीक्षा से संबंधित कार्य चल रहा है और एटीआरईआर तैयार की जा रही है।
17. उड़ीसा	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और शर्तें) अधिनियम की धारा 14 (1) और धारा 14 (2) के अधीन, पीएस और शहरी स्थानीय निकायों की लेखा-परीक्षाएं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 (1) के अधीन तकनीकी मार्गदर्शन एवं समर्थन व्यवस्था के तहत पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की लेखा-परीक्षा का कार्य भी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सौंपा है।	एटीआईआर तैयार की जाती है और राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाती है।

राज्य का नाम	लेखा परीक्षा करने के लिए प्राधिकारी	रिपोर्टिंग व्यवस्था
18. पंजाब	तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन व्यवस्था के अंतर्गत लेखा परीक्षा का कार्य नहीं सौंपा जाता है।	
19. राजस्थान	राजस्थान राज्य अधिनियम में की गई व्यवस्था के अनुसार, पंचायती राज संस्थाओं के लेखाओं को जांचने का कार्य नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और शर्तें) अधिनियम की धारा 14 के अधीन, शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा का कार्य भी किया जाता है।	
20. तमिलनाडु	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 14 और धारा 14 (1) के अधीन, शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायतों के सिवाय) के लेखाओं की लेखा-परीक्षा करने का कार्य नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक को सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं, ग्राम पंचायतों के तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन व्यवस्था के सिवाय, की लेखा परीक्षा करने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन कार्य भी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सौंपा गया है। ग्राम पंचायत की तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन व्यवस्था की लेखा परीक्षा का कार्य नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को नहीं सौंपा गया है।	स्थानीय निकायों पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार की जाती है और विधान सभा में रखी जाती है।
21. त्रिपुरा	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और शर्तें) अधिनियम की धारा 14 के अधीन, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने तकनीकी मार्गदर्शन एवं समर्थन व्यवस्था के तहत पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा का कार्य भी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सौंपा है।	वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की जाती है और राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाती है।
22. सिक्किम	राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं की सांविधिक लेखा परीक्षा का कार्य नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सौंपा है।	वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की जाती है और राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाती है।
23. उत्तर प्रदेश	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य), शक्तियां और शर्तें) अधिनियम की धारा 20 (1) के अधीन, तकनीकी मार्गदर्शन एवं समर्थन व्यवस्था के तहत पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा भी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सौंपी गई है।	स्थानीय निकायों पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार की जाती है और विधान सभा में रखी जाती है।
24. उत्तराखण्ड	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य), शक्तियां और शर्तें) अधिनियम की धारा 20 (1) के अधीन, तकनीकी मार्गदर्शन एवं समर्थन व्यवस्था के तहत पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा भी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सौंपी गई है।	स्थानीय निकायों पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार की जाती है और विधान सभा में रखी जाती है।
25. पश्चिम बंगाल	राज्य अधिनियम के अनुसार, स्थानीय लेखाओं का परीक्षक एकमात्र स्थानीय निकायों का लेखा परीक्षक होता है। वह भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का अधिकारी होता है।	स्थानीय लेखाओं के परीक्षक की रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाती है। पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में यह रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा विधान सभा में रखी जाती है।

राज्य वित्त आयोगों की रिपोर्टों का नमूना

- अध्याय I परिचय
- क. आयोग का गठन
ख. विचारार्थ विषय
ग. रिपोर्ट तैयार करना
- अध्याय II दृष्टिकोण और मुद्दे
- अध्याय III पिछले राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति
- क. वित्त साधनों के हस्तांतरण से संबंधित सिफारिशों पर की गयी कार्रवाई
ख. अन्य सिफारिशों पर की गयी कार्रवाई
- अध्याय IV राज्य वित्त-साधन (5 वर्षों की अवधि की समीक्षा)
- क. राज्य वित्त साधनों का महत्त्वपूर्ण विश्लेषण
ख. राज्य और स्थानीय वित्त साधनों पर पिछले राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन का प्रभाव
ग. राज्य सरकारों और इनके विभागों द्वारा स्थानीय निकायों को प्रत्यक्ष हस्तांतरण; हस्तांतरण की प्रवृत्ति एवं आकार; स्थानीय निकायों के लिए वास्तविक खर्च
घ. राज्यों द्वारा स्थानीय निकायों के खर्चों (वेतन, पेंशन और अन्य देयता) का प्रत्यक्ष विलयन
ङ. स्थानीय निकायों के पक्ष में राज्य सरकारों द्वारा दी गयी गारंटियां
- अध्याय V विकेन्द्रीकृत शासन और हस्तांतरण की स्थिति की समीक्षा ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए अलग-अलग)
- क. कार्यात्मक हस्तांतरण और कार्यकलाप चित्रण अनुच्छेद 243जी और 243 डब्ल्यू में परिकल्पित हस्तांतरण के बारे में प्रगति: इसका अनुमान (क) जारी की गयी आधिकारिक अधिसूचनाओं के सन्दर्भ में (ख) अध्याय-IV के खण्ड ग में दी गई रूपरेखा के अनुसार वित्तीय हस्तांतरणों से संबद्ध
ख. वित्तीय जवाबदेही
रखे गए लेखाओं की गुणवत्ता, क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण प्राप्त किया गया है, लेखा परीक्षा व्यवस्था लागू रही, लेखाओं की लेखापरीक्षा की स्थिति और लेखापरीक्षा आपत्तियों का निपटारा
ग. प्रशासनिक विषय
घ. XIवीं और XIIवीं अनुसूचियों में सूचीबद्ध प्रबंधकीय कार्यों को करने में पैरास्टेटल्स की भूमिका तथा उनके एवं संबंधित स्थानीय निकायों के मध्य सम्पर्क
- अध्याय VI स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की गयी भौतिक सेवाओं का आकलन - सेवाओं का स्तर - उपलब्धता, पहुँच, समावेश और गुणवत्ता
- क. सेवा कम देने का मात्रात्मक अनुमान तथा इस कमी के लिए कारणों का संक्षिप्त विवरण ।
ख. आस्तियों की सूची; वर्तमान प्रयोग और मूल्यांकन
ग. मलिन बस्तियों के बंदोबस्त के लिए मूल सुविधाएं; उपलब्धता, समावेश, पहुँच, गुणवत्ता
- अध्याय VII पंचायती राज संस्थाओं के वित्त-साधनों का आकलन
(जिला पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों और ग्राम पंचायतों के लिए अलग-अलग किया जाएगा)
- प्रवृत्तियों, निष्पादन और कार्यकुलता के संदर्भ में सभी राजस्व स्रोतों का विश्लेषण करने तथा बिना दोहन के रही कर क्षमता के अनुमान देना
- क. राजस्व
- i) कर राजस्व
- क. भवनों और भूमि पर कर
ख. गैर-मोटरचालित वाहनों पर कर
ग. विज्ञापनों एवं होर्डिंगों पर कर
घ. तीर्थ-यात्री कर
ङ. मनोरंजन कर
च. अन्य
छ. न वसूला गया राजस्व (प्रोद् भवन आधार)

- ii) कर-भिन्न राजस्व
- क. प्रयोक्ता प्रभार
- ख. शुल्क
- ग. गौण खनिजों पर रायल्टी
- घ. लाभांश
- ङ. ब्याज
- च. अन्य
- ख. राज्य सरकार से हस्तांतरण
- उपलब्ध कराए जाने वाले हस्तांतरणों की प्रवृत्ति का विश्लेषण और इनकी प्रवृत्ति का विवरण, साथ ही, अनुदानों सहित हस्तांतरण का अनुमान लगाने का मानदण्ड
- क. समनुदेशित कर
- ख. राज्य करों में हिस्सा
- ग. सामान्य प्रयोजनार्थ अनुदान
- घ. विशेष प्रयोजनार्थ अनुदान
- ङ. एजेंसी कृत्यों के लिए हस्तांतरण
- ग. केन्द्रीय सरकार से हस्तांतरण
- क. वित्त आयोग के तहत अनुदान और प्रभाव-क्या ऐसे प्रवाह राज्य सरकार के प्रवाहों में अतिरिक्त रूप से थे
- ख. एजेन्सी कृत्य
- घ. पूंजीगत लेखा प्राप्तियां और ऋण स्थिति
- ङ. राजस्व लेखे पर व्यय
- व्यय विश्लेषण; विनियामक एवं प्रवर्तन खर्चों का संघटक, प्रचालन एवं अनुरक्षण लागत, ब्याज अदायगियां तथा क्षेत्र सुधार/मलिन बस्ती सुधार सहित कमजोर वर्ग क्षेत्रों/ मलिन बस्तियों में सेवाएं मुहैया कराने पर व्यय और ऐसे खर्चों को बढ़ाने एवं उनकी पर्याप्तता
- क. प्रशासन
- ख. नागरिक कृत्य
- i) जल आपूर्ति
- ii) पथ प्रकाश
- iii) स्वच्छता
- iv) ठोस अपशिष्ट निपटान
- ग. सामुदायिक आस्तियों के अनुरक्षण पर व्यय
- घ. राज्य सरकार द्वारा समनुदेशित योजनाओं पर व्यय
- ङ. केन्द्रीय सरकार द्वारा समनुदेशित योजनाओं पर व्यय
- च. ब्याज के रूप में व्यय
- च. स्थानीय निकायों (वेतन, पेंशन और अन्य देयता जहाँ कहीं लागू है), के पक्ष में राज्य सरकार द्वारा सीधे किया गया व्यय
- छ. आस्थगित व्यय-अदत्त बिलों, वार्षिकी अदायगियों सहित
- ज. पूंजीगत व्यय
- झ. निवल बजटीय स्थिति
- ञ. राजकोषीय और वित्तीय प्रबंध की समीक्षा
- अध्याय VIII शहरी स्थानीय निकायों के वित्त साधनों का आकलन
(नगर पंचायतों, नगर परिषदों और नगर-निगमों का अलग-अलग किया जाएगा)
- प्रवृत्तियों, निष्पादन और कार्य कुशलता के संदर्भ में सभी राजस्व वित्त-साधनों का विश्लेषण करना तथा बिना दोहन के रही कर क्षमता के अनुमान दिए जाएंगे
- क. राजस्व
- i) कर-राजस्व
- प्रवृत्तियों, निष्पादन और कार्यकुशलता के संदर्भ में सभी साधनों से प्राप्त प्राप्तियों का विश्लेषण किया जाएगा। बिना दोहन के रही क्षमता के अनुमान दिए जाएंगे।
- क. भवनों एवं भूमि पर कर
- ख. गैर-मोटरचालित वाहनों पर कर
- ग. विज्ञापनों और होर्डिंग्स पर कर
- घ. तीर्थ-यात्री कर

- ड. मनोरंजन कर
 च. कोई अन्य कर
 छ. न वसूला गया राजस्व (प्रोद् भवन आधार)
- ii) कर-भिन्न राजस्व
 प्रवृत्तियों, निष्पादन और कार्यकुशलता के संदर्भ में सभी साधनों से प्राप्त प्राप्तियों का विश्लेषण किया जाएगा। बिना दोहन के रही क्षमता के अनुमान दिए जाएंगे।
- क. प्रयोक्ता प्रभार
 ख. शुल्क (फीस)
 ग. गौण खनिजों पर रायल्टी
 घ. लाभांश
 ड. ब्याज
 च. अन्य
- ख. राज्य से अंतरण (हस्तांतरण)
 प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जाएगा तथा हस्तांतरणों की प्रकृति का विवरण दिया जाएगा
- क. समनुदेशित कर
 ख. राज्य करों में हिस्सा
 ग. सामान्य प्रयोजनार्थ अनुदान
 घ. विशेष प्रयोजनार्थ अनुदान
 ड. एजेंसी कृत्यों के लिए हस्तांतरण
- ग. केन्द्रीय सरकार से हस्तांतरण
 क. वित्त आयोग के तहत अनुदान और प्रभाव-क्या ऐसे प्रवाह राज्य सरकार के प्रवाहों में एक अभिवृद्धि थे
 ख. एजेंसी कृत्य
- घ. पूंजीगत लेखा प्राप्तियां और ऋण स्थिति
 क. प्राप्तियों का स्रोत उदाहरणार्थ राज्य सरकार, विकास संस्थाओं से ऋण, बाजार उधार, योजनावार हस्तांतरण, जे एन एन यू आर.एम, अन्य ए सी ए आदि
 ख. ऐसी प्राप्तियों की प्राप्ति
 ग. ऐसी प्राप्तियों का प्रयोजन
- ड. राजस्व लेखे पर व्यय
 व्यय विश्लेषण; विनियामक एवं प्रवर्तन खर्चों का संघटक, प्रचालन एवं अनुरक्षण लागत, ब्याज अदायगियां तथा क्षेत्र सुधार/मलिन बस्ती सुधार सहित कमजोर वर्ग क्षेत्रों/मलिन बस्तियों में सेवाएं मुहैया कराने पर व्यय और ऐसे खर्चों को बढ़ाने एवं उनकी पर्याप्तता
- क. प्रशासन
 ख. नागरिक कृत्य
 i) जल आपूर्ति
 ii) पथ प्रकाश
 iii) स्वच्छता
 iv) ठोस अपशिष्ट निपटान
 ग. सामुदायिक आस्तियों के अनुरक्षण पर व्यय
 घ. राज्य सरकार द्वारा समनुदेशित योजनाओं पर व्यय
 ड. केन्द्रीय सरकार द्वारा समनुदेशित योजनाओं पर व्यय
 च. ब्याज के रूप में व्यय
- च. स्थानीय निकायों (वेतन, पेंशन और अन्य देयता जहाँ कहीं लागू है), के पक्ष में राज्य सरकार द्वारा सीधे किया गया व्यय
 छ. आस्थगित व्यय-अदत्त बिलों, वार्षिकी अदायगियों सहित
 ज. पूंजीगत व्यय
 झ. निवल बजटीय स्थिति
 ञ. राजकोषीय और वित्तीय प्रबंध की समीक्षा
- अध्याय IX सर्वोत्तम परिपाटियों को रिकार्ड करना
 क. ग्रामीण स्थानीय निकाय
 क. जिला पंचायत
 ख. ब्लॉक पंचायत
 ग. ग्राम पंचायत

- ख. शहरी स्थानीय निकाय
- क. नगर निगम
- ख. नगर परिषद
- ग. नगर पंचायत

अध्याय X वित्तीय संसाधनों में अन्तर का आकलन और हस्तांतरण योजनाएं

- क. अंतर का आकलन
किए गए नियामक समायोजन और उनके लिए पूर्वानुमान, संदर्भ अवधि के लिए जनसंख्या अनुमान, कार्यात्मक अधिकार क्षेत्र व सेवा-मानक, सेवाओं के लिए वित्तीय मानक, पांच वर्षों के लिए वित्तीय आवश्यकताओं की राशि
- क. ग्रामीण स्थानीय निकाय
 - i) जिला पंचायत
 - ii) ब्लॉक पंचायत
 - iii) ग्राम पंचायत
- ख. शहरी स्थानीय निकाय
 - i) नगर पंचायत
 - ii) नगर परिषद
 - iii) नगर निगम
- ख. मानकीय ऊर्ध्वमुखी अंतर को पाटने के लिए कार्यनीति
 - i) कर और कर-भिन्न अधिकार क्षेत्र के लिए दृष्टिकोण - कर एवं कर-भिन्न राजस्व संग्रहण क्षमता कैसे सुधारी जा सकेगी? इस संबंध में क्या प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए? विद्यमान कर अधिकार क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए कैसे अधिक से अधिक साधन जुटाए जा सकेंगे?
 - ii) अन्य दृष्टिकोण - बाजार; पीपीपी आदि
- ग. हस्तांतरण योजना
 - क. समनुदेशित कर
 - ख. राज्य करों में हिस्सा
 - ग. पंचायती राज संस्थाओं का हिस्सा और परस्पर वितरण
 - घ. शहरी स्थानीय निकायों का हिस्सा और परस्पर वितरण
 - ङ. सहायता अनुदान : विशिष्ट प्रयोजन या सामान्य प्रयोजन : समय; सोपाधिकता

अध्याय XI सामान्य टिप्पणियां और निष्कर्ष संबंधी अभ्युक्तियां

- क. कार्यान्वयन नीति
 - i) डाटा बेस को बेहतर बनाना
 - ii) क्षमता निर्माण व प्रशिक्षण
 - iii) कम्प्यूटरीकरण और ई-शासन
 - iv) राष्ट्रीय वित्त आयोग के लिए सुझाव

अध्याय XII मानीटरिंग और मूल्यांकन प्रणाली

क्या स्थानीय निकायों ने अपने अधिकार क्षेत्र में अपने द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं के स्तरों, अधिसूचित न्यूनतम मानकों की तुलना में, की मानीटरी करने हेतु कोई तंत्र या ढांचा लागू किया है

अध्याय XIII सिफारिशों का सारांश

अनुबंध 10.6
(पैरा 10.148)

कुल विशेष क्षेत्र अनुदान

2001 जनसंख्या (लाख)

(करोड़ रुपए)

	अनुसूचित क्षेत्र	अपवर्जित क्षेत्र	जोड़	% जनसंख्या	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	जोड़
आंध्र प्रदेश	29.28	0.00	29.28	3.67	5.86	8.78	11.71	11.71	11.71	49.77
असम	0.00	36.38	36.38	4.56	7.28	10.91	14.55	14.55	14.55	61.84
छत्तीसगढ़	105.45	0.00	105.45	13.21	21.09	31.64	42.18	42.18	42.18	179.27
गुजरात	72.11	0.00	72.11	9.03	14.42	21.63	28.84	28.84	28.84	122.59
हिमाचल प्रदेश	1.37	0.00	1.37	0.17	0.27	0.41	0.55	0.55	0.55	2.33
झारखंड	174.97	0.00	174.97	21.92	34.99	52.49	69.99	69.99	69.99	297.45
मध्य प्रदेश	132.55	0.00	132.55	16.60	26.51	39.77	53.02	53.02	53.02	225.34
महाराष्ट्र	39.39	0.00	39.39	4.93	7.88	11.82	15.76	15.76	15.76	66.96
मणिपुर	0.00	8.82	8.82	1.10	1.76	2.65	3.53	3.53	3.53	15.00
मेघालय	0.00	22.99	22.99	2.88	4.60	6.90	9.20	9.20	9.20	39.08
मिजोरम	0.00	8.89	8.89	1.11	1.78	2.67	3.55	3.55	3.55	15.11
नागालैंड	0.00	19.90	19.90	2.49	3.98	5.97	7.96	7.96	7.96	33.83
उड़ीसा	107.99	0.00	107.99	13.53	21.60	32.40	43.20	43.20	43.20	183.58
राजस्थान	18.17	0.00	18.17	2.28	3.63	5.45	7.27	7.27	7.27	30.89
त्रिपुरा	0.00	12.16	12.16	1.52	2.43	3.65	4.87	4.87	4.87	20.68
पश्चिम बंगाल	0.00	7.91	7.91	0.99	1.58	2.37	3.16	3.16	3.16	13.44
सभी राज्य	681.28	117.04	798.32	100	159.66	239.50	319.33	319.33	319.33	1357.14

- टिप्पणी 1. अनुसूचित क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जो संविधान की अनुसूचियां V व VI के अधीन सूचीबद्ध हैं।
 2. अपवर्जित क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें अनुच्छेद 243एम के अधीन संविधान के भाग IX एवं IXक के अधिकार क्षेत्र से छूट प्राप्त है।
 3. 1357.14 करोड़ रुपए की राशि में कुल विशेष क्षेत्र अनुदान के मूल एवं निष्पादन, दोनों संघटक सम्मिलित हैं।

स्रोत मूल आंकड़े : गृह मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, राज्य सरकारें और जनगणना 2001

अनुबंध 10.7
(पैज 10.153)

(लाख रुपए)

हस्तांतरण निर्देशक (वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के लिए कुल योजना-भिन्न राजस्व अनुदान)

क्र. सं.	राज्य	श. स्थानीय निकाय-सहा. (एमएच 191, 192, 193)	पंचायती राज संस्था-सहा. (एमएच 196, 197, 198)	स्थानीय निकाय को सहायता (3604)	तीन वर्षीय टीएफसी अनुदान	स्था. निकायों को हस्तांतरण (वि.आ. अनुदानों के सिवाय)	एनपीआरई (एफसी अनुदानों के सिवाय)	स्थानीय निकायों को व्यवस्थित हस्तांतरण कुल	एनपीआरई को व्यवस्थित हस्तांतरण का प्रतिशत	2001 जनसंख्या करोड़	भारत प्रतिशत
1	आंध्र प्रदेश	818225	339877	71908	94310	1135700	9949189	1135700	11.41	7.62	14.64
2	अरुणाचल प्रदेश	112	0	0	740	-628	323868	0	0.00	0.11	0.00
3	असम	4656	0	2763	17430	-10011	2870377	0	0.00	2.67	0.00
4	बिहार	29804	148657	1321	104540	75242	4925328	75242	1.53	8.30	2.13
5	छत्तीसगढ़	8239	0	131177	39540	99877	1851164	99877	5.40	2.08	1.89
6	गोवा	1265	0	0	497	768	596783	768	0.13	0.13	0.00
7	गुजरात	18404	0	38779	67250	-10067	6902516	0	0.00	5.07	0.00
8	हरियाणा	4400	0	86132	28740	61792	3859709	61792	1.60	2.11	0.57
9	हिमाचल प्रदेश	6366	0	1221	9300	-1713	1820603	0	0.00	0.61	0.00
10	जम्मू और कश्मीर	37257	0	0	6426	30831	3010731	30831	1.02	1.01	0.17
11	झारखंड	3062	0	215	0	3277	2083672	3277	0.16	2.69	0.07
12	कर्नाटक	8404	1508158	469452	60550	1778069	7553761	1778069	23.54	5.29	20.93
13	केरल	23663	172555	401054	68040	529233	5565104	529233	9.51	3.18	5.10
14	मध्य प्रदेश	69169	0	332696	117830	284036	5087805	284036	5.58	6.03	5.67
15	महाराष्ट्र	1404310	0	256931	130790	1530451	15339507	1530451	9.98	9.69	16.26
16	मणिपुर	439	0	0	1207	-768	538767	0	0.00	0.23	0.00
17	मेघालय	848	0	0	1740	-892	403898	0	0.00	0.23	0.00
18	मिजोरम	200	0	0	1200	-1000	341687	0	0.00	0.09	0.00
19	नागालैंड	320	0	0	1840	-1520	547514	0	0.00	0.20	0.00
20	उड़ीसा	16207	52582	78453	51300	95943	3765740	95943	2.55	3.68	1.58
21	पंजाब	10879	0	102586	21510	91954	5649154	91954	1.63	2.44	0.67
22	राजस्थान	271562	122094	2569	70300	325925	6281234	325925	5.19	5.65	4.93
23	सिक्किम	0	400	0	130	270	495180	270	0.05	0.05	0.00
24	तमिलनाडु	6110	7999	691977	72100	633986	9164701	633986	6.92	6.24	7.26
25	त्रिपुरा	333	0	0	650	-317	618252	0	0.00	0.32	0.00
26	उत्तर प्रदेश	34565	0	862363	206700	690228	13758504	690228	5.02	16.62	14.03
27	उत्तराखंड	0	0	69675	7500	62175	1443733	62175	4.31	0.85	0.62
28	पश्चिम बंगाल	195733	70	110911	83200	223514	8691508	223514	2.57	8.02	3.47
	जोड़	2974531	2352394	3712183	1265360	7626352	120876790	7653270	98.09	101.22	100.00

स्रोत मूल आंकड़े 1. वित्त लेखाएं (विभिन्न वर्ष)

2. वि.आ.-XII जारी अनुदान : वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए आंकड़े।

3. जनगणना 2001

राज्यों का तुलनीय सकल राज्य घरेलू उत्पाद (आधार 1999-2000) और जनसंख्या

क्र.सं. राज्य	मौजूदा कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद तुलनीय अनुमान (लाख रुपये)										1 अक्टूबर की स्थिति के अनुसार जनसंख्या (करोड)						
	प्राइमरी					शेष					ग्रामीण			नगरीय			
	2004-05	2005-06	2006-07	जोड़ (2004-07)	2004-05	2005-06	2006-07	जोड़ (2004-07)	2004-05	2005-06	2006-07	2004-05	2005-06	2006-07	2004-05	2005-06	2006-07
1 आंध्र प्रदेश	6207329	6878259	7880244	20965832	14983965	17328932	20472339	52785236	5.77	5.83	5.89	2.18	2.21	2.24	0.03	0.03	0.03
2 अरुणाचल प्रदेश	77388	89995	99524	266907	190631	209639	259434	659704	0.09	0.09	0.09	0.03	0.03	0.03	0.38	0.39	0.41
3 असम	1687466	2238057	2314751	6240274	3421317	3773717	4257828	11452862	2.43	2.46	2.48	0.93	0.95	0.96	0.47	0.48	0.50
4 बिहार	2159349	2667072	2736662	7563083	3117401	3731437	4142813	10991651	1.74	1.76	1.78	0.08	0.08	0.08	2.07	2.12	2.16
5 छत्तीसगढ़	1379078	1752415	1901521	5033014	997812	1143936	1279192	3420940	0.07	0.07	0.07	0.69	0.72	0.74	0.07	0.07	0.07
6 गोवा	150986	197019	255696	603700	14834636	17158159	20959598	52952393	3.31	3.35	3.38	0.27	0.28	0.29	0.65	0.66	0.67
7 गुजरात	3576560	4394782	4900496	12871838	4210711	4940654	4910066	14061431	2.22	2.25	2.28	1.94	1.98	2.03	0.85	0.85	0.86
8 हरियाणा	2176102	2229234	2832996	7238333	8946239	10370018	12192155	31508412	2.44	2.46	2.48	1.74	1.78	1.82	0.06	0.06	0.06
9 हिमाचल प्रदेश	596689	684252	612580	1893521	7276157	8168792	9325414	24770363	4.73	4.81	4.89	4.49	4.60	4.71	0.06	0.06	0.06
10 जम्मू और कश्मीर	715501	788036	829290	2332827	33413201	39509050	45115831	118038082	5.77	5.82	5.86	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05
11 झारखंड	1495835	1831882	1826135	5153852	372317	371872	412426	1156615	0.17	0.17	0.17	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04
12 कर्नाटक	3211104	3902034	3956227	11069365	400727	446265	515358	1362350	0.19	0.20	0.20	0.05	0.05	0.05	0.60	0.61	0.62
13 केरल	1842513	2276231	2472533	6591277	208340	235126	262377	705844	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.91	0.93	0.96
14 मध्य प्रदेश	3465515	3714554	4049168	11229237	330248	401891	452263	1184402	0.17	0.17	0.18	0.60	0.61	0.62	1.43	1.46	1.49
15 महाराष्ट्र	4776973	5440388	6520668	16738028	6061637	7359655	7805639	21226932	1.65	1.66	1.67	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05
16 मणिपुर	137011	129923	132640	399574	8239482	9684634	11378741	29302856	4.64	4.72	4.80	0.01	0.01	0.01	3.08	3.17	3.26
17 मेघालय	205484	202514	240845	648843	129717	153876	166340	449933	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
18 मिजोरम	48921	52631	53854	155406	17632523	19873907	23869347	61375777	3.36	3.32	3.28	0.28	0.28	0.28	3.78	3.88	3.97
19 नागालैंड	128443	141057	136152	405652	658465	725030	785632	2169127	0.28	0.28	0.28	0.24	0.25	0.25	2.36	2.39	2.42
20 उड़ीसा	2377511	2629014	3064482	8071008	16992609	19633056	22201762	58827426	14.06	14.31	14.56	2.36	2.39	2.42	29.49	30.15	30.81
21 पंजाब	3245570	3532300	4049567	10827437	68448772	75730872	203770660	189391652	77.57	78.51	79.42	29.49	30.15	30.81	29.49	30.15	30.81
22 राजस्थान	3232768	3728998	4189072	11150838	8239482	9684634	11378741	29302856	4.64	4.72	4.80	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05
23 सिक्किम	30644	34549	36818	102011	129717	153876	166340	449933	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
24 तमिलनाडु	2724687	3238325	3935322	9898335	17632523	19873907	23869347	61375777	3.36	3.32	3.28	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
25 त्रिपुरा	235485	230222	243392	709099	658465	725030	785632	2169127	0.28	0.28	0.28	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
26 उत्तर प्रदेश	7702646	8987879	9426473	26116998	16992609	19633056	22201762	58827426	14.06	14.31	14.56	0.24	0.25	0.25	2.36	2.39	2.42
27 उत्तराखंड	594102	578334	634109	1806545	1684047	1914667	2353452	5952165	0.66	0.67	0.68	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
28 पश्चिम बंगाल	5409356	5878816	6399653	17687825	14009471	17791585	20368977	52170033	6.03	6.09	6.15	2.36	2.39	2.42	29.49	30.15	30.81
जोड़ 28 राज्यों का	59591016	68448772	75730872	203770660	189391652	223532078	257213732	670137463	77.57	78.51	79.42	29.49	30.15	30.81	29.49	30.15	30.81

स्रोत : जनसंख्या अनुमान - जनसंख्या अनुमान संबंधी तकनीकी ग्रुप, राष्ट्रीय जनसंख्या की रिपोर्ट तुलनीय, जीएडीपी-सीएसओ।

क्षेत्रफल

क्र. सं. राज्य	क्षेत्रफल (000) वर्ग कि.मी.		क्षेत्रफल परस्पर हिस्सा (%)		कुल क्षेत्रफल में आपसी हिस्सा (प्रतिशत)
	ग्रामीण	नगरीय	ग्रामीण	नगरीय	
1 आंध्र प्रदेश	270.30	4.75	8.45	6.18	8.40
2 अरुणाचल प्रदेश	83.74	0.00	2.62	0.00	2.56
3 असम	77.48	0.96	2.42	1.25	2.39
4 बिहार	92.36	1.80	2.89	2.34	2.87
5 छत्तीसगढ़	133.33	1.87	4.17	2.43	4.13
6 गोवा	3.19	0.51	0.10	0.66	0.11
7 गुजरात	190.80	5.23	5.96	6.80	5.98
8 हरियाणा	42.93	1.28	1.34	1.66	1.35
9 हिमाचल प्रदेश	55.43	0.24	1.73	0.31	1.70
10 जम्मू और कश्मीर	221.29	0.95	6.92	1.24	6.78
11 झारखंड	77.92	1.79	2.44	2.33	2.43
12 कर्नाटक	186.62	5.17	5.83	6.72	5.85
13 केरल	35.61	3.25	1.11	4.23	1.19
14 मध्य प्रदेश	301.28	6.96	9.42	9.05	9.41
15 महाराष्ट्र	300.36	7.36	9.39	9.57	9.39
16 मणिपुर	22.18	0.14	0.69	0.18	0.68
17 मेघालय	22.20	0.23	0.69	0.30	0.68
18 मिजोरम	20.49	0.59	0.64	0.77	0.64
19 नागालैंड	16.43	0.15	0.51	0.20	0.51
20 उड़ीसा	152.91	2.79	4.78	3.63	4.75
21 पंजाब	48.28	2.08	1.51	2.71	1.54
22 राजस्थान	336.81	5.43	10.53	7.06	10.45
23 सिक्किम	7.10	0.00	0.22	0.00	0.22
24 तमिलनाडु	117.53	12.53	3.67	16.30	3.97
25 त्रिपुरा	10.35	0.14	0.32	0.18	0.32
26 उत्तर प्रदेश	234.37	6.56	7.33	8.53	7.35
27 उत्तराखंड	52.69	0.80	1.65	1.04	1.63
28 पश्चिम बंगाल	85.43	3.32	2.67	4.32	2.71
सभी राज्यों का जोड़	3199.41	76.88	100.00	100.00	100.00

स्रोत : मूल आंकड़े - जनगणना 2001

अनुबंध 10.9ख
(पैरा 10.154)

अनु.जाति/अनु. जनजाति जनसंख्या

(करोड़)

क्र. सं.	राज्य	अनु. जा.	अनु.जा. ग्रामीण	अनु.जन जाति	अनु. जनजाति ग्रामीण	प्रतिशत ग्रामीण अनु.जा. + अनु.जन जाति
1	आंध्र प्रदेश	1.23	1.02	0.50	0.46	7.08%
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.07	0.06	0.29%
3	असम	0.18	0.16	0.33	0.32	2.24%
4	बिहार	1.30	1.22	0.08	0.07	6.15%
5	छत्तीसगढ़	0.24	0.19	0.66	0.63	3.89%
6	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01%
7	गुजरात	0.36	0.22	0.75	0.69	4.31%
8	हरियाणा	0.41	0.32	0.00	0.00	1.53%
9	हिमाचल प्रदेश	0.15	0.14	0.02	0.02	0.78%
10	जम्मू और कश्मीर	0.08	0.06	0.11	0.11	0.81%
11	झारखंड	0.32	0.26	0.71	0.65	4.33%
12	कर्नाटक	0.86	0.64	0.35	0.29	4.46%
13	केरल	0.31	0.26	0.04	0.04	1.38%
14	मध्य प्रदेश	0.92	0.69	1.22	1.14	8.75%
15	महाराष्ट्र	0.99	0.61	0.86	0.75	6.47%
16	मणिपुर	0.01	0.00	0.07	0.07	0.35%
17	मेघालय	0.00	0.00	0.20	0.17	0.81%
18	मिजोरम	0.00	0.00	0.08	0.04	0.21%
19	नागालैंड	0.00	0.00	0.18	0.15	0.74%
20	उड़ीसा	0.61	0.54	0.81	0.77	6.23%
21	पंजाब	0.70	0.53	0.00	0.00	2.53%
22	राजस्थान	0.97	0.77	0.71	0.67	6.89%
23	सिक्किम	0.00	0.00	0.01	0.01	0.06%
24	तमिलनाडु	1.19	0.83	0.07	0.06	4.22%
25	त्रिपुरा	0.06	0.05	0.10	0.10	0.68%
26	उत्तर प्रदेश	3.51	3.08	0.01	0.01	14.73%
27	उत्तराखंड	0.15	0.13	0.03	0.02	0.71%
28	पश्चिम बंगाल	1.85	1.55	0.44	0.41	9.37%
	जोड़ 28 राज्य	16.40	13.27	8.41	7.71	100.00%

स्रोत : मूल आंकड़े - जनगणना 2001

ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या

क्र.सं.	राज्य	जनसंख्या (करोड़)			2001 ग्रामीण	2001 नगरीय	2001 कुल
		ग्रामीण 2001	नगरीय 2001	कुल जनसंख्या 2001	% हिस्सा	% हिस्सा	% हिस्सा
1	आंध्र प्रदेश	5.54	2.08	7.62	7.48	7.66	7.53
2	अरुणाचल प्रदेश	0.09	0.02	0.11	0.12	0.08	0.11
3	असम	2.32	0.34	2.67	3.13	1.27	2.63
4	बिहार	7.43	0.87	8.30	10.03	3.20	8.20
5	छत्तीसगढ़	1.66	0.42	2.08	2.25	1.54	2.06
6	गोवा	0.07	0.07	0.13	0.09	0.25	0.13
7	गुजरात	3.17	1.89	5.07	4.29	6.97	5.01
8	हरियाणा	1.50	0.61	2.11	2.03	2.25	2.09
9	हिमाचल प्रदेश	0.55	0.06	0.61	0.74	0.22	0.60
10	जम्मू और कश्मीर	0.76	0.25	1.01	1.03	0.93	1.00
11	झारखंड	2.10	0.60	2.69	2.83	2.21	2.66
12	कर्नाटक	3.49	1.80	5.29	4.71	6.62	5.22
13	केरल	2.36	0.83	3.18	3.18	3.04	3.15
14	मध्य प्रदेश	4.44	1.60	6.03	5.99	5.88	5.96
15	महाराष्ट्र	5.58	4.11	9.69	7.53	15.14	9.57
16	मणिपुर	0.17	0.06	0.23	0.23	0.21	0.23
17	मेघालय	0.19	0.05	0.23	0.25	0.17	0.23
18	मिजोरम	0.04	0.04	0.09	0.06	0.16	0.09
19	नागालैंड	0.16	0.03	0.20	0.22	0.13	0.20
20	उड़ीसा	3.13	0.55	3.68	4.22	2.03	3.64
21	पंजाब	1.61	0.83	2.44	2.17	3.04	2.41
22	राजस्थान	4.33	1.32	5.65	5.84	4.87	5.58
23	सिक्किम	0.05	0.01	0.05	0.06	0.02	0.05
24	तमिलनाडु	3.49	2.75	6.24	4.71	10.12	6.17
25	त्रिपुरा	0.27	0.05	0.32	0.36	0.20	0.32
26	उत्तर प्रदेश	13.17	3.45	16.62	17.77	12.72	16.42
27	उत्तराखंड	0.63	0.22	0.85	0.85	0.80	0.84
28	पश्चिम बंगाल	5.77	2.24	8.02	7.80	8.26	7.92
	सभी राज्यों का योग	74.07	27.15	101.22	100	100	100.00
	कुल नगरीय ग्रामीण प्रतिशतता	73.18	26.82				

स्रोत : मूल आंकड़े - जनगणना 2001

अनुबंध 10.10क
(पैरा 10.154)

आय अंतर : प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्राइमरी सेक्टर)

(रुपए)

क्र.सं.	राज्य	2004-05	2005-06	2006-07	जोड़	औसत (जोड़/3)	पंजाब पीसीजीएसडीपी से अंतर	पंजाब पीसीजीएसडीपी से अंतर + 0.25 एसडी	ग्रामीण जनसंख्या करोड़ (2001)	उत्पाद	हिस्सा (%)
1	आंध्र प्रदेश	10762.23	11803.51	13389.25	35954.99	11985.00	9771.84	11012.89	5.54	61012.57	5.76
2	अरुणाचल प्रदेश	8905.36	10392.03	11519.02	30816.41	10272.14	11484.70	12725.75	0.09	1107.25	0.10
3	असम	6947.74	9109.27	9316.39	25373.40	8457.80	13299.04	14540.08	2.32	33756.68	3.18
4	बिहार	2720.65	3304.68	3336.74	9362.06	3120.69	18636.15	19877.20	7.43	147720.78	13.94
5	छत्तीसगढ़	7908.01	9932.07	10656.36	28496.44	9498.81	12258.02	13499.07	1.66	22473.33	2.12
6	गोवा	22434.77	28930.76	37219.17	88584.71	29528.24	0.00	1241.05	0.07	84.03	0.01
7	गुजरात	10795.21	13122.67	14483.51	38401.39	12800.46	8956.37	10197.42	3.17	32367.40	3.05
8	हरियाणा	13802.50	13968.51	17549.38	45320.39	15106.80	6650.04	7891.09	1.50	11859.72	1.12
9	हिमाचल प्रदेश	10460.89	11877.32	10530.85	32869.06	10956.35	10800.48	12041.53	0.55	6601.55	0.62
10	जम्मू और कश्मीर	8963.93	9754.13	10145.46	28863.52	9621.17	12135.66	13376.71	0.76	10202.50	0.96
11	झारखंड	6743.46	8141.34	8002.70	22887.50	7629.17	14127.67	15368.72	2.10	32200.67	3.04
12	कर्नाटक	8945.58	10794.31	10871.44	30611.33	10203.78	11553.06	12794.11	3.49	44637.41	4.21
13	केरल	7554.38	9248.84	9959.05	26762.26	8920.75	12836.08	14077.13	2.36	33186.06	3.13
14	मध्य प्रदेश	7324.35	7721.76	8282.88	23328.99	7776.33	13980.51	15221.55	4.44	67554.59	6.37
15	महाराष्ट्र	8285.30	9355.14	11121.35	28761.79	9587.26	12169.57	13410.62	5.58	74801.29	7.06
16	मणिपुर	8189.54	7665.05	7716.11	23570.70	7856.90	13899.94	15140.98	0.17	2601.11	0.25
17	मेघालय	10575.60	10311.29	12127.16	33014.05	11004.68	10752.15	11993.20	0.19	2236.39	0.21
18	मिजोरम	10704.81	11466.55	11682.00	33853.36	11284.45	10472.38	11713.43	0.04	524.25	0.05
19	नागालैंड	7450.28	8083.49	7705.26	23239.03	7746.34	14010.49	15251.54	0.16	2512.31	0.24
20	उड़ीसा	7350.02	8060.75	9321.05	24731.82	8243.94	13512.89	14753.94	3.13	46161.28	4.36
21	पंजाब	19685.63	21298.16	24286.72	65270.51	21756.84	0.00	1241.05	1.61	1997.65	0.19
22	राजस्थान	6971.68	7897.91	8718.52	23588.11	7862.70	13894.13	15135.18	4.33	65524.46	6.18
23	सिक्किम	6141.08	6855.04	7247.64	20243.76	6747.92	15008.92	16249.96	0.05	781.59	0.07
24	तमिलनाडु	8097.38	9741.67	11990.26	29829.30	9943.10	11813.73	13054.78	3.49	45589.49	4.30
25	त्रिपुरा	8547.55	8275.42	8661.64	25484.61	8494.87	13261.97	14503.02	0.27	3848.31	0.36
26	उत्तर प्रदेश	5478.61	6280.31	6473.34	18232.25	6077.42	15679.42	16920.47	13.17	222772.04	21.02
27	उत्तराखंड	8982.49	8634.43	9354.02	26970.94	8990.31	12766.52	14007.57	0.63	8839.16	0.83
28	पश्चिम बंगाल	8973.57	9651.01	10400.02	29024.60	9674.87	12081.97	13323.02	5.77	76939.02	7.26
	जोड़								74.07	1059892.89	100.00

स्रोत : मूल आंकड़े : सीएसओ तुलनीय जीएसडीपी, जनगणना 2001

अनुबंध 10.10ख
(पैरा 10.154)

आय अंतर : प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (ग्राइमरी सेक्टर को छोड़कर)

(रुपए)

क्र. सं.	राज्य	2004-05	2005-06	2006-07	जोड़	औसत (जोड़/3)	गोवा पीसीजीएसडीपी से अंतर	गोवा पीसीजीएसडीपी से अंतर + 0.25 एसडी	शहरी जनसंख्या करोड़ (2001)	उत्पाद	हिस्सा (%)
1	आंध्र प्रदेश	68655.05	78425.65	91541.49	238622.20	79540.73	63912.41	77564.34	2.08	161403.17	7.12
2	अरुणाचल प्रदेश	68082.65	70585.49	82622.30	221290.44	73763.48	69689.66	83341.59	0.02	1899.20	0.08
3	असम	89422.82	95852.60	105131.55	290406.97	96802.32	46650.82	60302.75	0.34	20739.56	0.92
4	बिहार	48186.25	60687.06	64395.05	173268.35	57756.12	85697.03	99348.96	0.87	86252.78	3.81
5	छत्तीसगढ़	66725.19	77560.53	83642.50	227928.22	75976.07	67477.07	81129.00	0.42	33958.55	1.50
6	गोवा	131985.75	144254.21	154119.47	430359.43	143453.14	0.00	13651.93	0.07	915.47	0.04
7	गुजरात	71779.34	81118.38	96855.81	249753.53	83251.18	60201.97	73853.90	1.89	139807.27	6.17
8	हरियाणा	86070.21	113757.45	122321.79	322149.45	107383.15	36069.99	49721.92	0.61	30406.47	1.34
9	हिमाचल प्रदेश	267785.25	314421.61	355493.68	937700.55	312566.85	0.00	13651.93	0.06	813.08	0.04
10	जम्मू और कश्मीर	61728.79	71011.32	77974.02	210714.14	70238.05	73215.10	86867.03	0.25	21861.29	0.96
11	झारखंड	64960.05	74688.65	72763.28	212411.98	70803.99	72649.15	86301.08	0.60	51726.63	2.28
12	कर्नाटक	65403.84	75421.92	86252.99	227078.75	75692.92	67760.23	81412.16	1.80	146228.68	6.45
13	केरल	105435.94	121386.14	141785.73	368607.81	122869.27	20583.87	34235.80	0.83	28302.48	1.25
14	मध्य प्रदेश	41804.98	45879.20	51218.84	138903.02	46301.01	97152.14	110804.07	1.60	176922.46	7.81
15	महाराष्ट्र	74400.36	85878.04	95771.06	256049.46	85349.82	58103.32	71755.25	4.11	294921.13	13.02
16	मणिपुर	62574.29	61875.60	68057.08	192506.97	64168.99	79284.15	92936.08	0.06	5352.82	0.24
17	मेघालय	82794.85	90520.31	102661.02	275976.17	91992.06	51461.09	65113.02	0.05	2956.85	0.13
18	मिजोरम	44046.59	48680.43	53328.71	146055.73	48685.24	94767.90	108419.83	0.04	4781.38	0.21
19	नागालैंड	91990.97	110409.49	122897.67	325298.13	108432.71	35020.43	48672.36	0.03	1668.43	0.07
20	उड़ीसा	78408.73	92506.39	101351.64	272266.76	90755.59	52697.56	66349.49	0.55	36606.59	1.62
21	पंजाब	66618.72	78797.17	81452.98	226868.87	75622.96	67830.19	81482.12	0.83	67324.69	2.97
22	राजस्थान	57618.76	66319.48	76352.01	200290.25	66763.42	76689.73	90341.66	1.32	119380.85	5.27
23	सिक्किम	193607.60	223008.73	231028.12	647644.45	215881.48	0.00	13651.93	0.01	81.73	0.00
24	तमिलनाडु	57309.85	62711.52	73187.42	193208.80	64402.93	79050.21	92702.14	2.75	254782.55	11.25
25	त्रिपुरा	110852.73	119248.34	126307.32	356408.39	118802.80	24650.35	38302.28	0.05	2090.35	0.09
26	उत्तर प्रदेश	44940.91	50658.11	55909.75	151508.77	50502.92	92950.22	106602.15	3.45	368199.37	16.25
27	उत्तराखंड	70197.86	77768.75	93169.10	241135.71	80378.57	63074.57	76726.50	0.22	16719.27	0.74
28	पश्चिम बंगाल	59309.39	74354.67	84054.71	217718.76	72572.92	70880.22	84532.15	2.24	189582.38	8.37
	जोड़								27.15	2265685.48	100.00

स्रोत : मूल आंकड़े : सीएसओ तुलनीय जीएसडीपी, जनगणना 2001

वित्त आयोग स्थानीय निकाय अनुदान उपयोग सूचकांक
पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान (6 नवम्बर, 2009 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	वार्षिक आवंटन	कुल आवंटन	जारी राशि				लाख रुपए कुल जारी राशि	कुल जारी किलो	प्रतिशत हिस्सा
			2005-06	2006-07	2007-08	2008-09			
आंध्र प्रदेश	31740	158700	31740	15870	31740	31740	142830	9.0	4.49
अरुणाचल प्रदेश	1360	6800	0	680	0	0	2040	3.0	1.50
असम	10520	52600	0	0	10520	0	31560	6.0	2.99
बिहार	32480	162400	32480	32480	48720	32480	146160	9.0	4.49
छत्तीसगढ़	12300	61500	12300	12300	12300	12300	55350	9.0	4.49
गोवा	360	1800	0	0	77	360	617	3.4	1.71
गुजरात	18620	93100	7760	18620	18620	27930	83790	9.0	4.49
हरियाणा	7760	38800	7760	7760	7760	7760	34920	9.0	4.49
हिमाचल प्रदेश	2940	14700	2940	2940	2940	2940	11760	8.0	3.99
जम्मू और कश्मीर	5620	28100	1762	3524	0	0	5286	1.9	0.94
झारखंड	9640	48200	0	0	0	0	0	0.0	0.00
कर्नाटक	17760	88800	8880	26640	8880	26640	71040	8.0	3.99
केरल	19700	98500	19700	19700	19700	9850	68950	7.0	3.49
मध्य प्रदेश	33260	166300	33260	33260	33260	16630	149670	9.0	4.49
महाराष्ट्र	39660	198300	39660	39660	39660	59490	178470	9.0	4.49
मणिपुर	920	4600	212	423	212	423	1904	4.1	2.07
मेघालय	1000	5000	0	1500	0	2500	4000	8.0	3.99
मिजोरम	400	2000	200	600	0	800	1600	8.0	3.99
नागालैंड	800	4000	400	800	400	1600	3600	9.0	4.49
उड़ीसा	16060	80300	16060	16060	16060	16060	72270	9.0	4.49
पंजाब	6480	32400	3240	6480	3240	6480	22680	7.0	3.49
राजस्थान	24600	123000	24600	24600	12300	36900	110700	9.0	4.49
सिक्किम	260	1300	130	0	0	910	1170	9.0	4.49
तमिलनाडु	17400	87000	17400	17400	8700	26100	78300	9.0	4.49
त्रिपुरा	1140	5700	0	570	0	1140	3420	6.0	2.99
उत्तर प्रदेश	58560	292800	58560	29280	87840	58560	263520	9.0	4.49
उत्तराखंड	3240	16200	1620	3240	1620	0	6480	4.0	2.00
पश्चिम बंगाल	25420	127100	12710	25420	25420	38130	114390	9.0	4.49
जोड़	400000	2000000	304294	339807	389969	417723	1666477	200.4	100.00

स्रोत : मूल आंकड़े : वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

अनुबंध 10.11ख
(पैरा 10.157)

वित्त आयोग स्थानीय निकाय अनुदान उपयोग सूचकांक
शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान (6 नवम्बर, 2009 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	वार्षिक आवंटन	कुल आवंटन	जारी राशि				लाख रुपए		प्रतिशत हिस्सा	
			2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	जारी की संख्या		
आंध्र प्रदेश	7480	37400	3740	7480	3740	14960	3740	33660	9.0	4.68
अरुणाचल प्रदेश	60	300	0	0	60	0	30	90	3.0	1.56
असम	1100	5500	550	0	1100	0	1650	3300	6.0	3.12
बिहार	2840	14200	1420	2840	2840	1420	4260	12780	9.0	4.68
छत्तीसगढ़	1760	8800	745	1015	880	880	3520	7040	8.0	4.16
गोवा	240	1200	0	240	0	480	0	720	6.0	3.12
गुजरात	8280	41400	8280	4140	8280	12420	4140	37260	9.0	4.68
हरियाणा	1820	9100	1820	1820	1820	910	1820	8190	9.0	4.68
हिमाचल प्रदेश	160	800	160	160	160	160	0	640	8.0	4.16
जम्मू और कश्मीर	760	3800	380	760	0	0	0	1140	3.0	1.56
झारखंड	1960	9800	0	0	0	1444	0	1444	1.5	0.77
कर्नाटक	6460	32300	3230	9690	3230	9690	0	25840	8.0	4.16
केरल	2980	14900	2980	2980	2980	1490	0	10430	7.0	3.64
मध्य प्रदेश	7220	36100	7220	7220	3610	10830	0	28880	8.0	4.16
महाराष्ट्र	15820	79100	0	23730	7910	7910	15820	55370	7.0	3.64
मणिपुर	180	900	90	180	90	90	180	630	7.0	3.64
मेघालय	160	800	0	240	0	400	0	640	8.0	4.16
मिजोरम	200	1000	100	300	0	400	0	800	8.0	4.16
नागालैंड	120	600	60	120	60	240	60	540	9.0	4.68
उड़ीसा	2080	10400	2080	1040	0	5200	0	8320	8.0	4.16
पंजाब	3420	17100	1710	3420	3420	5130	1710	15390	9.0	4.68
राजस्थान	4400	22000	4400	2200	2200	8800	2200	19800	9.0	4.68
सिक्किम	20	100	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
तमिलनाडु	11440	57200	11440	11440	5720	17160	5720	51480	9.0	4.68
त्रिपुरा	160	800	0	80	0	0	240	320	4.0	2.08
उत्तर प्रदेश	10340	51700	5170	10340	15510	10340	0	41360	8.0	4.16
उत्तराखंड	680	3400	340	680	0	0	0	1020	3.0	1.56
पश्चिम बंगाल	7860	39300	3930	7860	7860	11790	3930	35370	9.0	4.68
जोड़	100000	500000	59845	99975	71470	122144	49020	402454	192.5	100.0

स्रोत : मूल आंकड़े : वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

अनुबंध 10.12
(पैरा 10.159)

पंचायती राज संस्थाओं को राज्य-वार आवंटन

क्र.सं.	राज्य	ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात (2001)	ग्रामीण क्षेत्रफल का अनुपात (2001)	उच्चतम पीसी जीएसडीपी से अंतर (प्राइमरी)	ग्रामीण प्रतिशतता एससी+एसटी जनसंख्या	वि.आ. उपयोग सूचकांक	हस्तांतरण का सूचकांक	राज्य का हिस्सा
	भार (प्रतिशत)	0.5	0.1	0.1	0.1	0.05	0.15	1
1	आंध्र प्रदेश	7.48	8.45	5.76	7.08	4.49	14.64	8.29
2	अरुणाचल प्रदेश	0.12	2.62	0.10	0.29	1.50	0.00	0.43
3	असम	3.13	2.42	3.18	2.24	2.99	0.00	2.50
4	बिहार	10.03	2.89	13.94	6.15	4.49	2.13	7.86
5	छत्तीसगढ़	2.25	4.17	2.12	3.89	4.49	1.89	2.65
6	गोवा	0.09	0.10	0.01	0.01	1.71	0.00	0.14
7	गुजरात	4.29	5.96	3.05	4.31	4.49	0.00	3.70
8	हरियाणा	2.03	1.34	1.12	1.53	4.49	0.57	1.72
9	हिमाचल प्रदेश	0.74	1.73	0.62	0.78	3.99	0.00	0.88
10	जम्मू और कश्मीर	1.03	6.92	0.96	0.81	0.94	0.17	1.46
11	झारखंड	2.83	2.44	3.04	4.33	0.00	0.07	2.41
12	कर्नाटक	4.71	5.83	4.21	4.46	3.99	20.93	7.14
13	केरल	3.18	1.11	3.13	1.38	3.49	5.10	3.09
14	मध्य प्रदेश	5.99	9.42	6.37	8.75	4.49	5.67	6.52
15	महाराष्ट्र	7.53	9.39	7.06	6.47	4.49	16.26	8.72
16	मणिपुर	0.23	0.69	0.25	0.35	2.07	0.00	0.35
17	मेघालय	0.25	0.69	0.21	0.81	3.99	0.00	0.50
18	मिजोरम	0.06	0.64	0.05	0.21	3.99	0.00	0.32
19	नागालैंड	0.22	0.51	0.24	0.74	4.49	0.00	0.48
20	उड़ीसा	4.22	4.78	4.36	6.23	4.49	1.58	4.11
21	पंजाब	2.17	1.51	0.19	2.53	3.49	0.67	1.78
22	राजस्थान	5.84	10.53	6.18	6.89	4.49	4.93	6.25
23	सिक्किम	0.06	0.22	0.07	0.06	4.49	0.00	0.29
24	तमिलनाडु	4.71	3.67	4.30	4.22	4.49	7.26	4.89
25	त्रिपुरा	0.36	0.32	0.36	0.68	2.99	0.00	0.47
26	उत्तर प्रदेश	17.77	7.33	21.02	14.73	4.49	14.03	15.52
27	उत्तराखंड	0.85	1.65	0.83	0.71	2.00	0.62	0.94
28	पश्चिम बंगाल	7.80	2.67	7.26	9.37	4.49	3.47	6.57
	जोड़	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100

स्रोत : अनुबंध 10.7, 10.9क, 10.9ख, 10.9ग, 10.10क, 10.11क

शहरी स्थानीय निकायों को राज्य-वार (आवंटन)

क्र.सं.	राज्य	नगरीय जनसंख्या का अनुपात	नगरीय क्षेत्र का अनुपात (2001)	अधिकतम पीसी जीएसडीपी से अंतर	वि.आ. उपयोग सूचकांक	हस्तांतरण का सूचकांक	राज्य का हिस्सा
	भार (प्रतिशत)	0.5	0.1	0.2	0.05	0.15	1
1	आंध्र प्रदेश	7.66	6.18	7.12	4.68	14.64	8.30
2	अरुणाचल प्रदेश	0.08	0.00	0.08	1.56	0.00	0.14
3	असम	1.27	1.25	0.92	3.12	0.00	1.10
4	बिहार	3.20	2.34	3.81	4.68	2.13	3.15
5	छत्तीसगढ़	1.54	2.43	1.50	4.16	1.89	1.81
6	गोवा	0.25	0.66	0.04	3.12	0.00	0.35
7	गुजरात	6.97	6.80	6.17	4.68	0.00	5.63
8	हरियाणा	2.25	1.66	1.34	4.68	0.57	1.88
9	हिमाचल प्रदेश	0.22	0.31	0.04	4.16	0.00	0.36
10	जम्मू और कश्मीर	0.93	1.24	0.96	1.56	0.17	0.88
11	झारखंड	2.21	2.33	2.28	0.77	0.07	1.84
12	कर्नाटक	6.62	6.72	6.45	4.16	20.93	8.62
13	केरल	3.04	4.23	1.25	3.64	5.10	3.14
14	मध्य प्रदेश	5.88	9.05	7.81	4.16	5.67	6.47
15	महाराष्ट्र	15.14	9.57	13.02	3.64	16.26	13.75
16	मणिपुर	0.21	0.18	0.24	3.64	0.00	0.35
17	मेघालय	0.17	0.30	0.13	4.16	0.00	0.35
18	मिजोरम	0.16	0.77	0.21	4.16	0.00	0.41
19	नागालैंड	0.13	0.20	0.07	4.68	0.00	0.33
20	उड़ीसा	2.03	3.63	1.62	4.16	1.58	2.15
21	पंजाब	3.04	2.71	2.97	4.68	0.67	2.72
22	राजस्थान	4.87	7.06	5.27	4.68	4.93	5.17
23	सिक्किम	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
24	तमिलनाडु	10.12	16.30	11.25	4.68	7.26	10.26
25	त्रिपुरा	0.20	0.18	0.09	2.08	0.00	0.24
26	उत्तर प्रदेश	12.72	8.53	16.25	4.16	14.03	12.78
27	उत्तराखंड	0.80	1.04	0.74	1.56	0.62	0.82
28	पश्चिम बंगाल	8.26	4.32	8.37	4.68	3.47	6.99
	जोड़	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

स्रोत : अनुबंध 10.7, 10.9क, 10.9ख, 10.10ख, 10.11ख

अनुबंध 10.14
(पैरा 10.159)

राज्य-वार संयुक्त प्रतिशतता हिस्सा

क्र.सं.	राज्य	पंचा. रा. सं. (%)	पंचा.रा.सं. (संयुक्त प्रतिशतता)	शहरी स्था. निकाय (%)	शहरी स्था. निकाय (संयुक्त प्रतिशतता)	राज्य हिस्सा (संयुक्त प्रतिशतता)
1	आंध्र प्रदेश	8.29	6.07	8.30	2.23	8.29
2	अरुणाचल प्रदेश	0.43	0.32	0.14	0.04	0.35
3	असम	2.50	1.83	1.10	0.29	2.13
4	बिहार	7.86	5.75	3.15	0.84	6.59
5	छत्तीसगढ़	2.65	1.94	1.81	0.48	2.42
6	गोवा	0.14	0.10	0.35	0.10	0.20
7	गुजरात	3.70	2.71	5.63	1.51	4.22
8	हरियाणा	1.72	1.26	1.88	0.50	1.77
9	हिमाचल प्रदेश	0.88	0.65	0.36	0.10	0.74
10	जम्मू और कश्मीर	1.46	1.07	0.88	0.24	1.30
11	झारखंड	2.41	1.76	1.84	0.49	2.25
12	कर्नाटक	7.14	5.23	8.62	2.31	7.54
13	केरल	3.09	2.26	3.14	0.84	3.11
14	मध्य प्रदेश	6.52	4.77	6.47	1.73	6.51
15	महाराष्ट्र	8.72	6.38	13.75	3.69	10.07
16	मणिपुर	0.35	0.25	0.35	0.09	0.35
17	मेघालय	0.50	0.36	0.35	0.09	0.46
18	मिजोरम	0.32	0.23	0.41	0.11	0.34
19	नागालैंड	0.48	0.35	0.33	0.09	0.44
20	उड़ीसा	4.11	3.01	2.15	0.58	3.58
21	पंजाब	1.78	1.31	2.72	0.73	2.04
22	राजस्थान	6.25	4.57	5.17	1.39	5.96
23	सिक्किम	0.29	0.21	0.01	0.00	0.22
24	तमिलनाडु	4.89	3.58	10.26	2.75	6.33
25	त्रिपुरा	0.47	0.34	0.24	0.06	0.41
26	उत्तर प्रदेश	15.52	11.36	12.78	3.43	14.79
27	उत्तराखंड	0.94	0.69	0.82	0.22	0.91
28	पश्चिम बंगाल	6.57	4.81	6.99	1.87	6.68
	जोड़	100	73.18	100.00	26.82	100.00

स्रोत : अनुबंध 10.12, 10.13

टिप्पणी : संयुक्त प्रतिशतताएं 2001 जनगणना से ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के हिस्से के लिए प्राप्त की गयी हैं।

अनुबंध 10.15क
(पैरा 10.159)

राज्यवार संयुक्त हिस्सा-सामान्य मूल अनुदान

क्र.सं.	राज्य	पंचा. सं.	प्रतिशतता शहरी स्थानीय नि.	कुल	(करोड़ रुपए)					कुल
					2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	
1	आंध्र प्रदेश	6.066	2.227	8.293	665.3	771.5	901.7	1068.4	1265.0	4671.9
2	अरुणाचल प्रदेश	0.318	0.037	0.355	28.5	33.0	38.6	45.7	54.1	199.9
3	असम	1.831	0.294	2.125	170.5	197.7	231.1	273.8	324.1	1197.2
4	बिहार	5.750	0.844	6.595	529.0	613.5	717.1	849.6	1005.9	3715.2
5	छत्तीसगढ़	1.939	0.484	2.423	194.4	225.4	263.5	312.2	369.6	1365.2
6	गोवा	0.105	0.095	0.200	16.0	18.6	21.7	25.7	30.4	112.4
7	गुजरात	2.708	1.511	4.219	338.4	392.5	458.7	543.5	643.5	2376.7
8	हरियाणा	1.261	0.504	1.766	141.6	164.3	192.0	227.5	269.3	994.7
9	हिमाचल प्रदेश	0.646	0.095	0.742	59.5	69.0	80.7	95.6	113.2	417.9
10	जम्मू और कश्मीर	1.066	0.237	1.303	104.5	121.2	141.7	167.9	198.7	734.0
11	झारखंड	1.760	0.494	2.254	180.9	209.7	245.1	290.4	343.9	1270.0
12	कर्नाटक	5.228	2.312	7.540	604.9	701.5	819.9	971.4	1150.1	4247.7
13	केरल	2.263	0.843	3.106	249.2	289.0	337.7	400.1	473.8	1749.7
14	मध्य प्रदेश	4.775	1.734	6.509	522.2	605.5	707.7	838.5	992.8	3666.8
15	महाराष्ट्र	6.382	3.688	10.070	807.9	936.9	1095.0	1297.3	1536.1	5673.1
16	मणिपुर	0.254	0.095	0.349	28.0	32.5	38.0	45.0	53.3	196.7
17	मेघालय	0.363	0.093	0.456	36.6	42.5	49.6	58.8	69.6	257.2
18	मिजोरम	0.234	0.109	0.343	27.5	31.9	37.3	44.2	52.3	193.3
19	नागालैंड	0.354	0.089	0.443	35.6	41.2	48.2	57.1	67.6	249.7
20	उड़ीसा	3.007	0.576	3.583	287.5	333.4	389.6	461.6	546.6	2018.6
21	पंजाब	1.306	0.730	2.035	163.3	189.4	221.3	262.2	310.5	1146.7
22	राजस्थान	4.571	1.386	5.957	477.9	554.2	647.8	767.5	908.7	3356.1
23	सिक्किम	0.214	0.003	0.217	17.4	20.2	23.6	28.0	33.1	122.4
24	तमिलनाडु	3.579	2.753	6.332	508.0	589.1	688.5	815.8	965.9	3567.3
25	त्रिपुरा	0.340	0.065	0.405	32.5	37.7	44.1	52.2	61.8	228.2
26	उत्तर प्रदेश	11.360	3.427	14.787	1186.2	1375.7	1607.8	1905.0	2255.5	8330.2
27	उत्तराखंड	0.686	0.221	0.907	72.7	84.4	98.6	116.8	138.3	510.8
28	पश्चिम बंगाल	4.810	1.875	6.685	536.3	621.9	726.9	861.2	1019.7	3765.9
	जोड़	73.177	26.823	100.000	8022.3	9303.2	10873.4	12883.0	15253.5	56335.4

स्रोत : अनु. 10.14 और सारणी 10.4

राज्यवार संयुक्त हिस्सा - सामान्य निष्पादन अनुदान

क्र.सं.	राज्य	पंचा. सा.सं.	प्रतिशतता शहरी स्थानीय नि.	कुल	(करोड़ रूपए)					कुल
					2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	
1	आंध्र प्रदेश	6.066	2.227	8.293	0.0	263.8	618.8	729.9	861.0	2473.5
2	अरुणाचल प्रदेश	0.318	0.037	0.355	0.0	11.3	26.5	31.2	36.8	105.8
3	असम	1.831	0.294	2.125	0.0	67.6	158.6	187.0	220.6	633.8
4	बिहार	5.750	0.844	6.595	0.0	209.8	492.1	580.4	684.7	1967.0
5	छत्तीसगढ़	1.939	0.484	2.423	0.0	77.1	180.8	213.3	251.6	722.8
6	गोवा	0.105	0.095	0.200	0.0	6.3	14.9	17.6	20.7	59.5
7	गुजरात	2.708	1.511	4.219	0.0	134.2	314.8	371.3	438.0	1258.3
8	हरियाणा	1.261	0.504	1.766	0.0	56.2	131.7	155.4	183.3	526.6
9	हिमाचल प्रदेश	0.646	0.095	0.742	0.0	23.6	55.4	65.3	77.0	221.3
10	जम्मू और कश्मीर	1.066	0.237	1.303	0.0	41.4	97.2	114.7	135.3	388.6
11	झारखंड	1.760	0.494	2.254	0.0	71.7	168.2	198.4	234.0	672.4
12	कर्नाटक	5.228	2.312	7.540	0.0	239.8	562.6	663.6	782.8	2248.9
13	केरल	2.263	0.843	3.106	0.0	98.8	231.8	273.4	322.5	926.4
14	मध्य प्रदेश	4.775	1.734	6.509	0.0	207.0	485.7	572.9	675.7	1941.3
15	महाराष्ट्र	6.382	3.688	10.070	0.0	320.3	751.4	886.3	1045.5	3003.6
16	मणिपुर	0.254	0.095	0.349	0.0	11.1	26.1	30.7	36.3	104.2
17	मेघालय	0.363	0.093	0.456	0.0	14.5	34.1	40.2	47.4	136.1
18	मिजोरम	0.234	0.109	0.343	0.0	10.9	25.6	30.2	35.6	102.3
19	नागालैंड	0.354	0.089	0.443	0.0	14.1	33.1	39.0	46.0	132.2
20	उड़ीसा	3.007	0.576	3.583	0.0	114.0	267.4	315.4	372.0	1068.7
21	पंजाब	1.306	0.730	2.035	0.0	64.7	151.9	179.2	211.3	607.1
22	राजस्थान	4.571	1.386	5.957	0.0	189.5	444.5	524.3	618.5	1776.8
23	सिक्किम	0.214	0.003	0.217	0.0	6.9	16.2	19.1	22.6	64.8
24	तमिलनाडु	3.579	2.753	6.332	0.0	201.4	472.5	557.3	657.4	1888.6
25	त्रिपुरा	0.340	0.065	0.405	0.0	12.9	30.2	35.7	42.1	120.8
26	उत्तर प्रदेश	11.360	3.427	14.787	0.0	470.4	1103.4	1301.5	1535.1	4410.3
27	उत्तराखंड	0.686	0.221	0.907	0.0	28.8	67.7	79.8	94.1	270.4
28	पश्चिम बंगाल	4.810	1.875	6.685	0.0	212.6	498.8	588.4	694.0	1993.8
	जोड़	73.177	26.823	100.000	0.0	3180.9	7461.8	8801.6	10381.9	29826.1

स्रोत : अनुबंध 10.14 और सारणी 10.4

राज्य-वार संयुक्त हिस्सा-विशेष क्षेत्र मूल अनुदान

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	कुल
1	आंध्र प्रदेश	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	29.3
2	अरुणाचल प्रदेश	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	असम	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	36.4
4	बिहार	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	छत्तीसगढ़	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1	105.5
6	गोवा	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	गुजरात	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	72.1
8	हरियाणा	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	हिमाचल प्रदेश	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	1.4
10	जम्मू और कश्मीर	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	झारखंड	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	175.0
12	कर्नाटक	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	केरल	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	मध्य प्रदेश	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	132.6
15	महाराष्ट्र	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	39.4
16	मणिपुर	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	8.8
17	मेघालय	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	23.0
18	मिजोरम	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	8.9
19	नागालैंड	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	19.9
20	उड़ीसा	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	108.0
21	पंजाब	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	राजस्थान	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	18.2
23	सिक्किम	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	तमिलनाडु	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	त्रिपुरा	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	12.2
26	उत्तर प्रदेश	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	उत्तराखंड	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	पश्चिम बंगाल	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	7.9
	जोड़	159.7	159.7	159.7	159.7	159.7	798.3

स्रोत : अनुबंध 10.6 और सारणी 10.4

अनुबंध 10.15घ
(पैरा 10.159)

राज्यवार संयुक्त हिस्सा - विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान और कुल अनुदान

(करोड़ रुपए)

क्र सं. राज्य	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	कुल	स्थानीय निकायों को कुल अनुदान		
							पं.राज. संस्था कुल	श. स्थान. निका. कुल	विशेष क्षेत्र अनुदान
1 आंध्र प्रदेश	0.0	2.9	5.9	5.9	5.9	20.5	5226.2	1919.2	49.8
2 अरुणाचल प्रदेश	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	274.1	31.6	0.0
3 असम	0.0	3.6	7.3	7.3	7.3	25.5	1577.4	253.6	61.8
4 बिहार	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4954.5	727.6	0.0
5 छत्तीसगढ़	0.0	10.5	21.1	21.1	21.1	73.8	1670.7	417.2	179.3
6 गोवा	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.1	81.9	0.0
7 गुजरात	0.0	7.2	14.4	14.4	14.4	50.5	2332.8	1302.2	122.6
8 हरियाणा	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1086.7	434.6	0.0
9 हिमाचल प्रदेश	0.0	0.1	0.3	0.3	0.3	1.0	556.9	82.3	2.3
10 जम्मू और कश्मीर	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	918.3	204.3	0.0
11 झारखंड	0.0	17.5	35.0	35.0	35.0	122.5	1516.6	425.8	297.4
12 कर्नाटक	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4504.8	1991.9	0.0
13 केरल	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1950.2	725.9	0.0
14 मध्य प्रदेश	0.0	13.3	26.5	26.5	26.5	92.8	4113.8	1494.3	225.3
15 महाराष्ट्र	0.0	3.9	7.9	7.9	7.9	27.6	5498.6	3178.1	67.0
16 मणिपुर	0.0	0.9	1.8	1.8	1.8	6.2	219.2	81.7	15.0
17 मेघालय	0.0	2.3	4.6	4.6	4.6	16.1	313.0	80.3	39.1
18 मिजोरम	0.0	0.9	1.8	1.8	1.8	6.2	201.3	94.3	15.1
19 नागालैंड	0.0	2.0	4.0	4.0	4.0	13.9	305.4	76.5	33.8
20 उड़ीसा	0.0	10.8	21.6	21.6	21.6	75.6	2591.2	496.1	183.6
21 पंजाब	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1125.1	628.7	0.0
22 राजस्थान	0.0	1.8	3.6	3.6	3.6	12.7	3938.7	1194.3	30.9
23 सिक्किम	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	184.5	2.7	0.0
24 तमिलनाडु	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3083.9	2372.0	0.0
25 त्रिपुरा	0.0	1.2	2.4	2.4	2.4	8.5	293.4	55.7	20.7
26 उत्तर प्रदेश	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9787.7	2952.8	0.0
27 उत्तराखंड	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	591.0	190.2	0.0
28 पश्चिम बंगाल	0.0	0.8	1.6	1.6	1.6	5.5	4144.3	1615.4	13.4
जोड़	0.0	79.8	159.7	159.7	159.7	558.8	63050.5	23111.0	1357.1

स्रोत : अनुबंध 10.6 और सारणी 10.4

राज्य आपदा राहत निधि - 2010-15

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	कुल 2010-15
1	आंध्र प्रदेश	508.84	534.28	560.99	589.04	618.49	2811.64
2	अरुणाचल प्रदेश	36.74	38.58	40.51	42.54	44.67	203.04
3	असम	263.77	276.96	290.81	305.35	320.62	1457.51
4	बिहार	334.49	351.21	368.77	387.21	406.57	1848.25
5	छत्तीसगढ़	151.32	158.89	166.83	175.17	183.93	836.14
6	गोवा	2.96	3.11	3.27	3.43	3.60	16.37
7	गुजरात	502.12	527.23	553.59	581.27	610.33	2774.54
8	हरियाणा	192.90	202.55	212.68	223.31	234.48	1065.92
9	हिमाचल प्रदेश	130.76	137.30	144.17	151.38	158.95	722.56
10	जम्मू और कश्मीर	172.46	181.08	190.13	199.64	209.62	952.93
11	झारखंड	259.45	272.42	286.04	300.34	315.36	1433.61
12	कर्नाटक	160.96	169.01	177.46	186.33	195.65	889.41
13	केरल	131.08	137.63	144.51	151.74	159.33	724.29
14	मध्य प्रदेश	392.75	412.39	433.01	454.66	477.39	2170.20
15	महाराष्ट्र	442.69	464.82	488.06	512.46	538.08	2446.11
16	मणिपुर	7.22	7.58	7.96	8.36	8.78	39.90
17	मेघालय	14.65	15.38	16.15	16.96	17.81	80.95
18	मिजोरम	8.55	8.98	9.43	9.90	10.40	47.26
19	नागालैंड	4.97	5.22	5.48	5.75	6.04	27.46
20	उड़ीसा	391.58	411.16	431.72	453.31	475.98	2163.75
21	पंजाब	222.92	234.07	245.77	258.06	270.96	1231.78
22	राजस्थान	600.66	630.69	662.22	695.33	730.10	3319.00
23	सिक्किम	22.75	23.89	25.08	26.33	27.65	125.70
24	तमिलनाडु	293.52	308.20	323.61	339.79	356.78	1621.90
25	त्रिपुरा	19.31	20.28	21.29	22.35	23.47	106.70
26	उत्तर प्रदेश	385.39	404.66	424.89	446.13	468.44	2129.51
27	उत्तराखंड	117.66	123.54	129.72	136.21	143.02	650.15
28	पश्चिम बंगाल	304.83	320.07	336.07	352.87	370.51	1684.35
	जोड़	6077.30	6381.18	6700.22	7035.22	7387.01	33580.93

राज्य आपदा राहत निधि 2010-15
(केन्द्र और राज्य हिस्सा)

(करोड़ रुपए)

क्र.सं. राज्य	केन्द्रीय हिस्सा					राज्य हिस्सा					कुल 2010-15	
	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15		
1 आंध्र प्रदेश	381.63	400.71	420.74	441.78	463.87	2108.73	127.21	133.57	140.25	147.26	154.62	702.91
2 अरुणाचल प्रदेश	33.07	34.72	36.46	38.29	40.20	182.74	3.67	3.86	4.05	4.25	4.47	20.30
3 असम	237.39	249.26	261.73	274.82	288.56	1311.76	26.38	27.70	29.08	30.53	32.06	145.75
4 बिहार	250.87	263.41	276.58	290.41	304.93	1386.20	83.62	87.80	92.19	96.80	101.64	462.05
5 छत्तीसगढ़	113.49	119.17	125.12	131.38	137.95	627.11	37.83	39.72	41.71	43.79	45.98	209.03
6 गोवा	2.22	2.33	2.45	2.57	2.70	12.27	0.74	0.78	0.82	0.86	0.90	4.10
7 गुजरात	376.59	395.42	415.19	435.95	457.75	2080.90	125.53	131.81	138.40	145.32	152.58	693.64
8 हरियाणा	144.68	151.91	159.51	167.48	175.86	799.44	48.22	50.64	53.17	55.83	58.62	266.48
9 हिमाचल प्रदेश	117.68	123.57	129.75	136.24	143.06	650.30	13.08	13.73	14.42	15.14	15.89	72.26
10 जम्मू और कश्मीर	155.21	162.97	171.12	179.68	188.66	857.64	17.25	18.11	19.01	19.96	20.96	95.29
11 झारखंड	194.59	204.32	214.53	225.26	236.52	1075.22	64.86	68.10	71.51	75.08	78.84	358.39
12 कर्नाटक	120.72	126.76	133.10	139.75	146.74	667.07	40.24	42.25	44.36	46.58	48.91	222.34
13 केरल	98.31	103.22	108.38	113.81	119.50	543.22	32.77	34.41	36.13	37.93	39.83	181.07
14 मध्य प्रदेश	294.56	309.29	324.76	341.00	358.04	1627.65	98.19	103.10	108.25	113.66	119.35	542.55
15 महाराष्ट्र	332.02	348.62	366.05	384.35	403.56	1834.60	110.67	116.20	122.01	128.11	134.52	611.51
16 मणिपुर	6.50	6.82	7.16	7.52	7.90	35.90	0.72	0.76	0.80	0.84	0.88	4.00
17 मेघालय	13.19	13.84	14.54	15.26	16.03	72.86	1.46	1.54	1.61	1.70	1.78	8.09
18 मिजोरम	7.70	8.08	8.49	8.91	9.36	42.54	0.85	0.90	0.94	0.99	1.04	4.72
19 नागालैंड	4.47	4.70	4.93	5.18	5.44	24.72	0.50	0.52	0.55	0.57	0.60	2.74
20 उड़ीसा	293.69	308.37	323.79	339.98	356.99	1622.82	97.89	102.79	107.93	113.33	118.99	540.93
21 पंजाब	167.19	175.55	184.33	193.55	203.22	923.84	55.73	58.52	61.44	64.51	67.74	307.94
22 राजस्थान	450.50	473.02	496.67	521.50	547.58	2489.27	150.16	157.67	165.55	173.83	182.52	829.73
23 सिक्किम	20.48	21.50	22.57	23.70	24.89	113.14	2.27	2.39	2.51	2.63	2.76	12.56
24 तमिलनाडु	220.14	231.15	242.71	254.84	267.59	1216.43	73.38	77.05	80.90	84.95	89.19	405.47
25 त्रिपुरा	17.38	18.25	19.16	20.12	21.12	96.03	1.93	2.03	2.13	2.23	2.35	10.67
26 उत्तर प्रदेश	289.04	303.50	318.67	334.60	351.33	1597.14	96.35	101.16	106.22	111.53	117.11	532.37
27 उत्तराखंड	105.89	111.19	116.75	122.59	128.72	585.14	11.77	12.35	12.97	13.62	14.30	65.01
28 पश्चिम बंगाल	228.62	240.05	252.05	264.65	277.88	1263.25	76.21	80.02	84.02	88.22	92.63	421.10
जोड़	4677.82	4911.70	5157.29	5415.17	5685.95	25847.93	1399.48	1469.48	1542.93	1620.05	1701.06	7733.00

अनुबंध 12.1
(पैरा 12.23)

प्राथमिक शिक्षा के लिए सहायता अनुदान (वृहद शीर्ष 2202, उप वृहद शीर्ष-01)

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	कुल
1	आंध्र प्रदेश	170	179	188	198	207	942
2	अरुणाचल प्रदेश	4	4	5	5	6	24
3	असम	31	40	49	59	59	238
4	बिहार	585	699	818	946	970	4018
5	छत्तीसगढ़	136	154	173	194	200	857
6	गोवा	2	2	2	2	3	11
7	गुजरात	72	85	98	113	115	483
8	हरियाणा	40	43	46	49	51	229
9	हिमाचल प्रदेश	20	21	23	24	25	113
10	जम्मू और कश्मीर	80	85	90	95	99	449
11	झारखंड	223	266	311	359	369	1528
12	कर्नाटक	104	119	135	152	157	667
13	केरल	25	27	28	29	31	140
14	मध्य प्रदेश	320	384	452	523	537	2216
15	महाराष्ट्र	131	140	149	159	165	744
16	मणिपुर	3	3	3	3	3	15
17	मेघालय	9	10	10	11	12	52
18	मिजोरम	1	1	1	1	1	5
19	नागालैंड	1	1	1	2	2	7
20	उड़ीसा	170	187	204	223	232	1016
21	पंजाब	36	41	45	50	52	224
22	राजस्थान	287	320	356	394	409	1766
23	सिक्किम	1	1	1	1	1	5
24	तमिलनाडु	111	126	141	158	164	700
25	त्रिपुरा	4	4	5	5	5	23
26	उत्तर प्रदेश	723	871	1027	1192	1227	5040
27	उत्तराखंड	31	35	40	45	46	197
28	पश्चिम बंगाल	355	416	480	548	560	2359
	सभी राज्य	3675	4264	4881	5540	5708	24068

वनों के लिए सहायता अनुदान

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2010-15
1	आंध्र प्रदेश	33.58	33.58	67.16	67.16	67.16	268.64
2	अरुणाचल प्रदेश	90.98	90.98	181.96	181.96	181.96	727.84
3	असम	23.08	23.08	46.16	46.16	46.16	184.64
4	बिहार	4.80	4.80	9.60	9.60	9.60	38.40
5	छत्तीसगढ़	51.39	51.39	102.78	102.78	102.78	411.12
6	गोवा	4.61	4.61	9.22	9.22	9.22	36.88
7	गुजरात	10.24	10.24	20.48	20.48	20.48	81.92
8	हरियाणा	1.10	1.10	2.20	2.20	2.20	8.80
9	हिमाचल प्रदेश	12.58	12.58	25.16	25.16	25.16	100.64
10	जम्मू और कश्मीर	16.63	16.63	33.26	33.26	33.26	133.04
11	झारखंड	18.93	18.93	37.86	37.86	37.86	151.44
12	कर्नाटक	27.63	27.63	55.26	55.26	55.26	221.04
13	केरल	16.94	16.94	33.88	33.88	33.88	135.52
14	मध्य प्रदेश	61.29	61.29	122.58	122.58	122.58	490.32
15	महाराष्ट्र	38.70	38.70	77.40	77.40	77.40	309.60
16	मणिपुर	18.79	18.79	37.58	37.58	37.58	150.32
17	मेघालय	21.01	21.01	42.02	42.02	42.02	168.08
18	मिजोरम	21.40	21.40	42.80	42.80	42.80	171.20
19	नागालैंड	17.32	17.32	34.64	34.64	34.64	138.56
20	उड़ीसा	41.37	41.37	82.74	82.74	82.74	330.96
21	पंजाब	1.15	1.15	2.30	2.30	2.30	9.20
22	राजस्थान	11.04	11.04	22.08	22.08	22.08	88.32
23	सिक्किम	5.07	5.07	10.14	10.14	10.14	40.56
24	तमिलनाडु	17.81	17.81	35.62	35.62	35.62	142.48
25	त्रिपुरा	11.94	11.94	23.88	23.88	23.88	95.52
26	उत्तर प्रदेश	10.06	10.06	20.12	20.12	20.12	80.48
27	उत्तराखंड	25.68	25.68	51.36	51.36	51.36	205.44
28	पश्चिम बंगाल	9.88	9.88	19.76	19.76	19.76	79.04
	जोड़	625.00	625.00	1250.00	1250.00	1250.00	5000.00

अनुबंध 12.3
(पैरा 12.47)वानिकी और वन्य जीव शीर्ष के अधीन योजना-भिन्न राजस्व व्यय
के लिए अनुमान (वृहद शीर्ष 2406)

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	आंध्र प्रदेश	189.40	204.55	220.92	238.59	257.68
2	अरुणाचल प्रदेश	36.95	39.90	43.10	46.55	50.27
3	असम	152.17	164.35	177.49	191.69	207.03
4	बिहार	45.40	49.03	52.95	57.19	61.76
5	छत्तीसगढ़	345.77	373.43	403.31	435.57	470.42
6	गोवा	8.83	9.54	10.30	11.12	12.01
7	गुजरात	173.65	187.54	202.55	218.75	236.25
8	हरियाणा	61.88	66.83	72.18	77.95	84.19
9	हिमाचल प्रदेश	144.45	156.00	168.48	181.96	196.52
10	जम्मू और कश्मीर	300.15	324.16	350.10	378.10	408.35
11	झारखंड	89.86	97.05	104.81	113.20	122.26
12	कर्नाटक	274.34	296.29	319.99	345.59	373.24
13	केरल	146.06	157.74	170.36	183.99	198.71
14	मध्य प्रदेश	534.51	577.27	623.45	673.32	727.19
15	महाराष्ट्र	523.14	565.00	610.20	659.01	711.73
16	मणिपुर	8.63	9.32	10.07	10.88	11.75
17	मेघालय	33.28	35.95	38.82	41.93	45.28
18	मिजोरम	13.85	14.96	16.16	17.45	18.84
19	नागालैंड	17.68	19.09	20.62	22.27	24.05
20	उड़ीसा	107.80	116.42	125.74	135.80	146.66
21	पंजाब	33.09	35.73	38.59	41.68	45.02
22	राजस्थान	207.40	223.99	241.91	261.26	282.16
23	सिक्किम	13.75	14.85	16.03	17.32	18.70
24	तमिलनाडु	111.30	120.20	129.82	140.20	151.42
25	त्रिपुरा	31.41	33.92	36.63	39.56	42.73
26	उत्तर प्रदेश	228.33	246.59	266.32	287.63	310.64
27	उत्तराखंड	202.51	218.71	236.21	255.11	275.51
28	पश्चिम बंगाल	165.30	178.53	192.81	208.23	224.89
	जोड़	4200.88	4536.95	4899.91	5291.90	5715.25

जारी करने की पूर्व-शर्तें :

वर्ष	शर्त
2011-12	(क) 2011-12 (ब.अनु.) निवल अनुदान, 2011-12 के अनुमानित योजना-भिन्न राजस्व व्यय से कम नहीं होने चाहिए। (ख) 2010-11 (सं.अनु.) निवल अनुदान 2010-11 के अनुमानित योजना-भिन्न राजस्व से कम नहीं होने चाहिए।
2012-13	(क) 2012-13 (ब.अनु.) निवल अनुदान, 2012-13 के अनुमानित योजना-भिन्न राजस्व व्यय से कम नहीं होने चाहिए। (ख) 2011-12 (सं.अनु.) निवल अनुदान 2011-12 के अनुमानित योजना-भिन्न राजस्व से कम नहीं होने चाहिए। (ग) 2010-11 (वास्तविक) निवल अनुदान 2010-11 के अनुमानित योजना-भिन्न राजस्व व्यय से कम नहीं होने चाहिए।
2013-14	(क) 2013-14 (ब.अनु.) निवल अनुदान, 2013-14 के अनुमानित योजना-भिन्न राजस्व व्यय से कम नहीं होने चाहिए। (ख) 2012-13 (सं.अनु.) निवल अनुदान 2012-13 के अनुमानित योजना-भिन्न राजस्व से कम नहीं होने चाहिए। (ग) 2011-12 (वास्तविक) निवल अनुदान 2011-12 के अनुमानित योजना-भिन्न राजस्व व्यय से कम नहीं होने चाहिए।
2014-15	(क) 2014-15 (ब.अनु.) निवल अनुदान, 2014-15 के अनुमानित योजना-भिन्न राजस्व व्यय से कम नहीं होने चाहिए। (ख) 2013-14 (सं.अनु.) निवल अनुदान 2013-14 के अनुमानित योजना-भिन्न राजस्व से कम नहीं होने चाहिए। (ग) 2012-13 (वास्तविक) निवल अनुदान 2012-14 के अनुमानित योजना-भिन्न राजस्व व्यय से कम नहीं होने चाहिए।

अनुबंध 12.4
(पैरा 12.54)

पंचाट अवधि के दौरान अनुमानित उपलब्धि के लिए नमूना गणना

क्र. सं.	राज्य	कुल क्षमता (मेगा.)	संस्थापित क्षमता में कुल उपलब्धि	प्राप्त न हुई क्षमता (मेगा.)	राज्य की श्रेणी	अनुमानित उपलब्धि (मेगावाट)	प्राप्त न हुई क्षमता के अनुपात के रूप में क्षमता अभिवृद्धि (मेगा.)	राज्य का हिस्सा (I)	अनुदान करोड़ रुपए (I)	कुल क्षमता अभिवृद्धि के प्रतिशत के रूप में जोड़ी गई क्षमता	राज्य का हिस्सा (II)	अनुदान करोड़ रुपए (II)	क्षमता पूर्व अनुदान (I+II) करोड़ रुपए	प्रोत्साहन प्रति मेगा. (करोड़ रुप.) (क्षमता पूर्व)	क्षमता/मेगा. (सा.ओ. राज्यों के लिए 1.25 करोड़ रुप.; वि.श्रे. राज्यों के लिए 1.5 करोड़ रुपए)	कुल अनुदान करोड़ रुपए क्षमता के बाद (I+II)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
वार्षिक-आई एक्स-आई सीए-आई																
1	आंध्र प्रदेश	9174	638	8536	सामान्य	500	0.059	1.78	22.22	8.33	8.33	312.29	334.51	0.669	0.669	334.51
2	अरुणाचल प्रदेश	1243	61	1182	विशेष	150	0.127	3.85	48.15	2.50	2.50	93.69	141.84	0.946	0.946	141.84
3	असम	120	27	93	विशेष	10	0.108	3.27	40.83	0.17	0.17	6.25	47.08	4.708	1.500	15.00
4	बिहार	149	55	94	सामान्य	20	0.212	6.43	80.36	0.33	0.33	12.49	92.85	4.643	1.250	25.00
5	छत्तीसगढ़	704	174	530	सामान्य	100	0.189	5.73	71.59	1.67	1.67	62.46	134.05	1.340	1.250	125.00
6	गोवा	5	0	5	सामान्य	1	0.202	6.13	76.63	0.02	0.02	0.62	77.25	77.253	1.250	1.25
7	गुजरात	10992	1440	9552	सामान्य	800	0.084	2.54	31.77	13.32	13.32	499.67	531.44	0.664	0.664	531.44
8	हरियाणा	1341	69	1272	सामान्य	100	0.079	2.39	29.81	1.67	1.67	62.46	92.27	0.923	0.923	92.27
9	हिमाचल प्रदेश	2019	240	1779	विशेष	200	0.112	3.41	42.64	3.33	3.33	124.92	167.56	0.838	0.838	167.56
10	जम्मू और कश्मीर	1294	112	1182	विशेष	125	0.106	3.21	40.11	2.08	2.08	78.07	118.19	0.945	0.945	118.19
11	झारखंड	170	4	166	सामान्य	20	0.121	3.66	45.71	0.33	0.33	12.49	58.21	2.910	1.250	25.00
12	कर्नाटक	9510	2022	7488	सामान्य	800	0.107	3.24	40.53	13.32	13.32	499.67	540.19	0.675	0.675	540.19
13	केरल	2349	157	2192	सामान्य	200	0.091	2.77	34.61	3.33	3.33	124.92	159.52	0.798	0.798	159.52
14	मध्य प्रदेश	7076	260	6816	सामान्य	500	0.073	2.23	27.82	8.33	8.33	312.29	340.12	0.680	0.680	340.12
15	महाराष्ट्र	5916	2205	3711	सामान्य	500	0.135	4.09	51.10	8.33	8.33	312.29	363.39	0.727	0.727	363.39
16	मणिपुर	92	5	87	विशेष	5	0.058	1.75	21.91	0.08	0.08	3.12	25.04	5.007	1.500	7.50
17	मेघालय	197	31	166	विशेष	20	0.121	3.66	45.71	0.33	0.33	12.49	58.20	2.910	1.500	30.00
18	मिजोरम	136	24	112	विशेष	10	0.090	2.72	34.01	0.17	0.17	6.25	40.26	4.026	1.500	15.00
19	नागालैंड	149	29	120	विशेष	10	0.083	2.52	31.52	0.17	0.17	6.25	37.77	3.777	1.500	15.00
20	उड़ीसा	1918	44	1874	सामान्य	100	0.053	1.62	20.24	1.67	1.67	62.46	82.70	0.827	0.827	82.70
21	पंजाब	3415	152	3263	सामान्य	200	0.061	1.86	23.25	3.33	3.33	124.92	148.17	0.741	0.741	148.17
22	राजस्थान	6428	726	5702	सामान्य	500	0.088	2.66	33.26	8.33	8.33	312.29	345.55	0.691	0.691	345.55
23	सिक्किम	214	47	167	विशेष	30	0.180	5.45	68.18	0.50	0.50	18.74	86.92	2.897	1.500	45.00
24	तमिलनाडु	4390	4531	0	सामान्य	600	0.212	6.43	80.41	9.99	9.99	374.75	455.16	0.759	0.759	455.16
25	त्रिपुरा	31	16	15	विशेष	3	0.200	6.07	75.86	0.05	0.05	1.87	77.74	25.912	1.500	4.50
26	उत्तर प्रदेश	2567	398	2169	सामान्य	200	0.092	2.80	34.97	3.33	3.33	124.92	159.89	0.799	0.799	159.89
27	उत्तराखंड	1478	128	1350	विशेष	200	0.148	4.50	56.19	3.33	3.33	124.92	181.11	0.906	0.906	181.11
28	पश्चिम बंगाल	1034	100	935	सामान्य	100	0.107	3.25	40.59	1.67	1.67	62.46	103.05	1.030	1.030	103.05
	जोड़	7411	13695	60558		6004	3.295	100.00	1,250.00	100.00	100.00	3,750.00	5,000.00	0.833		4,572.90

टिप्पणी : एक्स आई संबंधी अनुमान पूर्णतः व्याख्यात्मक प्रयोजन के लिए है।

अनुबंध 12.5

(पैरा 12.57)

जल सेक्टर के लिए सहायता अनुदान

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	कुल 2010-15
1	आंध्र प्रदेश	71	71	71	71	284
2	अरुणाचल प्रदेश	2	2	2	2	8
3	असम	22	22	22	22	88
4	बिहार	76	76	76	76	304
5	छत्तीसगढ़	22	22	22	22	88
6	गोवा	2	2	2	2	8
7	गुजरात	59	59	59	59	236
8	हरियाणा	53	53	53	53	212
9	हिमाचल प्रदेश	16	16	16	16	64
10	जम्मू और कश्मीर	22	22	22	22	88
11	झारखंड	27	27	27	27	108
12	कर्नाटक	32	32	32	32	128
13	केरल	44	44	44	44	176
14	मध्य प्रदेश	37	37	37	37	148
15	महाराष्ट्र	92	92	92	92	368
16	मणिपुर	2	2	2	2	8
17	मेघालय	1	1	1	1	4
18	मिजोरम	1	1	1	1	4
19	नागालैंड	2	2	2	2	8
20	उड़ीसा	46	46	46	46	184
21	पंजाब	80	80	80	80	320
22	राजस्थान	56	56	56	56	224
23	सिक्किम	1	1	1	1	4
24	तमिलनाडु	48	48	48	48	192
25	त्रिपुरा	2	2	2	2	8
26	उत्तर प्रदेश	341	341	341	341	1364
27	उत्तराखंड	19	19	19	19	76
28	पश्चिम बंगाल	74	74	74	74	296
	जोड़	1250	1250	1250	1250	5000

**कुल अनुमानित योजना-भिन्न राजस्व व्यय, सामान्य योजना-भिन्न राजस्व व्यय (वृहद शीर्ष 2700, 2701 एवं 2702)
सिंचाई के लिए उगाही दर और जल सेक्टर के लिए सहायता अनुदान**

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	मद/शीर्ष		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	कुल (2010-15)
1	आंध्र प्रदेश	सामान्य व्यय	613.78	644.47	676.70	710.53	746.06	3391.54
		अनुदान	0.00	71.00	71.00	71.00	71.00	284.00
		कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	613.78	715.47	747.70	781.53	817.06	3675.54
		अपेक्षित उगाही दर (%)	—	27.00	32.00	37.00	42.00	
2	अरुणाचल प्रदेश	सामान्य व्यय	29.53	31.00	32.55	34.18	35.89	163.15
		अनुदान	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
		कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	29.53	33.00	34.55	36.18	37.89	171.15
		अपेक्षित उगाही दर (%)	—	3.00	6.00	9.00	12.00	
3	असम	सामान्य व्यय	411.17	431.73	453.31	475.98	499.78	2271.97
		अनुदान	0.00	22.00	22.00	22.00	22.00	88.00
		कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	411.17	453.73	475.31	497.98	521.78	2359.97
		अपेक्षित उगाही दर (%)	—	3.20	6.20	9.20	12.20	
4	बिहार	सामान्य व्यय	854.48	897.20	942.06	989.17	1038.63	4721.54
		अनुदान	0.00	76.00	76.00	76.00	76.00	304.00
		कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	854.48	973.20	1018.06	1065.17	1114.63	5025.54
		अपेक्षित उगाही दर (%)	—	20.00	25.00	30.00	35.00	
5	छत्तीसगढ़	सामान्य व्यय	225.00	236.25	248.06	260.47	273.49	1243.27
		अनुदान	0.00	22.00	22.00	22.00	22.00	88.00
		कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	225.00	258.25	270.06	282.47	295.49	1331.27
		अपेक्षित उगाही दर (%)	—	148.00	148.00	148.00	148.00	
6	गोवा	सामान्य व्यय	36.06	37.86	39.75	41.74	43.83	199.24
		अनुदान	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
		कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	36.06	39.86	41.75	43.74	45.83	207.24
		अपेक्षित उगाही दर (%)	—	32.00	37.00	42.00	47.00	
7	गुजरात	सामान्य व्यय	446.53	468.85	492.29	516.91	542.75	2467.33
		अनुदान	0.00	59.00	59.00	59.00	59.00	236.00
		कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	446.53	527.85	551.29	575.91	601.75	2703.33
		अपेक्षित उगाही दर (%)	—	139.00	139.00	139.00	139.00	
8	हरियाणा	सामान्य व्यय	693.48	728.15	764.56	802.79	842.92	3831.90
		अनुदान	0.00	53.00	53.00	53.00	53.00	212.00
		कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	693.48	781.15	817.56	855.79	895.92	4043.90
		अपेक्षित उगाही दर (%)	—	24.00	29.00	34.00	39.00	
9	हिमाचल प्रदेश	सामान्य व्यय	193.16	202.82	212.96	223.60	234.78	1067.32
		अनुदान	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00	64.00
		कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	193.16	218.82	228.96	239.60	250.78	1131.32
		अपेक्षित उगाही दर (%)	—	3.60	6.60	9.60	12.60	

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	मद/शीर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	कुल (2010-15)
10	जम्मू और कश्मीर						
	सामान्य व्यय	250.56	263.09	276.24	290.06	304.56	1384.51
	अनुदान	0.00	22.00	22.00	22.00	22.00	88.00
	कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	250.56	285.09	298.24	312.06	326.56	1472.51
	अपेक्षित उगाही दर (%)	—	4.80	7.80	10.80	13.80	
11	झारखंड						
	सामान्य व्यय	330.29	346.80	364.14	382.35	401.47	1825.05
	अनुदान	0.00	27.00	27.00	27.00	27.00	108.00
	कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	330.29	373.80	391.14	409.35	428.47	1933.05
	अपेक्षित उगाही दर (%)	—	20.00	25.00	30.00	35.00	
12	कर्नाटक						
	सामान्य व्यय	358.43	376.35	395.17	414.93	435.68	1980.56
	अनुदान	0.00	32.00	32.00	32.00	32.00	128.00
	कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	358.43	408.35	427.17	446.93	467.68	2108.56
	अपेक्षित उगाही दर (%)	—	24.00	29.00	34.00	39.00	
13	केरल						
	सामान्य व्यय	297.80	312.69	328.32	344.74	361.98	1645.53
	अनुदान	0.00	44.00	44.00	44.00	44.00	176.00
	कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	297.80	356.69	372.32	388.74	405.98	1821.53
	अपेक्षित उगाही दर (%)	—	20.00	25.00	30.00	35.00	
14	मध्य प्रदेश						
	सामान्य व्यय	391.97	411.56	432.14	453.75	476.44	2165.86
	अनुदान	0.00	37.00	37.00	37.00	37.00	148.00
	कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	391.97	448.56	469.14	490.75	513.44	2313.86
	अपेक्षित उगाही दर (%)	—	24.00	29.00	34.00	39.00	
15	महाराष्ट्र						
	सामान्य व्यय	963.09	1011.25	1061.81	1114.90	1170.64	5321.69
	अनुदान	0.00	92.00	92.00	92.00	92.00	368.00
	कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	963.09	1103.25	1153.81	1206.90	1262.64	5689.69
	अपेक्षित उगाही दर (%)	—	93.00	93.00	93.00	93.00	
16	मणिपुर						
	सामान्य व्यय	52.42	55.04	57.79	60.68	63.71	289.64
	अनुदान	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
	कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	52.42	57.04	59.79	62.68	65.71	297.64
	अपेक्षित उगाही दर (%)	—	24.20	27.20	30.20	33.20	
17	मेघालय						
	सामान्य व्यय	14.27	14.98	15.73	16.52	17.34	78.84
	अनुदान	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
	कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	14.27	15.98	16.73	17.52	18.34	82.84
	अपेक्षित उगाही दर (%)	—	3.40	6.40	9.40	12.40	
18	मिजोरम						
	सामान्य व्यय	1.95	2.05	2.15	2.26	2.37	10.78
	अनुदान	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
	कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	1.95	3.05	3.15	3.26	3.37	14.78
	अपेक्षित उगाही दर (%)	—	3.60	6.60	9.60	12.60	
19	नागालैण्ड						
	सामान्य व्यय	11.07	11.63	12.21	12.82	13.46	61.19
	अनुदान	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
	कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	11.07	13.63	14.21	14.82	15.46	69.19
	अपेक्षित उगाही दर (%)	—	3.10	6.10	9.10	12.10	

क्र. सं.	मद/शीर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	कुल (2010-15)
20	उड़ीसा						
	सामान्य व्यय	367.31	385.68	404.96	425.21	446.47	2029.63
	अनुदान	0.00	46.00	46.00	46.00	46.00	184.00
	कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	367.31	431.68	450.96	471.21	492.47	2213.63
	अपेक्षित उगाही दर (%)	—	26.00	31.00	36.00	41.00	
21	पंजाब						
	सामान्य व्यय	739.49	776.47	815.29	856.06	898.86	4086.17
	अनुदान	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	320.00
	कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	739.49	856.47	895.29	936.06	978.86	4406.17
	अपेक्षित उगाही दर (%)	—	20.00	25.00	30.00	35.00	
22	राजस्थान						
	सामान्य व्यय	486.24	510.55	536.08	562.89	591.03	2686.79
	अनुदान	0.00	56.00	56.00	56.00	56.00	224.00
	कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	486.24	566.55	592.08	618.89	647.03	2910.79
	अपेक्षित उगाही दर (%)	—	27.00	32.00	37.00	42.00	
23	सिक्किम						
	सामान्य व्यय	2.14	2.24	2.35	2.47	2.60	11.80
	अनुदान	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
	कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	2.14	3.24	3.35	3.47	3.60	15.80
	अपेक्षित उगाही दर (%)	—	9.60	12.60	15.60	18.60	
24	तमिलनाडु						
	सामान्य व्यय	430.12	451.62	474.20	497.91	522.81	2376.66
	अनुदान	0.00	48.00	48.00	48.00	48.00	192.00
	कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	430.12	499.62	522.20	545.91	570.81	2568.66
	अपेक्षित उगाही दर (%)	—	20.00	25.00	30.00	35.00	
25	त्रिपुरा						
	सामान्य व्यय	31.35	32.92	34.56	36.29	38.11	173.23
	अनुदान	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
	कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	31.35	34.92	36.56	38.29	40.11	181.23
	अपेक्षित उगाही दर (%)	—	4.20	7.20	10.20	13.20	
26	उत्तर प्रदेश						
	सामान्य व्यय	2853.66	2996.34	3146.16	3303.47	3468.64	15768.27
	अनुदान	0.00	341.00	341.00	341.00	341.00	1364.00
	कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	2853.66	3337.34	3487.16	3644.47	3809.64	17132.27
	अपेक्षित उगाही दर (%)	—	20.00	25.00	30.00	35.00	
27	उत्तराखंड						
	सामान्य व्यय	240.29	252.31	264.92	278.17	292.08	1327.77
	अनुदान	0.00	19.00	19.00	19.00	19.00	76.00
	कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	240.29	271.31	283.92	297.17	311.08	1403.77
	अपेक्षित उगाही दर (%)	—	8.30	11.30	14.30	17.30	
28	पश्चिम बंगाल						
	सामान्य व्यय	771.10	809.65	850.14	892.64	937.28	4260.81
	अनुदान	0.00	74.00	74.00	74.00	74.00	296.00
	कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	771.10	883.65	924.14	966.64	1011.28	4556.81
	अपेक्षित उगाही दर (%)	—	20.00	25.00	30.00	35.00	
जोड़	सामान्य व्यय	12096.74	12701.55	13336.60	14003.49	14703.66	66842.04
	अनुदान	—	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	5000.00
	जोड़-योजना-भिन्न राजस्व व्यय	12096.74	13951.55	14586.60	15253.49	15953.66	71842.04

अनुबंध 12.7
(पैरा 12.58(iii))

2009-10 में सिंचाई के लिए वसूली दर (ब.अ.)

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	यो. भिन्न राज व्यय	एनपीआरआर	वसूली दर (%)
क. विशेष श्रेणी राज्य				
1.	अरुणाचल प्रदेश	27.97	0.00	0.00
2.	नागालैण्ड	10.42	0.01	0.10
3.	असम	391.59	0.80	0.20
4.	मेघालय	13.59	0.06	0.44
5.	मिजोरम	1.86	0.01	0.54
6.	हिमाचल प्रदेश	183.96	1.14	0.62
7.	त्रिपुरा	27.40	0.32	1.17
8.	जम्मू और कश्मीर	238.63	4.30	1.80
9.	उत्तराखंड	228.85	12.02	5.25
10.	सिक्किम	1.78	0.12	6.74
11.	मणिपुर	49.92	10.56	21.15
	जोड़ - I	1175.97	29.34	2.49
ख. सामान्य श्रेणी राज्य				
1.	बिहार	813.79	12.08	1.48
2.	केरल	268.10	8.95	3.34
3.	पंजाब	573.97	24.56	4.28
4.	पश्चिम बंगाल	734.38	35.98	4.90
5.	तमिलनाडु	342.57	23.09	6.74
6.	उत्तर प्रदेश	2210.68	166.81	7.55
7.	झारखंड	314.56	35.77	11.37
8.	मध्य प्रदेश	373.30	69.73	18.68
9.	कर्नाटक	196.90	42.68	21.68
10.	हरियाणा	575.92	130.31	22.63
11.	उड़ीसा	349.82	90.07	25.75
12.	राजस्थान	333.51	87.96	26.37
13.	आन्ध्र प्रदेश	349.50	93.09	26.64
14.	गोआ	34.34	10.94	31.86
15.	महाराष्ट्र	917.23	850.01	92.67
16.	गुजरात	368.16	510.94	138.78
17.	छत्तीसगढ़	125.58	186.00	148.11
	जोड़ - II	8882.31	2378.97	26.78
	सभी राज्य औसत	10058.28	2408.31	23.94

जल सेक्टर के लिए सहायता अनुदान जारी करने हेतु शर्तें

- इन अनुदानों को पब्लिक एमएमआई और एमआई सिंचाई योजनाओं के लिए वेतन-भिन्न अनुरक्षण मदों पर ही खर्च किया जाना चाहिए।
- ये अनुदान बजटीय हों और इन्हें शीर्ष 2700, 2701 एवं 2702 के तहत केवल योजना-भिन्न राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए खर्च किया जाना चाहिए।
- सिंचाई के लिए वसूली दर को मुख्य शीर्ष 700, 701 और 702 के तहत एनपीआरआर के अनुपात के रूप में मुख्य शीर्षों 2700, 2701, 2702 के अधीन योजना-भिन्न राजस्व व्यय में ले लिया गया है। राज्य सिंचाई की वसूली दर के संबंध में निम्नलिखित मानदण्ड पूरा करें:
 - विशेष श्रेणी वाले राज्य 2009-10 (ब.अ.) से 2011-12 में कम से कम 3 प्रतिशत बिन्दुओं तक सिंचाई की वसूली दर बढ़ाएं तथा उसके बाद पूर्वानुमानित अवधि के दौरान प्रत्येक अगले वर्ष 3 प्रतिशत बिन्दुओं की वृद्धि करें।
 - सामान्य श्रेणी वाले राज्य निम्नलिखित मानदण्ड पूरा करें:

क्र. सं.	राज्यों की वसूली दर (2009-10 ब.अ.)	2011-12 में अपेक्षित वसूली दर	2014-15 तक प्रत्येक वर्ष वृद्धि
1.	0% से 15%	कम से कम 20%	5% बिन्दुओं तक
2.	15% से अधिक परंतु 75% से कम	2009-10 (ब.अ.) में कम से कम सभी राज्यों का औसत या उनकी संबंधित वसूली दरें, जो भी अधिक हो	5% बिन्दुओं तक
3.	75% और अधिक	संबंधित राज्यों का कम से कम 2009-10 (ब.अ.) स्तर पर	शेष पूर्वानुमानित अवधि के दौरान कम से कम 2011-12 का स्तर बनाए रखा जाए

- मुख्य शीर्ष 2700, 2701 एवं 2702 के अधीन कुल योजना-भिन्न राजस्व व्यय के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन करने और अनुबंध 12.6 में दिए अनुसार अपेक्षित वसूली दर प्राप्त करने पर, ये अनुदान वित्त वर्ष में दो समान किस्तों में आबंटित किए जाए।

वर्ष	मद/शीर्ष
2011-12	(क) 2011-12 (ब.अ.), 2011-12 के अनुमानित कुल योजना-भिन्न राजस्व व्यय से कम नहीं होना चाहिए।
	(ख) 2010-11 (सं.अ.), 2010-11 के अनुमानित कुल योजना-भिन्न राजस्व व्यय से कम नहीं होना चाहिए।
2012-13	(क) 2012-13 (ब.अ.), 2012-13 के अनुमानित कुल योजना-भिन्न राजस्व व्यय से कम नहीं होना चाहिए।
	(ख) 2011-12 (सं.अ.), 2011-12 के सामान्य योजना-भिन्न राजस्व व्यय + 2011-12 में जारी अनुदानों से कम नहीं होना चाहिए तथा 2012-13 में वसूली दर अपेक्षित दर पर या अधिक हो।
	(ग) 2010-11 (वास्तविक), 2010-11 के सामान्य योजना-भिन्न राजस्व व्यय से कम न हो।
2013-14	(क) 2013-14 (ब.अ.), 2013-14 के अनुमानित कुल योजना-भिन्न राजस्व व्यय से कम नहीं होना चाहिए।
	(ख) 2012-13 (सं.अ.), 2012-13 के सामान्य योजना-भिन्न राजस्व व्यय + 2012-13 में जारी अनुदानों से कम नहीं होना चाहिए तथा 2012-13 में वसूली दर अपेक्षित दर पर या अधिक होनी चाहिए।
	(ग) 2011-12 (वास्तविक), 2011-12 के सामान्य योजना-भिन्न राजस्व व्यय + 2011-12 में जारी अनुदानों से कम न हो तथा 2011-12 में वसूली दर अपेक्षित दर पर या अधिक हो
2014-15	(क) 2014-15 (ब.अ.), 2014-15 के अनुमानित कुल योजना-भिन्न राजस्व व्यय से कम नहीं होना चाहिए।
	(ख) 2013-14 (सं.अ.), 2013-14 के सामान्य योजना-भिन्न राजस्व व्यय + 2013-14 में जारी किए गए अनुदानों से कम नहीं हो और 2013-14 में वसूली दर अपेक्षित दर पर या अधिक हो।
	(ग) 2012-13 (वास्तविक), 2012-13 के सामान्य योजना-भिन्न राजस्व व्यय + 2012-13 में जारी किए गए अनुदानों से कम न हो तथा 2012-13 में वसूली दर अपेक्षित दर पर या अधिक हो

- तीसरे वर्ष में (अर्थात् 2012-13 में) केवल उन्हीं राज्यों को अनुदान जारी किए जाने चाहिए जिन्होंने उपयुक्त विधायन के माध्यम से सांविधिक एवं स्वतंत्र जल संसाधन विनियामक प्राधिकरण गठित कर लिए हैं तथा 31 मार्च, 2012 तक सभी संगत उपबंध अधिसूचित कर दिए हैं। तथापि, यह शर्त, असम राज्य को छोड़कर, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए लागू नहीं होगी।

अनुबंध 12.9
(पैरा 12.71)

यूआईडी के लिए प्रोत्साहन अनुदान

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	यूआरपी गरीबी सीमा रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या	100 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से प्रस्तावित अनुदान
		लाख	करोड़ रुपए
1.	आन्ध्र प्रदेश	126.1	126.1
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.0	2.0
3.	असम	55.8	55.8
4.	बिहार	369.2	369.2
5.	छत्तीसगढ़	91.0	91.0
6.	गोआ	2.0	2.0
7.	गुजरात	90.7	90.7
8.	हरियाणा	32.1	32.1
9.	हिमाचल प्रदेश	6.4	6.4
10.	जम्मू और कश्मीर	5.9	5.9
11.	झारखंड	116.4	116.4
12.	कर्नाटक	138.9	138.9
13.	केरल	49.6	49.6
14.	मध्य प्रदेश	249.7	249.7
15.	महाराष्ट्र	317.4	317.4
16.	मणिपुर	4.0	4.0
17.	मेघालय	4.5	4.5
18.	मिजोरम	1.2	1.2
19.	नागालैण्ड	4.0	4.0
20.	उड़ीसा	178.5	178.5
21.	पंजाब	21.6	21.6
22.	राजस्थान	134.9	134.9
23.	सिक्किम	1.1	1.1
24.	तमिलनाडु	145.6	145.6
25.	त्रिपुरा	6.4	6.4
26.	उत्तर प्रदेश	590.0	590.0
27.	उत्तराखंड	36.0	36.0
28.	पश्चिम बंगाल	208.4	208.4
	सभी राज्य	2989.1	2989.1

स्रोत : योजना आयोग

आईएमआर को घटाने के लिए प्रोत्साहन अनुदानों से संबंधित फार्मूला

- राज्यों को अंक देने के लिए (और प्रोत्साहन निर्धारित करने के लिए) अपनाया गया तरीका निम्नलिखित तर्कों पर आधारित है: (i) सभी राज्यों की आरंभिक स्थितियों पर विधित्व विचार किया जाना चाहिए; (ii) आधार वर्ष (आरंभिक स्थिति) में उनके स्तर की तुलना उनके निष्पादन में सुधार (या गिरावट) को समुचित रूप पुरस्कृत (या दंडित) किया जाना चाहिए; (iii) जो राज्य बेंचमार्क स्तर से ऊपर हैं, उन्हें विचाराधीन अवधि में न्यूनतम स्तर पर अंक जमा बेहतर निष्पादन, यदि कोई हों, के लिए अतिरिक्त अंक दिए जाने चाहिए और (iv) बेंचमार्क की तुलना में आधार वर्ष में निष्पादन का स्तर जितना अधिक होगा, उनके आधार स्तर (आरंभिक स्थिति) की तुलना में सुधार करना उतना ही कठिन होगा और इसलिए उन्हें अधिक भारांश दिया जाना चाहिए।
- राज्यों को इन कारकों के संदर्भ में आधार वर्ष की तुलना में उनके वृद्धिशील निष्पादन के आधार पर अंक दिए जाने चाहिए (i) उनकी आरंभिक स्थिति और (ii) पूर्वनिर्धारित मानक या बेंचमार्क/आरंभिक स्थिति को आधार वर्ष में राज्य के निष्पादन स्तर (उत्पादन या परिणाम या कोई अन्य संकेतक) के रूप में परिभाषित किया गया है। वृद्धिशील निष्पादन संगणना वर्ष (अंतिम वर्ष) में निष्पादन के स्तर और आधार वर्ष (आरंभिक वर्ष) में निष्पादन के स्तर के बीच का अन्तर होता है।
- यदि किसी राज्य का निष्पादन स्तर आधार वर्ष और अंतिम वर्ष में बेंचमार्क से कम रहा है, तो उसे उस प्रतिशत के समतुल्य अंक दिए जाएंगे जिससे वह बेंचमार्क से अपने अंतराल को कम करे। नकारात्मक निष्पादन के लिए शून्य अंक दिए जाएंगे।
- यदि किसी राज्य का निष्पादन स्तर आधार वर्ष में बेंचमार्क स्तर से कम है लेकिन अंतिम वर्ष से अधिक है, तो उसे बेंचमार्क स्तर की तुलना में अंतिम वर्ष में निष्पादन स्तर में हुई प्रतिशत वृद्धि जमा 100 अंक दिए जाएंगे।
- जिन राज्यों की उपलब्धि आधार वर्ष और अंतिम वर्ष में बेंचमार्क स्तर से अधिक है, उन्हें 100 अंक जमा आधार वर्ष की तुलना में हुई प्रतिशत वृद्धि, जिसे बेंचमार्क के प्रतिशत के तौर पर अंतिम वर्ष में बेंचमार्क से निष्पादन स्तर के अंतर से गुणा किया जाएगा, के समतुल्य अंक दिए जाएंगे। आधार या आरंभिक वर्ष के संदर्भ में नकारात्मक निष्पादन लेकिन फिर भी उसके बेंचमार्क से ऊपर होने पर केवल 100 अंक दिए जाएंगे। किसी राज्य को बेंचमार्क से नीचे ले जाने वाला नकारात्मक निष्पादन (अर्थात् अंतिम वर्ष में बेंचमार्क स्तर से कम निष्पादन) का परिणाम यह होगा कि राज्य को शून्य अंक मिलेंगे।
- इस आधार पर राज्यों द्वारा हासिल किए गए अंक (जिन्हें प्रोत्साहन गुणांक कहा जा सकता है) जोड़े जाएंगे और प्रत्येक राज्य के अंक (प्रोत्साहन गुणांक) इस संग्रहित जोड़ के प्रतिशत के रूप में आकलित किए जाएंगे जो राज्य का प्रोत्साहन मूल्य अथवा प्रोत्साहन प्रतिशत देगा। इसके बाद राज्य इस प्रोत्साहन प्रतिशत के आधार पर प्रोत्साहन अनुदानों हेतु पात्र होंगे।
- दोहराने के लिए ही कहा जा रहा है कि, यह प्रक्रिया इस मान्यता पर आधारित है कि बेंचमार्क के संदर्भ में आरंभिक स्थिति जितना अधिक (या बेहतर) होगी, वृद्धिशील बेहतर निष्पादन हासिल करना उतना ही कठिन होगा और इसलिए उसके लिए समुचित या उपयुक्त रूप से पुरस्कृत किया जाना उचित होगा।
- इसका तर्काधार निम्नानुसार है: जिन राज्यों ने अपेक्षतया निष्पादन का उच्च स्तर प्राप्त कर लिया है और निष्पादन स्पेक्ट्रम के उच्चतम स्तर पर हैं, उनकी आधार वर्ष के स्तर की तुलना में आगे प्रतिशत सुधार की संभावना अपेक्षाकृत सीमित होगी। आशय यह है कि जो राज्य अपेक्षतया निष्पादन के उच्च स्तर पर हैं और वृद्धिशील प्रतिशत सुधार की सीमित संभावना के चलते कुछ हद तक घाटे में हैं, उन्हें हानि नहीं होनी चाहिए। इसलिए, आधार (अथवा आरंभिक) वर्ष की तुलना में उनका प्रतिशत सुधार एस अंतर्निहित हानि के लिए उन्हें प्रतिपूर्ति करने के लिए उचित रूप से भारित किया जाना चाहिए। इसलिए, प्रस्ताव किया जाता है कि माध्यिक (बेंचमार्क) के प्रतिशत के रूप में माध्यिक (बेंचमार्क) से उनके उत्पादन/परिणाम संकेतक के अंतर द्वारा उनका निष्पादन भारित किया जाए।
- शिशु मृत्यु दर गरीबी दर जैसे संकेतकों के लिए राज्य के संकेतक निष्पादन के बीच प्रतिलोभ संबंध है अर्थात् संकेतक में कमी के परिणामस्वरूप प्रोत्साहन दिया जाएगा जबकि वृद्धि के लिए दंडित किया जाएगा। इस सूत्र में यह आवश्यकता सन्निहित की गई है।

10. उपर्युक्त पद्धति गणितीय अंकन द्वारा इस प्रकार दिखाया जाता है:

x_y^i आधार वर्ष (y) में iवें राज्य का परिणाम संकेत है

x_{y+5}^i पांच वर्ष पश्चात अर्थात (y+5) वे वर्ष में iवें राज्य का परिणाम संकेत है।

M आधार वर्ष (y) में सभी राज्यों के परिणाम संकेतकों का मध्यिक मूल्य है।

IC_i iवें राज्य का प्रोत्साहन गुणांक है।


IV_i iवें राज्य का प्रोत्साहन मूल्य अथवा प्रोत्साहन प्रतिशतांक है।

परिदृश्य 1 $x_y^i > M$

मामला 1

जब $M < x_{y+5}^i < x_y^i$

$$IC_i = \frac{(x_y^i - x_{y+5}^i)}{x_y^i - M} * 100$$



मामला 2

जब $x_{y+5}^i \geq x_y^i$


फिर $IC_i = 0$



मामला 3

जब $x_{y+5}^i < M$

$$IC_i = 100 + \frac{(M - x_{y+5}^i)}{M} * 100$$




परिदृश्य 2 $x_y^i \leq M$

मामला 1

जब $x_{y+5}^i < x_y^i$


$$IC_i = 100 + \frac{(x_y^i - x_{y+5}^i)}{x_y^i} * 100 * \frac{(M - x_{y+5}^i)}{M} * 100$$



मामला 2

जब $x_{y+5}^i > x_y^i$ but $x_{y+5}^i < M$


$IC_i = 100$



मामला 3

जब $x_{y+5}^i > M \geq x_y^i$

$IC_i = 0$



सभी राज्यों के लिए प्रोत्साहन गुणांक प्राप्त करने के बाद प्रोत्साहन मूल्य या प्रोत्साहन प्रतिशतांक इस प्रकार परकलित किया जाता है।

$$IV^i = \frac{IC^i}{\sum_i IC^i} * 100 \quad i \text{ हेतु } 1 \text{ से } n \text{ जहां } n \text{ राज्यों की संख्या है।}$$

अनुबंध 12.11
(पैरा 12.75)

शिशु मृत्यु दर के परिवर्तन के लिए अनुरूपी गणनाएं

राज्य	2009 से.रजि.सिस्टम	2012 से.रजि.सिस्टम	प्रोत्साहन गुणांक	प्रोत्साहन मूल्य (%)
क	36	30	111.76	1.05
ख	19	17	626.32	5.86
ग	39	35	80.00	0.75
घ	42	33	102.94	0.96
ङ	48	39	64.29	0.60
च	11	12	100.00	0.94
छ	35	28	117.65	1.10
ज	43	30	111.76	1.05
झ	27	25	296.08	2.77
त्र	37	33	102.94	0.96
ट	33	28	367.38	3.44
ठ	10	8	1629.41	15.24
ड	48	38	71.43	0.67
ढ	23	19	867.26	8.11
ण	8	7	1092.65	10.22
त	43	23	132.35	1.24
थ	24	22	394.12	3.69
द	28	21	1055.88	9.87
ध	49	40	60.00	0.56
न	33	28	367.38	3.44
प	38	30	111.76	1.05
फ	19	17	626.32	5.86
ब	49	17.8	147.65	1.38
भ	26	20	1050.23	9.82
म	49	41	53.33	0.50
य	29	22	951.93	8.90
				100
माधिका	34			

न्याय जल्दी देने के लिए अनुदान आबंटन

क्र सं.	राज्य	स्वीकृत अदालतों की संख्या	न्यायिक जिलों की संख्या	प्रातःकालीन/ सायंकालीन अदालतें	लोक अदालत व कानूनी सहायता	न्यायिक अधि. प्रशि.	लोक अभियोजकों का प्रशिक्षण	विरासत न्यायालय भवन	राज्य न्यायिक अकादमी	एडीआर केन्द्र	न्यायालय प्रबंधक	कुल
(करोड़ रुपए)												
1.	आन्ध्र प्रदेश	926	23	145.18	17.42	14.52	8.71	26.13	15.00	31.25	12.50	270.71
2.	अरुणाचल प्रदेश	339	0	53.15	6.38	5.31	3.19	9.57		0.00	0.00	77.60
3.	असम	289	21	45.31	5.44	4.53	2.72	8.16	15.00	28.53	11.41	121.10
4.	बिहार	1367	30	214.32	25.72	21.43	12.86	38.58	15.00	40.76	16.30	384.97
5.	छत्तीसगढ़	348	16	54.56	6.55	5.46	3.27	9.82	15.00	21.74	8.70	125.09
6.	गोआ	49	2	7.68	0.92	0.77	0.46	1.38		2.72	1.09	15.02
7.	गुजरात	1028	26	161.17	19.34	16.12	9.67	29.01	15.00	35.33	14.13	299.76
8.	हरियाणा	393	18	61.61	7.39	6.16	3.70	11.09		24.46	9.78	124.20
9.	हिमाचल प्रदेश	126	11	19.75	2.37	1.98	1.19	3.56	15.00	14.95	5.98	64.77
10.	जम्मू और कश्मीर	208	22	32.61	3.91	3.26	1.96	5.87	15.00	29.89	11.96	104.46
11.	झारखंड	527	22	82.62	9.91	8.26	4.96	14.87	15.00	29.89	11.96	177.48
12.	कर्नाटक	872	29	136.71	16.41	13.67	8.20	24.61	15.00	39.40	15.76	269.76
13.	केरल	430	14	67.42	8.09	6.74	4.04	12.13	15.00	19.02	7.61	140.06
14.	मध्य प्रदेश	1307	49	204.91	24.59	20.49	12.29	36.88	15.00	66.58	26.63	407.38
15.	महाराष्ट्र	1898	49	297.57	35.71	29.76	17.85	53.56	15.00	66.58	26.63	542.65
16.	मणिपुर	34	2	5.33	0.64	0.53	0.32	0.96		2.72	1.09	11.59
17.	मेघालय	10	1	1.57	0.19	0.16	0.09	0.28		1.36	0.54	4.19
18.	मिजोरम	40	2	6.27	0.75	0.63	0.38	1.13		2.72	1.09	12.96
19.	नागालैण्ड	27	0	4.23	0.51	0.42	0.25	0.76		0.00	0.00	6.18
20.	उड़ीसा	531	30	83.25	9.99	8.32	4.99	14.98	15.00	40.76	16.30	193.61
21.	पंजाब	346	14	54.25	6.51	5.42	3.25	9.76	15.00	19.02	7.61	120.83
22.	राजस्थान	825	34	129.34	15.52	12.93	7.76	23.28	15.00	46.20	18.48	268.51
23.	सिक्किम	13	2	2.04	0.24	0.20	0.12	0.37	15.00	2.72	1.09	21.78
24.	तमिलनाडु	788	30	123.54	14.83	12.35	7.41	22.24	15.00	40.76	16.30	252.44
25.	त्रिपुरा	80	3	12.54	1.51	1.25	0.75	2.26		4.08	1.63	24.02
26.	उत्तर प्रदेश	2174	70	340.84	40.90	34.08	20.45	61.35	15.00	95.11	38.04	645.78
27.	उत्तराखंड	273	13	42.80	5.14	4.28	2.57	7.70	15.00	17.66	7.07	102.22
28.	पश्चिम बंगाल	698	19	109.43	13.13	10.94	6.57	19.70	15.00	25.82	10.33	210.91
	सभी राज्य	15946	552	2500.00	300.00	250.00	150.00	450.00	300.00	750.00	300.00	5000.00

नवाचार लोक प्रणाली केन्द्र (सीआईपीएस) की स्थापना हेतु अवधारणा टिप्पणी और दिशा-निर्देश

प्रस्तावना

विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त नवाचार परिपाटियां संबंधी वित्त आयोग के प्रश्नों के उत्तरों का विश्लेषण किया गया।

कुछ राज्यों द्वारा, हाल के वर्षों में लागू किए कुछ नवाचार अथवा बेहतर पद्धतियों में सम्मिलित हैं:

- (i) सूचना के अधिकार के संबंध में आम लोगों में व्यापक स्तर पर जागरूकता पैदा करने के लिए भिन्न भिन्न भाषाओं में एक लाख बुलेटिनों का वितरण, जिनमें विशेष रूप से छात्रों में जागरूकता पैदा करने पर बल दिया गया है।
- (ii) भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्तियों की सम्पत्तियों की कुर्की के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में संशोधन जिससे नौकरशाही में एक जोरदार संदेश गया।
- (iii) भू-रिकार्डों को अद्यतन करने हेतु प्राइवेट सर्वेक्षकों को शामिल करना और लाइसेंस प्रदान करना तथा किसानों को मालिकाना हक प्रदान करने के रिकार्ड की कम्प्यूटरीकृत प्रतियां बहुत ही कम लागत पर शीघ्र जारी करने में मदद करना।
- (iv) कानूनी सहायता प्रकोष्ठों की स्थापना, नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने में मदद करना। इसके अतिरिक्त, जन उपयोगिता सेवाओं से संबंधित शिकायतों या विवादों के निवारण हेतु एक समर्पित लोक अदालत की स्थापना।
- (v) उपलब्ध संसाधनों का समयबद्ध रूप से प्रयोग करने के लिए लोक अधिकारियों द्वारा नवाचारों को प्रोत्साहित करने हेतु पहल शुरु करना।
- (vi) झूम खेती को रोकने के लिए एक नयी भू उपयोग नीति तैयार करना।
- (vii) शिक्षा, स्वास्थ्य और विद्युत सेवाओं के प्रबंध का सामुदायिकीकरण करना।
- (viii) निजी क्षेत्र को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन।

नवाचारों के संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त आंकड़ों, नवाचारों के लिए रिज्यूनीयोरिंग और प्रोत्साहनों की कार्यविधि के लिए किए गए प्रयासों से यह पता चला है कि शासन की गुणवत्ता सुधारने के लिए विभिन्न राज्यों में अजमाए जा रहे विचारों की कोई कमी नहीं है। तथापि, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है:

- (i) राज्य भर में विभिन्न प्रयोगों और सफल नीतियों से वैचारिक एवं प्रक्रियात्मक पाठों को अलग करने के लिए पर्याप्त चेष्टा नहीं की गयी।
- (ii) राज्य में विभिन्न सेक्टरों और विभिन्न स्तरों में नवाचार संबंधी सर्वोत्तम पद्धतियों पर कोई डाटाबेस नहीं है।
- (iii) पर्याप्त दर और पैमाने पर विचारों का आदान-प्रदान नहीं हो रहा है।
- (iv) कई अच्छे विचार जो एक बार अपनाए गए हैं, उन्हें छोड़ दिया गया है और उन पर अल्प ध्यान दिया गया है, उन्हें अक्सर दुबारा उपयोग में नहीं लाया गया।
- (v) सार्वजनिक प्रणालियों में नवाचार हेतु प्रोत्साहन पर्याप्त नहीं हैं और एजेंटों को बदलने हेतु पर्याप्त स्पष्टता नहीं बरती गयी है।
- (vi) विभिन्न सार्वजनिक प्रशासनिक संस्थानों में प्रशिक्षण तथा शिक्षण की प्रणालियों को विभिन्न नवाचारों के पाठों में पर्याप्त तथा सुव्यस्थित तरीके से शामिल किया गया है।
- (vii) सार्वजनिक, निजी तथा सिविल सोसाइटी संगठनों के मध्य पारम्परिक सम्पर्क करने की आवश्यकता लगभग समस्त देश में महसूस की जा रही है, लेकिन इस पारम्परिक सम्पर्क स्थापित करने की पर्याप्त व्यवस्था मौजूद नहीं है।
- (viii) नवाचार हेतु नेतृत्व निर्माण के लिए पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसे यथावत बनाए रखा जाए और जहां आवश्यक हो, नए नवाचारों का सृजन किया जाए।

उपर्युक्त के प्रकाश में, नवाचार लोक प्रणाली केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव है जो विभिन्न राज्यों में संस्कृति तथा अभिशासन की संरचना में नवाचार परिवर्तनों को उत्प्रेरित करेगा। केन्द्र उपर्युक्त पहचान किए गए विभिन्न अन्तरालों की पूर्ति करेगा और बढ़ती सामाजिक आकांक्षाओं की पूर्ति में टिकाऊ परिणाम प्राप्त करने में योगदान देगा। केन्द्र सृजनात्मक विचारों को स्थानीय स्तर पर सतत प्रक्रियाओं में रूपान्तरित करने हेतु नवाचार संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए विकासात्मक नीतियों में राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध कराएगा।

निम्नलिखित खण्डों में इसके प्रस्तावित मिशन और उद्देश्यों का कार्य, उसकी अवस्थिति, अभिशासन प्रक्रियाओं तथा इसके संस्थापना से सम्बद्ध अन्य पहलुओं को निर्धारित किया गया है।

सीआईपीएस : मिशन और उद्देश्य

सार्वजनिक प्रणालियों में नवाचार तथा सुप्रक्रिया केन्द्र का मिशन सार्वजनिक प्रणालियों में तेजी लाना और नवाचार को प्रेरित करने सम्बन्धी संस्कृति का माहौल बनाने में सहायता प्रदान करना है।

स्वायत्तशासी निकाय के बतौर सीआईपीएस की स्थापना के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- (i) विभिन्न राज्यों में आम जनता के कल्याण हेतु लोगों के प्रबंधन प्रक्रिया (लागत तथा गुणवत्ता), प्रणाली (प्रौद्योगिकी) तथा सेवाओं में सार्वजनिक प्रणालियों में नवाचारों की पहचान, उसे मान्यता तथा प्रोत्साहन देना।
- (ii) समस्त राज्यों में नीतियों और प्रक्रियाओं में कार्रवाई अनुसंधान परियोजनाओं, सूक्ष्म स्तर परिवर्तनों और नवाचारों को प्रारम्भ करने हेतु पारिषदिक शिक्षण को प्रेरित करना तथा बढ़ावा देना।
- (iii) सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, सम्मेलनों, विचार गोष्ठियों, सर्वेक्षणों, प्रकाशन तथा नवाचार का राष्ट्रीय केटालॉग/ डाटाबेस के विकास के जरिए क्षमता निर्माण हेतु विभिन्न भागीदारों में अभिशासन में सर्वोत्तम प्रक्रियाओं हेतु अन्तर्राष्ट्रीय अनुभव तथा प्रकटन के वहन को सुगम बनाना।
- (iv) सार्वजनिक प्रणालियों में अभिशासन में सर्वोत्तम प्रक्रियाओं हेतु अन्तर्राष्ट्रीय अनुभव तथा प्रकटन के वहन को सुगम बनाना।

सीआईपीएस के कार्य

इस केन्द्र के कार्य इस प्रकार हैं :

- (i) राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे विभिन्न नवाचारों को खोजना उनका अवलोकन तथा पहचान करना जिनका सार्वजनिक सेवा सुपुर्दगी वर्धित कार्यक्षमता पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और जिससे लागत में कमी आयी।
- (ii) सार्वजनिक प्रणालियों में नवाचारों के पब्लिक डोमेन सूची को तैयार करना, ज्ञान प्रबन्धन के उद्देश्य तथा नवाचारों के विस्तार हेतु सरकारी विभाग।
- (iii) पारिस्थितिकीय प्रणालियों के प्रादुर्भाव को सुगम बनाना जो मितव्ययी नवाचार विचारों के अनुकूल हैं, सशक्तिकरण तथा स्वतंत्रता की व्यवस्था करते हैं और नवाचारों के प्रोत्साहन हेतु जोखिम लेने के अनुभवों को प्रोत्साहित करते हैं।
- (iv) प्रशासन में नए जोखिमों तथा सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के ज्ञान की हिस्सेदारी तथा प्रसारण हेतु एक मंच के रूप में कार्य करना।
- (v) सार्वजनिक प्रणालियों में सतत परिवर्तन तथा रूपान्तरण हेतु जांच की नई लाइनें प्रारम्भ करने हेतु नवाचार प्रक्रिया को तीव्र करना तथा विचारों के आपसी आदान-प्रदान हेतु प्रोत्साहनों (पुरस्कार तथा मान्यता) के लिए रीतियों को विकसित करने में सहायता मुहैया कराना।
- (vi) चालू आधार पर नए समाधानों के सृजन हेतु नवाचार मनोवृत्ति के विकास हेतु राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में संगत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निर्माण।
- (vii) नवाचार को अवरुद्ध करने वाले सम्भाव्य अवरोधकों की पहचान हेतु नैदानिक अध्ययनों के अनुसरण को सुगम बनाना और उन बातों पर ध्यान देना जो सार्वजनिक प्रणालियों में नवाचारों को सुगम बनाते हैं।
- (viii) नए विचारों हेतु सामाजिक उपक्रम पूंजी/नवाचार प्रोत्साहन निधि तथा निवेश में महत्वपूर्ण संतुलन की व्यवस्था को सुगम बनाना और प्रशासन में निवेश।
- (ix) समावेशी नीति समाधान तथा प्रचालनात्मक तंत्रों के विकास हेतु रचनात्मक बहस, आत्मविश्लेषण और प्रकटन की स्थापना के लिए शीर्ष नेताओं (मुख्य मंत्रियों, मंत्रियों, प्रधान सचिवों, सचिवों आदि) की वार्षिक रिट्रिट्स का आयोजन। इससे नेतृत्व गुणों के निर्माण में सहायता मिलेगी जो जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़कर शिक्षण को सुगम बनाएगा।
- (x) सार्वजनिक प्रणालियों में वार्षिक अवार्ड योजना के माध्यम से उत्कृष्ट नवाचारों को सम्मानित करना ताकि सार्वजनिक प्रणालियों/राज्य विभागों में नवाचारों को प्रोत्साहित किया जा सके।
- (xi) एक ज्ञान निकाय का विकास करना जिसमें अनुसंधान आधारित मामला अध्ययन, नवाचारों का तुलनात्मक विश्लेषण तथा मल्टीमीडिया एवं बहु-भाषा अधिगम सामग्रियों का प्रयोग करके राज्यों के भीतर तथा सभी राज्यों में उनके विसरण का अनुभव शामिल हो जिससे वे सार्वजनिक सेवाओं के परिदाय में अधिक अभिनव बन सकें।

सीआईपीएस: एएससीआई में उसकी अवस्थिति

सार्वजनिक प्रणाली नवाचार केन्द्र (सीआईपीएस) भारतीय प्रशासनिक स्टॉफ कालेज, हैदराबाद में अवस्थित होगा जो 1956 में सरकार तथा उद्योग की पहल के अंतर्गत स्थापित एक स्वायत्त संस्था है। कालेज का लोक प्रशासन में अच्छी पद्धति तथा नवाचारों को संवर्धित करने का रिकार्ड है। एएससीआई प्रशासनिक सुधार विभाग तथा प्रधान मंत्री कार्यालय की सार्वजनिक प्रणालियों में नवाचार परिवर्तन अभिकर्मकों को मान्यता प्रदान करने में सहायता देने में भी रत है।

सीआईपीएस : अभिशासन संरचना

सीआईपीएस, जो एएससीआई में अवस्थित होगा, के लिए अभिशासन व्यवस्थाएं निम्न प्रकार होंगी:-

(क) परामर्शी परिषद

सीआईपीएस के लिए एक परामर्शी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें निम्न शामिल होंगे:-

- (i) सभी राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव
- (ii) केन्द्र सरकार के तीन प्रतिनिधि अर्थात् वित्त सचिव, सचिव (कार्मिक), तथा सचिव (प्रशासनिक सुधार)।
- (iii) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के निदेशक
- (iv) अध्यक्ष, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन
- (v) नवाचार के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध चार स्वतंत्र विशेषज्ञ, जिन्हें एएससीआई के महानिदेशक द्वारा नामित किया जाना है।
- (vi) सीआईपीएस के निदेशक जो संयोजक/सचिव के रूप में कार्य करेगा।

परामर्शी परिषद के अध्यक्ष आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के मुख्य सचिव होंगे जो एएससीआई के राज्यपाल न्यायालय के सदस्य भी हो अथवा एएससीआई कोर्ट ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष द्वारा नामित व्यक्ति है।

परामर्शी परिषद :

- (i) केन्द्र के कार्य कार्यक्रम पर टिप्पणी करेगी तथा सुझाव देगी और इसके कार्यान्वयन को मानीटर करेगी।
- (ii) सीआईपीएस के वार्षिक बजट की समीक्षा तथा उस पर टिप्पणी करेगी और एक लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करेगी।
- (iii) वर्ष में दो बार हैदराबाद में बैठक करेगी बशर्ते कि इसकी सदस्यता का न्यूनतम 25 प्रतिशत कोरम उपस्थित हो।

(ख) संचालन समिति

केन्द्र के कार्य कार्यक्रम को स्वरूप प्रदान करने तथा उसे संचालित करने में राज्य सरकारों की अंतर्दृष्टियों के प्रतिनिधित्व हेतु स्थान की व्यवस्था करने के लिए एक संचालन समिति की स्थापना की जाएगी। समिति के अध्यक्ष एएससीआई के महानिदेशक होंगे। संचालन समिति के अन्य सदस्य निम्नलिखित होंगे:-

- (i) सरकार के दो मुख्य सचिव या उनके नामिती जिन्हें आवर्तन आधार पर एक वर्ष प्रत्येक के लिए कार्य करने हेतु एएससीआई के कोर्ट ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष द्वारा मंत्रित किया जाएगा (अथवा परामर्शी परिषद द्वारा नामित किया जाएगा)
- (ii) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के निदेशक
- (iii) परामर्शी परिषद में प्रतिनिधित्व रखने वाले चार स्वतंत्र नामितियों में से दो नामिती जिन्हें एएससीआई के महानिदेशक अमंत्रित करे।
- (iv) सीआईपीएस के निदेशक (संयोजक/सचिव) जिनकी नियुक्त एएससीआई द्वारा की जाएगी।

संचालन समिति की हर तिमाही में बैठक होगी जिसके कोरम को पूर्ति इसके एक-तिहाई सदस्यों द्वारा की जाएगी। समिति अपनी कार्य योजना के संबंध में वर्ष में दो बार सीआईपीएस को सलाहकार परिणाम और उसके माध्यम से एएससीआई के कोर्ट आफ गवर्नर्स को रिपोर्ट करेगी।

वित्तपोषण

- (i) वर्ष 2010-11 के दौरान वित्त आयोग के अनुदान के आधार पर आन्ध्र प्रदेश सरकार के माध्य से 20 करोड़ रुपए का एक-कालिक अनुदान एएससीआई के पास निहित होगा।
- (ii) निधियां एएससीआई द्वारा धारित और प्रबंधित की जाएगी और यह एएससीआई के निधियन और क्रियाकलापों पर लागू लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के अधीन होगी।
- (iii) सीआईपीएस राज्य सरकारों, प्राइवेट क्षेत्र और अन्य निधियन एजेंसियों जैसे कि बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियों जैसे संयुक्त राष्ट्र (यूएन), विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और अन्तरराष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) सहित अन्य स्रोतों से इस शर्त पर और निधियां सृजित कर सकता है कि किसी भी स्थिति में सीआईपीएस के उद्देश्य में और न ही इसके अभिशासन तंत्र में मामूली सा भी बदलाव लाया जाएगा।

प्रचालन संबंधी मुद्दे

तीसरे वित्त आयोग द्वारा प्रदान किए गए अनुदान का पूर्णतः अथवा आंशिक रूप में भी भूमि की खरीद करने अथवा भवन निर्माण अथवा भवन को खरीद करने के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। यदि पांच वर्ष के अन्त में सीआईपीएस का अधिदेश समाप्त हो जाता है तो भी चल सम्पत्ति जैसे कि फर्नीचर, कम्प्युटर, किताबें, आदि एएससीआई की सम्पत्ति बन जाएगी।

एएससीआई के लिए लागू लेखा परीक्षा ढांचा सीआईपीएस पर लागू किया जाएगा और सीआईपीएस के खातों की वार्षिक रूप से लेखा परीक्षा की जाएगी। लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रति वर्ष सीआईपीएस की सलाहकार परिषद के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। इसे इसी प्रकार एएससीआई के कोर्ट ऑफ गवर्नर्स को उनके अनुमोदन के लिए अग्रेषित करेगा।

सीआईपीएस का स्टाफ तथा स्थापना

केन्द्र मुख्य तथा परियोजना आधारित स्टाफ के सिद्धांत पर कार्य करेगा जिसमें प्रशासनिक तथा लिपिक वर्गीय स्टाफ कम से कम होगा। जैसाकि वित्त पोषण की गारंटी पांच वर्ष के लिए है, इसलिए सीआईपीएस के लिए पूर्णकालिक आधार पर निर्दिष्ट स्टाफ की भर्ती पांच वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं की जाएगी।

जब तक कि अन्यथा कुछ विनिर्दिष्ट न किया जाए, एएससीआई को शामिल करने वाले स्टाफ संबंधी नियम एवं विनियम सीआईपीएस पर भी लागू होंगे।

किसी प्रशासन, संकाय और अन्य सेवाओं के लिए जैसे कि एएससीआई द्वारा प्रस्तुत की गई अवसंरचना का प्रयोग, सीआईपीएस की कार्यवाही परिसर द्वारा यथा प्रस्तावित और एएससीआई की गवर्नर्स का संचालन समिति द्वारा अनुमोदित उपयुक्त प्रकार की व्यवस्था सीआईपीएस के बजट में की जाएगी।

एएससीआई, एएससीआई की लम्बे अभिशासन प्रक्रियाओं के ढांचे और सीआईपीएस के विशिष्ट अधिदेश के अन्तर्गत सीआईपीएस के अच्छे कार्य संचालन के लिए उत्तरदायी होंगे।

चौदहवें वित्त आयोग को रिपोर्ट

संचालन समिति सलाहकार परिषद के साथ विमर्श करके और एएससीआई के कोर्ट ऑफ गवर्नर्स के अनुमोदन से सीआईपीएस द्वारा किए गए सभी कार्यों जिसमें तेरहवें वित्त आयोग द्वारा मुहैया कराए गए अनुदान का उपयोग करके किया गया कार्य भी शामिल है, की समीक्षा 31 मार्च, 2014 को चौदहवें वित्त आयोग को प्रस्तुत करेगी।

अनुबंध 12.14

(पैरा 12.96 और 12.101)

जिला नवाचार निधि के लिए और जिला व राज्य सांख्यिकी प्रणाली सुधारने के लिए राज्यवार अनुदान

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिलों की संख्या	जिला नवाचार निधि के लिए अनुदान (करोड़ रुपए)	जिला व सांख्यिकी प्रणालियां सुधारने के लिए अनुदान (करोड़ रुपए)
1.	आन्ध्र प्रदेश	23	23	23
2.	अरुणाचल प्रदेश	16	16	16
3.	असम	27	27	27
4.	बिहार	38	38	38
5.	छत्तीसगढ़	18	18	18
6.	गोआ	2	2	2
7.	गुजरात	26	26	26
8.	हरियाणा	21	21	21
9.	हिमाचल प्रदेश	12	12	12
10.	जम्मू और कश्मीर	22	22	22
11.	झारखंड	24	24	24
12.	कर्नाटक	29	29	29
13.	केरल	14	14	14
14.	मध्य प्रदेश	50	50	50
15.	महाराष्ट्र	35	35	35
16.	मणिपुर	9	9	9
17.	मेघालय	7	7	7
18.	मिजोरम	8	8	8
19.	नागालैण्ड	11	11	11
20.	उड़ीसा	30	30	30
21.	पंजाब	20	20	20
22.	राजस्थान	33	33	33
23.	सिक्किम	4	4	4
24.	तमिलनाडु	31	31	31
25.	त्रिपुरा	4	4	4
26.	उत्तर प्रदेश	70	70	70
27.	उत्तराखंड	13	13	13
28.	पश्चिम बंगाल	19	19	19
	कुल 28 राज्य	616	616	616

कर्मचारी डाटाबेस प्रपत्र के लिए नमूना

1. कर्मचारी कोड
2. पूरा नाम (कर्मचारी/अधिकारी) (हिन्दी/अंग्रेजी में)
3. पिता/पति का नाम
4. पुरुष/महिला
5. जन्म तिथि
6. नियुक्ति की तारीख
7. पद का नाम/प्रथम नियुक्ति पर पदनाम
8. वर्तमान पद/पदनाम
9. वर्तमान पद/पदनाम का वेतनमान
10. स्थायी/अस्थायी कर्मचारी
11. वर्तमान में वेतन-वृद्धि की तारीख
12. पेंशन के लिए हकदार (प्रसुविधा बताएं/नई पेंशन स्कीम/दोनों में कोई भी नहीं)
13. बैंक का नाम जिसमें वेतन खाता खुला है
14. बैंक खाता संख्या
15. सामान्य भविष्य निधि/नए पेंशन स्कीम लेखा सं.
16. डीडीओ कोड
17. परिलब्धियां जिनका ट्रेजरी से सीधे भुगतान किया जाएगा
 - (क) मूल वेतन
 - (ख) वैयक्तिक/विशेष वेतन (यदि पेंशन प्रयोजनों के लिए गिना जाता है)
 - (ग) एन.पी.ए
 - (घ) महंगाई भत्ता और महंगाई वेतन
 - (ङ) कुल वेतन (भत्तों सहित)

अनुबंध 12.16
(पैरा 12.114)

सड़कों और पुलों के रखरखाव/मरम्मत के लिए सहायता अनुदान

(करोड़ रुपए)

क्र.	राज्य	2011-12	2012-13	2013.14	2014-15	2011-15
1.	आन्ध्र प्रदेश	217	234	253	277	981
2.	अरुणाचल प्रदेश	35	38	42	47	162
3.	असम	67	75	88	106	336
4.	बिहार	94	105	119	146	464
5.	छत्तीसगढ़	69	83	96	114	362
6.	गोआ	9	10	10	11	40
7.	गुजरात	287	304	324	346	1261
8.	हरियाणा	58	63	70	76	267
9.	हिमाचल प्रदेश	89	102	115	130	436
10.	जम्मू और कश्मीर	29	31	35	45	140
11.	झारखंड	75	79	84	96	334
12.	कर्नाटक	367	391	418	449	1625
13.	केरल	220	232	244	257	953
14.	मध्य प्रदेश	194	222	263	307	986
15.	महाराष्ट्र	470	504	545	584	2103
16.	मणिपुर	22	24	26	28	100
17.	मेघालय	23	24	26	28	101
18.	मिजोरम	19	21	23	26	89
19.	नागालैण्ड	34	38	42	45	159
20.	उड़ीसा	224	242	265	291	1022
21.	पंजाब	138	148	158	168	612
22.	राजस्थान	303	353	409	444	1509
23.	सिक्किम	14	15	18	21	68
24.	तमिलनाडु	428	453	478	506	1865
25.	त्रिपुरा	26	28	31	37	122
26.	उत्तर प्रदेश	630	674	732	795	2831
27.	उत्तराखंड	71	78	86	94	329
28.	पश्चिम बंगाल	147	160	175	191	673
	जोड़	4359	4731	5175	5665	19930

सड़कों और पुल शीर्ष (मुख्य शीर्ष 3054) के अधीन योजना-भिन्न राजस्व व्यय का अनुदान

(करोड़ रुपए)

क्र.	राज्य	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1.	आन्ध्र प्रदेश	1115.20	1170.96	1229.50	1290.98	1355.53
2.	अरुणाचल प्रदेश	20.46	21.89	23.42	25.06	26.82
3.	असम	492.14	526.59	563.45	602.89	645.09
4.	बिहार	466.37	489.68	514.17	539.88	566.87
5.	छत्तीसगढ़	346.58	363.91	382.11	401.21	421.28
6.	गोआ	109.69	115.18	120.94	126.98	133.33
7.	गुजरात	557.52	585.39	614.66	645.39	677.66
8.	हरियाणा	416.00	436.80	458.64	481.57	505.65
9.	हिमाचल प्रदेश	590.11	619.62	650.60	683.13	717.28
10.	जम्मू और कश्मीर	48.81	52.23	55.89	59.80	63.98
11.	झारखंड	119.72	128.10	137.07	146.66	156.93
12.	कर्नाटक	303.70	318.89	334.83	351.57	369.15
13.	केरल	574.12	602.83	632.97	664.62	697.85
14.	मध्य प्रदेश	429.79	451.27	473.84	497.53	522.41
15.	महाराष्ट्र	1601.16	1681.22	1765.28	1853.54	1946.22
16.	मणिपुर	78.65	84.15	90.04	96.35	103.09
17.	मेघालय	73.85	79.02	84.55	90.47	96.80
18.	मिजोरम	32.56	34.84	37.28	39.89	42.68
19.	नागालैण्ड	53.94	57.72	61.76	66.08	70.71
20.	उड़ीसा	506.04	531.34	557.91	585.80	615.09
21.	पंजाब	135.63	142.41	149.53	157.01	164.86
22.	राजस्थान	231.47	243.05	255.20	267.96	281.36
23.	सिक्किम	28.60	30.60	32.75	35.04	37.49
24.	तमिलनाडु	605.04	635.29	667.06	700.41	735.43
25.	त्रिपुरा	90.95	97.32	104.13	111.42	119.22
26.	उत्तर प्रदेश	757.25	795.11	834.87	876.61	920.44
27.	उत्तराखंड	88.81	95.03	101.68	108.80	116.41
28.	पश्चिम बंगाल	241.67	253.75	266.44	279.76	293.75
	जोड़	10115.83	10644.19	11200.55	11786.41	12403.38

जारी करने की पूर्वशर्त :

वर्ष	शर्त
2011-12	(क) 2011-12 (ब.अनु.) निवल अनुदान, 2011-12 के अनुमानित योजना-भिन्न राजस्व व्यय से कम नहीं होने चाहिए। (ख) 2010-11 (सं.अनु.) निवल अनुदान 2010-11 के अनुमानित योजना-भिन्न राजस्व से कम नहीं होने चाहिए।
2012-13	(क) 2012-13 (ब.अनु.) निवल अनुदान, 2012-13 के अनुमानित योजना-भिन्न राजस्व व्यय से कम नहीं होने चाहिए। (ख) 2011-12 (सं.अनु.) निवल अनुदान 2011-12 के अनुमानित योजना-भिन्न राजस्व से कम नहीं होने चाहिए। (ग) 2010-11 (वास्तविक) निवल अनुदान 2010-11 के अनुमानित योजना-भिन्न राजस्व व्यय से कम नहीं होने चाहिए।
2013-14	(क) 2013-14 (ब.अनु.) निवल अनुदान, 2013-14 के अनुमानित योजना-भिन्न राजस्व व्यय से कम नहीं होने चाहिए। (ख) 2012-13 (सं.अनु.) निवल अनुदान 2012-13 के अनुमानित योजना-भिन्न राजस्व से कम नहीं होने चाहिए। (ग) 2011-12 (वास्तविक) निवल अनुदान 2011-12 के अनुमानित योजना-भिन्न राजस्व व्यय से कम नहीं होने चाहिए।
2014-15	(क) 2014-15 (ब.अनु.) निवल अनुदान, 2014-15 के अनुमानित योजना-भिन्न राजस्व व्यय से कम नहीं होने चाहिए। (ख) 2013-14 (सं.अनु.) निवल अनुदान 2013-14 के अनुमानित योजना-भिन्न राजस्व से कम नहीं होने चाहिए। (ग) 2012-13 (वास्तविक) निवल अनुदान 2012-14 के अनुमानित योजना-भिन्न राजस्व व्यय से कम नहीं होने चाहिए।